


**National Judicial Academy, Bhopal, India**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल, भारत

# Annual Report

# वार्षिक प्रतिवेदन

# 2009-2010

# Contents....


| | |
|---|---|
| An Introduction to NJA | 01 - 02 |
| Chairman of NJA | 03 - 04 |
| Directors of NJA | 05 |
| Registrars | 06 |
| Member Secretaries | 07 |
| Academic Programmes held at NJA since 2003-04 | 08 |
| List of NJA Programmes 2009-10 | 09 - 17 |
| Brief Report of the Academic Programmes 2009-10 | 18 - 47 |
| Administration and Staff | 48 |
| Members of NJA Society | 48 |
| Governing Council | 49 |
| Academic Council | 50 |
| Executive Committee | 51 |
| Officers of the Academy | 52 - 53 |
| Infrastructure and Support Systems | 54 - 56 |
| Governance of NJA | 57 - 58 |
| National Judicial Education Strategy | 59 - 68 |
| NJES - A Status Report | 69 - 75 |
| Audit Report | 78 - 96 |
| Report in Hindi | 97 - 185 |

# An Introduction to **NATIONAL JUDICIAL ACADEMY**

Established in 1993 as an autonomous society under the Societies Registration Act, 1860, the core objective of the National Judicial Academy has been to strengthen the administration of justice through judicial education, research and policy development.

The five main responsibilities of NJA, as reinforced from time to time, through all its programmes are:

1. **Deliver judicial education and training** for judges, court staff and other stakeholders in the administration of justice, oriented towards addressing national priorities in justice administration;
2. **Carry out studies/research** on the administration of justice and court management and suggest improvements;
3. **Generate and disseminate knowledge** on administration of justice and court management;
4. **Promote highest standards of professional competence and practice** amongst judicial officers and court staff;
5. **Make NJA a world class centre of excellence** in judicial education, training and knowledge in judicial science.

To meet the above objectives and work towards fulfilling the same, the Academic Council of the National Judicial Academy (NJA), chaired by the Hon'ble Chief Justice of India (the Chairman of NJA), adopted in October, 2006, the National Judicial Education Strategy. This Strategy was developed in September, 2006 at a meeting of High Court Judges in charge of judicial education.

The National Judicial Education Strategy establishes, for the first time, a clear framework for National Judicial Education. The strategy sets the goal of National Judicial Education as enhancing timely justice through delay and arrears reduction and enhancing the quality and responsiveness of justice. The strategy aims to scale up National Judicial Education so as to provide every Judge an opportunity to participate in judicial education -at the state or national level-for at least one week each year. Under the strategy, the calendar for National Judicial Education was developed for the first time based on a systematic judicial education needs assessment carried out by all the High Courts in which Judicial Officers across the country were polled regarding their judicial education needs.

NJA has been conducting its activities under the National Judicial Education Strategy since its adoption. Updates of the NJES were submitted to and endorsed by the Academic Council in 2009 and 2010. A copy of the latest version of the NJES Update is given in the following pages. It sets out an overview of the strategic and operational framework for NJA activities.

A summary of the National Judicial Education Strategy (July, 2010) for ready reference:

# NATIONAL JUDICIAL EDUCATION STRATEGY (JULY, 2010) - An Overview

## I. VISION

Judicial education enhances timely justice - delay and arrears reduction and enhancing the quality and responsiveness of justice.

"Justice" means, in this context, conduct consistent with Constitutional values.

## II. MISSION

The central mission of judicial academies is to enhance the excellence of the judicial system through judicial education, research and policy development, so as to enhance timely justice.

To this end, judicial academies should, according to the 117th Law Commission of India on Judicial Officers Training, (a) equip judges with tools to execute their work; and (b) endow them with vision as to what is expected of the system they serve.

In the context of the changed Constitutional role of the judiciary, judicial education must also promote the application of Constitutional values in adjudication.

## III. STRATEGY

A. Help evolve and disseminate a common national vision on six key issues:

1. Expectations of the judicial system;
2. "Excellence of the judicial system" based on the ROKMMA framework (see below);
3. "The Constitutional Vision of Justice" that should guide judging
4. A framework for measuring the "social impact" of Courts
5. Quality framework
6. Monitoring Indicators

B. Organize and deliver three types of academic programmes:

(i) for strengthening **individual** judges (enhancing their qualities, attitudes, skills and knowledge (QASK) ("supply side");
(ii) for strengthening the **judicial system** (see above) ("supply side"); and
(iii) for enhancing the **social impact of the judicial system**, focusing on priority areas of national and social development ("demand side")

## IV. IMPACT EVALUATION

The impact of NJA programmes may be measured against the three sets of objectives: first, enhancing timeliness; second, enhancing the quality of adjudication; and third, institutional change to strengthen the judicial system.

## CHAIRMAN, NATIONAL JUDICIAL ACADEMY



**HON'BLE MR. JUSTICE K.G. BALAKRISHNAN**
CHIEF JUSTICE OF INDIA

# Chairman of NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

(Hon'ble Chief Justice of India is ex-officio Chairman of the Academy)
(since incorporation)

as on 31st March 2010

| S.No. | Names of Hon'ble Chairmen | From | To |
|---|---|---|---|
| 1. | Hon'ble Mr. Justice M.N. Venkatachaliah | 17.08.1993 | 24.10.1994 |
| 2. | Hon'ble Mr. Justice A.M. Ahmadi | 25.10.1994 | 24.03.1997 |
| 3. | Hon'ble Mr. Justice J.S. Verma | 25.03.1997 | 17.01.1998 |
| 4. | Hon'ble Mr. Justice M.M. Punchhi | 18.01.1998 | 09.10.1998 |
| 5. | Hon'ble Mr. Justice A.S. Anand | 10.10.1998 | 31.10.2001 |
| 6. | Hon'ble Mr. Justice S.P. Bharucha | 01.11.2001 | 05.05.2002 |
| 7. | Hon'ble Mr. Justice B.N. Kirpal | 06.05.2002 | 07.11.2002 |
| 8. | Hon'ble Mr. Justice G.B. Pattanaik | 08.11.2002 | 18.12.2002 |
| 9. | Hon'ble Mr. Justice V. N. Khare | 19.12.2002 | 01.05.2004 |
| 10. | Hon'ble Mr. Justice S. Rajendra Babu | 02.05.2004 | 31.05.2004 |
| 11. | Hon'ble Mr. Justice R.C. Lahoti | 01.06.2004 | 31.10.2005 |
| 12. | Hon'ble Mr. Justice Y.K. Sabharwal | 01.11.2005 | 13.01.2007 |
| 13. | Hon'ble Mr. Justice K.G. Balakrishnan | 14.01.2007 | Till date |

# Directors of NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

| S.No. | Name | From | To |
|---|---|---|---|
| 1. | Hon'ble Mr. Justice K.N. Saikia, Director General | 01.05.1995 | 30.04.1997 |
| 2. | Prof. (Dr.) N.R. Madhava Menon | 30.09.2003 | 24.04.2006 |
| 3. | Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal | 13.07.2006 | Till date |

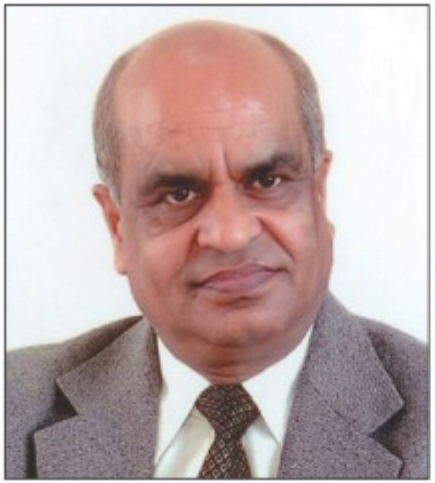


**PROF. (DR.) G. MOHAN GOPAL**
DIRECTOR

# Registrars of NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

(as on 31st March, 2010)

| S.No. | Name | From | To |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr. H.I. Husain | 08.04.2000 | 21.04.2001 |
| 2. | Mr. R.C. Mishra | 25.09.2001 | 24.09.2004 |
| 3. | Mr. Jagdish Baheti | 17.02.2005 | 30.06.2007 |
| 4. | Mr. A.M. Saxena | 01.07.2007 | 30.03.2010 |
| 5. | Mr. S.P. Srivastava | 22.01.2009 | Till date |



**MR. S.P. SRIVASTAVA**
Registrar (Academic Programmes)



**MR. A.M. SAXENA**
Registrar (Administration)

# Member Secretaries of NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

(since incorporation)

as on 31st March 2010

| S.No. | Name | From | To |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr. MSA Siddiqui | 17.08.1993 | 26.09.1994 |
| 2. | Mr. Chandresh Bushan | 27.09.1994 | 27.04.1998 |
| 3. | Mr. Bhanwar Singh | 27.04.1998 | 26.03.1999 |
| 4. | Mr. Lal Chand Bhadoo | 27.03.1999 | 19.01.2003 |
| 5. | Mr. J.C.S. Rawat | 20.01.2003 | 28.06.2004 |
| 6. | Mr. B.M. Gupta | 29.06.2004 | 25.11.2005 |
| 7. | Mr. V.K. Jain | 01.12.2005 | 12.05.2007 |
| 8. | Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal | 13.05.2007 | Till date |

# Academic programmes held at NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

Given below is an overview of the academic programmes held since 2003-2004 at the National Judicial Academy. There has been a steady increase in the number of programmes held each academic year paralleled with an equal increase in the number of participants in the programmes.

| Year | Academic Year (July - June) | Number of Programs | Number of Participants |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003-2004 | 03 | 211 |
| 2 | 2004-2005 | 12 | 570 |
| 3 | 2005-2006 | 27 | 771 |
| 4 | 2006-2007 | 42 | 1668 |
| 5 | 2007-2008 | **85**<br>(85 programmes including 12 "One-Off" National Flagship Workshops on Enhancing Timely Justice was planned only for this year) | **2595 + 876**<br>participants in 12 one-off national workshops<br>**Total 3471** |
| 6 | 2008-2009 | **84**<br>(12 "one-off" National Flagship Workshops not scheduled/held this year) | **2559** |
| 7 | 2009-2010 | **102** | **3553** |

# NJA Programmes held from July 2009 - June 2010

There were 81 programmes conducted in the financial year 2009-2010 (April 2009 to March 31 2010). For the academic calendar year which started in July 2009 to June 2010, NJA conducted 102 programmes. All programmes scheduled in the Calendar for the year were duly completed.

Listed below are the details of programmes held in 2009-2010 by main types of programme / theme.

| S/N | PROG. NO. | PROGRAMME DATE | PROGRAMME NAME | No. of PARTICIPANTS |
|---|---|---|---|---|
| **Conferences of High Court Justices on the Development of Law and the Judicial System** | | | | |
| 1 | P-254 | August 22 - 23, 2009 | Planning and Management for Timely Justice (PMTJ). | 25 |
| 2 | P-265 | September 19 - 20, 2009 | Criminal Justice Administration: Key Issues and Challenges. | 23 |
| 3 | P-274 | October 24 - 25, 2009 | Poverty, Eradication, Combating Social Exclusion and Advancing Social Justice. | 24 |
| 4 | P-283 | November 21 - 22, 2009 | Globalization and the Indian Judicial System: Key Issues and Challenges. | 16 |
| 5 | P-292 | January 16 - 17, 2010 (Dates postponed from Dec. 19-20, 2009). | Environmental Protection | 11 |
| 6 | P-300 | January 23 - 24, 2010 | Contribution of High Courts to the Development of Law (2008-date). | 15 |
| 7 | P-306 | February 13 - 14, 2010 | Contribution of the Supreme Court to the Development of Law (2008-date). | 17 |
| 8 | P-314 | March 20 - 21, 2010 | Indian Courts : The Next Decade. | 27 |
| 9 | P-322 | April 17 - 18, 2010 | Indian Courts : The Next Decade. | 23 |
| **National Conference of Newly Appointed High Court Justices** | | | | |
| 10 | P-280 | November 13 - 15, 2009 | National Conference of Newly Elevated High Court Justices. | 24 |

| S/N | PROG. NO. | PROGRAMME DATE | PROGRAMME NAME | No. of PARTICIPANTS |
|---|---|---|---|---|
| National Adjudication Management Programmes (AMP) for the District Judiciary | | | | |
| 11 | P-245 | July 24 - 27. 2009 | Adjudication of Murder Cases. | 25 |
| 12 | P-250 | July 31 - August 3, 2009 | Adjudication of Cases involving Children. | 24 |
| 13 | P-261 | September 11 - 14, 2009 | Adjudication of Cases concerning Safety, Security and Public Order. | 21 |
| 14 | P-263 | September 18 - 21, 2009 | Adjudication of Complex Economic Cases. | 23 |
| 15 | P-270 | October 3 - 6, 2009 | Adjudication of MACT Cases. | 24 |
| 16 | P-272 | October 9 - 12, 2009 | Adjudication of Mass Crimes and Mass Torts. | 24 |
| 17 | P-279 | November 13 - 16, 2009 | Adjudication of Family Disputes. | 22 |
| 18 | P-289 | December 11 - 14, 2009 | Adjudication of Atrocities Against Women. | 26 |
| 19 | P-290 | December 18 - 21, 2009 | Adjudication of Trafficking and Sexual Offences Cases. | 24 |
| 20 | P-296 | January 15 - 18, 2010 | Adjudication of Cases involving Social Reform, Protection of Constitutional Rights and Civil Liberties. | 23 |
| 21 | P-305 | February 12 - 15, 2010 | Adjudication of Civil Disputes. | 27 |
| 22 | P-309 | March 5 - 8, 2010 | Adjudication of Consumer Disputes. | 19 |
| 23 | P-320 | April 16 - 19, 2010 | Adjudication of Writ Petitions. | 25 |
| 24 | P-327 | May 7 - 10, 2010 | Adjudication of Labour and Industrial Disputes. | 24 |
| 25 | P-332 | May 14 - 17, 2010 | Adjudication of Environmental Disputes. | 21 |

| S/N | PROG. NO. | PROGRAMME DATE | PROGRAMME NAME | No. of PARTICIPANTS |
|---|---|---|---|---|
| **National Judicial Workshops on Enhancing Core Judicial Qualities, Attitudes, Skills and Knowledge (QASK) for the District Judiciary** | | | | |
| 26 | P-249 | July 31 - August 2, 2009 | Enhancing Excellence in Core Judicial Skills. | 22 |
| 27 | P-255 | August 22 - 23, 2009 | Communication Skills for Judges. | 24 |
| 28 | P-268 | October 3 - 5, 2009 | Judicial Conduct and Ethics. | 22 |
| 29 | P-277 | November 6 - 8, 2009 | Techniques & Tools for Time Management by Judges. | 25 |
| 30 | P-286 | December 4 - 6, 2009 | Stress Management. | 21 |
| 31 | P-294 | January 8 - 10, 2010 | Trial Process Management. | 21 |
| 32 | P-298 | January 22 - 24, 2010 | Management of Appeals and Revision Proceedings. | 26 |
| 33 | P-303 | February 5 - 7, 2010 | Effective use of ADR and Plea Bargaining for Reduction of Delay and Arrears in Courts. | 25 |
| 34 | P-312 | March 19 - 21, 2010 | Judgement Writing. | 28 |
| 35 | P-316 | April 2 - 4, 2010 | Court, Case Load and Case Management. | 23 |
| **Intensive Judicial Excellence Enhancement Programme (JEEP) for the District Judiciary** | | | | |
| 36 | P-251 | August 7 - 14, 2009 | JEEP (First Visit). | 72 |
| 37 | P-319 | April 9 - 16, 2010 | JEEP (Second Visit). | 69 |

| S/N | PROG. NO. | PROGRAMME DATE | PROGRAMME NAME | No. of PARTICIPANTS |
|---|---|---|---|---|
| **National Orientation Programmes for Newly Appointed Additional District Judges (ADJs)** | | | | |
| 38 | P-253 | August 21 - 25, 2009 | National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs | 21 |
| 39 | P-264 | September 18 - 22, 2009 | National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs | 20 |
| 40 | P-273 | October 23 - 27, 2009 | National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs | 21 |
| 41 | P-281 | November 20 - 24, 2009 | National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs | 21 |
| 42 | P-291 | December 18 - 22, 2009 | National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs | 23 |
| 43 | P-299 | January 22 - 26, 2010 | National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs | 24 |
| 44 | P-313 | March 19 - 23, 2010 | National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs | 20 |
| 45 | P-321 | April 16 - 20, 2010 | National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs | 23 |
| 46 | P-325 | April 30 - May 4, 2010 | National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs | 23 |
| 47 | P-329 | May 7 - 11, 2010 | National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs | 19 |

| S/N | PROG. NO. | PROGRAMME DATE | PROGRAMME NAME | No. of PARTICIPANTS |
|---|---|---|---|---|
| National Orientation Programmes for Newly Appointed Civil Judges (Junior Division) (JD) | | | | |
| 48 | P-244 | July 17 - 28, 2009 | National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges (JD) | 51 |
| 49 | P-252 | August 7 - 18, 2009 | National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges (JD) | 51 |
| 50 | P-257 | September 4 - 15, 2009 | National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges (JD) | 50 |
| 51 | P-267 | October 3 - 14, 2009 | National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges (JD) | 52 |
| 52 | P-276 | November 6 - 17, 2009 | National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges (JD) | 55 |
| 53 | P-285 | December 4 - 15, 2009 | National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges (JD) | 51 |
| 54 | P-293 | January 8 - 19, 2010 | National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges (JD) | 52 |
| 55 | P-302 | February 5 - 16, 2010 | National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges (JD) | 49 |
| 56 | P-308 | March 5 - 16, 2010 | National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges (JD) | 52 |
| 57 | P-318 | April 2 - 13, 2010 | National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges (JD) | 55 |

| S/N | PROG. NO. | PROGRAMME DATE | PROGRAMME NAME | No. of PARTICIPANTS |
|---|---|---|---|---|
| **Zonal Conferences on Enhancing Timely Justice : Strengthening Criminal Justice Administration** | | | | |
| 58 | P-256 | August 28 - 30, 2009 | Zonal Conference (East Zone). Held at Ranchi (Jharkhand High Court). | 67 |
| 59 | P-266 | September 25 - 27, 2009 | Zonal Conference (North Zone). Held at Lucknow (Allahabad High Court). | 91 |
| 60 | P-275 | Oct. 30 - Nov. 1, 2009 | Zonal Conference (West Zone). Held at Indore (Madhya Pradesh High Court). | 92 |
| 61 | P-284 | November 27 - 29, 2009 | Zonal Conference (South Zone). Held at Chennai (Madras High Court). | 126 |
| 62 | P-301 | January 29 - 31, 2010 | Zonal Conference (East Zone). Held at Guwahat (Gauhati High Court). | 76 |
| 63 | P-307 | February 19 - 21, 2010 | Zonal Conference (North Zone). Held at Delhi (Delhi High Court) | 96 |
| 64 | P-315 | March 26 - 28, 2010 | Zonal Conference (West Zone). Held at Ahmedabad (Gujarat High Court) | 112 |
| 65 | P-323 | June 25-27, 2010 (Postponed from April 23-25, 2010). | Zonal Conference (South Zone). Held at Kochi (Kerala High Court). | 101 |
| **National Orientation Programmes for Newly Appointed Additional District Judges (ADJs)** | | | | |
| 66 | P-246 | July 24 - 26, 2009 | Recent Developments in Criminal Law. | 24 |
| 67 | P-258 | September 4 - 6, 2009 | Recent Developments in Civil, Commercial and Economic Law. | 19 |
| 68 | P-262 | September 11 - 13, 2009 | Recent Developments in Public Law. | 19 |
| 69 | P-282 | November 20 - 22, 2009 | Contribution of High Courts to the Development of Law. | 25 |
| 70 | P-287 | December 4 - 6, 2009 | Contribution of Supreme Court to the Development of Law. | 25 |

| S/N | PROG. NO. | PROGRAMME DATE | PROGRAMME NAME | No. of PARTICIPANTS |
|---|---|---|---|---|
| **National Judicial Seminars of the District Judiciary on Strengthening the Judicial System** | | | | |
| 71 | P-243 | July 17 - 19, 2009 | National Conference of Principal District Judges on Planning and Management for Timely Justice (PMTJ-1). | 28 |
| 72 | P-248 | July 31 - August 2, 2009 | National Conference of Principal District Judges on Planning and Management for Timely Justice (PMTJ-2). | 33 |
| 73 | P-259 | September 4 - 6, 2009 | National Conference of Principal District Judges on Planning and Management for Timely Justice (PMTJ-3). | 27 |
| 74 | P-271 | October 9 - 11, 2009 | National Conference of Principal District Judges on Planning and Management for Timely Justice (PMTJ-4). | 28 |
| 75 | P-278 | November 6 - 8, 2009 | National Conference of Principal District Judges on Planning and Management for Timely Justice (PMTJ-5). | 20 |
| 76 | P-288 | December 11 - 13, 2009 | National Conference of Principal District Judges on Planning and Management for Timely Justice (PMTJ-6). | 26 |
| 77 | P-304 | February 5 - 7, 2010 | National Conference of Principal District Judges on Planning and Management for Timely Justice (PMTJ-7). | 33 |
| 78 | P-310 | March 5 - 7, 2010 | National Conference of Principal District Judges on Planning and Management for Timely Justice (PMTJ-8). | 34 |
| 79 | P-328 | May 7 - 9, 2010 | National Conference of Principal District Judges on Planning and Management for Timely Justice (PMTJ-9). | 31 |
| 80 | P-331 | May 14 - 16, 2010 | National Conference of Principal District Judges on Planning and Management for Timely Justice (PMTJ-10). | 32 |

| S/N | PROG. NO. | PROGRAMME DATE | PROGRAMME NAME | No. of PARTICIPANTS |
|---|---|---|---|---|
| **National Judicial Seminars of the District Judiciary on the Role of Subordinate Courts in responding to key Social Challenges facing the Country** | | | | |
| 81 | P-295 | January 8 - 10, 2010 | Globalization. | 22 |
| 82 | P-297 | January 15 - 17, 2010 | Poverty, Social Exclusion and Social Justice. | 23 |
| 83 | P-317 | April 2 - 4, 2010 | Enhancing Timely Justice. | 22 |
| 84 | P-324 | April 30 - May 2, 2010 | Terrorism, Safety and Security. | 24 |
| 85 | P-330 | May 14 - 16, 2010 | Environmental Protection. | 25 |
| **Programme Development Labs for the Development of Curricula, Syllabi, Content and Method of Judicial Education Programmes (PDLs)** | | | | |
| 86 | P-247 | July 24 - 26, 2009 | Review of National Judicial Education Strategy (NJES). | 15 |
| 87 | P-260 | September 11 - 13, 2009 | Review of Induction Programmes. | 18 |
| 88 | P-269 | October 3 - 5, 2009 | Review of Refresher Programmes. | 15 |
| 89 | P-311 | April 20 - 21, 2010 (Dates postponed from Mar. 12-14, 2010). | Review of Research Programmes | 18 |
| 90 | P-326 | April 30 - May 2, 2010 | Review of Key Issues and Challenges in Judicial Education. | 22 |
| | | | **Sub Total (1)** | **3037** |

| SPECIAL EVENTS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SE-1 | April 03, 2010 | Annual Calendar Meeting | 19 |
| 2 | SE-2 | May 08 , 2010 | Meeting on Sexual Harassment | 13 |
| 3 | SE-3 | June 12 & 13, 2010 | Seminar on the "Socio Economic Revolution" Agenda of the Constitution of India : The Role of Law Colleges and Judicial Academies. | 17 |
| 4 | SE-4 | June 19 & 20 , 2010 | State of the Indian Justice System : Voices of the People | 14 |
| 5 | SE-5 | June 21 to 23 , 2010 | Orientation Programme for Administrative Members of Central Administrative Tribunal | 13 |
| 6 | Seminars of Australian Judges and Indian Judges under Indo Australian Judicial Exchange Programme : Protecting Rights and Improving Access to Justice held between 2nd and 10th February, 2010 in the following destinations :<br>1) High Court of Delhi, New Delhi<br>2) High Court of Gujarat, Ahmedabad<br>3) High Court of Kerala, Kochi<br>4) National Judicial Academy, Bhopal<br>5) High Court of Calcutta, Kolkata<br>6) Supreme Court of India, Delhi<br>7) Sydney, Australia | | | 440 |
| | | | **Sub Total (II)** | **516** |
| | | | **GRAND TOTAL (Sub Total (I) + (II)** | **3553** |

## Brief Report of the Programmes held from July17, 2009 - May17, 2010

The Programmes for the academic year 2009-2010 at National Judicial Academy commenced with the National Conference of Principal District and Sessions Judges on Planning & Management for Timely Justice from July 17-19, 2009. A total of hundred & two academic programs were held from July, 2009 to May 17, 2010. The duration of the progamme days extends from three, four & seven days for each progamme, the longest period being twelve days for the Junior Division orientation progamme. Through these programme days, NJA received 3553 participants. Each progamme day encompassed discussions; sharing of experience; site visits; movie screening; & interactive sessions with eminent resource persons from the field of judiciary, academia & social policy thinkers.

**P-245 National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Murder Cases (July 24-27, 2009)**

The academic calendar for the year 2009-2010 included a series of Workshops on strengthening Adjudication Management. The first such workshop, 'National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Murder Cases' was conducted at National Judicial Academy from July 24-27, 2009. Twenty five judges from the district judiciary participated in this workshop. The main objective of the workshop was to help strengthen the quality of judicial management in specific areas of adjudication, cutting across various knowledge and skill requirements. The programme covered such aspects as the social background of persons( accused, victim and witnesses) involved in adjudication of murder cases; relevant court and case management methods, substantive and procedural law, judging and decision making skills and evaluation of quality and timeliness.

The four day programme focused on major themes which included a general introduction to Adjudication Management Programmes, identification of key issues based on a questionnaire and various presentations. A panel of resource persons from diverse fields shared and discussed on the various legal provisions of Criminal Procedure Code and Evidence Act. Discussions were held on why and under what circumstances people tend to commit heinous crimes like murder. The Social and Psychological aspects of the crime of murder and the accused were enumerated upon.Details were given on the process of reporting and investigating of murder cases as also the importance of the forensic inputs in a Murder Trial. Issues in the prosecution of murder cases and the niceties of procedural law regarding prosecution of murder cases were pointed out. Production of Evidence and witnesses in a murder case were dealt in detail. Appreciation of circumstantial evidence and changes in criminal administration justice was also highlighted. The resource persons emphasized that the mind set of judges must change and they should realize that undue sympathy for criminals would do more harm to society. Sentencing, Determination of guilt, and Rights of parties and Trial by Media was also detailed.

**P-246 National Judicial Seminar on Recent Developments in Criminal Law (July 24-26, 2009)**

The Seminar was conceptualized with a view to share the recent developments emerging from various High Courts in the field of Criminal Law. Sentencing and Appreciation of Evidence were discussed. Papers were presented by the participants on the developments in the respective High Courts. Extensive discussions

were also held on Trial by Media in the light of recent SC decision in Shantibhushan Bariyar. Around thirty district judges from across the country participated in the Programme.

**P-247 National Conference for State Judicial Academies: Review of the National Judicial Education Strategy (July 24-26, 2009)**

A Programme Development Lab (PDL) on National Judicial Education Strategy (NJES) was organised from July 24-26, 2009 at National Judicial Academy, Bhopal. Focusing mainly on the role of State Judicial Academies, the central point of discussion in this programme was how to make SJAs an instrument for transformation of society. Maintaining focus on the NJES, various sessions elucidated on the goals and objectives of NJES. The difference in the role of NJA and the SJAs was also highlighted. In order to avoid duplication of efforts, it was stated that NJA maintain its focus on making efforts to address the problems relating to the Judicial System as a whole, whereas SJAs can maintain its focus on addressing the knowledge component of the judicial officers. SJAs have an important role to play in addressing the day to day problems faced by the judicial officers, but in order to perform this function effectively, it was necessary that SJAs work towards developing a theory, a vision about judicial work and judicial institutions. Calling for a redefinition of the concept of justice in the justice system of India, it was stated that there was a need to develop a qualitative measure of the decisions of the court in order to move beyond the understanding that justice is not equal to decision of the court. For effective delivery of programmes a clear vision about the objectives of each programme was required. Clarity about these objectives only then would help towards devising a clear methodology to deliver the programme. It was also emphasized that the effectiveness of the programmes could be developed by moving beyond the lecture based class room sessions to more participative approaches, such as use of simulations, questionnaires, role plays, mock trial exercises.

After extensive discussions, it was agreed that three areas needed attention and have space for improvement: (1) Development of judicial education to meet the specific requirements of the judicial officers for adjudication management so that judicial education does not merely resemble legal education; (2) Focus on other branches that form part of adjudication, such as investigation, prosecution; (3) Shift from advocate dominated to judge managed adversarial litigation/adjudication; from passive judge to judge manager.

**P-249 National Judicial Workshop on Enhancing Excellence in Core Judicial Skills (July 31 - August 2, 2009)**

The objective of this Workshop was to analyze and enhance excellence in core judicial skills. The major areas covered during the programme were judicial method, judgment and decision making, reasoning, Constitutional vision of justice guiding judging, appreciation of facts and law, statutory interpretation and interpretation of deeds and documents. While defining the core judicial skills, the participants interpreted it to be the skills required for taking evidence, finding facts, interpreting law and judgment writing. Apart from the above topics, discussions were also held on enhancing objectivity in Appreciation of Facts & Law; Interpretation of Deeds/ Documents, Communication and Judgment Writing, Adjudication Management and Court and Case Management. A presentation highlighting the important aspects of rational thinking in decision making process was made . The various aspects of Communication and Judgment Writing was dealt with in detail.

**P-250 National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Cases involving Children ( July 31 - August 3, 2009)**

As part of the series of programmes on strengthening Adjudication Management a workshop on enhancing quality of adjudication of cases involving children: 'Adjudication of Cases under Child Welfare Legislation (Juvenile Justice Act: and Laws against Trafficking of Children and Child Labour)' was held at National Judicial Academy from July 31- August 3, 2009. Twenty four judges from the district judiciary participated in this workshop. The main objective of the workshop was to strengthen the quality of judicial management in specific areas of adjudication of cases involving children, cutting across various knowledge and skill requirements. The programme covered such aspects as the social background of adjudication; relevant court and case management methods, substantive and procedural law, judging and decision making skills and evaluation of quality and timeliness. The focal point of discussions was on adjudication of cases involving children covering Juvenile Justice Act, Laws against trafficking of children and child labour.

**P-251 National Intensive Judicial Excellence Enhancement Programme (JEEP) (First Visit) (August 7-14, 2009)**

The impact of judicial education programmes on participants and eventually on the working of courts is an important matter that has been frequently questioned and discussed. In order to strengthen the impact of judicial education, NJA has developed for the first time a unique programme called "National Intensive Judicial Excellence Enhancement Programme (JEEP)", which was organized from August 7 -14, 2009.
JEEP has especially been designed to achieve demonstrable impact on participants. JEEP provides a ten-month intensive programme for improvement of performance in the identified areas consisting of two visits of the participants to NJA: the first visit from August7th -14th, 2009 and the second visit from April 9th -16th, 2010.

The objective of the programme was to strengthen the quality of performance of individual judges in 21 specific attributes associated with high quality judging. For this purpose, NJA identified 4 core areas that consist of 21 crucial attributes where improvement of performance of individual judges is urgently required & assistance can be offered by NJA to the participant judges. These were :(1) QUALITIES/ ATTITUDES: Faith in Constitutional Values, Role & Responsibilities of Courts, Personal Rectitude, Commitment to Public Service, Judicial Ethics & Conduct, Openness/ Humility; Empathy, Vision, Decisiveness (2) FUNCTIONAL SKILLS: Listening, Reading, Speaking, Writing, Analysis; Logic & Reasoning, English Language & Communication (including non-verbal communication), Dispute Settlement/Negotiation/Bargaining (3)DOMAIN SKILLS: Appreciation of Facts, Finding & Appreciating the Law, Judging and Decision Making, Responsiveness in Judging, Managing the Adjudication Process/Team Work Skills, Administrative Skills, Foreseeing the impact of decisions. (4) KNOWLEDGE: Basic legal subjects, Constitution and its history, Freedom Movement and Key Social Challenges facing the Country including Poverty and Social Justice.
A follow up action plan was evolved at the end of the session by NJA with valuable inputs from the eighty participant judges of the Subordinate judiciary. Accordingly, they were requested to choose a particular area/stream in which they would want to specialize in. For the next six months NJA would, with the assistance of the State Judicial Academies, take forward a development programme for the participants in the identified areas in which improvement has been sought by each of them.

**P-254 National Conference of High Court Justices on Planning and Management for Timely Justice (August 22-23, 2009)**

National Judicial Academy organized the first National Conference for High Court Judges on Planning and Management- a Strategic Framework for Strengthening the Indian Judicial System on August 22 & 23, 2011 at the Academy. The Conference attended by 30 High Court judges from all over the country concentrated on identifying key issues and challenges facing the Indian Judicial System in the emerging global and national scenario keeping in view the main challenge of delivering timely and quality justice and discussing ways to overcome them.

Emphasis was laid on dealing with issues of delays and pendency. In dealing with the issue of implementation of a plan, the judges were exhorted to make a multi- pronged attack as individual efforts of High Courts on an ad hoc basis produce only ad hoc results, and hence, there had to be an institutional approach for implementation of the programme which should be followed with proper monitoring.

**P-255 National Judicial Workshop on Communication Skills for Judges (August 22-23, 2009)**

The main focus of the programmme was to help enhance excellence in communication skills within and out of the court. Structured around the following themes, 1: Communication and Professional Effectiveness; 2: Effective Communication Strategies; 3: Non verbal Communication; 4: Cognitive Process in Communication & Blocks in Communication; 5: English Language & Judgment writing 6: Judgment writing & 7: Communication Skills for Judges. Strategies of Communication were highlighted through a presentation. The participants were also made familiar with the various nuances of Cognitive Process in Communication & Blocks in Communication. The relevance of English language and modes of improving proficiency in language was illustrated and important aspects of judgment writing was also highlighted. The programme provided an opportunity to all participants to understand the necessity of good communication in and out of court and that the judge should not be a passive judge.

**P-258 National Judicial Seminar on Recent Developments in Civil, Commercial and Economic Law (September4-6, 2009)**

The seminar was held from September 4-6, 2009 with approximately thirty members of the District Judiciary from all over the country. A wide range of legislation, rules and regulations, judgments, current trends and critical issues which fall within the domain of Civil, Commercial and Economic law was discussed through the three day programme. The aim of this programme was to apprise the attending judges about the emergent disputes and developments in the key areas of Alternative Dispute Resolution Mechanisms, Corporate law, Taxation law, Securities law, Banking law, Insolvency law, and IPR law. There were discussions on the jurisprudence of the Supreme Court on the myriad conflicts in the aforesaid areas.

**P-260 National Conference of State Judicial Academies: Review of Induction Programmes (September11-13, 2009)**

A Programme Development Lab (PDL) on Review of Induction Programmes was organized from September 11-13, 2009 at NJA, Bhopal. One of the main aims of this programme was to discuss the induction

programmes that were being conducted at SJAs. In order to facilitate and streamline discussions, NJA had suggested a structure to be followed by the directors/representatives of SJAs. The participants discussed induction programmes being followed under the following topics: Rationale of Induction Programme Objectives/ Goals of the Programme; Structure of the Programmes; Methods adopted for class room sessions as well as practical training programme; Syllabus or the Curriculum followed; Basis for selection of the resource persons; Nature of reading material, basis for selection of the reading material; Expectations from the programme; Monitoring mechanisms adopted by the Academy for the programme; Evaluation Schemes; Methods for Overall Assessment of the Programme.

After the presentations by the participants on the induction programmes in their respective State Judicial Academies, the discussion in this programme was conducted by identifying the strengths, weaknesses, responsibilities and threats of the existing induction programmes. On the basis of the elements identified by the participants, it was concluded that the induction programmes being conducted at the SJAs needed to be strengthened along the ROKMMA framework developed at NJA; the the six points being : Role of courts, Organizational effectiveness, Knowledge, Management, Method and Access to Justice.

**P-261 National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Cases concerning Safety, Security and Public Order (September 11-14, 2009)**

The programme was designed and conceptualized for Judges dealing with cases falling in special areas of organized crime, terrorism and insurgency. Around 22 Judges from the District Judiciary participated in the programme.

The objective of the programme was to strengthen the process of adjudication management in relation to adjudication of cases concerning safety, security and public order cutting across various knowledge and skill requirements. It aimed at value addition as regards method, management and knowledge aspects with reference to such cases.

The programme focused on adjudication of cases concerning safety, security and public order including cases involving terrorism, insurgencies and organized crime. The framework of the programme was prepared so as to cover social context, investigation, prosecution, adjudication process, sentencing and penal policy. Apart from this, the programme also discussed court and case management methods, substantive and procedural law, judging and decision making skills and evaluation of quality and timeliness.

**P-262 National Judicial Seminar on Recent Developments in Public Law (September 11-13, 2009)**

The programme was organized to bring together judges from the district judiciary from across the country to discuss new areas of legal development and challenges facing the judicial system. Thirty district judges from across the country were made familiar with the new areas of legal development in Public Law and challenges facing the judicial system and also to develop effective strategies for an expanded role for Subordinate Courts in protection of rights. The sessions focused on the Emerging Concepts in Public Law in India & Relevance of Public Law development to the work of Subordinate Courts. The theoretical basis and features of judicial review & Public Interest Litigation were highlighted and discussed. The Rights Issues in criminal justice system such as Sentencing, Bail, Determination of guilt, Protection of Rights of parties etc. were also focused upon. The seminar deliberated on the need for making Public institutions more effective and responsive to the

needs of the people. Responses ranging from inter-institutional accountability through institution like the judiciary to direct accountability through the mechanisms of RTI were discussed. Judicial involvement in strengthening these accountability mechanisms was emphasized.

**P 263 National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Complex Economic Cases (September 18-21, 2009)**

The objective of the programme was to formulate a methodology for handling CEC through a special judicial management at minimum cost to the government and litigants. Views of the investigation agencies on managing CEC were also presented. Discussions defining complex economic cases and effective management of complex economic cases were also held. The participants then discussed on a practice manual (practice guidelines) in dealing with CEC. Accordingly, a draft was prepared with inputs provided by the participants.

**P-265 National Conference of High Court Justices on Criminal Justice Administration: Key Issues and Challenge (September 19-20, 2009)**

The objective of this program was to fundamentally shift the thesis on challenges confronting Criminal Justice System from falling conviction rates, terror and weak institutions to weak rights protection, dilution of fair trial standards, arrears and miscarriage of justice. During the conference, considerable time was devoted to debating the Malimath Committee Recommendations. Extensive deliberations took place to explore the theme of objectivity and consistency in Criminal Justice Adjudication.

**P-268 National Judicial Workshop on Judicial Conduct and Ethics (October 3-5, 2009)**

The National Judicial Workshop on Judicial Conduct and Ethics was organised with the objective of critically appraising the present standards of judicial conduct and ethics that regulate the behaviour of the judges within and outside of court. The participants divided into break out groups were required to identify key sources of threats and potential attacks that they encounter during their daily functioning and to review the existing mechanisms in place to control and check deviant behaviour of the judges. The participant judges highlighted the various ways in which the higher judiciary, the lawyers, the clerical staff and the litigants resort to procedural abuses in order to serve their own ends. They mentioned that severe pressure is exercised over the judges in the guise of organization of functions and camps for legal education and awareness, due to increasing demands from their superiors they were forced to interact and associate with prospective litigants, lawyers who approach with different forms of inducements.

Eminent resource persons from the higher judiciary explained that the power to control all these elements vest within the judge. If the judge is watchful of his behaviour and conduct everywhere he will not fall prey to threats or inducements and thus, develop such an image for himself that the lawyers would not even think of approaching the judge. They outlined several ways through the help of questionnaires, by which a judge can create an identity replete with integrity and honesty. In conclusion the participants accepted that it was the judge's responsibility to restore the faith of the public upon the judiciary and to be guided by conscience.

**P-269 National Conference of State Judicial Academies: Review of Refresher Programmes (October 3-5, 2009)**

A three day National Conference of Directors/Additional Directors of State Judicial Academies on 'Review of Refresher Programmes' was held at National Judicial Academy from October 3-5, 2009. The Conference aimed at providing opportunity to the Directors/Additional Directors of the State Judicial Academies to exchange knowledge, views and experiences among themselves and National Judicial Academy on Refresher Programmes being conducted by the State Judicial Academies and to help develop a policy based and goal oriented framework for Refresher Programmes as part of continuing judicial education.

**P-270 National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of MACT Cases (October 3-6, 2009)**

The main objective of the workshop conducted at National Judicial Academy on Adjudication Management: Adjudication of MACT Cases from October 3-6, 2009, was to help strengthen the quality of management of adjudication of MACT cases cutting across various knowledge and skill requirements.

Key issues with regard to MACT were identified. The main topics that were discussed through the three day session were: 1. various steps taken by the Supreme Court of India and Delhi High Court in dealing with such cases; 2. Negligence including Composite and Contributory Negligence, Appreciation of Evidence and Facts in Claims Proceedings and Assessment of Just Compensation in Death Cases and quantum thereof; 3. Compulsory Insurance and Impact of no Insurance on Poor Victims, Goods Vehicles, Gratuitous Passengers and Fake Driving Licenses, Insurer's Liability and Concept of Pay and Recover Orders; 4.Motor Accidents: Roles, Responsibilities and Goals of Tribunals. An NJA presentation was made on Case Flow Management and Court Management with special reference to Claims Proceedings.

**P-272 National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Mass Crimes and Mass Torts (October 9-12, 2009)**

NJA organized a 'National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Mass Crimes and Mass Torts' from October 9-12, 2009. With the main focus on mass crime in social perspective, a presentation was made on issues relating to investigation and prosecution which was followed by a discussion. The participants were made to analyze issues relating to trial of mass crimes, appreciation of evidence and law, judging and sentencing. The social perspective of 'mass torts' was illustrated for the participants. Discussions on remedies of victims in mass tort cases and trial of mass tort cases were held thereafter important factors on relief and compensation in mass tort cases were highlighted. The participants discussed the various methods to deal with mass crimes and mass tort cases which were listed as one of the important causes of delay in courts.

**P-274 National Conference of High Court Justices on Poverty Eradication, combating Social Exclusion and Advancing Social Justice: Role of Courts (October 24-25, 2009)**

The objective of the programme was to table the agenda of social justice and alleviation of poverty for the

consideration of judges and explore the role of writ courts in furthering the same. The Social Justice aspect of the Programme was highlighted and discussed in the three sessions viz. "State of Dalits in the Indian polity", "Challenges in the effective implementation of the Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act" and "Manual Scavenging: A Case Study". The sessions on "Right to Food", "Rising Inequalities and Agrarian Distress" focused on Poverty related challenges in the country. Discussion were held on the theme of Rural Distress and a presentation on Manual Scavenging brought to focus how the country had so far failed in eradicating this extremely degrading and inhuman practice despite having a law in force. The findings from the Arjun Sengupta Committee Report was also presented before the participants.

**P-277 National Judicial Workshop on Techniques and Tools for Time Management by Judges (November 6-8, 2009)**

A National Judicial Workshop on Time Management by Judges was conducted from November 6-8, 2009 at NJA. Various case studies and presentations were used to detail out understanding time management from a management perspective. In light of the IIM presentation, the participants themselves discussed in break out groups and identified the main impediments and solutions for time management. Justice B.S. Patil and Justice R.C. Chavan guided discussions giving valuable inputs on Techniques for time management by judges. The Maharashtra Case Information system which has been proved as an effective system for timely case flow management was illustrated for the participants. Under the guidance of Justice B.S. Patil, the participants, after discussing the various aspects of effective time management for judges, formulated a draft time management plan for courts.

**P-279 National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Family Disputes (November 13-16, 2009)**

National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Family Disputes was organized at National Judicial Academy from November 13-16, 2009. 22 Family Court Judges from across 16 High Court jurisdictions participated in the programme. The Programme aimed at identifying issues involved in Adjudication of Family Disputes with particular reference to socio-economic perspectives of such disputes and to discuss and clarify the role of the courts in protection of constitutional rights in family disputes; identifying challenges in enhancing access to family court; distinguishing real interests and issues from apparent Issues in such matters: moulding effective solutions & remedies for marital disputes; identifying welfare of the child in custody & guardianship disputes and developing effective judicial strategies for protecting women from violence in the privacy of her home.

The issue of effective management in Family Courts as well as the core responsibility of the courts in protecting constitutional rights in family disputes which can promote freedom, equality & dignity of women in a family were discussed. It was suggested that analyzing the pending cases, prioritizing them for hearing in order of their importance, setting goals and making efforts to attain them may help in managing the cases. The participants expressed that the programme provided them an opportunity to look at the problem of family

disputes from socio-economic and constitutional perspective and helped them in understanding their role in protection of rights of women by applying appropriate judicial methods and management techniques as well as resolution of family disputes without diluting the constitutional norms.

**P-280 National Conference of Newly Elevated High Court Justices (November 13-15, 2009)**

This conference briefly attended by the Chief Justice of India, Hon'ble Mr. Justice K.G. Balakrishnan on Saturday 14th November 2009, aimed to provide newly appointed High Court Justices from across the country an opportunity to discuss with fellow judges and with senior members of the judiciary the main challenges facing the country and the judicial system and the role of courts in meeting these challenges. The main lines on which the programme was structured and discussions held on were 'Enhancing Excellence in Judging: Common Issues and Challenges'; 'Judicial Review, Public Interest Litigation, Separation of Powers and Judicial Activism', and 'Providing Strategic Leadership for the Development and Strengthening of Subordinate Courts'.

The conference established the idea that it is the Judiciary, which has to propose the changes and the vision for the government to enforce and implement. A national consensus has to be developed within the judiciary of what is expected of the judge and the judicial system. It was understood and accepted that this will happen by raising the intellectual discourse of the judiciary and creating understanding of the critical underlying legal concepts.

**P-282 National Judicial Seminar on the Contribution of High Courts to the Development of Law since January 2008(November 20-22, 2009)**

The National Judicial Academy organized a Seminar on the contribution of High Courts to the Development of Law since January, 2008. The brief objective of this programme was to bring together district judiciary judges from across the country to discuss new areas of legal development and challenges facing the judicial system and contribution to the law through the decisions of various High Courts. All the participants presented papers highlighting major decisions rendered by their respective High Courts contributing to the development of law since January, 2008. Twenty five judges from the district judiciary participated in this workshop.

**P-283 National Conference of High Court Justices on Globalization and the Indian Judicial System: Key Issues and Challenges (November 21-22, 2009)**

The objective of the conference was to present various point of views on Globalization as also to arrive at an understanding of the phenomenon which would be relevant for the judiciary. Globalization and its impact was discussed in detail. Various aspects relating to the issues of the agrarian distress was discussed and linked with the economic reform policies followed by the government post 1991. In the session concerning Labour Law, extensive discussions were held on how various judgments of the constitutional courts have in the recent past sought to undo the gains achieved in this area during the 60s and 70s. Presentation was made on how the

advent of multinational companies had completely marginalized the labour force. The impact of globalization on the lives of the masses in the country was also highlighted. To illustrate this, the response of the state to displacement of thousands of people in various infrastructure projects was shown.

**P-286 National Judicial Workshop on Techniques and Tools for Stress Management by Judges (December 4-6, 2009)**

The National Judicial Workshop on Stress Management for Judges, which was held from December 4-6, 2009, was conceptualized and developed with the help of Dr Manju Mehta, Head, Clinical Psychology, AIIMS, New Delhi. The topics which were covered under this module were (1) understanding Stress (2) identification of sources of stress (3) impact of stress in daily life. This workshop stressed on the importance of stress management by judges. The participants were made familiar with the techniques of stress management. After intensive discussions with the participants, a stress management plan for judges was formulated.

**P-287 National Judicial Seminar on the Contribution of the Supreme Court to the Development of Law since January 2008 (December 4-6, 2009)**

The programme focused on major decisions delivered by the Supreme Court since January 2008, these decisions contributed and augmented to the course of development of law. The idea was to explore the new initiatives and approaches particularly in the background of seven major challenges facing the justice administration system - (i) securing fundamental rights; (2) poverty alleviation and justice; (3) strengthening social cohesion; (4) enhancing safety security and redress for injury; (5) enhancing environmental protection; (6) enhancing constitutional governance and rule of law; (7) enhancing investment and economic growth. 27 Judges of the District Judiciary from across the country presented papers in respect of the contribution made by the apex court by way of judicial pronouncements in various areas. Each participant made a presentation of 30-40 minutes highlighting important decisions since January 2008. Each presentation was followed by an interactive discussions.

**P-289 National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Atrocities against Women (December 11-14, 2009)**

The objective of the programme was to strengthen the quality of judicial management of cases of atrocities against women, cutting across various knowledge and skill requirements. Focusing on adjudication of cases involving atrocities against women (Dowry, Cruelty to Women and Domestic Violence), the programme also covered related aspects such as the social and psychological background of each main type of atrocities against women; relevant court and case management methods, substantive and procedural law, judging and decision making skills and evaluation of quality and timeliness. Twenty six judges from the district judiciary across the country participated in this workshop.

The participants were presented with an overview of the Domestic Violence Act with special emphasis on the

latest trends of the judicial interpretation of various provisions of the Act. Discussions were held on i) gender issues relevant to Domestic Violence Act; ii) key legal and procedural issues under Prevention of Atrocities against Women & Domestic Violence Act including appreciation of facts and law in cases under Domestic Violence Act; iii) Interpretation of the various provisions of the Domestic Violence Act; iv) the appropriate remedies and punishment including sentencing for atrocities against women; v) on atrocities against women, the social & psychological perspective and the types of atrocities.

**P-290 National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Trafficking and Sexual Offences Cases (December 18-21, 2009)**

This workshop focused on adjudication of cases involving offences against women (Trafficking and Sexual Offences). The structure of the workshop dealt with various themes relating to the Social Context, Nature and Extent, Investigation, Adjudication of Trafficking and Sexual offences, and Access to Justice- Role of Legal Services Authority. The aim of the workshop was to make the judges sentient to the many facets of the global problem of trafficking of women and children. Thirty members from the district judiciary from all over India participated in the workshop.

**P-292: National Conference of High Court Justices on Environmental Protection: Key Issues and Challenges (January16- 17, 2010)**

The aim of this Conference was to draw the attention of senior members of the higher judiciary towards the continuing environmental degradation brought upon by wasteful and unscrupulous activities of various segments of human society. The attending Justices from the different High Courts held invigorating and incisive debates on the steps that the Indian Judiciary could undertake to curb the growth of all forms of environmental pollution. The main point of discussion and the conclusion there after was that poverty, social exclusion and environment were closely interconnected. Therefore, it was agreed that the study of environmental law cannot be done to the exclusion of Human, Civil and Political Rights.

**P-294 National Judicial Workshop on Trial Process Management (January 8-10, 2010)**

The aim of this programme was to identify effective strategies for enhancing timeliness and quality of trials. The programme discussed strategies to counter tactics of advocates and other stakeholders' delay trials; the role of appellate and revisional courts in ensuring timely completion of trials; the impact of judicial performance evaluation systems on incentives for timely completion of trials; and appropriate planning and management systems to ensure timely justice. The programme discussed the application of "game theory" to the development of more effective strategies for trial process management. The workshop was chaired and guided by Justice R. Basant. Approximately thirty judges from the District judiciary attended the workshop.

**P-295 National Judicial Seminar on Globalization: Key Challenges for the District Judiciary (January 8-10, 2010)**

The objective of this programme was to discuss how the judicial system at the district level needed to evolve

so as to effectively respond to the challenges of globalization. This three day program attended by twenty five district judges, covered the following topics: Criminal Justice System and the Experience of the Poor in the New Economy; Judging in Cases involving Prostitution and Trafficking in light of globalization; Safeguarding Rights of the working class: Developments in the Labour Law, Role of Subordinate Courts in protecting the Environment, and Oversight Role of District Judges in Planning and Management of Cases falling in Special Categories and Democratic Space to Dissent and Organize in a Globalized Polity. The programmme also analysed how globalization was affecting local populations and the work of Subordinate Courts in the country and discussed appropriate responses to address emerging challenges.

**P-296 National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Cases Involving Social Reform, Protection of Constitutional Rights and Civil Liberties Cases (January15-18, 2010)**

This Program focused on "how" to deal with the stipulated category of litigation. The main topics covered in the program were poverty, social exclusion, social justice, social reform, civil liberties and Constitutional rights. The participating judges were exhorted to follow the Constitutional philosophy as without applying constitutional principles no judge can decide any case. The discussion also focused on the "demand side", i.e. how to view social justice from society's point of view.

Through the programme, the sociological background to the struggle for social justice in India was illustrated. A presentation was made on the Role of Courts in realising Social Justice Goals enshrined in the Constitution. It was also highlighted that the constitutional commitment to social restructuring was mainly contained in Part IV which is the 'Charter of Right of the Common People'. This is the source of power to subordinate judiciary for ensuring economic justice to the poor as a fundamental right. The participants were made aware of the many instances relating to atrocities against SCs and STs, most of the disputes related were to land rights. They were also made familiar with the wrong perceptions about the SC/ST (PoA) Act. A presentation was made of the data to show that the provisions of the Act were not being implemented fully and judges were acquitting the accused in 96.7% of cases on technical grounds, this was followed by presentation on the existing reality of manual scavenging in India. A need was felt for a proactive attitude from the judge. Judges were advised to reach out to the community and use legal services authority to the maximum possible extent. It was also pointed out that human rights was not taken as seriously as it should be by the subordinate judiciary. Strict application of law in all stages of cases where a question on Constitutional rights of the accused, prisoner or any one before the courts are in question was the need of the hour. The participants were informed that upholding the Constitution itself was protection of civil liberties.

**P-297 National Judicial Seminar on Poverty, Social Exclusion and Social Justice: Key Challenges for the District Judiciary (January15-17, 2010)**

This seminar was organized with the objective of sensitizing the subordinate court judges towards poverty and social justice concerns. An overview of the situation of poverty and the findings from the Arjun Sengupta

Committee Report was presented before the participants. Justice S. Muralidhar, Justice K.Ramaswamy, & Justice K. Chandru provided guidance as resource persons and shared their views and facilitated discussions amongst the participants. Around thirty district judges from across the country participated in the seminar.

**P-298 National Judicial Workshop on Management of Appeals and Revision Proceedings (January 22-24, 2010)**

The objective of the programme was to analyze and help enhance excellence in core judicial skills that cut across various types of Appeals and Revision Proceedings in both Civil and Criminal matters. Twenty five judges from the district judiciary were guided by Justice Sunil Ambwani, Judge, Allahabad High Court and Justice K. Kannan, Judge, Punjab & Haryana High Court as resource persons. The topic under discussion were Civil Appeal: Role and Responsibility of Appellate Court and Scope of Interference; Civil Revision: Use and issue: Scope of Interference; Criminal Appeal: Role and Responsibility of Appellate Court and Scope of Interference; Criminal Revision: Use and Misuse: Scope of Interference. The underlying theme was that Appeals and Revision Proceedings can be effectively used to reduce arrears and ensure quick and timely justice. Justice Sunil Ambwani further shed light on Appeal and Revision as Tools of Rights Protection, Arrear Reduction and Speedy Justice: and Judgment Writing.

**P-300 National Conference of High Court Justices on the Contribution of High Courts to the Development of Law (2008-till date) (January 23-24, 2010)**

The brief objective of this programme was to bring together High Court Judges from across the country to discuss new areas of legal development and challenges facing the judicial system and contribution to law through the decisions of the various High Courts. As per the theme of the programme, the participants made a presentation of 30-40 minutes highlighting major decisions rendered by their respective High Courts, contributing to the development of law since January, 2008. Each presentation was followed by an interactive discussion. The discussions covered a broad spectrum of topics on the role of the Indian judiciary.

**P-303 National Judicial Workshop on Effective use of ADR and Plea Bargaining for Reduction of Delay and Arrears in Courts (February 5-7, 2010)**

The main objective of the program was to help develop methodologies to reduce delay and arrears in courts by using ADR and Plea Bargaining. This three-day program was organized for the district judiciary judges on the following topics (1) ADR and Justice Issues (2) ADR Modes: Critical Evaluation (3) Arbitration and Conciliation Act and its Relevance to Subordinate Courts (4) How to Use ADR in Matrimonial Cases (5) Skills for Implementing Sec.89 C.P.C. (6) Plea Bargaining for Criminal Cases: (i) Current Issues and Challenges (ii) Constitutional Safeguards (7) Role of NALSA and (8) Spirit of ADR.

**P-305 National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Civil Disputes (February12-15, 2010)**

The aim of this programme was to strengthen the approach and capacity of Civil Courts in making current civil adjudication more effective and also to highlight the emerging new areas of civil jurisdiction. The programme intended to make the participants equipped with a strategy for more effective adjudication of current civil cases and the emerging new areas. The programme covered aspects like : Diminishing Civil Jurisdiction of Subordinate Judiciary, Assessment of Effectiveness of Adjudication Management in Current Areas of Civil Litigation (Land and Property); Contract Disputes (including Money Suits), Growing New Areas of Civil Adjudication in Response to Social Needs such as (1)Torts (2) Environmental Protection (3) Civil Rights and Personal Disputes, (4) Corporate& Company Laws (5) IPR , Section 89 CPC, ADR and Role of Courts, Court Management and Case Management of Civil Dispute. Approximately thirty judges from the District judiciary attended the workshop.

**P-306 National Conference of High Court Justices on the Contribution of the Supreme Court to the Development of Law (2008-till date) (February13-14, 2010)**

The Conference of High Court Justices on the contribution of the Supreme Court to the Development of Law since January, 2008 was organised on February 13 &14, 2010. The programme focused on major decisions delivered by the Supreme Court since January 2008 contributing to and augmenting the course of development of law. The idea was to explore new initiatives and approaches and to discuss new areas of legal development and challenges facing the judicial system and contribution to development of the law through decisions of various High Courts. Thirty High Court participant judges presented papers in respect of the contribution made by the apex court by way of judicial pronouncements in various areas. A presentation of 30-40 minutes highlighting important decisions since January 2008 was made. Each presentation was followed by a discussion.

**P-309 National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Consumer Disputes (March 5-8, 2010)**

A workshop on "Adjudication Management: Adjudication of Consumer Disputes" was held at National Judicial Academy from March 5-8, 2010. Nineteen Presidents from the District Consumer Fora across the country participated in this workshop. The objective of the programme was to strengthen the quality of management of adjudication in the main areas of adjudication cutting across various knowledge and skill requirements. The programmes covered topics like Consumer Protection Law, functioning of Consumer Courts in India, Tort Law in India, Scope & Stages of Proceedings before Consumer Fora, Assessment of Just Compensation, Ensuring speedy disposal of cases, Enforcement of Judgments and quality of decision

making underlying judgments etc.
The value addition through this programme was the effort to sensitise the Presidents regarding the role and responsibility while dealing with cases of consumer disputes. The responses of the participants were encouraging as they appreciated the theoretical basis to develop as a good judge with a vision to serve the society.

**P-311 National Conference of State Judicial Academies: Review of Research Programmes (April 20-21, 2010)**

A two day conference of the State Judicial Academies was organized at the National Judicial Academy on April 20-21, 2010 with the aim to share the experiences of research programmes and to understand the role of academies in promoting research. Directors of State Judicial Academies and faculty members of the State Judicial Academies formed part of the nineteen participants to the programme.

The objective of the programme was to find ways to enhance the excellence of the judicial system by conducting research programmes, which would thereby lead to the formulation of a strong theory of justice based on constitutional values as also imbibing the features of the freedom struggle.

The major issues discussed during the programme were: i) to understand the role and rationale of research ("why"), ii) to identify the priority areas of research ("what "), iii) to understand the methodological issues of research ("How"), iv) to understand the evaluation strategies of a research programme and to formulate a research agenda for 2010-2011. It was agreed to by the participants that a new theory of justice was needed and that judges have to play a revolutionary role. The programme concluded with the adoption of a Five plus Free Research Project which would deal with a strategy to identify the reasons and make the Indian judiciary free of pendency of cases of more than five years old.

**P-312 National Judicial Workshop on Judgement Writing ( March 19-21, 2010)**

A National Judicial Workshop on "Judgment Writing" from March 19-21, 2010, was held at the National Judicial Academy in Bhopal. Attended by thirty judges from the District judiciary the programme aimed to analyze and help enhance excellence in core judicial skills that cut across various types of adjudication. The programme also focused on enhancing judgment writing skills. Discussions mainly centered around the following topics: i) What forms a Good Judgment ii) NJA's framework for Quality of Judgments iii) A critical discussion of selected judgments iv) How to evaluate Judgment, v) Quality of decision making underlying judgments vi) Evaluation of quality of communicability and implementability of judgments, and vii) Developing best practice guidelines on Standards & Practices for Judgment Writing.

**P-314 National Conference of High Court Justices on Indian Judiciary: The Next Decade (March 20-21, 2010)**

A National Conference of High Court Justices was convened at the National Judicial Academy to discuss

the long term challenges facing the Indian judicial system and the various other initiatives for strengthening the judicial system in responding to these challenges. Approximately 27 High Court Justices with ten years or so of service remaining attended the conference. The discussions were broadly based on themes such as 'Promises to the people under the Indian Constitution', 'Challenges before the Indian Polity in the 21st Century', 'Enhancing Judicial accountability and transparency' and others. The gathering made serious observations and gave important suggestions on transforming the judiciary into an arm of socio-economic revolution as envisaged by the Constitution.

**P-316: National Judicial Workshop on Court, Case Load and Case Management (April 2-4, 2010)**

Attended by twenty three judges from across 17 states , the main objective of this Workshop was to develop specific methodologies to strengthen the judicial skills for effective management of court as well as cases. Participants shared their experiences as also the various difficulties faced by them in the matter of case management. Discussions by the participants mainly centered on the impediments caused by lawyers and other stakeholders.

NJA's perspective regarding systematic development of court covering the six factors mainly - Role, Organization, Knowledge, Method, Management and Access (ROKMMA) to achieve stipulated performance targets was highlighted; stress was laid on using the following tools: Court-wise Five Year Plans (5-year plans with 3 year/2 year/1 year action plans).

The Maharashtra and Karnataka experience regarding case, case load and case management was presented before the participants; court management with emphasis on e-courts was also highlighted. The list system, which has been effectively implemented in Kerala was discussed in detail. The Management Perspective on Court, Case Load, and Case Management was also illustrated.
The value addition of the programme was to find out effective strategies for court, case and case load management and effective management of judicial time to ensure timely justice. Participants were convinced that they should adopt standard system of court management and establish a Policy Framework covering court-wise Five Year Plans (5-year plans with 3 year/2 year/1 year action plans) and District-level judicial system Development Five Year Plans.

After discussions, the participants were convinced that there was an absolute need for a Standard System of Court Management which should include the following:
(1) Process Management; Process Re-engineering; Process Automation; (2) Stakeholder Management (Ensuring timely inputs from process servers, counsel, witnesses); (3) Staff Management; (4) Efficiency and Output/Execution of Decisions Management;(5) Infrastructure and Resource Management including planning and budgeting; (6) User-Interface Management; (7) Information and Documents Management; (8) Statistics, Data Management and Reporting.

The sessions concluded with the view that qualitative analysis of caseload, ranking and prioritization, time

resource management consisting of scheduling; setting and monitoring time tables for complex/neglected/subverted cases; use of clubbing and grouping, and case management services for complex cases was the absolute need of the day.

**P-317- National Judicial Seminar on Enhancing Timely Justice; Key Challenges for the District Judiciary (April 2-4, 2010)**

The aim of this seminar was to analyze and further strengthen the quality of responsiveness of courts to key social challenges faced by the country. NJA's research and participants perspectives on the challenges of reducing delay and arrears and enhancing quality and responsiveness of justice were discussed.

The resource persons for the day discussed with the twenty two judges from the district judiciary on issues of enhancing timely justice. The participants presented their problems and apprehensions in implementing the format of timely justice. The participants were divided into three groups and each group was given an opportunity to prepare a five year court development plan.

The plan prepared by the participants was presented and discussed and they were able to agree upon a draft five year court development plan and they were convinced that a similar plan for their own courts would be very effective in enhancing timely justice.

**P-319 National Intensive Judicial Excellence Enhancement Programme (JEEP) (Second Visit) (April 9-16, 2010)**

The National Judicial Academy Calendar for the year 2009-2010 included a "National Intensive Judicial Excellence Enhancement Programme" which was especially designed to achieve demonstrable impact on participants and eventually on the working of courts. This programme, consisted of two visits to NJA of the participants for improvement of performance in identified areas.

The first visit was organized from August 7-14, 2009 and the second visit was organized from April 9 -16, 2010, and had 69 participant from the District Judiciary.

During the second visit, participants were divided into three streams as per the interest indicated by them during the first visit and a workshop was organized for each stream separately. The three streams were (i) Judging and Decision Making (ii) Workshop on Court Management (iii) Knowledge of Basic Theoretical Concepts of Law

The main theme of discussion for the stream on "Judging and Decision Making" were i) Role of Judges; ii) Psychological Dimensions of Judging; iii) Appreciation of Law & Facts; iv) Decision Making Normative Method (Focusing Input); v) Communication Skills. The workshop on "Court Management" sought to present to the participants the following areas: i) Establishing Goals/Performance Standards; ii) Case Load & Case Analysis; iii) Developing a Case Load Management Strategy; iv)Case Management: Developing Time

Schedules for Individual Cases. Life Cycle Management & Adjudication Management; v) Strategy for Overcoming Bottlenecks/Hurdles; vi) Court Development Planning.

The participants for this stream were asked to to prepare a five year court plan for the Court of Chief Judicial Magistrate, Bhopal. Accordingly they visited the District Court Bhopal, collected data from the records of the Court. NJA worked on the data provided by the participants and tabulated them. NJA then presented the tabulation and its observations before the CJM, District Judge and other senior Judicial Officers of Bhopal. The data and tabulation done by the NJA were handed over to the CJM, Bhopal to enable him to prepare his own five year plan for the Court of CJM, Bhopal.

The participants in the stream on Knowledge of "Basic Theoretical Concepts of Law" discussed the topics: i. Public Laws: Constitutional & Administrative Laws: Basic Theoretical Concepts; ii) Economic Laws : Contract and Property Law ; iii) Criminal Law: Basics & Law of Tort; iv) Public International Law: Basics; v) Private International Law

**P-320 - National Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Writ Petitions (April 16-19, 2010)**

A National Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Writ Petitions was held at the National Judicial Academy, Bhopal on April 16-19, 2010. The objective of the workshop was to explore the law on writ remedies with senior District Judges who are in the zone of consideration for appointment as High Court judges. The workshop focused on the public law aspects of writ jurisdiction, its historical context as also the new challenges thrown by the hybrid nature of the state today. Two former judges of the Supreme Court who have contributed immensely to the growth of modern public law in the recent years - Justice S.B. Sinha and Justice C.K. Thakker, discussed approaches to fashioning apt remedies in writ jurisdiction. Justice K Chandru, Justice S Banerjee and Justice S Muralidhar also shared their experiences in the High Court's with the participating judges. Interface of writ jurisdiction with specific themes such as development, social justice, civil liberties and governance was also explored during various sessions.

**P-322 National Conference of High Court Justices on Indian Judiciary: The Next Decade (April17-18, 2010)**

A National Conference of High Court Justices, titled "Indian Judiciary: The Next Decade", was organized at the National Judicial Academy, Bhopal on April 17-18, 2010. There were around 25 high courts judges with 10 or more years of service left, from all over the country. The objective of the conference was to discuss various challenges which the coming decade is going to put forward before the Indian judiciary.

A critical appraisal of the performance of the current Supreme Court vis-à-vis the Supreme Court in the 80s was presented "Transparency and Accountability" in the context of judiciary was also discussed. The changing nature of the Indian constitutional polity was highlighted. Discussions on judicial devices and

ambience showed that they are still largely colonial in its nature and how increasingly decisions of the higher courts are coming in conflict with the interests of the masses.

**P-324- A National Judicial Seminar on Terrorism, Safety and Security (April 30 - May 2, 2010)**

A National Judicial Seminar on Terrorism, Safety and Security was organized for senior district judges at the National Judicial Academy, Bhopal on April 30-May 2, 2010. The objective of the seminar was to discuss the peculiar nature of special anti-terrorism legislations and its human rights implications.

The participants to this programme were made aware of a prosecutor's perspective on the utility of the special legislations, this was followed by a technical session on the latest positions relating to the extradition law. A presentation compared the provisions of some of these legislations with the Rowlatt Act, 1919 to highlight the anti-people and colonial mindset behind the Act. A technical session with the participating judges highlighted how the IPC provision on Conspiracy had been abused in many terrorism cases (e.g. Nalini's case and Kehar Singh's case).

**P-326 National Conference of State Judicial Academies: Review of Key Issues and Challenges in Judicial Education (April 30 - May 2, 2010)**

The objective of the programme was to look at the various issues and challenges facing judicial education in the country and to develop a strategy for the State Judicial Academies (SJA) to enhance the judicial education in its induction and refresher programmes. The main themes for discussion were i)identification of issues and challenges in judicial education; ii) goals and methodological issues of judicial education; iii) role of academies; discussion on National Judicial Education Strategy with reference to the Induction and Refresher programmes at the various State Judicial academies and iv) follow up of the Research programme P-311. The participants made presentations on the topic "Issues and Challenges in Judicial Education" followed by discussions on each theme.

Attended by 22 participants which included directors, additional directors and other faculty members of the State Judicial Academies, the conference provided NJA & the SJAs to collectively look back and look forward in the field of the judicial education. The participants agreed that the need of the hour was result/impact based judicial education along with a new theory of judging. It was also understood that there was a need for objective qualitative performance indicators. It was concluded that the academies have to be the catalysts of change in the judicial system.

**P-327 National Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Labour and Industrial Disputes (May 7-10, 2010)**

The objective of this programme, attended by twenty-four Judges from 15 States, was to help strengthen the quality of adjudication of labour disputes with a view to upholding constitutional values and reaffirming pro-worker jurisprudence.

Centered around the following topics "Labour Jurisprudence in India Past Experiences & Present Trends", "Constitutional Values on the Working Class" and Legislative Implementation of Constitutional Values on Labour" the sessions were very informative. A perspective on labour issues from the point of view of the Trade Unions was presented before the participants which gave a grim picture of the plight of the working class in the changing scenario. The presentation illustrated the multinational corporations as being stateless actors who could move capital from one state to the other or to another country within a short period. Local laws could little control this enormous power enjoyed by the multinational companies. With the effective bargaining power of the working class becoming a chimera, globalization had a negative impact on labour rights. The conditions of the migrant labour and social impact of new labour laws on the working class was also discussed along with the impact of globalization on Labour Jurisprudence and Nature of Current Labour Disputes in India.

A detailed discussion was held on legal aspects of dismissal and discharge of employees, and Closure & Retrenchment followed by the sessions on the topics "Role of High Court u/s 11 A & 33" and "Definition of Industry, Workmen & Contract Labour". NJA made a presentation regarding Court & Case Management for ensuring timely justice in Labour Adjudication.

**P-330 National Judicial Seminar on Environmental Protection (May 14-16 2010)**

The National Judicial Academy organized a National Judicial Seminar for the District Judiciary on the theme of 'environmental protection'. The Seminar was attended by 26 judges. The guiding idea of the seminar was - that the law cannot stand still and it must respond to the changing demands of the society. The participants raised issues of water pollution, illegal mining, deforestation, global warming and the lacunae in the legislations meant to protect the environment. Established principles of environmental law were discussed and emerging trends in the environmental jurisprudence were critiqued.

**P-332 National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Environmental Disputes ( May 14-17, 2010)**

The aim of the workshop was to try to bring about change in the role of the judges from passive to proactive adjudication in environmental disputes and to enhance the awareness and knowledge of the participants on the major environmental issues in the country. This four day workshop attempted to address some of the basic challenges and issues in the adjudication of environmental disputes specifically at the subordinate court level in India. The participants of the workshop were 21 judges of the subordinate judiciary from all over India.

The workshop dealt with a wide range of issues rotating around the central theme i.e. adjudication of the environmental disputes at subordinate court level. The sectoral issues within the discourse of environmental law and environmental activism were dealt in a comprehensive manner. The discussion on the role of the subordinate judiciary in the protection of the environment was also discussed at length. The experts from all over India provided valuable information on the major environmental problems facing the country, the

magnitude of the problem at various sectoral levels and how the subordinate court can help in the protection of the environment.

**A series of programmes are held every month for a period of three, four day and twelve days. The number of participants to these cluster programmes ranges from approximately twenty five to thirty to fifty five. Listed below is the detail of these programmes:**

**National Orientation Programme for Newly Appointed Additional District Judges (ADJs)**

The National Orientation Programmes for Newly Appointed Additional District Judges is a series of ten programmes held throughout a particular Academic year with approximately 25- 30 participants.
The objective of this Programme is to provide newly appointed Additional District Judges the opportunity to discuss the main national challenges facing the district judiciary in the 21st century and also acquaint the judges with the expected qualities, attitudes, skills and knowledge required of senior members of the district judiciary.

Aimed as a leadership programme, the three day programme tries to impress upon the newly appointed ADJs, the importance and significance of their position. The understanding of the society and facilitating easy access to justice is the requisite of an effective judicial system.
For the academic year 2009-10, the particular series was conceptualized and presented to the participant judges with the thrust being on -"Visualizing India's Subordinate Courts in 2030", where in the judges in break-out groups discussed the various related aspects. Discussion during the various session also centered around planning and management of timely justice, case and case load management, performance standard and judicial accountability and enhancing the judicial method or decision making (reasoning, rationality, consistency & objectivity in judgment writing). The itinerary for the participants included a visit to the District Court Bhopal, so that the observation of the Court from the user's perspective would enable the district Judges to develop their vision keeping the users of the courts in mind.

This particular series was held according to the following schedule with the mentioned eminent resource persons who guided the discussions and gave valuable inputs to the participants:

| Sno | Prog. No | Date | Resource Persons |
|---|---|---|---|
| 1. | P-253 | August 21-25,2009 | i. Justice Navin Sinha, Patna High Court<br>ii. Justice Kurian Joseph, Kerala High Court<br>iii. Justice Manju Goel, Delhi Electricity Appellate Tribunal<br>iv. Dr.Manju Mehta, Professor of Psychology from AIIMS, New Delhi |
| 2. | P-264 | September18-22, 2009 | i. Justice Indira Banarjee, Kolkata High Court<br>ii. Justice R.C. Chavan, Bombay High Court<br>iii. Justice Manmohan Sarin, Lokayukt, Delhi |
| 3. | P-273 | October 23-27 , 2009 | i. Justice Naveen Sinha, Patna High Court<br>ii. Justice Sushil Harkauli, Jharkhand High Court |
| 4. | P-281 | November 20-24, 2009 | i. Justice V.S.Sirpurkar, Supreme Court of India<br>ii Justice I.A. Ansari, Gauhati High Court<br>iii. Justice Pradeep Nandrajog, Delhi High Court<br>iv. Justice Sunil Kumar Sinha, Chattisgarh High Court |
| 5. | P-291 | December 18- 22 , 2009 | i. Justice Sunil Ambwani, Allahabad High Court<br>ii. Justice V.R. Kingaonkar, Bombay High Court<br>iii. Justice K.T.Sankaran, Kerala High Court |
| 6. | P- 299 | January 22-26 , 2010 | i. Justice V. Ramkumar, Kerala High Court<br>ii. Justice Indrajit Mahanty ,Orissa High Court<br>iii. Justice Gita Mittal, Delhi High Court<br>iv. Justice Dhirubhai N. Patel , Jharkhand High Court |
| 7. | P-313 | March 19-23 , 2010 | i. Justice K.J. Sengupta, Calcutta High Court<br>ii. Justice R. Basant , Kerala High Court |
| 8. | P-321 | April 16- 20 , 2010 | i. Justice Naveen Sinha, Patna High Court<br>ii. Justice K.J. Sengupta, Calcutta High Court |
| 9. | P-325 | April 30 - May 4 , 2010 | i. Justice Ranjan Gogoi<br>ii. Justice N.Ramamohana Rao<br>iii. Justice B.V. Nagarathna<br>iv. Justice Anjana Prakash |
| 10. | P-329 | May 7-11 , 2010 | i. Justice Prabha Sridevan, Madras High Court<br>ii. Justice R. Tripathy, Gujarat High Court<br>iii. Justice Dillip Gupta, Allahabad High Court |

**National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges (Junior Division- JD)**

The National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges (Junior Division- JD) is a cluster of ten programmes aimed at Civil Judges (Jr. Division) who have two years of SJA training and in case judges of this category are not available, then the junior most Civil Judges. The twelve day intensive programme has 50-60 participants at a given time. In a given year approximately 500 judges benefit from the discussions and discourse delivered during the programme.

The objectives of this Programme is to provide newly appointed Civil Judges (Junior Division) inputs on the critical factors that determine the quality of a judicial system suited to the mores of the society and the expectation of the society from the system. The programme also aims to enhance quality and responsiveness of the justice system and tries to acquaint the young Judges with the Constitutional vision of justice. The ultimate goal is to help strengthen the judicial system by empowering the young Judges with qualities, skills, attitudes and knowledge required for discharging judicial responsibilities in an effective manner.

This programme also builds upon the presumption that the 'current judicial method' deployed by judges is one of the dominant causes for numerous challenges facing the justice system in the country. The current judicial method is found deficient for various reasons such as poor legal education and also for excessive reliance by judges on moral judgments. Through a combination of methods such as discussion groups, simulation exercises and mock trial exercises, this programme aims to introduce judges to an alternative judicial method - the 'normative method', which aims to uphold constitutional values. While trying to foster a sense of a national judiciary amongst the participants, one of the main aims of this programme is to draw attention of newly appointed judges towards the challenges facing the justice system in India.

For the academic year 2009-10, the emphasis was on the following topics : (i) Role of Courts, which included focus on the changing role of the courts and judges as well as reflections on the concept of justice in the background of vision of justice of the Constitution of India; (2) Judiciary as an organization and the techniques necessary for organizational effectiveness; (3) Knowledge of Law; (4) Judicial Method; (5) Strengthening judicial system through planning and management; managing personal challenges and (6) Measures for enhancing access to justice.

This series of programme were held according to the schedule given below. The following eminent persons guided and shared their experience with the participants.

| Sno | Prog. No | Date | Resource Persons |
|---|---|---|---|
| 1. | P-244 | July 17-28 , 2009 | i. Justice S.B Sinha, Judge, Supreme Court of India<br>ii. Justice S.L Kocher, Judge, M.P High Court.<br>iii. Justice Sanjib Banerjee Judge, Calcutta High Court. .<br>iv. Justice Manju Goel, Judicial Member Appellate Tribunal Electricity |
| 2. | P-252 | August 7-18 , 2009 | i. Justice S.B Sinha, Judge, Supreme Court of India<br>ii. Justice P.K Balasubramanyan, Chairman, E-Committee Supreme Court of India<br>iii. Justice P.P. Naolekar, Lokayukt M P,<br>iv. Justice G.C Bharuka, Former Judge Patna High Court<br>v. Justice F.Saldanha, Former Judge Karnataka High Court<br>vi. Prof.Manju Mehta, Professor . AIIMS<br>vii. Dr. B.D Sharma Former I.A.S Officer<br>viii. Mr.Mukesh Shrivastava, Professor, NLIU<br>ix. Prof.Ashraf Rizvi, IIM, Indore |
| 3. | P-257 | September 4-15 , 2009 | i. Justice Mohan Shantanagoudar, Judge, Karnataka High Court<br>ii. Mr. Rajiv Shakdher Judge, Delhi High Court,<br>iii. Mr.Arun Mohan, Sr. Advocate<br>iv. Prof. M.P. Padmanabha Pillai,<br>v. Prof. Shamnad Basheer, Professor , Kolkata Law School |

| Sno | Prog. No | Date | Resource Persons |
|---|---|---|---|
| 4. | P-267 | October 3-14, 2009 | i. Video Recorded Talk by Justice V.R.Krishna Iyer.<br>ii. Video Recorded Talk by Justice C.K.Thakkar<br>iii. Prof. Ved Prakash Sharma |
| 5. | P-276 | November 6-17 , 2009 | i. Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal<br>ii. Ms. Nidhi Gupta |
| 6. | P-285 | December 4-15 , 2009 | i. Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal<br>ii. Ms. Nidhi Gupta |
| 7. | P-293 | January 8-19 , 2010 | i. Justice Mr. S.B. Sinha ( Chairperson, Telecom Dispute Settlement Appellate Tribunal) |
| 8. | P-302 | February 5-16 , 2010 | i. Prof. Ghayur Alam, Prof. NLIU, Bhopal<br>ii. Prof. Moin Mustzar, Prof. NLIU, Bhopal |
| 9. | P-308 | March 5-16 , 2010 | i. Prof. Ghayur Alam, Prof. NLIU, Bhopal<br>ii. Justice Manju Goel, Member, Appellate Tribunal Electricity, New Delhi<br>iii. Mr. Yug Chaudhry, Sr. Advocate<br>iv. Dr. B.T. Kaul, Delhi University |
| 10. | P-318 | April 2- 13 , 2010 | i. Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal<br>ii. Ms. Nidhi Gupta |

**Zonal Conferences on Enhancing Timely Justice: Strengthening Criminal Justice Administration**

The Zonal Conference, divided into the North, South, East and West zones, brings together judges from across each zone to discuss common challenges and share knowledge and experience on reducing delay and arrears and enhancing quality of justice. These programmes have further been developed on the successful regional conferences held in the last few years. Two programmes each of this series are hosted in each zone with approximately 80-100 participants at each zonal meeting. The objective of this cluster of programmes is to impress upon the participants the shift from the existing adversarial model emphasizing the primacy of lawyer to a Judge centric Criminal Justice Adjudication.

During the academic year 2009-10, the zonal conference was held at different locations in association with the High Courts of the state and the State Judicial Academies. The main focus of the Conference was on three dimensions of the criminal justice system for which judges may be held solely responsible within existing constraints: (1) protection of rights (2) ensuring excellence in judicial decision making; and (3) establishing and supervising an effective framework for planning and managing criminal justice administration. Selected participants were requested to make presentations on the challenges facing criminal justice administration and measures that may be taken within existing constraints for strengthening the system. These were followed by intensive discussions amongst participants. The framework of Planning & Management for Timely Justice with special focus of Criminal Justice and the Normative method of judging was presented to the participants.

The given schedule was followed according to which the programmes were organized, appended alongside is the list of eminent judges who guided and shared their views with the participants.

| Sno | Prog. No | Date | Resource Persons |
|---|---|---|---|
| 1. | P-256 | August 28-30 , 2009 | i. Justice S.B. Sinha, Former Judge, Supreme Court of India. |
| 2. | P-266 | September 26-28 , 2009 | i. Justice S.B. Sinha, Former Judge, Supreme Court of India<br>ii. Justice B.S. Chauhan, Judge, Supreme Court of India<br>iii. Prof. B.B. Pande |
| 3. | P-275 | October 30- November 1, 2009 | i. Justice Madan Lokur, Judge Delhi High Court<br>ii. Justice VVS Rao, Judge, Andhra Pradesh High Court |
| 4. | P-284 | November 27-29 , 2009 | i. Justice Madan Lokur, Judge, Delhi High Court<br>ii. Justice VVS Rao, Judge, Andhra Pradesh High Court |

| Sno | Prog. No | Date | Resource Persons |
|---|---|---|---|
| 5. | P-301 | January 29-31 , 2010 | i. Justice S.B. Sinha, Former Judge, Supreme Court of India & Chairman, TDSAT<br>ii. Justice Bilal Nazki, Former Chief Justice, Orissa High Court.<br>iii. Mr.Yug Chowdhari, Advocate<br>iv. Mr. Ravi Nayar, Advocate |
| 6. | P-307 | February 19-21 , 2010 | i. Justice R.V. Raveendran,Judge, Supreme Court of India<br>ii. Justice Bilal Nazki, Former Chief Justice, Orissa High Court<br>iii. Justice S.Muralidhar, Delhi High Court |
| 7. | P-315 | March 26-28 , 2010 | i. Justice C.K. Thakker, Fomer Judge, Supreme Court of India<br>ii. Justice S.B. Sinha, Former Judge, Supreme Court of India & Chairman, TDSAT<br>iii. Justice M.B. Shah, Former Judge, Supreme Court of India<br>iv. Justice B.Nazki, Chief Justice, Orissa High Court |
| 8. | P-323 | June 25-27 , 2010 | i. Justice VR Krishna Iyer, Former Judge, Supreme Court of India<br>ii. Justice AK Ganguly, Judge, Supreme Court of India<br>iii. Justice C Joseph, Judge, Supreme Court of India<br>iv. Justice KS Radhakrishnan, Judge, Supreme Court of India<br>v. Mr. Yug Chaudhry, Advocate |

**National Judicial Seminar of the District Judiciary on Strengthening the Judicial System (PMTJ)**

Keeping in mind the important role of the Principal District Judges in the judicial system, the National Judicial Academy introduced a new series of program with PDJs as the target audience. Planning & Management for Timely Justice being the main area of focus with approximately 30-35 Principal District Judges attending each cluster of programme which is held every month.

This series of Conference provides Principal District judges of the country a unique forum to share knowledge and experience on the challenge of reducing delay and arrears reduction and enhancing quality and responsiveness of justice. The discussions are to be based on the extensive work done at NJA (including at national and regional conferences) over the last three years on techniques and tools for timely justice (TTTJ) and planning and management for timely justice (PMTJ).

The programme further aims to strengthen the understanding of judicial institutions, planning for court development, court management, case management, judicial information management and use of IT in judicial administration. It also focuses on judicial independence and judicial accountability, measuring efficiency and effectiveness of courts, judicial information management, monitoring quality and quantity of court disposals,

For the programmes held during the year 2009-10, the Academy presented its draft agenda for improving the efficiency of the judicial system. The discussions through the three day programme centered around finding a common ground to the following issues (i) What are the expectations of the society from the judicial system, (ii) expectations of society from the judges within the existing constraints, (iii) the gaps and lacunas in the present system, (iv) the role and responsibility of a principal district judge within the judicial system and is the responsibility being met, and (v) what should the vision of a Principal District Judge be. The participants were guided by the following distinguished resource persons.

| Sno | Prog. No | Date | Resource Persons |
|---|---|---|---|
| 1 | P-243 | July 17 - 19, 2009 | i. Justice S.B. Sinha, Former Judge, Supreme Court of India<br>ii. Justice Sanjib Banerjee Calcutta High Court |
| 2 | P-248 | July 31 - August 2, 2009 | i. Justice Madan Lokur, Delhi High Court<br>ii. Justice V.V.S Rao, Adnhra Pradesh High Court<br>iii. Justice Sanjib Banerjee, Calcutta High Court |
| 3 | P-259 | September 4 - 6, 2009 | Justice Mohan Shatanagoudar, Karnataka High Court |
| 4 | P-271 | October 9 - 11, 2009 | Justice S.B. Sinha, Former Judge, Supreme Court of India & Chairman, TDSAT |
| 5 | P-278 | November 6 - 8, 2009 | I. Justice Sanjib Banerjee, Calcutta High Court<br>ii. Mr. Warwick Soden, CEO, Federal Court of Australia |
| 6 | P-288 | December 11 - 13, 2009 | i. Justice Dipak Mishra ,M.P High Court<br>ii. Justice Yatindra Singh, Allahabad High Court |
| 7 | P-304 | February 5 - 7, 2010 | I. Justice V.V.S. Rao, Judge, Andhra Pradesh High Court<br>ii. Chief Justice Smt. Gyan Sudha Misra |
| 8 | P-310 | March 5 - 7, 2010 | i. Justice Manjula Chellur, Karnataka High Court.<br>ii. Prof. Manikutty<br>iii. Prof. Anurag Agarwal, IIM Ahmedabad |

| Sno | Prog. No | Date | Resource Persons |
|---|---|---|---|
| 9 | P-328 | May 7 - 9, 2010 | I. Justice Manjula Chellur, Karnataka High Court.<br>ii. Prof. Manikutty<br>iii. Prof. Anurag Agarwal, IIM, Ahmedabad |
| 10 | P-331 | May 14 - 16, 2010 | i. Justice Manjula Chellur,Karnataka High Court.<br>ii. Prof. Manikutty<br>iii. Prof. Anurag Agarwal,IIM, Ahmedabad |

## SPECIAL EVENTS

Special Events are programmes that are held apart from the ones that are listed in the Academic Calendar of a given year, which comes to an end by mid-May of each year.

**Meeting of Chairpersons of Committees Constituted by High Courts to deal with Sexual Harassment of Women at Workplace (May 8, 2010)**

The meeting of Chairpersons of Committees constituted by High Courts to deal with Sexual Harassment of Women at Workplace was organized at the National Judicial Academy for the very first time on May 8, 2010. Requesting all the High Courts to send their respective Committee Chairpersons to attend the meeting was an eye-opener as few courts had such a committee, a few were headed by Section Officers and most had yet to draft their procedure and complaint redressal mechanisms.

During the course of the meeting it emerged that to combat the menace of sexual harassment of women within the judicial system there should be assertiveness skill training imparted to judges and lawyers. One of the main concerns that arose during discussions was of maintaining confidentiality of the case and protection of the reputation of the complainant. The suggestion of the case being dealt on a fast track basis was received positively by all the participants. Handing out an adequate punishment to the accused was also an area of concern. It was also suggested that the Committee be accorded the status of an Enquiry Committee with the responsibility of taking disciplinary action within 90 days.

**Seminar on the "Socio-Economic Revolution" Agenda of the Constitution of India: The Role of Law Colleges and Judicial Academies (June 12-13, 2010)**

A national seminar on the above-mentioned subject was organized at NJA as a special event. The main objectives of this Seminar were to : i. address the current crisis in legal education in India, in terms of

increasing corporatization of legal education; ii. emphasize the need for re-orientation of the legal education from corporate relevant legal education to socially relevant legal education; iii. present/ discuss the conceptual foundation for linkages between justice system and legal and judicial education; iv. emphasize the need for institutionalization of linkages between the justice system and legal and judicial education; v. draw attention towards changing nature and role of judicial education and judicial academies in the country; vi. develop a concrete action plan to re-orient legal education and law colleges to ensure that law colleges and judicial academies aid in 'socio-economic revolution' agenda of the Constitution of India. The delegates to the Seminar consisted of vice-chancellors/the representatives of the Law Schools of the country, senior high court judges, and representatives from civil society.

**Seminar on the State of the Indian Justice System: (June 19-20 , 2010)**

The main objective of this two day seminar was to assess the situation of the Indian Justice system especially in the matter of the rights of vulnerable and marginal groups in India.

Discussions were held on forming effective strategies to train judges in the most effective manner so that they become sensitized towards the rights of the vulnerable and marginal groups. The national challenges facing the country which includes the issue of atrocities and discrimination against the SC/ST population, environmental problems and the rights of tribals and forest dwellers, judicial underpinnings of the Bhopal Gas leak Disaster, rights of the people in Criminal Justice System and protection of the rights of women and children was also discussed at length. Eminent social activists and experts on social issues across India participated in the seminar as resource persons and gave their valuable views and suggestion on the abovementioned issues. The resource persons with their vast experience of the social and cultural strife in the country brought to light the real status of the interaction between the Indian Judicial System and the common people particularly people living on the margins of society. The seminar proved very effective in its attempt to focus on the gaps in judicial system concerning the major issues and how these issues can be addressed through the judicial education training and research.

**Programme for Administrative Members of Central Administrative Tribunal (June 21-23, 2010)**

As part of the Special Events series, the second short term orientation programme for newly appointed Administrative Members of Central Administrative Tribunal was organized here at the National Judicial Academy, the objective of which was to strengthen judicial skills of Administrative Members of Central Administrative Tribunals.

Deliberations through the three day prrogramme was devoted to a Critical Review of decisions of CAT & selected other Tribunals and decisions of Supreme Court on CAT orders, Principles of Constitutional and Administrative Law-relevant to the working of Tribunals. Various aspects of Service Jurisprudence such as Appointment, Regularization, Reinstatement, Back wages, suspension, and termination were also discussed. Presentations were made on the proper conduct of quasi-judicial proceedings/adjudication (Appreciation of facts, conducting hearing, decision making. The finer points of Judging Skills including Judgment writing were also elaborated.

# Administration and Staff at NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

In a period of nearly eight years, NJA has already become a world class institution for judicial education, research on court management and justice administration and policy development. The central reason for the stupendous growth of the NJA has been the support which the institution has received from its administration. Given below is a bird's eye view of the administrative structure of the NJA:

## 1. MEMBERS OF THE NJA SOCIETY:

**(as on 31st March, 2010)**

| S/N | Designation | Name |
|---|---|---|
| 1 | The Chief Justice of India<br>(ex-officio Chairman) | Hon'ble Mr. Justice K.G. Balakrishnan |
| 2 | Two puisne Judges of the<br>Supreme Court of India | 1) Hon'ble Mr. Justice S.H. Kapadia<br>2) Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir |
| 3 | Chief Justice of a High Court | Hon'ble Mr. Justice Syed Rafat Alam<br>Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh |
| 4 | Director, National Judicial Academy<br>(ex-officio Secretary of the Society). | Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal |
| 5 | One Judge of another High Court | Hon'ble Mr. Justice A.K. Sikri,<br>Judge, Delhi High Court |
| 6 | Two Law Academics | 1) Director, NLIU, Bhopal (ex-officio)<br>2) Dean Faculty of Law, Delhi University (ex-officio) |
| 7 | Ex-officio members:<br>(a) Minister for Law, Govt. of India<br>(b) Chairman Bar Council of India | <br>Mr. Veerappa Moily<br>Mr. Suraj Narain Prasad Sinha |
| 8 | Secretary to the Government of India,<br>Department of Justice | Ms. Bhupinder Prasad |
| 9 | Secretary to the Government of India,<br>Department of Legal Affairs | Mr. D.R. Meena |
| 10 | Secretary to the Government of India,<br>Department of Personnel and Training | Mr. Shantanu Consul |
| 11 | Secretary to the Government of India,<br>Department of Expenditure | Mrs. Sushama Nath |
| 12 | Secretary General of the<br>Supreme Court of India | Mr. M.P. Bhadran |

## 2. GENERAL BODY

The General Body comprises of the members of the NJA Society (as listed above).

## 3. GOVERNING COUNCIL

The administration, management and control of the Society is vested in the Governing Council which consists of the following:-

**(as on 31st March, 2010)**

| S/N | Designation | Name |
|---|---|---|
| 1. | The Chief Justice of India<br>(ex officio Chairman) | Hon'ble Mr. Justice K.G. Balakrishnan |
| 2. | Member Judges,<br>Supreme Court of India | 1) Hon'ble Mr. Justice S.H. Kapadia<br>2) Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir |
| 3. | Director, NJA<br>(ex-officio Member, Convenor ) | Prof (Dr.) G. Mohan Gopal |
| 4. | Secretary to the Government of India,<br>Department of Justice,<br>Ministry of Law & Justice. | Ms. Bhupinder Prasad |
| 5 | Secretary to the Government of India,<br>Department of Expenditure,<br>Ministry of Finance | Mrs. Sushama Nath |
| 6 | Secretary to the Government of India,<br>Department of Legal Affairs,<br>Ministry of Law & Justice | Mr. D.R. Meena |
| 7. | Secretary General,<br>Supreme Court of India | Mr. M.P. Bhadran |

## 4. ACADEMIC COUNCIL

An Academic Council, comprising of the Chief Justice of India (ex-officio Chairman of the Academy) & two Senior-most Judges of the Supreme Court and other nominated Judges (nominated by the Chairman) of the Supreme Court, has been constituted, by the Governing Council vide its Resolution dated 18th November, 2003. The Council has been enlarged by the Chairman with the approval of the Governing Council vide its Resolution dated 7th February,2006 and consists of the following members as on 31st March 2010:

| S/N | Name | Designation |
|---|---|---|
| 1. | Hon'ble Mr. Justice K.G. Balakrishnan, Chairman | The Chief Justice of India |
| 2. | Hon'ble Mr..Justice S. H. Kapadia<br>Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir<br>Hon'ble Mr. Justice R.V. Raveendran<br>Hon'ble Mr. Justice Deepak Verma | Judges of the Supreme Court of India |
| 3. | Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal (Coordinator) | Director, NJA |
| 4. | Hon'ble Mr. Justice M. Jagannadha Rao | Former Judge, Supreme Court of India |
| 5 | Hon'ble Mr. Justice A.K. Sikri | Judge, Delhi High Court |
| 6 | Hon'ble Mr. Justice V.S. Aggarwal | Former Judge, Delhi High Court |
| 7. | Mr. Gopal Subramanium | Solicitor General of India. |
| 8. | a) Mr. Fali S. Nariman<br>b) Mr. K.K. Venugopal<br>c) Mr. P. P. Rao | Senior Advocates<br>Supreme Court of India |
| 9. | Mr. M.P. Bhadran | Secretary General,Supreme Court |
| 10. | Director, Indian Law Institute | (ex-officio) |
| 11. | Dr. S. K. Jain | A Judge from Delhi Higher Judicial Service |

## 5. EXECUTIVE COMMITTEE

An Executive Committee, comprising of Chief Justice of India (ex-officio Chairman of NJA) and three senior most Judges of Supreme Court has been constituted by the Governing Council vide its Resolution dated 18th November, 2003 for continuing supervision in programmes and administration. The composition of the Executive Committee as on 31st March 2010 is as under:

| S/N | Designation | Name |
|---|---|---|
| 1. | The Chief Justice of India | Hon'ble Mr. Justice K.G. Balakrishnan |
| 2. | Three Senior most Judges of the Supreme Court of India | a) Hon'ble Mr. Justice S.H. Kapadia<br>b) Hon'ble Justice Altamas Kabir<br>c) Hon'ble Mr. Justice R.V. Raveendran |
| 3. | Director, NJA (Coordinator) | Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal |

## 6. OFFICERS OF THE ACADEMY:

### ADMINISTRATION

The Director of the Society is the Principal Executive Officer of the Society appointed by the Chairman with the approval of the Government of India.

The administration of the Academy is looked after by the Director with assistance from two Registrars and other officers.

### ADMINISTRATIVE OFFICERS

(as on 31st March, 2010)

| Sr. No. | Name of Post | Name of the Officer | Details of Posts | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sanctioned | Existing | Vacant |
| 1. | Director | Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal | 1 | 1 | - |
| 2. | Registrars | Mr. A.M. Saxena<br>Mr. S. P. Srivastava | 2 | 2 | - |
| 3. | Administrative Officer | Mr. Kuriakose Mathew | 1 | 1 | - |
| 4. | Chief Accounts Officer | Mr. Avinash Choudhary | 1 | 1 | - |
| 5. | Maintenance Engineer | Mr. Dewashish Pal (upto 2.2.2010) | 1 | - | 1 |
| 6. | Deputy Librarian | Mr. Sanjiv Saraf (upto 30.4.2009) | 1 | - | 1 |

Further, one Engineer of Madhya Pradesh Public Works Department (presently Shri Akhilesh Agarawal, Executive Engineer) in addition to his normal work, is monitoring and supervising construction activities as Director of Works of the Academy.

## ACADEMIC

For every academic programme, a team of very distinguished faculty members are assembled from different parts of India who stay with the participants in the campus during the course and interact with them in class and outside. The Academy has the following regular staff in its faculty:

## FACULTY

(as on 31st March, 2010)

| Sr. No. | Name of Post | Name of the Officer | Details of Posts | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sanctioned | Existing | Vacant |
| 1. | Director | Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal | 1 | 1 | - |
| 2. | Additional Director | - | 1 | - | 1 |
| 3. | Professor | Prof. Ved Prakash Sharma (upto 18.2.2010)<br>Mr. B.G.Harindranath | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Assistant Professor | Ms. S. Mini<br>Mr.Mrinal Satish (upto 21.6.2009)<br>Ms. Nidhi Gupta | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Research Fellow | Ms. Aparna Chandra (upto 21.6.2009)<br>Mr. Siddhartha Sharma | 6 | 1 | 5 |
| 6 | Law Associate | Ms. Suchitra Paramguru<br>Ms. Hina Varshney<br>Ms. Nidhi Vaidya (upto 11.11.2009)<br>Ms. Aparna Singh | 6 | 3 | 3 |

## 7. INFRASTRUCTURE AND SUPPORT SYSTEMS:

Located on a hillock on the outskirts of the City overlooking the famous upper lake of Bhopal, the Academy commands a panoramic view of the city and its surroundings. The campus of the Academy is spread over 62 acres with a built up area of 28,000 sq. metres. With lush green surroundings, unpolluted air and natural scenery, the Academy provides an ideal setting for study, reflection, research and recreation. Therefore, the Academy with its state-of-the-art judicial education facility can rightfully claim to be the most modern and well equipped centre for education and research work relating to the judicial establishment in the country.
A brief description of the infra-structural facilities is given below:

**(A) The Campus has the following centrally air-conditioned buildings:**

(i) VIP Guest House No.1 (144 self-contained suites with all attached facilities at four levels);
(ii) VIP Guest House No. 2 (12 Suites with 5-Star facilities);
(iii) Management Block (Office Rooms for Director, Registrar and other Officers/Staff);
(iv) Six Seminar Rooms, 10 rooms for faculty and a conference hall;
(v) Library (Gyan Ganga) & Research Centre (Gyan Manthan);
(vi) Auditorium-cum-Convention Hall;
(vii) Recreation Complex;
(viii) Executive Dining Hall with attached kitchen facilities.

**(B) Residential Facilities:**

(I) VIP Guest House No.1:
Stepping down on four levels, the hostel rooms open out to a terrace garden for each room at every level. This Guest House has a total of 144 well furnished rooms, and is provided with provision for double occupancy, the rooms here have attached facilities including a telephone. A modern kitchen with latest kitchen equipment and a large dining hall, waiting lounge, reception, doctor's room and other amenities are part of the Guest House Building. With a Lift to facilitate movement of the guests through all the levels, the rooms are an ideal place to go back to after an invigorating academic session.

(ii) V.I.P. Guest House No. 2:
The Guest House has twelve well furnished suites for the visiting dignitaries with a Waiting Lounge, a Modern Kitchen and a Dining Hall.

(iii) **For Officers and Employees of the Academy :**

(a) **Bungalows for Director/Addl.Director:** The Academy has two full furnished Bungalows, each designated for the Director and the Addl. Director of the Academy.

(b) **Row Houses:** The Academy has twelve independent Row Houses, of which eight have

3-bedroom and four have 2-bedrooms, for its Officers.

(c) **Staff Quarters:** The Academy has a total of thirty-four staff quarters for various categories of its staff.

**(C) Infrastructure for Academic & Research Activities:**

(i) Six Seminar rooms: Six Seminar Rooms with 30 to 40 seating capacity have been constructed and furnished with latest audio visual equipments for presentation, inter-active sessions, and teaching etc.

(ii) Auditorium-cum-Convention Hall: It has a seating capacity for 281 persons and is equipped with the latest audio visual equipments for holding Conferences & Seminars.

(iii) Faculty Rooms: For providing suitable chambers and secretarial services to the members of faculty, ten rooms with cabins for the Secretarial Staff have been constructed and fully furnished in the Academic Block of the Academy. There is a separate Conference Hall for the members of faculty for facilitating discussions amongst the members of the faculty

**(D) Library (Gyan Ganga):**

National Judicial Academy has a world class library with up-to-date contemporary books, journals, magazines, research publications, manuscripts, reports and other documents related to the judiciary and Law. In its mission to provide the basic reference and research infrastructure to the participants of the various programmes, NJA started a library, Gyan Ganga in 2004 in an area of 1412sq.meter devoted solely for this purpose. In a period of just about seven years, the Library boasts of 20,000 volumes of books, which include both national & international publications.

The Library also provides online accessibility to Manupatra, Grand Jurix, EPW, West Law, Hein Online & JSTOR. Five thousand resource materials of the programmes held previously is available for ready reference here.

The Gyan Ganga, manned by two Library Assistants and an office support is open for use of the participants from 9.00 am to 9.00 pm. The entire Library with internet connectivity has nine work stations to facilitate the participants. The Library has all facilities including a documentation centre, news paper & magazine section, reading room and a conference hall.

Details of the facility at Gyan Ganga (Library) :

(I) Reading Room: The reading room is fully furnished for display of latest journals and publications etc. with seating facility for 66 persons.

(ii) Compactors for law books: The basement of the Library block has Compactors for safe storage of 75,000 law books.

(iii) Documentation Centre: Library has a separate section for documentation work with latest photocopiers, scanners and computers.

(E) **Recreation Centre:** The Centre is functional with facilities i.e. Swimming Pool, Steam Bath, Lawn Tennis Court, Billiards, Gym etc.

(F) **Water Supply System:** The Campus has a dedicated Water Supply System with its own Filter Plant and other ancillaries to provide uninterrupted water supply to the Academy.

(G) **Electricity Supply System:** Similarly, to provide uninterrupted electric supply to the Academy, the Academy has made special arrangement of electric supply through a dedicated 33 KV feeder from MPSEB and a stand-by generator of 500 KV. capacity.

(H) **Security:** The security of the Campus is managed by Baaz Security services which employs nearly 57 security personnel to provide round-the-clock security for the premises.

**Governance of NATIONAL JUDICIAL ACADEMY**

The Governing Council at its meeting held on 29th July, 2009 took the following important decisions:

- Approved Audit Report of the Accounts of the Society for 2007-2008.
- Approved Annual Report of the Academy for the year 2008-2009.
- Passed the Accounts of the Society for the year 2008-2009.
- Passed the Annual Budget for the year 2009-2010.
- Approved the proposal for revision of rate of annual increment to 5 - 7.5% of the Basic and Grade Pay for the contract staff, to be determined in accordance with the approved parameters for performance evaluation of the contract staff.
- Resolved to approve the revised terms and conditions of contract for a period of more than one year. The appropriate terms may be included in the contract in respect of probation period.
- Resolved to approve that the balance medical and earned leave at the end of the year of the contract will be carried forward to the next year of the contract service.
- Resolved that the cost of stamp paper required for execution of service contract between the Academy and the contract employee will be borne by the Academy.
- Resolved to delegate power to Executive Committee to approve recommendations of the Selection Committee for higher pay to deserving candidates in suitable cases.

  Further Resolved to approve the proposed revision of lodging charges for programmes of sponsoring organizations at the following rates:

  VIP Guest House No. 2 - One Suite - Rs. 4000/- per day.

  VIP Guest House No. 1 - One Room - Rs.1000/- per day.
- Approved to reduce complement of class IV staff, Unanimously Resolved that NJA staff should not be posted for work in the personal residence of any other NJA staff or official.
- Resolved to approve the academic programmes for academic year 2009-2010 (July 2009 to June 2010).

**The General Body at its meeting held on 29th July, 2009 took the following important decisions :**

- Approved Audit Report of the Accounts of the Society for 2007-2008.
- Approved Annual Report of the Academy for the year 2008-2009.
- Passed the Accounts of the Society for the year 2008-2009.
- Passed the Annual Budget for the year 2009-2010.

**The Academic Council Meeting held on 13th May, 2009 :**

- Approved the Report on Academic Activities for the Year 2008-2009.
- Approved the proposed Academic Calendar for the Academic Year 2009-2010.

# A detailed view of
# NATIONAL JUDICIAL EDUCATION STRATEGY (July, 2010)

## I. VISION

The vision (Judicial education enhances timely justice - delay and arrears reduction and enhancing the quality and responsiveness of justice) is derived from the 2006 National Judicial Education Strategy adopted by the Academic Council of NJA.

## II. MISSION

The mission of judicial academies is to enhance the excellence of the judicial system through judicial education, research and policy development. This mission is derived from the Memorandum of Association of NJA.

To this end, judicial academies should, according to the 117th Law Commission of India on Judicial Officers Training, (a) equip judges with tools to execute their work; and (b) endow them with vision as to what is expected of the system they serve.

In the context of the changed Constitutional role of the judiciary, judicial education must also promote the application of Constitutional values in adjudication.

## III. STRATEGY

The two point strategy to achieve the above vision and mission is as follows:

**(A) Help Evolve and Disseminate a Common National Vision on Six Key Issues:**

### 1. What is expected of the Indian Judicial System?

According to the Law Commission Report, what is expected of the Indian Judicial System underwent a fundamental transformation when India became independent and adopted our own Constitution. Upon independence, the Indian judicial system was expected to transform "overnight" from a "purely colonial institution operating more or less as a wing of the law and order enforcement machinery" to "being a sentinel on the que vive."

The Law Commission Report identifies four broad sets of new expectations of the Judicial System under the Constitution of India:

> **"i. to be an effective instrument of ushering in social revolution in Republican India;**
> **ii. to facilitate the transformation of Indian society into a nation;**
> **iii. to become an effective instrument for carrying out the mandate of Article 38 [of the Constitution of India], shoulder[ing] the burden, along with other wings to set up a welfare state in which justice -social, economic and political - shall inform all the**

**institutions of national life; and shoulder[ing] the primary responsibility for eliminating inequalities in status, facilities and opportunities not only amongst people but also amongst groups of people residing in different areas engaged in different vocations; and**

**iv. become the guardian angel of the fundamental rights of citizens"**

The Law Commission Report's description of the new role of the judiciary under the Constitution is based on a catena of decisions of the Supreme Court of India starting with **Supreme Court of India Authorised Officer, Thanjavur and Anr. Vs. Respondent: S. Naganatha Ayyar and Ors. [1979] 3 SCR 1121; and including S.P. Gupta vs. Union of India AIR 1982 SC 149. In the former case, in 1979, the Supreme Court said, "Judges are ...responsive and responsible to Part IV of the Constitution being one of the trinity of the nation's appointed instrumentalities in the transformation of the socio-economic order. The judiciary in its sphere, shares the revolutionary purpose of the Constitutional order, and when called upon to decode social legislation must be animated by a goal-oriented approach." In the latter case, in 1982, the Supreme Court said, "The judiciary has a socio-economic destination and a creative function. It has ...to become an arm of the socio-economic revolution and perform an active role calculated to bring social justice within the reach of the common man. It cannot remain content to act merely as an umpire but it must be functionally involved in the goal of socio-economic justice".**

Is the Judicial System meeting Society's Expectations? The Report takes the view, however, that the Judicial System is not meeting expectations. The desired institutional change of the judiciary was not occurring, and the judiciary was continuing "without even a semblance of change in the last four decades since independence in its mode, method of work, designations, language, approach, method of resolving disputes", retaining "all the trappings of the system established by foreign rulers".

**2. Define Judicial System Excellence**

In NJA's view, excellence of the judicial system may be defined and measured with reference to six critical factors that determine the quality of the judicial system (ROKMMA):

a. **Role:** Effective fulfillment of the Constitutional mandate of the judicial system; degree to which the system secures "justice" in terms of outcomes (defined for the purposes of judicial education as "human conduct consistent with Constitutional jus/values)"; the "social impact" of the judiciary.

b. **Organizational Effectiveness** in fulfilling its role

c. Qualities, Attitudes, Skills and **Knowledge** (QASK) of judges, members of the Bar and law teachers

d. Judicial **Method:** the procedural framework for adjudication; the approach to the adjudication process on the part of judges and advocates, and the approach of judges to the decision making process so as to safeguard independence of the judiciary and achieve consistency of approach.

e. Court, case load, case, process, human resource and organizational **management**

f. **Access** to justice of those who the judicial system serves, especially those who face access barriers.

**(Note: ROKMMA is a new framework for evaluating and enhancing the quality of a judicial system. Each component has been further sub-divided into specific measurable criteria for measuring timeliness, quality and responsiveness of justice)**

**3. Develop a Common Understanding of Justice and the Constitutional Vision of Justice**

India has a unified judicial system. This system must be guided by a common national understanding of the Constitutional vision of justice; and the concept of judicial system excellence.

To safeguard the independence of the judiciary, such a common national vision must emanate from the judiciary itself, based on binding judicial pronouncements of higher courts as well as on the day to day experience of judges and courts and a constant assessment by judges of the changing and increasingly complex challenges faced by our nation.

To facilitate the development of a shared/common judicial vision, there is need for extensive discussion and debate amongst judges at all levels about the Constitution, the freedom struggle from which it was born, the history and philosophy of the freedom struggle and the Constitution; the rich Constitutional jurisprudence of the Supreme Court of India and our High Courts; and the application of Constitutional principles to the work of the subordinate courts. This will need to be a continuing process, as the Constitutional vision of justice will evolve over time.

NJA is undertaking substantial work to facilitate continuing discussion on the Constitutional vision so as to ensure that judging is guided by a common/shared, well informed understanding of the Constitutional vision of justice with any differences on the concept being based on sound reason rather than personal bias or misunderstanding. Some SJAs are giving increasing importance to this objective.
A brief summary of the approach to the Constitutional Vision of Justice that has emerged in NJA deliberations over the last four years is as follows:

- The goal of the Judicial System, established by the Indian Constitution, is to secure and promote justice (per Arts. 38 and 39A; Supreme Court dicta in S.P. Gupta (1982); and 117th Report of the Law Commission of India on Judicial Education).
- "Justice" may be understood in this context as human conduct consistent with Constitutional values (jus).
- Rights and duties are established under law to uphold Constitutional values.
- Courts secure justice by protecting rights and enforcing duties so as to secure and promote justice, i.e., conduct consistent with Constitutional Values.

**4. Develop a Framework for measuring the "social impact" of Courts**

As noted earlier, the role of the judicial system is to realize the Constitutional vision of justice, therefore, the work of the Academy must seek to enhance the positive social impact of the judicial system, focusing on priority areas of national and social development. After extensive consultation with participant judges, review of litigation and case law and consultation with social policy experts, the following "seven focal areas" have been identified for the purposes of maximizing social impact of judicial education (these areas involve the most serious shortfall/challenges in the implementation of Constitutional vision/values):

1. Protection of Rights of the Marginalized: Poor; SC/ST and Vulnerable Groups such as the Disabled and the Elderly
2. Protection of Rights of Women and Children
3. Protection of Rights of Persons Involved in the Criminal Justice System
4. Protection of Environment and Natural Resources
5. Promotion of Economic Development consistent with Constitutional Values, including Protection of Labour Rights
6. Protection of Constitutional Rights and Human Rights and Promotion of Constitutional Governance, including Protection of Minority Rights
7. Strengthening the Judicial System (including Access to Justice)

**5. Develop a Quality Framework**

Establishment of quality benchmarks and performance standards are essential for preserving and enhancing quality of adjudication. A comprehensive quality framework is currently not available. NJA has developed a 71 point common national "Quality Framework" for defining and measuring the quality, timeliness and effectiveness of the judicial system. The main elements of the 71 point NJA quality framework are as follows:

| Overall Framework | 6 point "ROKMMA Framework" |
|---|---|
| Role | **4 point RDAL Framework**<br>Role of Courts:<br>i. Protect Rights;<br>ii. Enforce Duties;<br>iii. Ensure Accountability; and<br>iv. Safeguard Legality" |
| Organizational Effectiveness | **8 point framework:**<br>i. Judge Strength/quality;<br>ii. Infrastructure;<br>iii. Advocates strength/ quality; |

| Overall Framework | 6 point "ROKMMA Framework" |
|---|---|
| | iv. Technology;<br>v. Financial Resources;<br>vi. Government Agencies' Support;<br>vii. Litigant Cooperation;<br>viii. Administrative staff. |
| Knowledge, Skills, Attitudes, Qualities | **28 point Framework:**<br>1 Quality of legal and social knowledge of (a) Judges; (b)Bar; (c) Government officials; (d) Legal Literacy; (e) legal academia - law colleges, legal research, journals, etc - standard core knowledge requirements in 9 core subjects<br>7 Point Framework on quality of judgments: (CRITICAL)<br>20 point QASK framework |
| Method | **6 point Framework:**<br>1. Reasoned;<br>2. Objective & rational;<br>3. based on Constitutional and legal norms;<br>4. Scientific;<br>5. Consistent;<br>6. Predictable. |
| Management | **10 point Framework:**<br>1. Measurable Performance Standards;<br>2. Court Plans;<br>3. Court, Case Load and Case Management Systems based on Analysis; Prioritization;<br>4. Time Tables and Scheduling;<br>5. Timeliness;<br>6. Monitoring Systems;<br>7. Information Management systems<br>8. Use of IT;<br>9. Process Simplification;<br>10. HR framework. |

| Overall Framework | 6 point "ROKMMA Framework" |
|---|---|
| Access to Justice | **10 point Framework:**<br>1. Awareness;<br>2. Access/cost;<br>3. Legal Aid and other support;<br>4. Facilities;<br>5. User friendliness;<br>6. Language;<br>7. Access to documents;<br>8. Access to appeals/remedies;<br>9. Distance from courts;<br>10. Docket inclusion ratio |

**6. Develop Monitoring Indicators**

In order to evaluate the quality of the judicial system and the impact of initiatives to improve it, it is necessary to develop and track appropriate qualitative indicators.

Four indicators are suggested for this purpose:

| | |
|---|---|
| Rights Protection Index | Review 1% of judgments of courts/judges on a random basis to assess ex-post the rights that should have been protected as against the rights that were in fact protected. |
| Consistency Index<br><br>Responsiveness Index | Analyze a random sample of decided cases to review consistency of understanding and application of legal principles and concepts. From review of decided cases, assess Approach to interpretation of law and appreciation of facts; proactive use of legal aid where relevant. |
| Quality of Judgment Index | Based on 8 point CRITICAL Framework (Constitutionally Just; Reasoned and rational; Implementability; Timely; Innovative; Communicative; Legally Sound). |
| Timeliness Index | Review Compliance with required time standard. |

Needless to say the above framework applies ONLY to programmes for the district judiciary, NOT for High Court judges' programmes which are purely in the nature of national conferences in which Hon'ble Justices share their thoughts with each other and with national social thought leaders.

**B. Organize and Deliver Three Types of Academic Programmes**

The Judicial Academy organizes and deliver interventions for three objectives:

i. strengthening individual judges (enhancing their qualities, attitudes, skills and knowledge (QASK) ("supply side");
ii. strengthening the judicial system (see above) ("supply side"); and
iii. strengthening the social impact of the judicial system ("demand side")

For each of these three objectives, the Academy organizes four standard types of programmes. The 12 main "types of programmes" are thus as follows:

1. **Enhancing Qualities, Attitudes, Skills And Knowledge (qask) of Individual Judges (4 Types Of Programmes):**

   a. National Judicial Workshops for Subordinate Court judges on enhancing QASK
   b. National Orientation Programmes for Newly Appointed ADJs
   c. National Orientation Programmes for Newly Appointed Civil Judges (Junior Division)
   d. National Intensive Judicial Excellence Enhancement Programme (JEEP)

2. **Strengthening the Judicial System for Delay and Arrears Reduction and Enhancing the Quality and Responsiveness of the System (4 Types of Programmes):**

   a. National Conferences of High Court Justices on Strengthening the Judicial System, including National Conferences of Newly Appointed High Court Justices
   b. National Conferences of Principal District Judges
   c. Regional Judicial Conferences of Subordinate Court Judges
   d. National Meetings of State Judicial Academies

3. **Enhancing the Social impact of the Judicial System (4 types of programmes):**

   a. National Judicial Conferences of High Court Justices on Strengthening the Social Impact of the Judicial System
   b. Adjudication Management Programmes
   c. National Judicial Conferences of Subordinate Court Judges on Development of Law
   d. National Judicial Seminars on the Role of Subordinate Courts in Meeting Key Social Challenges Facing the Country

**IV. IMPACT EVALUATION**

The impact of NJA programmes may be measured against three sets of objectives: first, Enhancing

Timeliness; second, Enhancing the Quality of Adjudication; and third, Institutional Change to Strengthen the Judicial System.
NJA regularly obtains detailed feedback from participants. Such feedback is exceedingly positive. However, there is need to strengthen the framework for evaluating the impact of NJA programmes.

**Enhancing Timeliness:** Given that timeliness is a major challenge for the judicial system, the degree to which participants in NJA programmes are able to improve the timeliness of the disposition of cases - within existing constraints - should be one of the measures of the impact of NJA programmes. We would request that Hon'ble High Courts systematically monitor (as appropriate for each type of programme) whether or not, objectively measured, the timely disposal of cases by participant judges from the district judiciary is enhanced by their exposure to NJA programmes -specifically, by use of particular techniques and tools developed and suggested by NJA.

In proposing this, we are, fully cognizant that a variety of complex factors will impact timeliness in disposal and it would not be possible to attribute credit - or blame - solely to NJA programmes for improvement or deterioration of timeliness. However, we believe that, on balance, such monitoring would be beneficial to enhance a sense of accountability for the investment of precious public resources in NJA programmes.

**Enhancing the Quality of Adjudication:** Measuring whether NJA programmes have any positive impact on quality of adjudication is a complex challenge, especially because there is as yet no institutionally accepted definition of quality.

NJA has developed a framework for defining and measuring the quality of adjudication. This framework is based on the six factors that, in our view, define the quality of an individual court/judicial system: role; organizational effectiveness; knowledge; method; management; and access to justice (ROKMMA).

Based on these six factors, NJA suggests that a quality of adjudication index* (QAI) be used to measure the quality of work of individual judges and courts. We would suggest that the Hon'ble High Court may monitor whether or not participation in NJA programmes has had a positive impact on the QAI of participant judges over a 12 month period (before and after participation in a NJA programme).

**Institutional Change to Strengthen the Judicial System:** To keep pace with the needs of a constantly changing society, judicial systems need to be in a constant process of renewal and change. The main purpose of NJA programmes is to discuss specific options for renewal and change - at the level of the individual function, the system and its social impact. The third measure for evaluating the effectiveness of NJA programmes must therefore be whether the specific changes emanating from such programmes are in fact being implemented successfully. Such changes are referred to as "reform propositions",

## V. RESPECTIVE ROLES OF NJA AND SJAs

The role of the National Judicial Academy should avoid duplication with the role of SJAs which are best positioned to respond to local and State level needs.
NJA's focus will be on cross-cutting national issues where there is need for a consistent approach at the national level.
A broad indication of the comparative roles of NJA and SJAs may be along the following lines (the functions indicated against NJA here are all to be developed jointly with SJAs).

| Key Function | NJA working with SJAs | SJAs |
|---|---|---|
| **Development of a common National Vision on Enhancement of Excellence of the Judicial System; and development of suggestions for systemic reforms for strengthening national judicial system based on the ROKMMA framework** | ✓ | |
| **Promotion of application of Constitutional values to adjudication in a consistent manner in all adjudication across the country, including development of a common understanding of Constitutional Values and National Law.** | ✓ | |
| **Development of common national standards and solutions for Planning and Management for Timely Justice** | ✓ | |
| **Strengthening Adjudication Management (court management; case management)** | | ✓ |
| **Training in qualities, attitudes, forensic skills and knowledge of law at the induction and refresher stages for individual judicial officers (including on ethics and conduct )** | | ✓ |
| **Strengthening state level Judicial Systems** | ✓ | ✓ |
| **Research and knowledge Management** | | ✓ |

In addition to promoting Constitutional values in adjudication as above, State Judicial Academies will need to focus on: (1) equipping judges with necessary vision, knowledge and skills; and (2) developing suggestions for enhancing the excellence of the judicial system at the state and local levels.

## VI. INSTITUTIONAL FRAMEWORK: JUDICIAL ACADEMIES

NJA and SJAs are not merely training or education institutions. They are institutions that must play a key role in catalysing institutional change for enhancing the excellence of the judicial system. They must have the appropriate mandate and capacity to fulfill these roles.

Given the inadequate standards of legal education in the country, State Academies must aspire to develop themselves into "surrogate law colleges" in which newly recruited judges would be tested for required knowledge and skills and given intensive training to bring them up to required knowledge and skill levels. The areas in which state judicial academies may consider focusing for strengthening core judicial knowledge includes: Constitutional law, civil procedure, criminal law and procedure, property law, contract law, family law, tort law, equity and specific relief, environmental law and public and private international law. In each of these areas, conceptual and theoretical principles should be covered in addition to pragmatic aspects.

Traditional judges or law teachers may not have requisite skills for this purpose. Academies will benefit from having, in addition to traditional judicial and legal skills, institutional experts who can develop and implement programmes for institutional development. It is also important for Academies to have a core group of permanent staff (not on deputation) who can build long term, stable capacity and experience.

The organizational structure of the Academies must allow them to be able to develop an independent view of the challenges facing the judicial system and its solutions. NJA's model of being a Government funded autonomous society has been helpful in this regard. High Courts would need to strike the right balance between ensuring that they had control over the programmes of the Academy and allowing adequate independence and accountability in the development and delivery of programmes.

Academies must have adequate infrastructure and financial resources to be able to deliver on their mandate. Academies should also have adequate financial, technological and management capacity.

Greater collaboration may also be developed with selected law colleges and other academic and research institutions as needed.

## VII. PARTICIPATION OF JUDGES

Judicial education should ideally have a mandatory and an optional component. Assignment of judges to both types of programmes should be based on a careful assessment of their performance, their interests and capabilities as well as the needs of the institutions. This will require dedicated resources in High Courts to develop a "judicial excellence enhancement plan" (JEEP) for each and every judge which must then be implemented through state and national academies. There needs to be systematic follow up to the participation of judges in academy programmes.

## VIII. RESEARCH AND PUBLICATIONS

Academies need to study and develop solutions for the various challenges facing the judicial system at the local, state and national levels. Inter-disciplinary skills are required for this purpose. A systematic research agenda may be developed. If needed, a research and publications advisory committee may be established to guide this work.

# Progress in implementation of NATIONAL JUDICIAL EDUCATION STRATEGY

NJES has been implemented since January, 2007 and implementation has now completed two full academic years (2007-08; 2008-09).
Set out below is a matrix reporting on progress in the implementation of NJES.

| S.no. | NJES GOAL/OBJECTIVE | PROGRESS |
|---|---|---|
| 1 | **National Judicial Education must focus on enhancing the delivery of timely justice.** | Progress is satisfactory. |
| | (1) Reduction of delays and arrears will need to be pursued through education and training on (i) use of information and communication technology (ICT); (ii) use of modern management systems for court and case management; (iii) strengthening core judicial knowledge and skills; and (iv) promotion of ADR methods (mediation, conciliation, arbitration or Lok Adalat). | (1) Main focus of NJA programmes is explicitly now on enhancing delivery of timely justice in terms of delay and arrears reduction as well as on enhancing quality and responsiveness of justice. |
| | (2) The capacity of the judiciary to respond to priority areas of justice will be enhanced through (i) broadening judges' perspectives on justice issues in areas of greatest demand for justice and sensitizing them to the need for effective justice delivery; and (ii) developing the ability of judges to use new and innovative approaches to effectively respond to the demand for justice delivery within the existing legal framework. | (2) NJA has developed a detailed framework for reducing delay and arrears and enhancing quality and responsiveness of justice (called "Planning and Management for Timely Justice"). |
| | (3) The 117th Report of the Law Commission of India dated November 1986 ("Training of Judicial Officers") noted the inadequacy of practical training for judges because this will "sustain past practice without any change or without any effort to tone it to the mores of the day" (para 2.6). | (3) NJA has also developed a theoretical framework for quality and efficiency of justice delivery. |

| S.no. | NJES GOAL/OBJECTIVE | PROGRESS |
|---|---|---|
| | This Law Commission Report went on to say:<br>The basic aim of [judicial] training is to equip the trainees not only with tools to execute their work, but to endow them with vision as to what is expected of the system they serve. What is meant by justice? What is decision making process? What are the goals of the Constitution? What is the direction in which law must move? What does the dictum justice according to law imply? | |
| 2. | **Scaling up of NJA programmes:**<br>All 13,000 judges across the country should receive NJA training for at least one week every year (2% of their annual time), focused on issues of national priority. Focus on 5,000-6,000 CJM/district level and above.<br>Currently High Courts have indicated that, due to institutional constraints, some 2500 or so judges may be sent to NJA each year.<br>In 2006 on average a judge may come to NJA once in about 15 years.<br>High Court judges' programmes were not being routinely carried out.<br>NJA needs to cover judges at all tiers from across the country. | Satisfactory progress.<br>Number of judges participating in NJA programmes as well as number of programmes has been increased four-fold to about 3000 judges and 100 programmes per year.<br>At the current level a judge may expect to come to NJA once in 4 years or so.<br>Monthly conferences of High Court judges being held with some 250 High Court judges attending these conferences each year.<br>With the introduction of Junior Division Orientation Programmes, NJA today covers judges of all tiers. |
| 3. | **Distinguishing roles of NJA and State Judicial Academies (SJA) and avoiding duplication of effort.**<br>The main comparative advantage of NJA is its ability to bring a national perspective to judicial education and training, inculcate a national outlook amongst judges at all levels and focus on key issues of national priority that cut across states. | Satisfactory<br>(1) NJA programmes are focusing on issues of national priority<br>(2) NJA calendar is now routinely developed at a meeting of High Courts (*Annual Calendar Meeting*) to avoid duplication with SJAs<br>(3) Monthly meeting of SJAs is held to facilitate coordination with NJA and amongst SJAs |

| S.no. | NJES GOAL/OBJECTIVE | PROGRESS |
|---|---|---|
| 4. | **Support and Encourage SJAs** | **Satisfactory progress.**<br>(1) 5 (monthly) programmes held with SJAs this year to help develop judicial education at the State level;<br>(2) Monthly Regional programmes being held in various parts of the country in collaboration with SJAs |
| 5. | **Curriculum and Pedagogical/Delivery Method Development:** NJA will establish a unit for curriculum and pedagogy/delivery method development and will share the knowledge generated in this regard with SJAs. | Unit yet to be established |
| 6. | **Programme Types:** To meet these education needs, NJA will need to deliver four types of education/training programs:<br>i. Programs Teaching Tools and Techniques for arrears and delay reduction;<br>ii. Programs providing Core Judicial Skills and Knowledge/ Judicial Method Development;<br>iii. Programs Broadening Judges' Perspectives on Priority Areas of Justice Demand; and<br>iv. New and Emerging Areas. | Satisfactory progress.<br><br>Curriculum revised in accordance with this approach |
| 7. | **Judicial Reform and Policy Development /Court Statistics:** NJA will establish a small unit that will undertake systematic research work on strengthening judicial administration through judicial reform for the advancement of strategic goals and objectives. As a part of this,NJA will establish a court statistics project which will develop norms and policies for collecting and analyzing court statistics for the consideration of the Supreme Court and also prepare periodical analysis of court statistics. NJA will also carry out an active research program focused on the strategic goals. | Satisfactory progress in developing analytical work on judicial reform and judicial statistics.<br><br>Unit/project yet to be established. Preparation of unit in progress. Such a unit also called for by the Parliamentary Select Committee. |

| S.no. | NJES GOAL/OBJECTIVE | PROGRESS |
|---|---|---|
| 8. | **Conceptualize Judicial Education distinct from Legal Education** | Satisfactory progress (see below) |
| 9. | **Five Key Judicial Education Goals:**<br>**Goal 1:** Providing basic knowledge (SJAs) Filling information gaps on statutes and case law, including their interpretation (SJAs)<br>**Goal 2:** Providing advanced knowledge including in new/ emerging areas (SJAs and NJA)<br>**Goal 3:** Improving the methodologies and processes by which judges reach judgments ("judicial method") i.e., judicial reform at the court level (SJAs and NJA)<br>**Goal 4:** Strengthening Philosophy/ Perspective Raising social commitment of judges to the justice goals behind statutes/case law and their resolve to achieve just outcomes (SJAs and NJA)<br>**Goal 5:** Strengthening judicial ethics and character building of judges/ building national outlook (SJAs and NJA) | Satisfactory progress in realigning syllabus to meet these roles as assigned to NJA |
| 10. | Establishing a Clear Strategic Goal for Judicial Education **("why"?):** | Satisfactory progress (see discussion below) |
| 11. | Clear Identification of Beneficiaries/Target Groups and Targeting of Programs **("who"? "when"?):** | Satisfactory progress. New programmes started for High Court judges, district judges, junior judges, as well as for functionally-based groups of judges.<br>Programmes for stakeholders other than judges not initiated. |
| 12. | Developing Curricula and New Programs **("what"?)** | Satisfactory progress. New curriculum and number of new programmes developed |

| S.no. | NJES GOAL/OBJECTIVE | PROGRESS |
|---|---|---|
| 13. | **Dissemination of NJA programmes** through video-conferencing/web-streaming links and through posting material on the NJA web site) | Progress not satisfactory due to lack of adequate staff |
| 14. | **Impact Evaluation** | Satisfactory progress in implementing course evaluation and developing a new framework for evaluation of impact |
| 15. | **Improving Pedagogy and Delivery Methodology ("how?")** | Satisfactory progress. Use of simulations; discussions; experiential learning, etc., initiated |
| 16. | **Development of Judicial Sciences through a "Judicial University"** which could conduct degree and diploma courses and confer LL.M. degrees to judicial officers through distance education (initially in collaboration with a National Law University). As a judicial university NJA could also offer a six month diploma program on ADR as well as on mediation, a short certificate course on mediation, prepare CDs on subjects of importance to judges and offer opportunities to do doctoral research on judicial topics. | Work yet to begin |
| 17. | **Quality Control:** NJA should establish appropriate mechanisms for quality control of NJA educational programs that are independent and carried out by domain experts. | Not yet done |
| 18. | **Coordination with E-Committee:** Given the emphasis on arrears and delay reduction, the need to educate on greater use of technology by courts as well as in delivering judicial education, close coordination with the E-Committee will be required. The E-Committee | Satisfactory progress. |

| S.no. | NJES GOAL/OBJECTIVE | PROGRESS |
|---|---|---|
| | may provide guidance on matters relating to the use of technology in courts also to ensure that judicial education remains fully consistent with the technological solutions coming from the E-Committee. | |
| 19. | **Mechanism for Better Targeting of Judicial Education:** NJA will develop for consideration of State High Courts and the Supreme Court a suggested mechanism to ensure that judicial education (including selection of trainees) is appropriately matched to judges' needs in terms of their responsibilities. | Not yet done |
| 20. | **Resources Materials** | Quality significantly improved; dissemination also improved. |
| 21. | **Faculty** | New positions created; New organizational structure approved by GC, pending approval by Government; Improvement in faculty quality; entirely new team assembled; Several attempts at new recruitment made; faculty still substantially inadequate in terms of number |

The goals and targets of NJES remain relevant. Overall there has been satisfactory progress in implementing NJES. In the last three years since the adoption of NJES a number of important new ideas and programmes have developed at NJA. There are a number of areas in which implementation needs to be further strengthened. The main areas include the following:

(1) Publications:
   i. Journal (new Indian Journal of Justice Studies established; first issue currently under print;
   ii. Bulletin disseminating main findings and recommendations of individual programmes
   iii. Research findings

(2) Development of Model Content and Methodology of Judicial Education Programmes reflecting new/original thinking emerging at NJA (discussed above); strengthening and clarifying core focus and philosophy of judicial education;

(3) Recommendations and Discussion papers for Policy Development to Strengthen the Judicial System (including Planning and Management for Timely Justice)
(4) Dissemination of Advanced Knowledge on Key/Selected Areas of Law with focus on Supreme Court jurisprudence
(5) Research into the Judicial System and Development of Judicial Statistics
(6) Strengthening Academic and Administrative staff capacity as well as internal policies and procedures
(7) Completing needed additions of infrastructure.
(8) Increasing interaction with other stakeholders in the judicial system
(9) Increasing international collaboration.

**Separate Audit Report of The Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Judicial Academy, Bhopal for the Year ended 31st March 2010.**

We have audited the attached Balance Sheet of National Judicial Academy, Bhopal (Academy) as at 31st March 2010 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 20 ( I) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Power & Conditions of Service) Act, 1971. The Audit has been entrusted for the period upto 2012 -2013. These financial statements are the responsibility of the Academy. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, rule's & regulations (Propriety and Regularity) and efficiency - cum-performance, aspects etc. if any, are reported through Inspection Reports/CAG' s Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements . An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating of the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:
   (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit,
   (ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government India.
   (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Academy in so far as it appears from our examination of such books.
   (iv) We further report that. -

**A. Balance Sheet**

**1. Assets**

**1.1 Non-reconciliation of Figures of Schedule-4 and Fixed Assets Register as on 31st March 2010**

On scrutiny of the figures of Fixed Assets as per schedule-4 forming part of balance sheet as on 31st March 2010 and figures of Fixed Register revealed difference in figures as per details given below :-

(Amount in ₹)

| Sl. No. | Name of Assets | Amount shown in schedule-4 of fixed asset | Amount as per Fixed Asset Register | Difference (-) less (+)'excess |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Furniture & fixtures (others) | 93,95,022 | 95,02,5 16 | (-) 1,07 ,494 |
| 2. | Audio Visual System | 60,51,137 | 59,02, 189 | (+) 1,48 ,948 |
| 3. | Interior Work of Auditorium | 71, 18 ,473 | 71,66 ,673 | (-) 48,200 |
| 4. | Water Supply System | 92,22,907 | | (+) 92,22,907 |
| 5. | Buildings | 54,23,63 ,815 | 49,226 | (+) 54,23, 14,589 |
| | **Total** | **574151354** | **22620604** | **(-)155694 (+)551686444 (+)551530750** |

The difference in figures need to be reconciled.

**B. Grant-in-Aid**

The Academy had unspent Grant (Non-Plan) of ₹ 2.40 crore of previous year. The Academy received ₹ 6.70 crore as Grant-in-Aid (Non Plan) during the current year. Thus a total of ₹ 9.10 crore of Grant was available with the Academy, out of which ₹ 7.20 crore has been utilized, leaving a balance of ₹ 1.90 crore as unutilized grant as on 31st March 2010.

**C. Management Letter**

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the NJA, Bhopal through a management letter issued seperately for remedial /corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Polices and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Judicial Academy, Bhopal as at 31st March 2010 and

b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

**For and on behalf of the C&AG of India**

**Sd/-**
**Principal Accountant General (C&CA)**
**M.P. Gwalior**

**Place :- Gwalior**
**Date :- 14.02.2011**

## ANNEXURE

**(1) Adequacy of Internal Control System**

The Academy has not yet framed the Rules and Regulations (Service Rules,Finance Rules and Purchase Rules) for management and administration of the Academy as required under its Memorandum of Association which led to inadequate Internal Control System .

**(2) Adequacy of Internal Audit System**

Internal audit of the Academy is being conducted by office of the Chief Controller of Accounts, Ministry of Law, Justice & Corporate Affairs, New Delhi. However, there is no procedure of concurrent audit of transactions, detect errors and omissions in day to day conduct of its affairs.

**(3) System of Physical Verification of Assets**

Physical verification of assets for the year 2009-10 has been conducted and the reports mentioned in the concerned register itself.

**(4) System of Physical Verification of Inventories**

Physical verification of inventories has been conducted during the year.

**(5) Payment of Statutory Dues**

No irregularity was noticed in the payment of Statutory Dues.

**Sd/-**
**Audit Officer/SAR**

# NATIONAL JUDICIAL ACADEMY
## Reply to Audit Observations

<table>
<tr><th>Audit Para No.</th><th>Audit Observation</th><th>Reply to Audit Observation</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Assets</td><td></td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Non-reconciliation of Figures of Schedule - 4 and Fixed Assets Register as on 31st March 2010.<br><br>On scrutiny of the Fixed Assets as per schedule-4 forming part of balance sheet as on 31st March 2010 and figures of Fixed Register revealed difference in figures as per details given below:<br><br>
<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Name of Assets</th><th>Amount shown in schedule - 4 of fixed asset</th><th>Amount as per fixed Asset Register</th><th>Difference (-) less (+) excess</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Furniture & Fixtures (Others)</td><td>9389022</td><td>9502516</td><td>(-)107494</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Audio Visual System</td><td>6051137</td><td>5902189</td><td>(+)148948</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Interior Work of Auditorium</td><td>7118473</td><td>7166673</td><td>(-) 48200</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Water Supply System</td><td>9222907</td><td>-</td><td>(+) 9222907</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Buildings</td><td>542363815</td><td>49226</td><td>(+)542314589</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>574151354</td><td>22620604</td><td>(-) 155694<br>(+)551686444</td></tr>
</table>
551530750<br><br>The differences in figures need to be reconciled.</td><td>1) Furniture and Fixture (Others):<br><br>A difference of ₹ 1,07,494/- has been shown under the head Furniture and Fixture.<br><br>The following explains the position:<br><br>a) ₹ 20,500/- was paid towards purchase of water purifier during the year 2007-08 and the same was capitalized under the head capital work in progress. During the year 2008-09, ₹ 20,500/- was deducted from capital work in progress and considered as addition in furniture and fixture in schedule-4 of fixed assets. Accordingly, additions have been made in the fixed assets register.<br>b) 16 No. of conference tables were purchased from M/s Rickshon Furniture World, Bhopal vide bill no. 69 dated 15.3.2007 amounting to ₹ 1,44,000/- (cost of tables ₹1,28,000/- + VAT 16,000/-) and the same is entered in fixed assets register (Plan). Inadvertently, entry of 16 No. conference tables were also entered in Fixed Assets Register (Non-Plan) amounting to ₹ 1,28,000/-against above</td></tr>
</table>

| Audit Para No. | Audit Observation | Reply to Audit Observation |
|---|---|---|
| A. | Balance Sheet | |
| | | stated bill no. 69 dated 15.03.2007. Necessary corrections have been made in the Fixed Assets Register.<br><br>The net value of (a) and (b) is<br>₹ 1,28,000 - 20,500 = ₹ 1,07,500/-<br><br>Thus amount shown in Schedule-IV under the head Furniture and Fixture is correct.<br><br>**2) Audio Visual System**<br><br>A difference of ₹ 1,48,948/- has been shown under the head Audio visual system. The amount of ₹ 1,48,948 was paid during the year 2007-08 to M/s Lal Ion Exchange Chemicals (P) Ltd., Bhopal towards strengthening of existing water treatment plant. Therefore necessary adjustments in Schedule-4 of fixed assets will be made in current year i.e. 2011-12.<br><br>**3) Interior Work of Auditorium**<br><br>A difference of ₹ 48,200/- is shown under interior work of Auditorium. This amount has been deducted from the bill of the contractor on account of non-execution of scotch guard treatment. Therefore net amount ₹ 71,18,873/- in Schedule-IV of the Fixed Assets under |

| Audit Para No. | Audit Observation | Reply to Audit Observation |
|---|---|---|
| | | interior work of Auditorium is shown. But entry in the Fixed Assets Register was made for ₹ 71,67,073/-Therefore, necessary corrections have been made in the Fixed Assets Register of the Academy.<br><br>**4) Water Supply System**<br>Necessary entries have been made in the Fixed Assets Register.<br><br>**5) Building**<br>Necessary entries have been made in the Fixed Assets Register. |
| | **Grant-in-Aid** | |
| **B.** | The Academy had unspent Grant (Non-Plan) of ₹ 2.40 crores of previous year. The Academy received ₹ 6.70 crores as Grant-in-Aid (Non-Plan) during the current year. Thus, a total of ₹ 9.10 crores of Grant was available with the Academy, out of which Rs. 7.20 crores has been utilized, leaving a balance of ₹ 1.90 crores unutilized Grant as on 31st March, 2010. | Factual Position |

| Annexure to Audit Report | | |
|---|---|---|
| 1 | **Adequacy of Internal Control System**<br>The Academy has not yet framed the Rules and Regulations (Service Rules, Finance Rules and Purchase Rules) for management and administration of the Academy as required under its Memorandum of Association which led to inadequate internal control system. | The Academy scrupulously follows General Financial Rules (GFR) - 2005 as applicable in respect of day-to-day affairs of the Academy. Service conditions of the contract staff are regulated according to the contract (as approved by the Governing Council) executed with the staff. The terms and conditions of the staff posted on deputation are regulated according to usual terms and conditions of foreign service as per Fundamental Rules and Supplementary Rules (FRSR) applicable to the staff posted on deputation in the Government of India.<br>Financial Advisor position remained unfilled in spite of various attempts to recruit. Post of Registrar (Administration) is being converted to a position for a professional administrator. Till these post are filled, it may be appropriate for the Academy to follow Central Govt. Rules wherever possible rather than adopt and manage its own rules. This may be reviewed in future based on need for Harmonization. |
| 2 | **Adequacy of Internal Audit System**<br>Internal Audit of the Academy is being conducted by office of the Chief Controller of Accounts, Ministry of Law, Justice & Corporate Affairs, New Delhi. However, there is no procedure of concurrent audit of transactions, to detect errors and omissions in day to day conduct of its affairs. | **Internal and regularized system:**<br>Internal checking System of the bills has been developed by the Academy. The following procedure is laid down by the Academy in respect of submission of bills before the competent authority to obtain sanction for payment:-<br>**Stage-I**<br>Bills submitted by the concerned section to the account section after checking of bills and verification of amount for payment as per contract executed with the contractor and work order/purchase order issued by the Academy. |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Stage-II**<br>Accounts Department further re-checks the bills according to contract executed with the contractor, work order/purchase orders issued by the Academy. Thereafter, the Accounts department submits a note for obtaining financial sanction of the competent authority. |
| 3 | **System of Physical Verification of Assets**<br>Physical verification of assets for the year 2009-10 has been conducted and the reports mentioned in the concerned register itself. | Factual Position |
| 4 | **System of Physical Verification of Inventories**<br>Physical verification of inventories has been conducted during the year. | Factual Position |
| 5 | **Payment of Statutory dues**<br>No irregularity was noticed in the payment of statutory dues. | Factual Position |

# NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

## Balance Sheet

### as on 31st March, 2010

(Amount in ₹)

| Particulars | Schedule | Current Year 2009-2010 | Previous Year 2008-2009 |
|---|---|---|---|
| **CAPITAL FUND AND LIABILITIES** | | | |
| CAPITAL FUND | 1 | 7 49 91 973.29 | 6 82 83 174.36 |
| EARMARKED FUND | 2 | 7 33 78 042.00 | 7 80 86 890.00 |
| CURRENT LIABILITIES & PROVISION | 3 | 1 20 26 562.00 | 75 86 176.00 |
| **Total** | | **16 03 96 577.29** | **15 39 56 240.36** |
| **ASSETS** | | | |
| FIXED ASSETS | 4 | | |
| (a) Created out of Government Grant ( At Nominal Cost) | | 1 800.00 | 1 700.00 |
| (b) Other Fixed Assets ( At Written Down Value) | | 961 604.00 | 10 96 253.00 |
| CURRENT ASSETS ADVANCES AND DEPOSITS | 5 | 15 94 33 173.29 | 15 28 58 287.36 |
| **Total** | | **16 03 96 577.29** | **15 39 56 240.36** |
| Significant Accounting Policies and Notes | 9 | | |

**Sd/-**
**(Avinash Choudhary)**
**Chief Accounts Officer**

**Sd/-**
**(Prof. G. Mohan Gopal)**
**Director**

# NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

## Income and Expenditure Account
## (for the year ended on 31st March, 2010)

(Amount in ₹)

| Particulars | Schedule | Current Year 2009-2010 | Previous Year 2008-2009 |
|---|---|---|---|
| **A. Income** | | | |
| Non-Plan Revenue Grant in Aid | | 6 70 00 000.00 | 8 91 00 000.00 |
| Interest earned on Bank Deposits & FDRs | 6 | 32 55 492.32 | 39 47 834.05 |
| Lodging & Boarding charges | | 59 55 820.00 | 44 49 120.00 |
| Registration fees | | 12 57 000.00 | 17 79 000.00 |
| Sale of NJA Publication and Tie | | 38 421.00 | 32 385.00 |
| Electricity,Water and Cable charges received | | 1 70 812.00 | 55 942.80 |
| Tender Fees | | 1 53 750.00 | 69 000.00 |
| Miscellaneous Income | | 1 33 844.40 | 1 38 834.00 |
| CAT-academic Programme | | 2 94 242.00 | NIL |
| **Total-A** | | **7 82 59 381.72** | **9 95 72 115.85** |
| **Expenditure** | | | |
| Establishment Expenses | 7 | 2 51 38 200.00 | 1 66 88 199.00 |
| Other Administrative Expenses | 8 | 4 56 43 704.94 | 4 77 19 997.15 |
| Depreciation | 4 | 1 34 649.00 | 1 55 579.23 |
| **Total-B** | | **7 09 16 553.94** | **6 45 63 775.38** |
| **A-B** | | 73 42 827.78 | 3 50 08 340.47 |
| Less : Prior Period Expenses | | 6 28 809.85 | 3 29 202.00 |
| (Add)/Less: Prior Period Adjustment | | 5 219.00 | 17 45 177.75 |
| **Balance being excess of Income over Expenditure (excess of Expenditure over Income) transferred to Capital Fund.** | | **67 08 798.93** | **3 64 24 316.22** |
| Significant Accounting Policies and Notes | 9 | | |

**Sd/-**
**(Avinash Choudhary)**
**Chief Accounts Officer**

**Sd/-**
**(Prof. G. Mohan Gopal)**
**Director**

# NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

## Receipts & Payments Account

## (for the year ended on 31st March, 2010)

| Receipts | (Amount in ₹) | | Payments | ((Amount in ₹)) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Particulars | Current Year 2009-10 | Previous Year 2008-2009 | Particulars | Current Year 2009-10 | Previous Year 2008-2009 |
| To Opening Balances | | | By Recurring Expenses | | |
| a) Cash-in-hand | 565.00 | NIL | a) Establishment expenses | 24541314.00 | 15091305.00 |
| b) Cash-at -bank : | | | b) Administrative Expenses | 42152652.49 | 48725082.00 |
| I) In Savings Deposits | 3544402.59 | 5712782.79 | | | |
| II) In Current Deposit | 1122965.00 | | | | |
| II) In Fixed Deposits | 112500000.00 | 95000000.00 | By Expenditure on Fixed Assets: | | |
| C)NJA New Pension Scheme | 58010.00 | | | | |
| C) Fund in Transit | 27800000.00 | | | | |
| To Non Plan Revenue Grant in Aid recieved From Govt. of India | 67000000.00 | 89100000.00 | a) Purchase of Fixed Assets | 1781695.00 | 583016.00 |
| | | | b) Library Books | 3472893.00 | 76366.00 |
| To Interest received on | | | | | |
| a) Savings Deposits with Bank | 617875.00 | 432452.00 | By Security deposit | 12500.00 | NIL |
| b) Fixed Deposits with bank | 3591281.00 | 12651699.00 | By Income Tax ( TDS ) deposited | 2472361.00 | 1303995.00 |
| c) Security Deposit with MPSEB | 104444.49 | 24781.00 | By Commercial Tax/VAT deposited | 804325.00 | 192030.00 |
| d) Interest on NJA new pension scheme | 2690.00 | | By Professional Tax | 125116.00 | 54912.00 |
| To Registration fees | 1238000.00 | 1439000.00 | By Deductions Paid to Others | 867228.00 | 401856.00 |
| To Rent & Electricity charges recovered | 49118.20 | 55942.80 | By Bank Charges | NIL | 31394.00 |
| To Bank Charges returned by the Bank | 16267.00 | | | | |
| To Miscellaneous Income | 7946.20 | 138834.00 | By Staff Welfare | 45198.00 | 25715.00 |
| To Lodging & Boarding Charges | 5883520.00 | 4042920.00 | By Audit Fee | 29891.00 | NIL |
| To Sale of NJA Publication & Tie | 38421.00 | 32385.00 | | 0.00 | NIL |
| To Tender Fees | 153750.00 | 69000.00 | By FDRs | 112131000.00 | NIL |
| To CAT- Academic Programme | 294242.00 | | By Prior Period Expenses | 13260.00 | 43534.00 |
| To Sundry Receivable (High Courts) | 101100.00 | | By Subscription Library | 494378.00 | 484350.00 |
| To Sundry Receipts | 92940.00 | | By Prepaid Expenses | 597764.00 | 709259.00 |
| To Kothari Photostate & Typing Centre | 1292571.56 | | By Retention Money Refund | 46282.00 | 117544.00 |
| To Security Deposit Forfieted | 23514.00 | | | | |
| To FDRs | 115940666.00 | | By Tax Deducted at source | 9322.00 | 261426.00 |
| To Recoveries/ Adjustment / Deductions | | | By Advances to staff | 47000.00 | 217774.00 |
| a) TDS on Salary | 1451830.00 | 1436948.00 | By Closing Balance | | |
| b) TDS on contractors/Others | 465968.00 | 518205.00 | a) Cash in Hand | 0.00 | 565.00 |
| c) Commercial Tax/ VAT Deducted | 762853.00 | 341887.00 | b) Cash at Bank : | | |
| d) Salary Deductions of Deputation Employees | 809880.00 | 562177.00 | I) In Savings Deposit | 50516356.55 | 3544402.59 |
| f) Advance to staff recovered | 582.00 | 51073.00 | II) In Current Deposit | 393625.00 | 1122965.00 |
| g) Withheld money | 585500.00 | 43332.00 | III) In Fixed Deposits | 105761000.00 | 112500000.00 |
| h) Karnataka Judicial Academy/KJA High Court Programme | 54094.00 | 197611.00 | IV)In NJA New Pension Scheme | 96658.00 | |
| i) Stale Cheques A/c | 70681.00 | 106595.00 | c) Fund in Transit | NIL | 27800000.00 |
| j) Retention Money | 578195.00 | 873579.00 | | | |
| k) Regional Programme | NIL | 401075.00 | | | |
| l) Deduction from Salary(NJA New Pension Scheme) | 35958.00 | NIL | | | |
| m) Professional Tax | 121989.00 | 55212.00 | | | |
| n) High Courts | | | | | |
| **Total** | **346411819.04** | **213287490.59** | **Total** | **346411819.04** | **213287490.59** |

Sd/-
(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

Sd/-
(Prof. G. Mohan Gopal)
Director

# NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

Schedule forming part of balance sheet as on 31st March, 2010

## Schedule-1

## Capital Fund

(Amount in ₹)

| Particulars | Current Year 2009-10 | Previous Year 2008-09 |
|---|---|---|
| At the beginning of the year | 68283174.36 | 31858858.14 |
| Add / (Less) : Surplus/ (Deficit) during the year as per Income and Expenditure Account. | 6708798.93 | 36424316.22 |
| **Balance at the year end** | **74991973.29** | **68283174.36** |

## Schedule-2
## Earmarked Fund

(Amount in ₹)

| Particulars | Current Year 2009-10 | Previous Year 2008-09 |
|---|---|---|
| a) Opening balance of the fund for construction and other activities | 7 80 86 890.00 | 7 18 51 576.00 |
| Add : Interest on FDR | 28 97 177.00 | 76 74 567.00 |
| **Total (A)** | **8 09 84 067.00** | **7 95 26 143.00** |
| Less : ( I ) Building<br>( II ) Library Books<br>( III ) Other Assets | 49 226.00<br>53 93 322.00<br>21 63 477.00 | NIL<br>76 266.00<br>13 62 987.00 |
| **Total (B)** | **76 06 025.00** | **14 39 253.00** |
| **Balance Grant carried forward to next year (A-B)** | **7 33 78 042.00** | **7 80 86 890.00** |

Sd/-
**(Avinash Choudhary)**
**Chief Accounts Officer**

Sd/-
**(Prof. G. Mohan Gopal)**
**Director**

# NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

**Schedule forming part of balance sheet as on 31st March, 2010**

## Schedule-3

## Current Liabilities and Provisions

(Amount in ₹)

| Particulars | Current Year 2009-10 | Previous Year 2008-09 |
|---|---|---|
| **(A) Current Liabilities** | | |
| Sundry Creditors | 2918863.00 | 3051081.00 |
| **1. Salary Deductions** | | |
| GPF/CPF/NPS | 76593.00 | 120618.00 |
| GPF/HB Advance | 1000.00 | 5185.00 |
| Liscence Fees | 0.00 | 22145.00 |
| Professional Tax | NIL | 3127.00 |
| SLI | 600.00 | |
| SGE/GIS | 2860.00 | 3400.00 |
| Staff Welfare Fund | 30.00 | 75.00 |
| TDS ON SALARY | NIL | 519010.00 |
| Tier - I Employees Contribution | 886.00 | 771.00 |
| CMTD Railway | 1000.00 | 5000.00 |
| **2. Other Liabilities** | | |
| Audit Fee Payable | 29891.00 | |
| NJA new pension scheme | 96658.00 | 58010.00 |
| Performance Securities | 12600.00 | |
| M/s S.L.Chhajed & Co. | 7575.00 | |
| Honorarium Payable | 23922.00 | |
| Staff Paybles | 9671.00 | 656.00 |
| Stale Cheques Account | 177276.00 | |
| Security Deposits | 750456.00 | 750456.00 |
| Withheld Money | 500.00 | 43332.00 |
| EEL Pune | NIL | 466184.00 |
| **3. Statutory Liabilities** | | |
| PF payble | 123143.00 | 547337.00 |
| VAT | 109456.00 | 149857.00 |
| TDS Payable | 97445.00 | 132148.00 |
| **Total (A)** | **4440425.00** | **5878392.00** |
| **(B) Provisions** | | |
| Salary Payable | 1581384.00 | 1194855.00 |
| Expenses Payable | 6004753.00 | 512929.00 |
| **Total (B)** | **7586137.00** | **1707784.00** |
| **Total (A+B)** | **12026562.00** | **7586176.00** |

**Sd/-**
**(Avinash Choudhary)**
**Chief Accounts Officer**

**Sd/-**
**(Prof. G. Mohan Gopal)**
**Director**

# NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

Schedule forming part of balance sheet as on 31st March, 2010

## Schedule-4

## Fixed Assets

### Acquired/ Created out of Capital Grant

| Sl. No. | Description | Rate of Depreciation (%) | Gross Block | | | | | | Deduction from Grants | | | Book Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cost as at the beginning of the year | Additions during the year before 30.09.2009 | Additions during the year after 30.09.2010 | Adjustments During the Year | | Cost at the year end | As at the beginning of the year | During of the Year | As at the year end | Nominal Cost at the end of current Year | Nominal Cost at the end of previous year |
| | | | | | | Addition | Deduction | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 4+5+6+7-8 | 10 | 11 | 12 | 13 =9-12 | 14 |
| A. Fixed Assets | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Building** | | 5423145899.00 | 49226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **5423363515.00** | 5423144899.00 | 49226.00 | 5423363715.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | **Furniture & Fixtures** | | | | | | | | | | | | |
| A. | P.F VIP Guest House | | 5837490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **5837490.00** | 5837390.00 | | 5837390.00 | 100.00 | 100.00 |
| B. | Interior work of Auditorium | | 7118473.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **7118473.00** | 7118373.00 | | 7118373.00 | 100.00 | 100.00 |
| C. | Hostel Furniture | | 23851031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **23851031.00** | 23850931.00 | | 23850931.00 | 100.00 | 100.00 |
| D. | Furniture & Fixtures (Other) | | 9214893.00 | 82769.00 | 97369.00 | 0.00 | 0.00 | **9395022.00** | 9214793.00 | 180129.00 | 9394922.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | **Electrical Installation** | | | | | | | | | | | | |
| A. | Air Conditioning Plant | | 43004017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **43004017.00** | 43003917.00 | | 43003917.00 | 100.00 | 100.00 |
| B. | Audio Visual System | | 6951137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **6951137.00** | 6951037.00 | | 6951037.00 | 100.00 | 100.00 |
| C. | Electric Installations (Other) | | 44632188.00 | 0.00 | 421189.00 | 0.00 | 0.00 | **45053219.00** | 44632088.00 | 421189.00 | 45053119.00 | 100.00 | 100.00 |
| D. | Solar Water Heating System | | 1575135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **1575135.00** | 1575035.00 | | 1575035.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | **Water Supply System** | | 9192497.00 | 30590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **9222987.00** | 9192397.00 | 30908.00 | 9222887.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | **Office Equipment** | | | | | | | | | | | | |
| A. | EPABX | | 2360080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **2360080.00** | 2359980.00 | | 2359980.00 | 100.00 | 100.00 |
| B. | Office Equipment (Other) | | 78927.00 | 76711.00 | 89504.00 | 0.00 | 0.00 | **245252.00** | 78827.00 | 167325.00 | 246152.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | **Computer** | | 15974379.00 | 905515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **16879894.00** | 15974379.00 | 905515.00 | 16879894.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | **TV** | | 0.00 | 449080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **449080.00** | 0.00 | 449080.00 | 449080.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8 | **Kitchen Equipments** | | 6336513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **6336513.00** | 6336513.00 | | 6336513.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | **Gymnasium Equipments** | | 880080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **880080.00** | 879930.00 | | 879930.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | **Vehicle** | | 34362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **34362.00** | 34362.00 | | 34362.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | **Library Books** | | 7909586.00 | 186883.00 | 3286419.00 | 0.00 | 0.00 | **12393678.00** | 7909586.00 | 3283322.00 | 12393678.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | | **7191536371.00** | **1783855.00** | **3923479.00** | **0.00** | **0.00** | **7197623282.00** | **7191534671.00** | **7089025.00** | **7267768782.00** | **1803.00** | **1708.00** |

## Acquired/ Created out of Own Funds

| S. No. | Description | Rate of Depreciation (%) | Gross Block | | | | | | Depreciation | | | | | Net Block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cost as at the beginning of the year | Additions during the year before 30.09.2008 | Additions during the year after 30.09.2008 | Adjustments During the Year | | Cost at the year end | As at the beginning of the year | | For the year on Opening Balance | On Additions during the year | Total up to the year end | As at the current year end | As at the previous year end |
| | | | | | | Additions | Deductions | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 4+5+6+7-8 | 10 | | 11 | 12 | 13=10+11+12 | 14 =9-13 | 15 |
| 1 | Vehicle | 15% | 1211796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1211796.00 | 807695.00 | | 60675.00 | 0.00 | 868370.00 | 343426.00 | 404101.00 |
| 2 | Overhead Projector | 15% | 21883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21883.00 | 12179.00 | | 1457.00 | 0.00 | 13636.00 | 8247.00 | 9716.00 |
| 3 | Photocopier | 15% | 257588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257588.00 | 214269.00 | | 10998.00 | 0.00 | 225267.00 | 32321.00 | 73319.00 |
| 4 | Electric Installation | 10% | 139840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139840.00 | 69083.00 | | 8676.00 | 0.00 | 75759.00 | 64081.00 | 70757.00 |
| 5 | Computer | 60% | 362839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362839.00 | 361243.00 | | 836.00 | 0.00 | 362079.00 | 757.00 | 1393.00 |
| 6 | Furniture & Fixtures | 10% | 758041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758041.00 | 317072.00 | | 54067.00 | 0.00 | 371139.00 | 386902.00 | 440969.00 |
| Total | | | 2777796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2777796.00 | 1881541.00 | | 136649.00 | 0.00 | 1918190.00 | 981606.00 | 1096253.00 |
| GRAND TOTAL | | | 7219934171.00 | 1792660.00 | 5823470.00 | 0.00 | 0.00 | 7229340296.00 | 7208383718.00 | | 150579.22 | 0.00 | 7208576892.00 | 963403.00 | 1097803.00 |

Sd/-
(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

Sd/-
(Prof. G. Mohan Gopal)
Director

# NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

Schedule forming part of balance sheet as on 31st March, 2010

## Schedule-5
## Current Assets, Advances & Deposits

(Amount in ₹)

| Particulars | Current Year 2009-10 | | Previous Year 2008-09 |
|---|---|---|---|
| **(A) Current Assets** | | | |
| **1. Sundry Receivables** | 760871.19 | 760871.19 | 2844251.60 |
| **2. Cash and Bank Balance** | | | |
| **a. Cash in Hand** | NIL | | 565.00 |
| **b.. Balances with Scheduled Bank** | | | |
| in Current Account | 393625.00 | | 1122965.00 |
| in Savings Bank Account | 50516356.55 | | 3544402.59 |
| in Saving Bank Account (NJA New pension scheme) | 96658.00 | | 58010.00 |
| in Fixed Deposit Account | 105761000.00 | | 112500000.00 |
| **c. Fund in Transit** | NIL | 156767639.55 | 27800000.00 |
| **Total (A)** | | **157528510.74** | **147870194.19** |
| **(B) Advances & Deposits** | | | |
| **1. Advances and Deposits** | | | |
| Advances to Staff | 47000.00 | | 2499.00 |
| Advances to State Judicial Academies | 1527.00 | | 637779.00 |
| Security deposit with MPSEB | 46998.55 | | 47300.00 |
| Work Deposits with MPSEB | NilL | | 431108.00 |
| Prepaid Expenses | 597764.00 | | 709259.00 |
| TDS by Bank & MPSEB | 270748.00 | | 261426.00 |
| Deposits with Others | 50300.00 | 1014337.55 | 37800.00 |
| **2. Accrued Income** | | | |
| Accrued Interest on FDR | 890325.00 | 890325.00 | 2860922.17 |
| **Total (B)** | | **1904662.55** | **4988093.17** |
| **Total (A+B)** | | **159433173.29** | **152858287.36** |

Sd/-
(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

Sd/-
(Prof. G. Mohan Gopal)
Director

# NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

**Schedule forming part of balance sheet as on 31st March, 2010**

## Schedule-6

## Interest Earned

(Amount in ₹)

| Particulars | Current Year 2009-10 | Previous Year 2008-09 |
|---|---|---|
| On term deposit with scheduled bank | 5430349.83 | 11077456.05 |
| Less : Interest charge to Earmarked Fund. | (2897177.00) | (7674567.00) |
| On security deposit with MPSEB | 104444.49 | 112493.00 |
| On savings deposit with scheduled bank | 617875.00 | 432452.00 |
| **Grand Total** | **3255492.32** | **3947834.05** |

## Schedule-7

## Establishment Expenses

(Amount in ₹)

| Particulars | Current Year 2009-10 | Previous Year 2008-09 |
|---|---|---|
| Arrear - VIth Pay | 1769336.00 | 2203870.00 |
| Honorarium | 815500.00 | 883878.00 |
| Leave Salary & Pension Contribution | 35361.00 | 256306.00 |
| L.T.C. EXPENSES | 29942.00 | 14362.00 |
| New Pension Scheme NJA Contribution | 16843.00 | 8919.00 |
| P F Contribution of NJA staff | 2687874.00 | 837736.00 |
| Ad-hoc Bonus | 146220.00 | |
| Salary Wages | 19538676.00 | 12420054.00 |
| Staff Welfare (NJA) | 45198.00 | 29299.00 |
| Tuition Fees | 53250.00 | 33775.00 |
| **Grand Total** | **25138200.00** | **16688199.00** |

**Sd/-**
**(Avinash Choudhary)**
**Chief Accounts Officer**

**Sd/-**
**(Prof. G. Mohan Gopal)**
**Director**

# NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

**Schedule forming part of balance sheet as on 31st March, 2010**

## Schedule-8

## Other Administrative Expenses

(Amount in ₹)

| Particulars | Current Year 2009-10 | Previous Year 2008-09 |
|---|---|---|
| Advertisement Expenses | 550558.00 | 790764.00 |
| AMC of Computers/Office Equipment | 127538.00 | 72755.00 |
| Audit Fees | 29891.00 | 29675.00 |
| Bank Charges | 5334.00 | 31394.00 |
| Cable Charges | 180000.00 | 131953.00 |
| Catering Expenses | 4267716.00 | 3774993.00 |
| Repairs & Maintenance(Comp.& Office equip.) | 324982.00 | 110376.00 |
| Professional Charges | 79250.00 | 47400.00 |
| Electrical- Repairs & Maintenance | 127509.00 | 210784.00 |
| Electricity Expenses | 7892814.94 | 7133933.00 |
| Gardening & Landscaping | 2534360.00 | 2610322.00 |
| Gym Instructor Fee | 46800.00 | 24000.00 |
| Hospitality Expenses | NIL | 485944.00 |
| Hostel expenses | 257595.00 | 229953.00 |
| Housekeeping Services | 846125.00 | 811615.00 |
| Laundry Services | 301244.00 | 185840.00 |
| Library Expenses | 1173077.00 | 484350.00 |
| Medical expenses / Services | 1059555.00 | 224774.00 |
| Mementos | 69000.00 | NIL |
| Newspaper & Magzine | 63064.00 | 43434.00 |
| Office Expenses | 58380.00 | 0.00 |
| Other Administrative Expenses | 18184.00 | 31827.00 |
| Other Training Expenses | 24170.00 | 741599.00 |
| Participants Bags | 320300.00 | 343400.00 |
| Photocopy & Binding Expenses | 3041206.00 | 1862088.15 |
| PA & Sound System | 583306.00 | 762040.00 |
| Painting & Finishing Work | NIL | 5046083.00 |
| Postage & Stamps | 289530.00 | 598327.00 |
| Printing and Stationery expenses | 644806.00 | 844905.00 |
| Regional Programmes Expenses | 1539525.00 | 328044.00 |
| Professional Charges | 52575.00 | 35147.00 |
| Repair & Maintenance | 1257855.00 | 556766.00 |
| Round off | 0.00 | -1.00 |
| Security Expenses | 3751788.00 | 3922654.00 |
| Transportation Expenses | 2857264.00 | 1855075.00 |
| Telephone & Internet Expenses | 850700.00 | 561569.00 |
| Traveling Expenses | 8395275.00 | 10264812.00 |
| Photography Expenses | 132453.00 | 278151.00 |
| Vehicle Running & Maintenance | 216704.00 | 260779.00 |
| Water Supply Arrangement | 382966.00 | 575025.00 |
| Yoga Teacher Fee | 115500.00 | 91900.00 |
| Operation, Repair & Maintenance | 1197515.00 | 1349748.00 |
| **Grand Total** | **45643704.94** | **47719997.15** |

Sd/-
(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

Sd/-
(Prof. G. Mohan Gopal)
Director

# NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

**Schedule forming part of balance sheet as on 31st March, 2010**

## Schedule-9

**Significant Accounting Policies and Notes forming part of Balance Sheet and Income & Expenditure Account.**

### ACCOUNTING POLICIES

1. The final accounts have been prepared in the standard formats formulated and prescribed by the Government of India, Ministry of Finance for all Central Autonomous Organizations.
2. The financial statements are prepared on the accrual method of accounting and on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated.
3. **Fixed Assets :**
   - 3.1 Fixed assets acquired/ created out of own fund are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition.
   - 3.2 The cost of Fixed Assets created/ acquired out of Grant is adjusted against the received grant and the assets acquired out of Grants are stated in the Balance Sheet at Nominal Cost.
4. **Depreciation :**
   - 4.1 Depreciation on assets created out of own fund has been provided on written down value method as per rates specified in the Income Tax Act 1961.
   - 4.2 No depreciation is being provided on assets created/ acquired out of capital grant and carried in the balance sheet at Nominal cost.
   - 4.3 Assets costing ₹ 5000/- or less each are fully provided.
5. **Government Grants :**
   - 5.1 The Capital Grants received for creation/acquisition of Specific Assets is reduced, by the cost of created/ acquired Assets. And the asset so acquired is stated at Nominal Cost.
6. **Interest :**

   The interest earned on Capital Grants are recognized as Capital receipts and are credited to the capital grant account .The Interest earned on all other grants inclusive the revenue grant is recognized as the society's income at the time of accrual.

### NOTES ON ACCOUNTS :

1. The Capital Grants received for creation/acquisition of Specific Assets is adjusted, to the extent used/ applied, from the cost of created / acquired Assets. The unutilized Capital Grant is carried. As per the consistent Accounting policy, no separate Capital reserve is created in respect of and to the extent of capital grant so utilized, nor any depreciation provided on such assets. The aggregate cost of assets so created/ acquired upto 31.03.10 was as under :

| Particulars | As on 31.03.2010 | As on 31.03.2009 |
|---|---|---|
| (I) Building | 542363815.00 | 542314589.00 |
| (II) Library Books | 12393978.00 | 7000656.00 |
| (III) Furniture & Fixture | 43201976.00 | 43021847.00 |
| (IV) Computer | 16879994.00 | 15974479.00 |
| (V) Electrical Installation | 92693505.00 | 92262397.00 |
| (VI) Water Supply System | 9222907.00 | 9192407.00 |
| (VII) Office Equipment | 2306252.00 | 2138927.00 |
| (VIII) Kitchen Equipment | 6336613.00 | 6336613.00 |
| (IX) Gymnasium Equipment | 880000.00 | 880000.00 |
| (X) TV | 449000.00 | |
| (XI) Vehicle | 34462.00 | 34462.00 |
| **TOTAL** | **726762502.00** | **719156377.00** |

2 **Interest earned on FDR**

Interest earned on FDR's ₹ 54,30,349.83 is allocated between interest earned on capital fund and earmarked fund on the basis of opening balances of these fund.

| Particulars | Amount ( ₹ ) |
|---|---|
| (i) Interest charged to earmarked fund account | 2897177.00 |
| (ii) Interest charged to Income & Expenditure A/c | 2533172.83 |
| **Total ( ₹)** | **5430349.83** |

3 Prior Period Expenses include 'Regional Conference expenses at Bangalore' amounting to ₹ 2,96,431/- pertaining to 2006-07and adjusted during the year .

4 Regional Programme expenses includes ₹ 2,85,727/-pertaining to 2006-07 and adjusted during the year.

5 Sundry Receivable includes ₹ 26,198.19 receivable from M/s Kothari Photostate & Typing Center, Bhopal.

6 The total no. of contractual staff working with NJA on 31st March,2010 was 67 and 01 temporary employee. Out of which 07 staff members have completed services of 5 years and covered under the purview of the payment of Gratuity Act 1972. No provision has been made during the year on account of Gratuity. The Academy will make necessary provisions from the ensuing year.

7 Previous years figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to make them comparable.

**Sd/-**
**(Avinash Choudhary)**
**Chief Accounts Officer**

**Sd/-**
**(Prof. G. Mohan Gopal)**
**Director**

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY
धर्मेण धार्यते लोकः

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY
धर्मेण धार्यते लोकः




# राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

## वार्षिक प्रतिवेदन

## 2009-2010

Annual Report
वार्षिक प्रतिवेदन
2009-2010

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY
धर्मेण धार्यते लोकः

# राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी–एक परिचय

1993 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट – 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्व समिति के तौर पर स्थापित, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का मुख्य उद्देश्य न्यायिक शिक्षा, शोध और योजनागत विकास के द्वारा न्यायिक प्रशासन को मजबूत बनाना है।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के पाँच प्रमुख दायित्व जो समय – समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे करने का प्रयास किया गया, इसप्रकार है –

1. न्यायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना – न्यायाधीशों, न्यायालीन कर्मचारियों और न्यायिक प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण हितधारकों को न्यायिक प्रशासन की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप न्यायिक शिक्षा आर प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. अध्ययन एवं शोध करना – न्याय के प्रशासन और न्यायालय प्रबंधन के क्षेत्र में अध्ययन एवं शोध करना, और इसमें सुधार हेतु सुझाव देना।
3. न्यायिक प्रशासन और न्यायालीन प्रबंधन संबंधी ज्ञान की उत्पति एवं संवितरण।
4. न्यायिक अधिकारियों और न्यायालीन कर्मचारियों में उच्च श्रेणी के व्यावसासिक गुण और आदर्तें विकसित करना।
5. न्यायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और न्यायिक विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को विश्वस्तरीय उत्कृष्ट केन्द्र बनाना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने और उन्हें पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की अकादमिक परिषद ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश (राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष) की अध्यक्षता में, अक्टूबर 2006 में राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति को अंगीकृत किया। यह रणनीति सितंबर 2006 में आयोजित उच्च–न्यायालयों के न्यायिक शिक्षा प्रभारी न्यायाधीशों की एक बैठक में विकसित की गई थी।

राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति ने पहली बार, राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा की स्पष्ट रूपरेखा स्थापित की। इस रणनीति ने राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा का उद्देश्य, न्याय में हो रही देरी और अवरोधों को कम कर, समयबद्ध न्याय को बढ़ाने और न्याय की गुणवत्ता एवं जवाबदेही को बढ़ाना बताया। रणनीति का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा का स्तर बढ़ाना जिससे हर न्यायाधीश को राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर एक वर्ष में कम से कम एक सप्ताह न्यायिक शिक्षा में भाग लेने का मौका मिल सके। इस रणनीति के अन्तर्गत पहली बार राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा का कलेण्डर तैयार किया गया, जिसका आधार देश भर के न्यायिक अधिकारियों के बीच उनकी न्यायिक शिक्षा की जरूरतों पर उच्च न्यायालयों द्वारा कराये गए सर्वेक्षण का व्यवस्थित न्यायिक शिक्षा अवाश्यकता मूल्यांकन था।

राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति को अंगीकृत करने के बाद से ही, इसके अनुरूप गतिविधयों का आयोजन राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कर रही है। राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति की उपलब्धियाँ और प्रगति 2009–2010 में अकादमिक परिषद के सम्मुख प्रस्तुत की गई, जहाँ उन्हे सराहा गया। राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति की प्रगति के नवीनतम संस्करण की एक प्रति आगे के पृष्ठों में विस्तार से दी गई है। यह राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के रणनीतिक और कार्यात्मक रूपरेखा का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

त्वरित संदर्भ के लिए राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति का सार:

# राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा : रणनीतियाँ(जुलाई -2010)

**संक्षेप**

I **प्रस्तावना :-** न्यायिक शिक्षा समय पर न्याय को बढाती है। यह देरी और बकाया कमी तथा जवाबदेही बढाने में मदद करती है। न्याय का अर्थ, संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप आचरण है।

II. **ध्येय :-** न्यायिक अकादमियों का मुख्य ध्येय न्यायिक शिक्षा शोध तथा नीति विकास के माध्यम से न्यायिक प्रणाली की उत्कृष्टता बढ़ाना है ताकि समय पर न्याय उपलब्ध करवाया जा सके।
117 वे विधि आयोग के अनुसार न्यायिक अकादमियों को -
अ) न्यायाधीशों को उपकरण निष्पादन हेतु तैयार करना
ब) जिस व्यवस्था में वे काम कर रहे है, उन्हें उसके आदर्शो के अनुरूप ढ़ालना।

न्यायपालिका में बदलती संवैधानिक भूमिका, न्यायिक शिक्षा संवैधानिक मूल्यों में बढोत्तरी को महत्व देती है।

**III. रणनीति :-**

अ) छः प्रमुख मुद्दों पर राष्ट्रीय दृष्टि का प्रसार
1. न्यायिक प्रणाली की अपेक्षाए
2. ROKMMA रूपरेखा के अनुरूप "न्यायिक प्रणाली की उत्कृष्टता"
3. न्याय की संवैधानिक दृष्टि
4. न्यायालयो के "सामाजिक प्रभाव" को मापने के लिये एक रूपरेखा
5. गुणवत्ता ढांचा
6. निगरानी संकेतक

ब) शैक्षणिक कार्यक्रमो को तीन प्रकार से व्यवस्था किया गया था

1. न्यायाधीशो के गुण,दृष्टिकोण, ज्ञान को मजबूत बनाने हेतु
2. न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिये
3. न्यायिक प्रणाली के सामाजिक प्रभाव को बढाने,राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के प्राथमिकता वाले क्षेत्रो पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये।

**IV. प्रभाव मूल्यांकन :-**

NJA के कार्यक्रमो को तीन प्रकार से मापा जा सकता है:-
1. समयबद्धता को बढाना
2. अधिनिर्णयन की गुणवत्ता बढाना
3. संस्थागत न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिये परिवर्तन

## राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष

(भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश अकादमी के पदेन अध्यक्ष)

(गठन से)

**माननीय न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन अकादमी के अध्यक्ष पद पर पदस्थ है।**

अब तक के माननीय अध्यक्षों की सूची निम्नानुसार है :

(31 मार्च 2010 तक)

| क्र. | माननीय अध्यक्षों के नाम | दिनांक से | दिनांक तक |
|---|---|---|---|
| 1. | माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.एन. वैंकटचल्लैया | 17.08.1993 | 24.10.1994 |
| 2. | माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. एम अहमदी | 25.10.1994 | 24.03.1997 |
| 3. | माननीय न्यायमूर्ति श्री जे.एस.वर्मा | 25.03.1997 | 17.01.1998 |
| 4. | माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.एम. पुंछी | 18.01.1998 | 09.10.1998 |
| 5. | माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.एस आनंद | 10.10.1998 | 31.10.2001 |
| 6. | माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी.भरूचा | 01.11.2001 | 05.05.2002 |
| 7. | माननीय न्यायमूर्ति श्री बी.एन.किरपाल | 06.05.2002 | 07.11.2002 |
| 8. | माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.बी. पटनायक | 08.11.2002 | 18.12.2002 |
| 9. | माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.एन. खरे | 19.12.2002 | 01.05.2004 |
| 10. | माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. राजेन्द्र बाबू | 02.05.2004 | 31.05.2004 |
| 11. | माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.सी.लाहोटी | 01.06.2004 | 31.10.2005 |
| 12. | माननीय न्यायमूर्ति श्री वाय. के. सभरवाल | 01.11.2005 | 13.01.2007 |
| 13. | माननीय न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालकृष्णन | 14.01.2007 | वर्तमान तक |

## राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक

(31 मार्च 2010 तक)

| क्र. | नाम | दिनांक से | दिनांक तक |
|---|---|---|---|
| 1. | माननीय न्यायमूर्ति श्री के.एन. सैकिया | 01.05.1995 | 30.04.1997 |
| 2. | प्रो. (डॉ.) एन. आर. माधव मेनन | 30.09.2003 | 24.04.2006 |
| 3. | प्रो. (डॉ.) जी. मोहन गोपाल | 13.07.2006 | वर्तमान तक |

## राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के रजिस्ट्रार

(31 मार्च 2010 तक)

| क्र. | नाम | दिनांक से | दिनांक तक |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री एच. आई. हुसैन | 08.04.2000 | 21.04.2001 |
| 2. | श्री आर. सी. मिश्रा | 25.09.2001 | 24.09.2004 |
| 3. | श्री जगदीश बहेती | 17.02.2005 | 30.06.2007 |
| 4. | श्री ए.एम. सक्सेना | 01.07.2007 | 30.03.2010 |
| 5. | श्री एस.पी. श्रीवास्तव | 22.01.2009 | वर्तमान तक |

## राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के सदस्य सचिव

(गठन से)

(31 मार्च 2010 तक)

| क्र. | नाम | दिनांक से | दिनांक तक |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री एमएसए सिद्दकी | 17.08.1993 | 26.09.1994 |
| 2. | श्री चंद्रेश भूषण | 27.09.1994 | 27.04.1998 |
| 3. | श्री भंवर सिंह | 27.04.1998 | 26.03.1999 |
| 4. | श्री लालचंद भाडू | 27.03.1999 | 19.01.2003 |
| 5. | श्री जे.सी.एस. रावत | 20.01.2003 | 28.06.2004 |
| 6. | श्री बी.एम.गुप्ता | 29.06.2004 | 25.11.2005 |
| 7. | श्री वी.के. जैन | 01.12.2005 | 12.05.2007 |
| 8. | प्रो. (डॉ.) जी. मोहन गोपाल | 13.05.2007 | वर्तमान तक |

# राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में संपन्न शैक्षणिक कार्यक्रम

वर्ष 2003-2004 से आयोजित शैक्षणिक कार्यक्रमों का एक अवलोकन नीचे दिया गया है। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में, आयोजित कार्यक्रमों की संख्या में साथ ही कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।

पिछले छः प्रोग्राम वर्षों में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (NJA) के कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है:

| वर्ष | अकादमिक वर्ष (जुलाई से जून) | कार्यक्रमों की संख्या | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003-2004 | 03 | 211 |
| 2 | 2004-2005 | 12 | 570 |
| 3 | 2005-2006 | 27 | 771 |
| 4 | 2006-2007 | 42 | 1668 |
| 5 | 2007-2008 | 85 (समय पर न्याय को बढ़ावा देने वाली वर्ष की 12 एक बंद (One-Off) राष्ट्रीय प्रमुख कार्यशालाओं को मिलाकर 85 कार्यक्रम) | 2595 + 12 राष्ट्रीय प्रमुख कार्यशालाओं के 876 प्रतिभागी = कुल 3471 |
| 6 | 2008-2009 | 84 (समय पर न्याय को बढ़ावा देने वाली 12 एक बंद (One-Off) राष्ट्रीय प्रमुख कार्यशालाएँ सम्पन्न/ अधिसूचित नही) | 2559 |
| 7 | 2009-2010 | 102 | 3553 |

## जुलाई 2009 से जून 2010 तक राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (NJA) में सम्पन्न हुए कार्यक्रम

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में वित्तीय वर्ष 2009-2010 (अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010) में कुल 81 कार्यक्रम आयोजित किए गए। अकादमिक वर्ष जुलाई 2009 से जून 2010 तक अकादमी द्वारा 102 कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। अकादमिक कलैण्डर में सूचीबद्ध सभी कार्यक्रम विधिवत सम्पन्न हुए।

वर्ष 2009-2010 में आयोजित कार्यक्रम, उनके प्रकार / विषय के आधार पर इस प्रकार सूचीबद्ध है -

| क्रम संख्या | कार्यक्रम सं. | कार्यक्रम की तिथि | कार्यक्रम का नाम | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| **कानून और न्यायिक प्रणाली के विकास पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संगोष्ठियाँ** | | | | |
| 1. | P - 254 | अगस्त 22-23, 2009 | समय पर न्याय हेतु नियोजन और प्रबन्धन | 25 |
| 2. | P - 265 | सितम्बर 19-20, 2009 | आपराधिक न्याय प्रशासन : महत्वपूर्ण मुद्दे और चुनौतियाँ | 23 |
| 3. | P - 274 | अक्तूबर 24-25, 2009 | गरीबी उन्मूलन, सामाजिक बहिष्कार का विरोध और सामाजिक न्याय को बढ़ाना | 24 |
| 4. | P - 283 | नबम्बर 21-22, 2009 | वैश्वीकरण और भारतीय न्यायिक प्रणाली : महत्वपूर्ण मुद्दे और चुनौतियाँ | 16 |
| 5. | P - 292 | जनवरी 16-17, 2010 (दिसम्बर 19-20, 2009 से स्थगित तिथि को) | पर्यावरण संरक्षण | 11 |
| 6. | P - 300 | जनवरी 23-24, 2010 | कानून के विकास में उच्च न्यायालयों का योगदान (2008 से अब तक) | 15 |
| 7. | P - 306 | फरवरी 13-14, 2010 | कानून के विकास में सर्वोच्च न्यायालय का योगदान (2008 से अब तक) | 17 |
| 8. | P - 314 | मार्च 20-21, 2010 | भारतीय न्यायालय : अगले दशक में | 27 |
| 9. | P - 322 | अप्रैल 17-18, 2010 | भारतीय न्यायालय : अगले दशक में | 23 |
| **नवनियुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन** | | | | |
| 10. | P - 280 | नवम्बर 13-15, 2009 | नवोन्नत उच्च न्यायालय न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन | 24 |

| क्रम संख्या | कार्यक्रम सं. | कार्यक्रम की तिथि | कार्यक्रम का नाम | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| जिला न्यायपालिका के लिए राष्ट्रीय अधिनिर्णय प्रबन्धन कार्यक्रम (AMP) | | | | |
| 11. | P - 245 | जुलाई 24-27, 2009 | हत्या के मामलों में अधिनिर्णयन | 25 |
| 12. | P - 250 | जुलाई 31-अग. 3, 2009 | बच्चों से जुड़े मामलों में अधिनिर्णयन | 24 |
| 13. | P - 261 | सितम्बर 11-14, 2009 | सुरक्षा, संरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों में अधिनिर्णयन | 21 |
| 14. | P - 263 | सितम्बर 18-21, 2009 | जटिल आर्थिक मामलों में अधिनिर्णयन | 23 |
| 15. | P - 270 | अक्टूबर 3-6, 2009 | एम.ए.सी.टी. मामलों में अधिनिर्णयन | 24 |
| 16. | P - 272 | अक्टूबर 9-12, 2009 | जन अपराधों और जन अपकृत्यों के मामलों में अधिनिर्णयन | 24 |
| 17. | P - 279 | नवम्बर 13-16, 2009 | परिवारिक विवादों में अधिनिर्णयन | 22 |
| 18. | P - 289 | दिसम्बर 11-14, 2009 | महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के मामलों में अधिनिर्णयन | 26 |
| 19. | P - 290 | दिसम्बर 18-21, 2009 | यौन अपराधों और तस्करी से संबंधित मामलों में अधिनिर्णयन | 24 |
| 20. | P - 296 | जनवरी 15-18, 2010 | सामाजिक सुधार, संवैधानिक अधिकारों और नागरिक अधिकारों से संबंधित मामलों में अधिनिर्णयन | 23 |
| 21. | P - 305 | फरवरी 12-15, 2010 | नागरिक विवादों से संबंधित मामलों में अधिनिर्णयन | 27 |
| 22. | P - 309 | मार्च 5-8, 2010 | उपभोक्ता विवादों से संबंधित मामलों में अधिनिर्णयन | 19 |
| 23. | P - 320 | अप्रैल 16-19, 2010 | रिट याचिका से संबंधित मामलों में अधिनिर्णयन | 25 |
| 24. | P - 327 | मई 7-10, 2010 | श्रम और औद्योगिक विवाद से संबंधित मामलों में अधिनिर्णयन | 24 |
| 25. | P - 332 | मई 14-17, 2010 | पर्यावरण विवादों में अधिनिर्णयन | 21 |

| क्रम संख्या | कार्यक्रम सं. | कार्यक्रम की तिथि | कार्यक्रम का नाम | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| मूल न्यायिक ज्ञान, नजरिया, कौशल और गुणवत्ता बढ़ाने पर जिला न्यायपालिका हेतु राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशालाएँ | | | | |
| 26. | P - 249 | जुलाई 31–अगस्त 2, 2009 | मूल न्यायिक कौशलों में उत्कृष्टता बढ़ाना | 22 |
| 27. | P - 255 | अगस्त 22–23, 2009 | न्यायाधीशों हेतु सम्प्रेषण कौशल | 24 |
| 28. | P - 268 | अक्टूबर 3 - 5, 2009 | न्यायिक आचरण और नैतिकता | 22 |
| 29. | P - 277 | नवम्बर 6 - 8, 2009 | न्यायाधीशों द्वारा समय प्रबन्धन हेतु तकनीक और उपकरण | 25 |
| 30. | P - 286 | दिसम्बर 4 - 6, 2009 | तनाव प्रबन्धन | 21 |
| 31. | P - 294 | जनवरी 8 - 10, 2010 | परीक्षण प्रक्रिया प्रबन्धन | 21 |
| 32. | P - 298 | जनवरी 22 - 24, 2010 | अपील और संशोधन कार्यवाही प्रबन्धन | 26 |
| 33. | P - 303 | फरवरी 5 - 7, 2010 | अदालतों में देरी और बकाया कमी में कमी लाने के लिए ए. डी. आर. (ADR) और प्ली बार्गेनिंग का प्रभावी उपयोग | 25 |
| 34. | P - 312 | मार्च 19 - 21, 2010 | फैसला लेखन | 28 |
| 35. | P - 316 | अप्रैल 2 - 4, 2010 | अदालत में मामलों का भार और मामला प्रबन्धन | 23 |
| जिला न्यायपालिका हेतु गहन न्यायिक उत्कृष्टता वृद्धि कार्यक्रम (JEEP) | | | | |
| 36. | P - 251 | अगस्त 7 - 14, 2009 | न्यायिक उत्कृष्टता वृद्धि कार्यक्रम (JEEP) प्रथम विजिट | 72 |
| 37. | P - 319 | अप्रैल 9 - 16, 2010 | न्यायिक उत्कृष्टता वृद्धि कार्यक्रम (JEEP) द्वितीय विजिट | 69 |

| क्रम संख्या | कार्यक्रम सं. | कार्यक्रम की तिथि | कार्यक्रम का नाम | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| नवनियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों (ADJs) के लिए राष्ट्रीय उन्मुखीकरण (Orientation) कार्यक्रम | | | | |
| 38. | P – 253 | अगस्त 21 – 25, 2009 | नवनियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 21 |
| 39. | P – 264 | सितम्बर 18– 22, 2009 | नवनियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 20 |
| 40. | P – 273 | अक्टूबर 23– 27, 2009 | नवनियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 21 |
| 41. | P – 281 | नवम्बर 20 – 24, 2009 | नवनियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 21 |
| 42. | P – 291 | दिसम्बर 18– 22, 2009 | नवनियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 23 |
| 43. | P – 299 | जनवरी 22 – 26, 2010 | नवनियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 24 |
| 44. | P – 313 | मार्च 19 – 23, 2010 | नवनियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 20 |
| 45. | P – 321 | अप्रैल 16 – 20, 2010 | नवनियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 23 |
| 46. | P – 325 | अप्रैल 30–मई 4, 2010 | नवनियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 23 |
| 47. | P – 329 | मई 7 – 11, 2010 | नवनियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 19 |

| क्रम संख्या | कार्यक्रम सं. | कार्यक्रम की तिथि | कार्यक्रम का नाम | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| नवनियुक्त सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ प्रभाग) के लिए राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | | | | |
| 48. | P - 244 | जुलाई 17 - 28, 2009 | नवनियुक्त सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ प्रभाग) हेतु राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 51 |
| 49. | P - 252 | अगस्त 7 - 18, 2009 | नवनियुक्त सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ प्रभाग) हेतु राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 51 |
| 50. | P - 257 | सितम्बर 4 - 15, 2009 | नवनियुक्त सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ प्रभाग) हेतु राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 50 |
| 51. | P - 267 | अक्टूबर 3 - 14, 2009 | नवनियुक्त सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ प्रभाग) हेतु राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 52 |
| 52. | P - 276 | नवम्बर 6 - 17, 2009 | नवनियुक्त सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ प्रभाग) हेतु राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 55 |
| 53. | P - 285 | दिसम्बर 4 - 15, 2009 | नवनियुक्त सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ प्रभाग) हेतु राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 51 |
| 54. | P - 293 | जनवरी 8 - 19, 2010 | नवनियुक्त सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ प्रभाग) हेतु राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 52 |
| 55. | P - 302 | फरवरी 5 - 16, 2010 | नवनियुक्त सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ प्रभाग) हेतु राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 49 |
| 56. | P - 308 | मार्च 5 - 16, 2010 | नवनियुक्त सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ प्रभाग) हेतु राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 52 |
| 57. | P - 318 | अप्रैल 2 - 13, 2010 | नवनियुक्त सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ प्रभाग) हेतु राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 55 |

| क्रम संख्या | कार्यक्रम सं. | कार्यक्रम की तिथि | कार्यक्रम का नाम | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| समय पर न्याय को बढ़ाने के लिए जोनल सम्मेलन : आपराधिक न्याय प्रबन्धन को मजबूत बनाना | | | | |
| 58. | P – 256 | अगस्त 28 – 30, 2009 | रांची (झारखंड उच्च न्यायालय) में आयोजित जोनल सम्मेलन (पूर्वी क्षेत्र) | 67 |
| 59. | P – 266 | सितम्बर 25– 27, 2009 | लखनऊ (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) में आयोजित जोनल सम्मेलन (उत्तरी क्षेत्र) | 91 |
| 60. | P – 275 | अक्टूबर 30–नव. 1, 2009 | इन्दौर (मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय) में आयोजित जोनल सम्मेलन (पश्चिमी क्षेत्र) | 92 |
| 61. | P – 284 | नवम्बर 27 – 29, 2009 | चेन्नई (मद्रास उच्च न्यायालय) में आयोजित जोनल सम्मेलन (दक्षिणी क्षेत्र) | 126 |
| 62. | P – 301 | जनवरी 29 – 31, 2010 | गुवाहाटी (गुवाहाटी उच्च न्यायालय) में आयोजित जोनल सम्मेलन (पूर्वी क्षेत्र) | 76 |
| 63. | P – 307 | फरवरी 19 – 21, 2010 | दिल्ली (दिल्ली उच्च न्यायालय) में आयोजित जोनल सम्मेलन (उत्तरी क्षेत्र) | 96 |
| 64. | P – 315 | मार्च 26 – 28, 2010 | अहमदाबाद (गुजरात उच्च न्यायालय) में आयोजित जोनल सम्मेलन (पश्चिमी क्षेत्र) | 112 |
| 65. | P – 323 | जून 25 – 27, 2010 (अप्रैल 23–25, 2010 से स्थगित) | कोच्चि (केरल उच्च न्यायालय) में आयोजित जोनल सम्मेलन (दक्षिणी क्षेत्र) | 101 |
| कानून के विकास पर जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठियाँ | | | | |
| 66. | P – 246 | जुलाई 24 – 26, 2009 | अपराध कानून में हाल के घटनाक्रम | 24 |
| 67. | P – 258 | सितम्बर 4 – 6, 2009 | दीवानी, वाणिज्यिक और आर्थिक कानून में हाल के घटनाक्रम | 19 |
| 68. | P – 262 | सितम्बर 11 – 13, 2009 | सार्वजनिक कानून में हाल के घटनाक्रम | 19 |
| 69. | P – 282 | नवम्बर 20 – 22, 2009 | कानून के विकास में उच्च न्यायालय का योगदान | 25 |
| 70. | P – 287 | दिसम्बर 4 – 6, 2009 | कानून के विकास में सर्वोच्च न्यायालय का योगदान | 25 |

| क्रम संख्या | कार्यक्रम सं. | कार्यक्रम की तिथि | कार्यक्रम का नाम | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| न्यायिक प्रणाली के सशक्तिकरण के लिए जिला न्यायपालिका की राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठियाँ | | | | |
| 71. | P - 243 | जुलाई 17 - 19, 2009 | समयबद्ध न्याय के लिए नियोजन और प्रबन्धन पर मुख्य जिला न्यायाधीशों की राष्ट्रीय संगोष्ठी (PMTJ - 1) | 28 |
| 72. | P - 248 | जुलाई 31-अगस्त 2, 2009 | समयबद्ध न्याय के लिए नियोजन और प्रबन्धन पर मुख्य जिला न्यायाधीशों की राष्ट्रीय संगोष्ठी (PMTJ- 2) | 33 |
| 73. | P - 259 | सितम्बर 4 - 6, 2009 | समयबद्ध न्याय के लिए नियोजन और प्रबन्धन पर मुख्य जिला न्यायाधीशों की राष्ट्रीय संगोष्ठी (PMTJ- 3) | 27 |
| 74. | P - 271 | अक्टूबर 9 - 11, 2009 | समयबद्ध न्याय के लिए नियोजन और प्रबन्धन पर मुख्य जिला न्यायाधीशों की राष्ट्रीय संगोष्ठी (PMTJ - 4) | 28 |
| 75. | P - 278 | नवम्बर 6 - 8, 2009 | समयबद्ध न्याय के लिए नियोजन और प्रबन्धन पर मुख्य जिला न्यायाधीशों की राष्ट्रीय संगोष्ठी (PMTJ- 5) | 20 |
| 76. | P - 288 | दिसम्बर 11- 13, 2009 | समयबद्ध न्याय के लिए नियोजन और प्रबन्धन पर मुख्य जिला न्यायाधीशों की राष्ट्रीय संगोष्ठी (PMTJ - 6) | 26 |
| 77. | P - 304 | फरवरी 5 - 7, 2010 | समयबद्ध न्याय के लिए नियोजन और प्रबन्धन पर मुख्य जिला न्यायाधीशों की राष्ट्रीय संगोष्ठी (PMTJ - 7) | 33 |
| 78. | P - 310 | मार्च 5 - 7, 2010 | समयबद्ध न्याय के लिए नियोजन और प्रबन्धन पर मुख्य जिला न्यायाधीशों की राष्ट्रीय संगोष्ठी (PMTJ- 8) | 34 |
| 79. | P - 328 | मई 7 - 9, 2010 | समयबद्ध न्याय के लिए नियोजन और प्रबन्धन पर मुख्य जिला न्यायाधीशों की राष्ट्रीय संगोष्ठी (PMTJ - 9) | 31 |
| 80. | P- 331 | मई 14 - 16, 2010 | समयबद्ध न्याय के लिए नियोजन और प्रबन्धन पर मुख्य जिला न्यायाधीशों की राष्ट्रीय संगोष्ठी (PMTJ- 10) | 32 |

| क्रम संख्या | कार्यक्रम सं. | कार्यक्रम की तिथि | कार्यक्रम का नाम | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| देश की प्रमुख सामाजिक चुनौतियों की प्रतिक्रिया में जिला न्यायपालिका के अधीनस्थ न्यायालयों के योगदान पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठियाँ | | | | |
| 81. | P – 295 | जनवरी 8 – 10, 2010 | वैश्वीकरण | 22 |
| 82. | P – 297 | जनवरी 15 – 17, 2010 | गरीबी, सामाजिक बहिष्कार और सामाजिक न्याय | 23 |
| 83. | P – 317 | अप्रैल 2 – 4, 2010 | समयबद्ध न्याय को बढ़ावा | 22 |
| 84. | P – 324 | अप्रैल 30–मई 2, 2010 | आतंकवाद, सुरक्षा और संरक्षा | 24 |
| 85. | P – 330 | मई 14 – 16, 2010 | पर्यावरण सुरक्षा | 25 |
| पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, विषयसामग्री और विधियों के विकास हेतु कार्यक्रम विकास प्रयोगशालाओं (PDLs) पर न्यायिक शिक्षा कार्यक्रम | | | | |
| 86. | P – 247 | जुलाई 24 – 26, 2009 | राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति की समीक्षा | 15 |
| 87. | P – 260 | सितम्बर 11 – 13, 2009 | प्रेरणा कार्यक्रमों की समीक्षा | 18 |
| 88. | P – 269 | अक्टूबर 3 – 5, 2009 | रिफ्रेशर कार्यक्रमों की समीक्षा | 15 |
| 89. | P – 311 | अप्रैल 20 – 21, 2010 (मार्च 12-14, 2010 से स्थगित तिथियां) | अनुसंधान कार्यक्रमों की समीक्षा | 18 |
| 90. | P – 326 | अप्रैल 30 – मई 2, 2009 | न्यायिक शिक्षा में महत्वपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों की समीक्षा | 22 |
| | | | योग (1) | 3037 |

| क्रम सं. | कार्यक्रम सं. | कार्यक्रम की तिथियाँ | कार्यक्रम का नाम | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| | | | विशेष कार्यक्रम | |
| 1. | SE - 1 | अप्रैल 3, 2010 | वार्षिक कैलेण्डर मीटिंग | 19 |
| 2. | SE - 2 | मई 8, 2010 | यौन उत्पीड़न पर बैठक | 13 |
| 3. | SE - 3 | जून 12-13, 2010 | सामाजिक - आर्थिक क्रांति पर संगोष्ठी भारतीय संविधान का एजेण्डा : लॉ कॉलेजों और न्यायिक अकादमी का योगदान | 17 |
| 4. | SE- 4 | जून 9-10, 2010 | भारतीय न्यायिक प्रणाली की स्थिति : लोगों की आवाज | 14 |
| 5. | SE - 5 | जून 21-23, 2010 | केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के सदस्यों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 13 |
| 6. | इन्डो-आस्ट्रेलियन न्यायिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय न्यायाधीशों और आस्ट्रेलियन न्यायाधीशों की संगोष्ठी : अधिकारों का संरक्षण और न्याय के लिए उपयोग में सुधार, फरवरी 2-10, 2010 तक निम्नलिखित स्थलों पर आयोजित हुई : 1. दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली 2. गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद 3. केरल उच्च न्यायालय, कोच्चि 4. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल 5. कलकत्ता उच्च न्यायालय, कोलकता 6. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली 7. सिडनी, आस्ट्रेलिया | | | 440 |
| | | | **योग (2)** | **516** |
| | | | **महायोग -योग (1) + योग (2)** | **3553** |

# जुलाई 17, 2009 – मई 17, 2010 तक आयोजित कार्यक्रमों का संक्षिप्त प्रतिवेदन

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में अकादमिक वर्ष 2009-2010 में आयोजित कार्यक्रमो की शुरूआत "समय पर न्याय के लिए नियोजन एवं प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन" जुलाई 2009 से मई 2010 तक कुल एक सौ दो कार्यक्रम की अवधि तीन, चार एवं सात दिन तथा कनिष्ठ प्रभाग के लिए आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम की समयावधि सर्वाधिक बारह दिन रही। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में 3553 प्रतिभागी शामिल हुए। प्रत्येक कार्यक्रम दिवस में; विचार – विमर्श; अनुभवों का साँझा; साइट का दौरा; फिल्म स्क्रीनिंग; न्यायतंत्र से संबंधित स्त्रोत पुरूषों, शिक्षा एवं सामाजिक नीति विचारकों के संवादात्मक सत्र शामिल थे।

### पी. – 245 : अधिनिर्णयन प्रबन्धन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला : हत्या के मामलों में अधिनिर्णयन (जुलाई 24-27, 2009)

वर्ष 2009 -10 के अकादमिक कलैण्डर में अधिनिर्णयन प्रबन्धन को मजबूत बनाने पर कई कार्यशालाएं शामिल है। इस प्रकार की पहली कार्यशाला, 'अधिनिर्णय प्रबन्धन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला : हत्या के मामलों में अधिनिर्णयन' राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में जुलाई 24-27, 2009 को आयोजित हुई। कार्यशाला में जिला न्यायपालिकाओं से पच्चीस न्यायाधीशों ने भाग लिया। कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न ज्ञान और कौशल अपेक्षाओं वाले अधिनिर्णयन के विशिष्ट क्षेत्रों में निर्णय प्रबन्धन की गुणवत्ता मजबूत करने में मदद करना था। कार्यक्रम में हत्या के मामलों के अधिनिर्णयन में व्यक्तियों (अभियुक्त, पीड़ित और गवाह) की सामाजिक पृष्ठभूमि, प्रासंगिक न्यायालय और मामला प्रबन्धन विधि, मूल और प्रक्रियात्मक कानून, पहचानने और निर्णय लेने के कौशल और गुणवत्ता एवं समयबद्धता का मूल्यांकन जैसे पहलुओं को सम्मिलित किया गया।

अधिनिर्णयन प्रबन्धन कार्यक्रमों की सामान्य भूमिका, प्रश्नावली के आधार पर महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान, और विभिन्न प्रस्तुतियाँ इस चार दिवसीय कार्यक्रम के प्रमुख केन्द्रित विषय रहे। विविध क्षेत्रों से स्त्रोत पुरूषों (Resource Person) के एक पैनल ने दण्ड-प्रक्रिया-संहिता और साक्ष्य अधिनियम के विभिन्न कानूनी प्रावधानों पर सहभागिता की और चर्चा की। समाजशास्त्री डॉ. अरूणा भारद्वाज ने बड़े स्पष्ट रूप में प्रदर्शित किया कि – क्यों और किन परिस्थितियों में कोई हत्या जैसे जघन्य अपराध करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। डॉ. मन्जु मेहता, नैदानिक मनोवैज्ञानिक ने अभियुक्त और हत्या के अपराध के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को प्रगणित किया। श्री कमलकुमार (सेवानिवृत आई.पी.एस.) ने हत्या के मामलों की जांच और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया। केन्द्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला की निदेशक डॉ. विभा रानी रे ने हत्या परीक्षण में फोरेंसिक आदानों के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री डी. एम. मित्रा, ए.डी.जी.पी. (मादक द्रव्य) और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री. एम. नटराजन ने हत्या के मामले के अभियोजन पक्ष के मुद्दों का विस्तृत वर्णन किया। श्री नटराजन ने हत्या मामलों के अभियोजन के सम्बन्ध में प्रक्रियागत कानून का विवरण दिया। न्यायाधिपति एस. एल. कोचर न्यायाधीश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय और न्यायाधिपति आर. बसन्त, न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय हत्या के मामले में सबूत और गवाह की प्रस्तुति पर बोले। न्यायाधिपति विष्णु सहाय, सदस्य, मानवाधिकार आयोग ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में विस्तार से चर्चा की, और प्रोफेसर के. एन. चन्द्रशेखरन पिल्लई, पूर्व-निदेशक, आई. एल. आई, प्रोफेसर एन. आर. माधव मेनन, सदस्य केन्द्र-राज्य संबंध आयोग, ने भी आपराधिक प्रशासन न्याय में प्रस्तावित परिवर्तनो पर प्रतिभागियों को संबोधित किया। न्यायाधिपति आर. बसन्त ने जोर देकर कहा कि न्यायाधीशों की अपनी मन:स्थिति में परिवर्तन करना होगा तथा उन्हें एहसास होना चाहिए कि अपराधियों के लिए अनुचित सहानुभूति समाज का अधिक नुकसान करेगी। प्रोफेसर बी. बी. पाण्डे और प्रोफेसर बी. टी. कॉल ने सजा, अपराध का निर्धारण विभिन्न पक्षों के अधिकार और मीडिया द्वारा परीक्षण का विवरण दिया।

**पी. – 246 : आपराधिक कानून में हाल के घटनाक्रम पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी (जुलाई 24–26, 2009)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने जुलाई 24–26, 2009 की अवधि में आपराधिक कानून में हाल के घटनाक्रम पर एक राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में विभिन्न उच्च न्यायालयों में आपराधिक कानून के क्षेत्र में उभरते घटनाक्रमों की वैचारिक सहभागिता की गई। न्यायाधिपति के. एस. अहलूवालिया ने कार्यक्रम की कार्यवाही की अध्यक्षता की और विशेषकर सजा और साक्ष्य अभिमूल्यन पर अपनी अन्तदृष्टि को सहभाजित किया। प्रतिभागियों ने अपने लेख में सम्बंधित उच्च न्यायालयों के घटनाक्रमों को प्रस्तुत किया। मीडिया द्वारा परीक्षण पर शांतिभूषण बरियार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अभिनव निर्णय पर भी व्यापक विचार – विमर्श हुए। कार्यक्रम में सम्पूर्ण देश से लगभग तीस जिला न्यायाधीशों ने सहभागिता की।

**पी. – 247 : राज्य न्यायिक अकादमियों हेतु राष्ट्रीय संगोष्ठी : राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति की समीक्षा (जुलाई 24 – 26, 2009)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में जुलाई 24 – 26, 2009 को राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति की समीक्षा पर एक कार्यक्रम विकास प्रयोगशाला (PDL) सम्पन्न हुई। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राज्य न्यायिक अकादमियों के योगदान को फोकस किया गया तथा राज्य न्यायिक अकादमी (SJA) को सामाजिक परिवर्तन के लिए कैसे साधन बनाया जाये, चर्चा का प्रमुख केन्द्रबिन्दु बना। राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति (NJES) पर फोकस बनाये रखते हुए कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में NJES के लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया। निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने राज्य न्यायिक अकादमी (SJA) और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (NJA) के योगदान के अन्तर पर प्रकाश डाला। प्रयासों के क्रम में दोहराव से बचने के लिए कहा गया कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (NJA) को अपने प्रयासों को पूर्ण रूप से न्यायिक प्रणाली की समस्याओं का समाधान करने पर केन्द्रित करना चाहिए तथा राज्य न्यायिक अकादमी (SJA) को न्यायिक अधिकारियों के ज्ञान घटक को सम्बोधित करना चाहिए। SJA को न्यायिक अधिकारियों की रोजमर्रा की समस्याओं को सम्बोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, किन्तु इस कार्य को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए न्यायिक कार्य और न्यायिक संस्थानों के बारे में एक सिद्धान्त और एक दृष्टिकोण का विकास किया जाना आवश्यक है। भारतीय न्याय प्रणाली में न्याय की अवधारणा को पुन:परिभाषित करने के लिए कहा गया कि अदालत के फैसले के लिए यह गुणात्मक उपाय विकसित करने की आवश्यकता है, कि, न्याय, अदालत के निर्णय के बराबर नहीं है। कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के लिए प्रत्येक कार्यक्रम के उद्देश्यों का एक स्पष्ट दृष्टिकोण आपेक्षित है। उद्देश्यों की स्पष्टता होने पर ही कार्यक्रम सम्पन्न करने के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली तैयार करने में मदद मिल सकती है। कार्यक्रमों में प्रभावशीलता लाने के लिए इसके विभिन्न सत्रों में व्याख्यान आधारित कक्षाओं से हटकर विविध भागीदारी विधाएं, जैसे प्रश्नावली, सिमुलेशन (Simulations), रोल प्ले, नकली परीक्षण अभ्यास (Mock trail exercises) आदि के उपयोग पर भी जोर दिया गया।

गहन चर्चाओं के पश्चात तय हुआ कि तीन क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इनमें सुधार की गुंजाइश है : (1) अधिनिर्णयन प्रबन्ध में न्यायिक अधिकारियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए न्यायिक शिक्षा का विकास जिससे न्यायिक शिक्षा कानूनी शिक्षा के सदृश्य होकर ही न रह जाय, (2) अधिनिर्णयन का भाग बनने वाली अन्य शाखाओं जैसे जांच-पड़ताल, अभियोजन आदि पर फोकस, (3) निष्क्रिय न्यायाधीश से प्रबन्धक न्यायाधीश और अधिवक्ता प्रभुत्व से हटकर न्यायाधिपति प्रबन्धित विरोधात्मक मुकदमेबाजी/अधिनिर्णयन।

### पी. – 249 : मूल न्यायिक कौशलों में उत्कृष्टता बढ़ाने पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (जुलाई 31–अगस्त 2, 2009)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में 31 जुलाई से 2 अगस्त 2009 तक मूल न्यायिक कौशलों में उत्कृष्टता बढ़ाने पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला सम्पन्न हुई। कार्यशाला का व्यापक लक्ष्य मूल न्यायिक कौशलों को बढ़ाना और उनका विश्लेषण करना था। कार्यक्रम के दौरान लिए गये विभिन्न क्षेत्र, न्यायिक विधियां, अधिनिर्णयन और निर्णयन, न्याय पर संवैधानिक दृष्टिकोण, अधिनिर्णयन, कानून और तथ्यों की गुण–दोष विवेचना, वैधानिक व्याख्या तथा विलेखों व दस्तावेजों की व्याख्या थी। मूल न्यायिक कौशलों की फैसला करते समय सहभागियों ने इसकी व्याख्या का सबूत लेने के लिए आवश्यक कौशल, तथ्य खोजना, कानून की व्याख्या और फैसला लेखन के रूप में की। उक्त प्रकरणों के अतिरिक्त तथ्यों और कानून की गुण–दोष विवेचना में वस्तुनिष्ठता, विलेखों और दस्तावेजों की व्याख्या, फैसला लेखन और उसके संप्रेषण, अधिनिर्णयन प्रबन्धन व न्यायालय और मामला प्रबन्धन पर भी चर्चाएं हुईं। न्यायाधिपति रोशन दलवी और न्यायाधिपति मदन लोकुर ने कुछ विषयों को लेकर प्रस्तुतियां दीं। एम्स से डॉ. मन्जू मेहता ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में तर्कसंगत सोच के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए एक प्रस्तुति दी। सुश्री ज्योति सिंह अपने संचार मॉड्यूल पर बोली एवं न्यायाधिपति आई. ए. अन्सारी और न्यायाधिपति मदन लोकुर ने अच्छे फैसले के लेखन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से चर्चा की।

### पी. – 250 : अधिनिर्णयन प्रबन्ध पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला : बच्चों से जुड़े मामलों में अधिनिर्णयन (जुलाई 31–अगस्त 3, 2009)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में जुलाई 31–अगस्त 3, 2009 तक अधिनिर्णयन प्रबन्ध को सशक्त करने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में बच्चों से जुड़े मामलों में, अधिनिर्णयन : बालकल्याण विधान के अन्तर्गत मामलों का निर्णयन (किशोर न्याय अधिनियम और बाल तस्करी व बालश्रम विरोधी कानून) पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में जिला न्यायालयों से चौबीस न्यायाधीशों ने भाग लिया। कार्यशाला का मूल लक्ष्य बच्चों से जुड़े मामलों के अधिनिर्णयन के विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न ज्ञान और कौशल आवश्यकताओं को लेते हुए न्यायिक प्रबन्धन की गुणवत्ता को मजबूत बनाना था। कार्यक्रम में अधिनिर्णयन की सामाजिक पृष्ठभूमि, प्रासंगिक न्यायालय और मामला प्रबन्धन विधि, मूल और प्रक्रियात्मक कानून, पहचानने और निर्णय लेने के कौशल, गुणवत्ता और सामयिकता जैसे विषयों को शामिल किया गया। किशोर न्याय अधिनियम और बाल तस्करी व बालश्रम विरोधी कानून के साथ बच्चों से जुड़े मामलों के अधिनिर्णय चर्चाओं का केन्द्रबिन्दु थे।

न्यायाधिपति अल्तमस कबीर, न्यायाधीश, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधिपति रोशन दलवी, सुश्री मिन्ना कबीर, प्रोफेसर वेद कुमारी, सुश्री अर्लिन मनोहरन, सुश्री गीता सेखों, प्रोफेसर निरन्जन और प्रोफेसर आशा मुकुन्दन ने स्त्रोत पुरूष (Resource Person) के रूप में विभिन्न चर्चाओं को निर्देशित किया।

### पी. – 251 : राष्ट्रीय गहन न्यायिक उत्कृष्टता वृद्धि कार्यक्रम (JEEP) प्रथम विजिट (अगस्त 7 – 14, 2009)

न्यायिक शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रतिभागियों और न्यायालयों की कार्यप्रणाली पर प्रभाव, एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर अधिकतर प्रश्न उठते हैं और चर्चा होती है। न्यायिक शिक्षा के प्रभाव को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने पहली बार, राष्ट्रीय गहन न्यायिक उत्कृष्टता वृद्धि कार्यक्रम (JEEP), के नाम से एक अद्वितीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया जो अगस्त 7–14, 2009 को आयोजित हुआ।

प्रतिभागियों पर प्रदर्शित इसका प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए JEEP को विशेष रूप से डिजाइन किया गया। यह प्रतिभागियों की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में दो विजिट (प्रथम विजिट अगस्त 7 – 14, 2009 तथा द्वितीय विजिट अप्रैल 9 – 16, 2010) द्वारा, पहुँचाये गये क्षेत्रों में प्रदर्शन में सुधार हेतु दस माह का गहन कार्यक्रम है।

कार्यक्रम का लक्ष्य समग्र रूप में मापनीय गुणवत्ता के महत्वपूर्ण संकेतकों को पहचानना है। न्यायाधीशों के व्यक्तिगत निष्पादन के उच्च गुणवत्तापूर्ण फैसले करने की 21 विशिष्ट विशेषताओं को मजबूत बनाना, कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने चार मूल क्षेत्रों की पहचान की, जिनमें 21 महत्वपूर्ण विशेषताएँ आती है जिनकी न्यायाधीशों के व्यक्तिगत निष्पादन में तत्काल आवश्यकता है, और उनमें अकादमी (NJA) भागीदार न्यायाधीशों को सहायता दे सकती है। यह है – (1) विशेषताएँ/ **दृष्टिकोण :** संवैधानिक मूल्यों में विश्वास, न्यायालयों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ, व्यक्तिगत सदाचार, सार्वजनिक सेवा के लिए प्रतिबद्धता, न्यायिक नैतिकता और आचरण, सादगी और विनम्रता, सहानुभूति, दृष्टिकोण, निश्चितता। (2) **कार्यात्मक कौशल :** श्रवण करना, पठन करना, वाचन करना, लेखन करना, विश्लेषण करना, तर्क और विवेक-बुद्धि, अंग्रेजी भाषा और संप्रेषण (अशाब्दिक संप्रेषण सहित), विवाद निपटान/ बातचीत/सौदेबाजी (3) **डोमेन कौशल :** तथ्यों की सराहना, खोज, कानून की सराहना, पहचानना और निर्णय लेना, फैसला लेने में अनुक्रियाशीलता, अधिनिर्णयन प्रक्रिया प्रबन्धन, टीमवर्क कौशल, प्रशासनिक कौशल, निर्णय के प्रभाव का अनुमान, (4) **ज्ञान :** बुनियादी कानूनी विषय, संविधान और इसका इतिहास, स्वतंत्रता आन्दोलन और गरीबी व सामाजिक न्याय सहित देश की मूल सामाजिक चुनौतियाँ।

स्त्रोत पुरूषों (Resource Person) के पैनल में न्यायाधिपति एस. बी. सिन्हा, न्यायाधिपति पी. के बालासुब्रमणियम, न्यायाधिपति नेवलेकर, न्यायाधिपति जी. सी. भरूका, न्यायाधिपति एम. एफ. सलदान्हा, डॉ. बी. डी. शर्मा, डॉ. मन्जु मेहता, प्रोफेसर मुकेश श्रीवास्तव थे, जिन्होंने मूल विषय पर अपने विचार रखे तथा उस पर विचार विमर्श को सुविधाजनक बनाया।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने अधीनस्थ न्यायालयों के अस्सी प्रतिभागी न्यायाधीशों के मूल्यवान आदानों को लेने के लिए सत्र के अन्त में अनुवर्ती कार्यवाही की योजना विकसित की, जिसमें उन्हें एक विशिष्ट क्षेत्र या शाखा को चुनना होता था जिसमें उन्हें विशिष्टता लानी हो। अगले छः माह राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (NJA) राज्य न्यायिक अकादमियों की मदद से चुने गये क्षेत्र विकास कार्यक्रम रखा जाएगा जिससे उनमें से प्रत्येक में सुधार पाया गया।

### पी. – 254 : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की समय पर न्याय हेतु नियोजन और प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (अगस्त 22–23, 2009)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने अगस्त 22–23, 2009 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भारतीय न्यायिक प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए एक रणनीतिक रूपरेखा : नियोजन और प्रबन्धन, पर प्रथम राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। सम्पूर्ण देश से आये हुए लगभग 30 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने संगोष्ठी में भाग लिया। संगोष्ठी का मूल विषय "उभरते वैश्वीकरण और राष्ट्रीय परिदृश्य में समय पर और गुणवत्तापूर्ण न्याय पहुंचाने के प्रमुख मुद्दों अथवा चुनौतियों की पहचान" को ध्यान में रखते हुए उन पर काबू पाने के तरीकों पर चर्चा करना था।

संगोष्ठी की अध्यक्षता न्यायाधिपति एस. बी. सिन्हा ने की, जिन्होंने देरी और लम्बित मामलों के व्यवहार में नीचे से ऊपर की ओर जाने की विधा पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी योजना के लागू करने में बहु-आयामी वार होना चाहिए क्योंकि उच्च न्यायालयों के तदर्थ वैयक्तिक प्रयास केवल तदर्थ परिणाम ही देते हैं। अत: कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में संस्थागत दृष्टिकोण हो, जिसका उचित निगरानी के साथ पालन किया जाना चाहिए।

### पी. – 255 : न्यायाधीशों के लिए संप्रेषण कौशल पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (अगस्त 22–23, 2009)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने अगस्त 22 - 23, 2009 को न्यायाधीशों के लिए संप्रेषण कौशल पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का मुख्य ध्यान न्यायालयों के भीतर और बाहर संचार कौशल में उत्कृष्टता को बढ़ाने में मदद करना था। कार्यक्रम की संरचना में (1) संचार और पेशेवर प्रभावशीलता (2) प्रभावी संचार रणनीतियाँ (3) गैर-मौखिक संचार (4) संचार में ज्ञानात्मक प्रक्रिया और संचार में ब्लॉक (5) अंग्रेजी भाषा और फैसला लेखन (7) न्यायाधीशों के लिए संप्रेषण कौशल के विषय थे जिन्हें अच्छी तरह से लिया गया। मुद्रा इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, अहमदाबाद से सुश्री मनस्विनी आचार्य ने संचार की रणनीतियों पर एक तकनीकी प्रस्तुति दी और न्यायाधीश टी. बी. राधाकृष्णन ने चर्चा को निर्देशित किया। एम्स नई दिल्ली से डॉ. मन्जु मेहता ने प्रतिभागियों को सम्बोधित किया और संचार में ज्ञानात्मक प्रक्रिया और संचार में ब्लॉक पर उन्हें प्रबुद्ध किया। सुश्री शशि सिन्हा ने अंग्रेजी भाषा की प्रासंगिकता और भाषा में प्रवीणता सुधार के तरीकों पर प्रस्तुति दी। न्यायमूर्ति टी. बी. राधाकृष्णन ने फैसला लेखन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में न्यायालयों के भीतर और बाहर अच्छे संप्रेषण के महत्व को समझने का अवसर मिला और पता चला कि न्यायाधीशों को निष्क्रिय न्यायाधिपति नही होना चाहिए।

### पी. – 258 : दीवानी, वाणिज्यिक और आर्थिक कानून में हाल के घटनाक्रम पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी (सितम्बर 4–6, 2009)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल ने दीवानी, वाणिज्यिक और आर्थिक कानून में हाल के घटनाक्रम पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला का आयोजन किया। यह संगोष्ठी सितम्बर 4 - 6, 2009 को हुई। सम्पूर्ण देश से जिला न्यायपालिका के लगभग तीस सदस्यों ने संगोष्ठी में भाग लिया। कार्यक्रम में दीवानी, वाणिज्यिक और आर्थिक कानून के विधान, नियम और विनियम, फैसले, मौजूदा रूझान एवं महत्वपूर्ण मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का लक्ष्य भाग लेने वाले न्यायाधीशों को वैकल्पिक विवाद समाधान तन्त्र, कम्पनी कानून, कराधान कानून, प्रतिभूति कानून, बैंकिंग कानून, दिवाला कानून और आई. पी. आर. कानून के प्रमुख क्षेत्रों में आकस्मिक विवादों और घटनाक्रम को बताना था। पूर्वकथित क्षेत्रों में असंख्य संघर्षों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायशास्त्र पर चर्चाएं हुईं। कार्यक्रम का लक्ष्य कानून में नवीनतम घटनाओं के प्रति न्यायाधीशों को संवेदनशील बनाना था। न्यायाधिपति राजीव शक्दरे, प्रोफेसर एम. पी. पद्मनाभा पिल्लई, श्री अरूण मोहन और प्रोफेसर शम्नाद बशीर ने बहुमूल्य आदान दिये।

### पी. – 260 : राज्य न्यायिक अकादमियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी : प्रेरण कार्यक्रमों की समीक्षा (सितम्बर 11 – 13, 2009)

राज्य न्यायिक अकादमी हेतु कार्यक्रमों की श्रृंखला में दूसरी प्रेरण कार्यक्रमों की समीक्षा पर प्रोग्राम विकास प्रयोगशाला (PDL) को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में सितम्बर 11 - 13, 2009 के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का एक प्रमुख लक्ष्य राज्य न्यायिक अकादमी में होने वाले प्रेरण कार्यक्रमों पर चर्चा करना था। चर्चा को सुविधाजनक और कारगर बनाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने एक संरचना का सुझाव दिया, जिसे राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशकों/प्रतिनिधियों को मानना है। इस संरचना को ध्यान

में रखकर प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दीं और इसी में कार्यक्रम का प्रथम दिवस समर्पित रहा। प्रतिभागियों को प्रेरण कार्यक्रम का औचित्य, कार्यक्रम के उद्देश्य/लक्ष्य, कार्यक्रम की संरचना, क्लासरूम सत्रों और प्रायोगिक प्रशिक्षण के तरीकों, लागू पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम, स्त्रोत पुरूषों के चयन का आधार, पठनसामग्री की प्रकृति, पठनसामग्री के चयन का आधार, कार्यक्रम से अपेक्षाएँ, अकादमी द्वारा कार्यक्रम की निगरानी के लिए अपनाया गया तन्त्र, मूल्यांकन योजनाओं और कार्यक्रम के समग्र मूल्यांकन के तरीके पर पालन की जा रही प्रेरण की योजना को बताना अपेक्षित था।

प्रतिभागियों द्वारा अपनी राज्य न्यायिक अकादमी के प्रेरण कार्यक्रम पर प्रस्तुति के उपरान्त मौजूदा प्रेरण कार्यक्रम की ताकत और कमजोरियों, जिम्मेदारियों और खतरों पर चर्चाएं हुई। प्रतिभागियों द्वारा पहचान किये गये तत्वों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि राज्य न्यायिक अकादमियों द्वारा आयोजित प्रेरण कार्यक्रम राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा विकसित ROKMMA फ्रेमवर्क के साथ मजबूत करने की आवश्यकता है। यह बताया गया कि प्रेरण कार्यक्रमों को – न्यायालयों की भूमिका, संगठनात्मक प्रभावशीलता, ज्ञान, प्रबन्ध, विधि और न्याय के लिए पहुंच के कुल छः तत्वों पर अवधारित करना है।

**पी. – 261 : अधिनिर्णयन प्रबन्ध पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला : सुरक्षा, संरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों में अधिनिर्णयन (सितम्बर 11–14, 2009)**

सुरक्षा, संरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों में अधिनिर्णयन से संबंधित अधिनिर्णयन प्रबन्ध कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में सितम्बर 11–14, 2009 के बीच हुआ। कार्यक्रम की अवधारणा और डिजाइन संगठित अपराध के विशेष क्षेत्रों, आतंकवाद और विद्रोह से निपटने वाले न्यायाधीशों के लिए की गई थी। कार्यक्रम में जिला न्यायपालिकाओं से लगभग बाईस न्यायाधीशों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का लक्ष्य सुरक्षा, संरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों के अधिनिर्णयन में विभिन्न ज्ञान और कौशल आवश्यकताओं के साथ न्याय प्रबन्ध प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण करना था। इसका उद्देश्य ऐसे मामलों के लिए विधियों, प्रबन्ध और ज्ञान विषयों से संबंधित मूल्यवर्धन था।

कार्यक्रम का फोकस सुरक्षा, संरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से सम्बंधित मामलों सहित संगठित अपराध के विशेष क्षेत्रों, आतंकवाद और विद्रोह के अधिनिर्णयन पर था। कार्यक्रम का ढांचा इस प्रकार बनाया गया जो कि सामाजिक सन्दर्भ, जांच, अभियोजन, अधिनिर्णयन प्रक्रिया, सजा और दण्ड नीति को सम्मिलित करें। इसके अतिरिक्त, अदालत और मामला प्रबन्धन विधियां, मूल और प्रक्रियात्मक कानून, फैसले और निर्णय लेने के कौशल, गुणवत्ता का मूल्यांकन और सामयिकता पर चर्चा करना भी कार्यक्रम का प्रयोजन रहा।

न्यायाधिपति जी. रघुराम, न्यायाधिपति आर. सी. मिश्रा, सूचना आयुक्त नई दिल्ली, श्री एम. एल. शर्मा, श्री रवि नायर, श्री डी. एम. मित्रा, चेन्नई से एक प्रख्यात वकील श्री एन. नटराजन (आपराधिक पक्ष), श्री एच. उपाध्याय, अध्यक्ष संयुक्त खुफिया समिति, सुश्री अनुराधा शंकर, डी. आई. जी. पुलिस (खुफिया), भोपाल ने चर्चा के विषयों पर मार्गदर्शन किया।

**पी. – 262 : सार्वजनिक कानून में हाल के घटनाक्रम पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी (सितम्बर 11 – 13, 2009)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने सितम्बर 11 – 13, 2009 को सार्वजनिक कानून में हाल के घटनाक्रम पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम का लक्ष्य सम्पूर्ण देश के जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों को कानूनी विकास के नये क्षेत्रों और न्यायिक

प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के लिए एक साथ लाना था। सम्पूर्ण देश से आये लगभग तीस जिला न्यायाधीशों को सार्वजनिक कानून में कानूनी घटनाक्रम के नये क्षेत्रों और न्यायिक प्रणाली की चुनौतियों तथा अधीनस्थ न्यायालयों की अधिकारों के संरक्षण में विस्तारित भूमिका से भी परिचित कराया गया। सत्रों का फोकस भारतवर्ष में सार्वजनिक कानून की उभरती अवधारणाएं और अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य में सार्वजनिक कानून के विकास के महत्व पर था। न्यायिक समीक्षा की विशेषताएं और सैद्धान्तिक आधार व सार्वजनिक हित कानून पर प्रकाश डाला गया और चर्चाएं हुईं। अपराधिक न्याय प्रणाली में अधिकारों के मुद्दे जैसे – सजा, जमानत, अपराध की दृढ़ संकल्प, पक्षों के अधिकारों की रक्षा आदि पर भी चर्चाओं को फोकस किया गया। संगोष्ठी में सार्वजनिक संस्थाओं को और अधिक प्रभावी और लोगों की जरूरतों के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर भी विचार-विमर्श हुआ। न्यायपालिका जैसी संस्था के माध्यम से अन्तर-संस्थागत जवाबदेही से लेकर सूचना के अधिकार (RTI) के तन्त्र के माध्यम से प्रत्यक्ष जवाबदेही तक प्रतिक्रियाओं की चर्चा हुई। इस जवाब देही तन्त्र को सुदृढ़ बनाने में न्यायिक भागीदारी को ज़ोर दिया गया।

न्यायाधिपति ए. के. पटनायक (मुख्य न्यायाधीश) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, न्यायाधिपति टी. बी. राधाकृष्णन, केरल उच्च न्यायालय, प्रोफेसर बी. बी. पाण्डेय, श्री प्रदीप प्रभु, प्रोफेसर बी. टी. कॉल, प्रोफेसर एस. एस. सिंह, और श्री शैलेश गांधी (सूचना आयुक्त, सी. आई. सी. दिल्ली) ने स्त्रोतपुरूष (Resource Person) के रूप में मार्गदर्शन, अपने विचारों की भागीदारी और सहभागियों में परिचर्चाओं को सुगम बनाया।

### पी. – 263 : अधिनिर्णयन प्रबन्ध पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला : जटिल आर्थिक मामलों में अधिनिर्णयन (सितम्बर 18–21, 2009)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने अधिनिर्णयन प्रबन्ध पर एक राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला : जटिल आर्थिक मामलों में अधिनिर्णयन, सितम्बर 18–21, 2009 के बीच आयोजित की गई। कार्यक्रम का लक्ष्य जटिल आर्थिक मामलों (सी. ई. सी.) के संचालन के लिए एक विशेष न्यायिक प्रबन्ध के माध्यम से सरकार और वादियों की न्यूनतम लागत पर एक पद्धति तैयार करना था। श्री पुनीत रस्तोगी (संयुक्त संचालक, सीरियस फ्रॉड ऑफिस) और श्री अजय शर्मा (आई. जी. आर्थिक अपराधों की विशेष जांच शाखा, मध्यप्रदेश), ने जटिल आर्थिक मामलों के प्रबन्धन पर जांच एजेन्सियों के विचार प्रस्तुत किये। न्यायाधिपति अर्जुन सिकरी, न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय, और न्यायाधिपति चित्रा वेंकटरमन ने जटिल आर्थिक मामलों को परिभाषित करने और उनके प्रभावशाली प्रबन्धन में परिचर्चाओं का नेतृत्व किया। प्रतिभागियों ने जटिल आर्थिक मामलों से निपटने पर पर अभ्यास पुस्तिका (अभ्यास दिशा-निर्देश) पर चर्चा की। इसी के अनुसार प्रतिभागियों द्वारा प्रदान किये गये आदानों के आधार पर एक प्रलेख बनाया गया।

### पी. – 265 : आपराधिक न्याय प्रशासन : महत्वपूर्ण मुद्दे और चुनौतियों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रीय संगोष्ठी (सितम्बर 19–20, 2009)

आपराधिक न्याय प्रशासन : महत्वपूर्ण मुद्दे और चुनौतियों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक राष्ट्रीय संगोष्ठी सितम्बर 19–20, 2009 को आयोजित की गई। कार्यक्रम का लक्ष्य मूलरूप में आपराधिक न्याय के सामने सजा दरों के गिरने, आतंक और कमजोर संस्थाओं से कमजोर अधिकार संरक्षण, निष्पक्ष परीक्षण मानकों के कमजोर पड़ने, त्रुटियों और न्याय की हत्या की चुनौतियों का प्रसंग था। संगोष्ठी के दौरान पर्याप्त समय मालीमथ समिति की सिफारिशों की चर्चा पर लगाया गया। प्रोफेसर एन. आर. माधव मेनन, प्रोफेसर बी. टी कॉल और प्रोफेसर के. एन. सी पिल्लई ने मालीमथ समिति की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बताए। न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा ने भी विषय और सजा प्रणाली पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। आपराधिक न्याय अधिनिर्णयन में निष्पक्षता और स्थिरता के विषय का पता लगाने के लिए गहन विचार विमर्श हुए।

### पी. – 268 : न्यायिक आचरण और नैतिकता पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (अक्टूबर 3 – 5, 2009)

अदालत के भीतर और बाहर न्यायाधीशों के न्यायिक आचरण और नैतिकता के वर्तमान मानकों के गंभीर मूल्यांकन को विनियमित करने के लक्ष्य से न्यायिक आचरण और नैतिकता पर इस राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ब्रेक–आउट समूहों में विभाजित प्रतिभागियों को दैनिक कामकाज के दौरान संभावित आक्षेपों और उसके खतरों के प्रमुख स्त्रोतों की पहचान जिनका वे सामना करते है और बदले व्यवहार की जांच और नियन्त्रण के स्थान पर मौजूदा तन्त्रों की समीक्षा करना था। प्रतिभागी जजों ने विभिन्न तरीके जिनमें उच्च न्यायपालिका, वकील, लिपिक वर्ग और वादी अपने को बचाने के लिए प्रक्रियात्मक हनन का सहारा लेते है, पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कानूनी शिक्षा और जागरूकता के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से उत्सवों और शिविरों का आयोजन करने की बढ़ती मांग के कारण न्यायाधीशो पर गंभीर दवाब पडता है और इनकी आड़ में वे भावी वादी, वकीलों से बातचीत और सहयोग के लिए मजबूर हो जाते है जो प्रलोभन के विभिन्न रूपों के दृष्टिकोण के साथ आते है।

उच्च न्यायपालिका से प्रख्यात स्त्रोत पुरूष न्यायमूर्ति आर. वी. रवीन्द्रन, न्यायमूर्ति मन्जु गोयल, न्यायमूर्ति नवीन कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति आर. सी. चवन, न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन और न्यायमूर्ति डी. एम. धर्माधिकारी ने प्रतिभागियों को धीरे–धीरे समझाया कि इन सभी तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति न्यायाधीशों में निहित रहती है। यदि न्यायाधिकारी अपने चरित्र और व्यवहार के लिए सावधान है, तो हर जगह वह शिकार, धमकी या प्रलोभन के लिए नहीं गिर जाएगा और इस प्रकार अपनी ऐसी छवि विकसित करेगा जिससे वकील न्यायाधीश को कोई प्रस्ताव करने का सोचेंगे भी नहीं। उन्होंने प्रश्नावली की मद्द से विभिन्न तरीकों का उल्लेख किया जिनके द्वारा एक न्यायाधीश निष्ठा और ईमानदारी से परिपूर्ण अपनी पहचान बना सकते है। कार्यक्रम की समाप्ति पर प्रतिभागियों ने स्वीकार किया कि न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बहाल करना अन्तरात्मा की आवाज के द्वारा निर्देशित न्यायाधीश की जिम्मेदारी है।

### पी. – 269 : राज्य न्यायिक अकादमियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी : रिफ्रेशर कार्यक्रमों की समीक्षा (अक्टूबर 3 – 5, 2009)

राज्य न्यायिक अकादमियों के निदेशकों और अतिरिक्त निदेशकों की रिफ्रेशर कार्यक्रमों की समीक्षा पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में अक्टूबर 3 – 5, 2009 को हुआ। संगोष्ठी का उद्देश्य राज्य न्यायिक अकादमियों के निदेशकों और अतिरिक्त निदेशकों को सतत न्यायिक शिक्षा के भाग के रूप में राज्य न्यायिक अकादमियों द्वारा आयोजित किये जाने वाले रिफ्रेशर कार्यक्रमों पर ज्ञान, विचार और अनुभवों का आपस में और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के साथ आदान–प्रदान करके रिफ्रेशर कार्यक्रमों के लिए लक्ष्योन्मुख और नीति आधारित रूपरेखा विकसित करने में मद्द करना था।

### पी. – 270 : अधिनिर्णयन प्रबन्ध पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला : एम.ए.सी.टी. मामलों में अधिनिर्णयन (अक्टूबर 3–6, 2009)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में अक्टूबर 3–6, 2009 को अधिनिर्णयन प्रबन्ध : एम. ए. सी. टी. (MACT) मामलों में अधिनिर्णयन पर आयोजित कार्यशाला का प्रमुख लक्ष्य विभिन्न ज्ञान और कौशल योग्यता चाहने वाले एम. ए. सी. टी. (MACT) मामलों में अधिनिर्णयन प्रबन्ध की गुणवत्ता को मजबूत करना था।

अधिनिर्णयन प्रबन्ध कार्यक्रम के सामान्य परिचय के उपरान्त एक सत्र में न्यायमूर्ति आर. वी. रवीन्द्रन, न्यायाधीश भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एम. ए. सी. टी मामलों से संबंधित मुख्य बिन्दुओं की पहचान की गई। तीन दिन में प्रमुख रूप से विभिन्न सत्रों में (1) भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों के व्यवहार में लिए गये विभिन्न कदम, (2) लापरवाही (समग्र और अंशदायी लापरवाही सहित) सबूतों और तथ्यों का मौत के और तत्संबंधी मामलों में दावों की कार्यवाही और उचित मुआवजे का अभिमूल्यन (3) अनिवार्य बीमा और गरीब, शिकार, माल वाहन, निर्मूल्य यात्री और नकली ड्राइविंग लाइसेन्स, बीमाकर्ता की जिम्मेदारी और पे और रिकवर ऑर्डर की अवधारणा (4) मोटर दुर्घटनाएँ : ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी, योगदान और लक्ष्य। प्रकरण प्रवाह प्रबन्धन और दावा कार्यवाही के विशेष सन्दर्भ में न्यायालय प्रबन्धन पर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का एक प्रस्तुतिकरण हुआ।

सम्मानित स्त्रोत पुरूषों न्यायाधीश जे. आर. मिधा, न्यायाधीश एस. एस. झा, एडवोकेट अरूण मोहन द्वारा कार्यशाला का योग्य निर्देशन किया गया। जिला न्यायपालिका से चौबीस प्रतिभागी न्यायाधीशों ने महसूस किया कि अब वे एम. ए. सी. टी. मामलों को अधिक निश्चिंतता और वस्तुनिष्ठता के साथ निपटा सकते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत उत्साहवर्धक रहीं क्योंकि उन्हें लगा कि कार्यक्रम ने एक सैद्धान्तिक आधार प्रदान किया है जिससे वे समाजसेवा का नजरिया लेकर एक अच्छे न्यायाधिपति बन सकते हैं।

**पी. – 272 : अधिनिर्णयन प्रबन्ध पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला : जन अपराधों और जन अपकृत्यों के मामलों में अधिनिर्णयन (अक्टूबर 9–12, 2009)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में अक्टूबर 9–12, 2009 के बीच अधिनिर्णयन प्रबन्ध पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला : जन अपराधों और जन अपकृत्यों के मामलों में अधिनिर्णयन का आयोजन किया गया। सामाजिक परिपेक्ष्य में जन–अपराध पर प्रमुख फोकस के साथ पी. यू. सी. एल. नई दिल्ली से श्री पुष्कर राज ने एक प्रस्तुति दी और प्रस्तुति के बाद श्री सुरेन्द्र सिंह, आई. पी. एस., ए.डी.जी. भोपाल ने जांच और अभियोजन से सम्बंधित मुद्दों पर चर्चा की। न्यायाधिपति एन. के. जैन ने सत्र में अध्यक्षता की। न्यायाधिपति पी. वी. रेड्डी द्वारा निर्देशित प्रतिभागियों ने जन–अपराधों की सुनवाई, सबूत और कानून का अभिमूल्यन, न्यायन और सजा से सम्बंधित मद्दों का विश्लेषण किया। न्यायाधिपति मुरलीधर और श्री सतीनाथ सारंगी ने जन अपकृत्यों के सामाजिक परिपेक्ष्य पर अपनी प्रस्तुतियां दीं। न्यायाधिपति पी. वी. रेड्डी और न्यायाधिपति मुरलीधर ने जन अपकृत्यों में शिकार के उपचार, और जन अपकृत्यों के मामलों में परीक्षण की परिचर्चाओं का मार्गदर्शन किया और जन अपकृत्यों के मामलों में राहत और मुआवजे पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों ने जन अपराधों और जन अपकृत्यों के मामलों से निपटने की विभिन्न विधियों पर चर्चा की, जो अदालतों में देरी के महत्वपूर्ण कारणों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

**पी. – 274 : गरीबी उन्मूलन, सामाजिक बहिष्कार का मुकाबला और सामाजिक न्याय को बढ़ना : अदालतों का योगदान, पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रीय संगोष्ठी (अक्टूबर 24–25, 2009)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल, में गरीबी उन्मूलन, सामाजिक बहिष्कार का मुकाबला और सामाजिक न्याय को बढ़ाना : अदालतों का योगदान, पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रीय संगोष्ठी का अक्टूबर 24–25, 2009 को आयोजन किया गया। कार्यक्रम का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय के एजेन्डा को न्यायाधीशों के विचारार्थ सामने रखना और रिट अदालत की भूमिका का पता लगाना और उसे बढ़ाना था।

कार्यक्रम के सामाजिक न्याय पक्ष पर प्रकाश डालने और चर्चा का कार्य तीन सत्रों में, अर्थात भारतीय राजनीति में दलित की स्थिति, अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियां, और दस्ती सफाई : एक केस स्टडी सम्पन्न हुआ। भोजन पाने का अधिकार, बढ़ती असमानताएं और कृषि प्रधान संकट पर हुए सत्रों में देश की गरीबी से सम्बंधित चुनौतियों पर फोकस रहा। 'दी हिन्दू' से वरिष्ठ पत्रकार श्री पी. साईंनाथ ने ग्रामीण संकट के विषय पर संबोधित किया और श्री विल्सन बेजबडा की दस्ती-सफाई की प्रस्तुति दी कि कैसे देश कानून लागू होने के बावजूद अपमानजनक और अमानवीय प्रथा उन्मूलन में अब तक नाकामयाब रहा है, पर ध्यान केन्द्रित किया।

**पी. – 277 : न्यायाधीशों द्वारा समय प्रबन्धन हेतु तकनीक और उपकरण पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (नवम्बर 6 – 8, 2009)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने न्यायाधीशों द्वारा समय प्रबन्धन हेतु तकनीक और उपकरण पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला का आयोजन नवम्बर 6 – 8, 2009 को किया गया। प्रबन्ध के परिपेक्ष्य में समय प्रबन्धन पर समझ का विस्तार करने के लिए डॉ. रविचन्द्रन, निदेशक और डॉ. अशरफ रिजवी, प्रोफेसर, आई. आई. एम ने विभिन्न प्रस्तुतियां दीं और केस स्टडी की मदद से प्रकाश डाला। आई. आई. एम प्रस्तुतियों के तत्वाधान में प्रतिभागियों ने अनेक समूहों में समय प्रबन्धन की विभिन्न बाधाओं और उनके समाधानों की पहचान की। न्यायमूर्ति बी. एस. पाटिल और न्यायमूर्ति आर. सी. चवन ने न्यायाधीशों की समय प्रबन्धन की तकनीकों पर बहुमूल्य आदान देकर चर्चाओं का मार्गदर्शन किया। श्री आशीष शिरोडकर ने महाराष्ट्र मामला सूचना प्रणाली पर एक प्रस्तुति दी जिसने समय पर मामलों में प्रवाह के प्रबन्धन के लिए प्रभावी प्रणाली दी। न्यायाधिपति बी. एस. पाटिल के मार्गदर्शन में प्रतिभागी न्यायाधीशों ने प्रभावी समय प्रबन्धन हेतु विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के बाद न्यायालयों में समय प्रबन्ध योजना का एक मसौदा तैयार किया।

**पी. – 279 : अधिनिर्णय प्रबन्धन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला : परिवारिक विवाद के मामलों में अधिनिर्णयन (नवम्बर 13–16, 2009)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में 'अधिनिर्णय प्रबन्धन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला : परिवारिक विवाद के मामलों में अधिनिर्णयन' का आयोजन नवम्बर 13 - 16, 2009 के बीच किया गया। कार्यक्रम में सोलह उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकारों से बाईस पारिवारिक न्यायालय न्यायाधीशों ने भाग लिया। कार्यक्रम का लक्ष्य पारिवारिक विवादों (आर्थिक-सामाजिक परिपेक्ष्य के विशेष सन्दर्भ में) के अधिनिर्णयन में शामिल मुद्दों की पहचान और पारिवारिक विवादों में संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा में न्यायालयों के योगदान, पारिवारिक न्यायालयों तक पहुंच बढ़ाने में आने वाली चुनौतियों की पहचान, ऐसे मामलों में असली हितों और मुद्दों से स्पष्ट भेद, वैवाहिक विवादों के लिए प्रभावी समाधान और उपचार, निगरानी और संरक्षता के विवाद के मामलों में बच्चों की भलाई की पहचान, घर की गोपनीयता में स्त्रियों की हिंसा से सुरक्षा पर प्रभावी न्यायिक रणनीतियों का विकास, को चर्चा करके स्पष्ट करना था।

नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी (NLIU) भोपाल से प्रोफेसर तपन मोहन्ती ने पारिवारिक विवाद के आर्थिक-सामाजिक परिपेक्ष्य को प्रगणित किया। न्यायाधिपति श्रीमती मंजु गोयल, न्यायिक सदस्य, विद्युत अपील अधिकरण, नई दिल्ली, माननीय सुश्री गीता मित्तल,

न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय और प्रोफेसर सुश्री पूनम सक्सेना (दिल्ली विश्वविद्यालय) ने पारिवारिक विवादों में संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा में न्यायालय के योगदान और पारिवारिक न्यायालयों की पहुंच बढ़ाने मे आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। न्यायाधिपति सुश्री रोशन दलवी और न्यायाधिपति सुश्री मंजु गोयल ने संवैधनिक मानदण्डों पर समझौता किये बिना प्रभावी समाधान और उपचार की ओर मोड़ने पर विचार-विमर्श और चर्चा की। न्यायाधिपति रोशन दलवी ने पॉवर पाइंट प्रेजेन्टेशन द्वारा घर की गोपनीयता में स्त्रियों की हिंसा से सुरक्षा पर प्रभावी न्यायिक रणनीतियों का विकास स्पष्ट किया।

डॉ. जी. मोहनगोपाल. निदेशक राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने पारिवारिक न्यायालय में प्रभावी प्रबन्धन के मुद्दों के साथ-साथ पारिवारिक विवादों में संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण जिससे स्वतन्त्रता, समानता और परिवार में स्त्रियों का सम्मान बढ़ाने में न्यायालय की मूल जिम्मेदारी पर चर्चा की। सुझाव दिया गया कि लंम्बित मामलों के विश्लेषण, उन्हें महत्व के क्रम में सुनवाई में प्राथमिकता देना, लक्ष्यों की स्थापना और उन्हें प्रप्ति के प्रयास करना मामला प्रबन्धन में मदद कर सकता है। प्रतिभागियों ने बताया कि उन्हें पारिवारिक विवादों को सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से संवैधानिक परिपेक्ष्य में देखने का एक अवसर कार्यक्रम ने प्रदान किया तथा स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा में संवैधानिक मानदण्डों को मन्द किये बिना उचित न्यायिक विधि और प्रबन्धत तकनीक के उपयोग में अपने योगदान को समझने में भी मदद की।

### पी. – 280 : नवोन्नत उच्च न्यायालय न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन (नवम्बर 13–15, 2009)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल ने नवम्बर 13 - 15, 2009 को 'नवोन्नत उच्च न्यायालय न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन' आयोजित किया। इस सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री के. जी. बालाकृष्णन भी शनिवार 14 नवम्बर, 2009 को उपस्थित हुए। सम्मेलन में लगभग 24 नवोन्नत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य सारे देश के नवनियुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने साथी न्यायाधीशों और न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्यों से न्यायिक प्रणाली और इसकी देश के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां और चुनौतियों का सामना करने में न्यायालयों का योगदान पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करना था। मुख्य बिन्दु जिन पर कार्यक्रम में विचार विमर्श हुए - अधिनिर्णयन में उत्कृष्टता वृद्धि : आम मुद्दे और चुनौतियां, न्यायिक समीक्षा, सार्वजनिक हित, मुकदमेबाजी, सत्ता अलगाव और न्यायिक सक्रियता, अधीनस्थ न्यायालयों के विकास और मजबूती के लिए रणनीतिक नेतृत्व प्रदान करना था। न्यायाधिपति ए. एम. अहमदी, न्यायाधिपति एस. बी. सिन्हा, न्यायाधिपति पी सदाशिवम, न्यायाधिपति जी. एस. सिंघवी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट श्री के. के वेणुगोपाल ने चर्चा में आये, विभिन्न प्रकरणों में महत्वपूर्ण आदान दिया तथा बीस नवनियुक्त/ नवोन्नत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मार्गदर्शन दिया।

सम्मेलन में यह विचार स्थापित हुआ कि यह न्यायाधिकरण ही है, जिसे लागू करने के लिए परिवर्तन प्रस्तावित करते हुए सरकार का दृष्टिकोण बनाना है। न्यायपालिका में एक राष्ट्रीय सहमति विकसित होनी चाहिए कि न्यायाधिपति और न्यायप्रणाली से क्या आपेक्षित है? यह समझा और स्वीकारा गया कि यह न्यायपालिका में बौद्धिक बहस और महत्वपूर्ण अन्तर्निहित कानूनी अवधारणाओं की समझ की स्थापना द्वारा होगा।

**पी. – 282 : जनवरी 2008 से कानून के विकास में उच्च न्यायालय के योगदान पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी (नवम्बर 20 – 22, 2009)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने जनवरी 2008 से कानून के विकास में उच्च न्यायालय के योगदान पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी का आयोजन नवम्बर 20 – 22, 2009 में किया। इस कार्यक्रम का संक्षिप्त लक्ष्य सारे देश के जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों को कानूनी विकास के नये क्षेत्रों, न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियो और विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों के माध्यम से कानून को योगदान पर चर्चा के लिए एक मंच पर लाना था। सभी प्रतिभागियों ने अपने उच्च न्यायालय द्वारा जनवरी 2008 से कानून के विकास में योगदान पर लिए गये फैसलों पर प्रकाश डालते हुए पेपर प्रस्तुत किये। कार्यशाला में जिला न्यायाधिकरणों से पच्चीस न्यायाधीशों ने भाग लिया।

**पी. – 283 : वैश्वीकरण और भारतीय न्यायिक प्रणाली : महत्वपूर्ण मुद्दे और चुनौतियों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन (नबम्बर 21–22, 2009)**

भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने नवम्बर 21 – 22, 2009 को वैश्वीकरण और भारतीय न्यायिक प्रणाली : महत्वपूर्ण मुद्दे और चुनौतियों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का लक्ष्य वैश्वीकरण पर विभिन्न विचार प्रस्तुत करके न्यायपालिका के लिए इसकी एक प्रासंगिक समझ पर पहुंचने से था। सम्मेलन की अध्यक्षता न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा और दूसरे प्रख्यात स्त्रोत पुरूषों (Resource Person) ने वैश्वीकरण और इसके प्रभावों से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए की। सुश्री उत्सा पटनायक कृषि-प्रधान संकट पर बोलीं तथा इसे 1991 के बाद के आर्थिक सुधारों से जोड़ा। श्रम कानून से सम्बंधित सत्र में संवैधानिक न्यायालयों के हाल ही में हुए विभिन्न फैसलों को साठ और सत्तर के दशक के दौरान इस क्षेत्र में प्राप्त लाभ को कैसे पूर्ववत किया,पर गहन चर्चाएं हुईं। सुश्री सुधा भारद्वाज ने भी अपनी प्रस्तुति में कहा कि किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन ने श्रमशक्ति को पूरी तरह से हाशिये पर कर दिया है। प्रमुख कार्यकर्ता सुश्री मेधा पाटकर ने वैश्वीकरण का देश में जनता के जीवन पर प्रभाव को प्रतिबिम्बित किया। इसे उदाहरण देकर स्पष्ट करने में उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से हजारों लोगों के विस्थापन में राज्य की प्रतिक्रिया का उल्लेख किया।

**पी. – 286 : तनाव प्रबन्धन की तकनीक और उपकरणों पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (दिसम्बर 4 – 6, 2009)**

डॉ. मन्जु मेहता, प्रमुख, (नैदानिक मनोविज्ञान) एम्स, नई दिल्ली की मदद से दिसम्बर 4 – 6, 2009 को 'न्यायाधीशों के लिए तनाव प्रबन्धन' पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला की अवधारणा व उसका विकास किया गया। इस मॉड्यूल के अन्तर्गत (1) तनाव की समझ (2) तनाव के स्त्रोतों की पहचान (3) दैनिक जीवन पर तनाव के प्रभाव, प्रकरण पूरे किये गये। न्यायाधिपति बी. एस. पाटिल और न्यायाधिपति भरूका ने न्यायाधीशों के तनाव प्रबन्धन के महत्व को बताया। डॉ मन्जु मेहता ने सुश्री गीतांजली चुग के साथ मिलकर तनाव प्रबन्धन की तकनीकों पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। प्रतिभागियों के साथ गहन चर्चाओं के बाद डॉ मन्जु मेहता ने न्यायाधीशों के तनाव प्रबन्धन की एक योजना का निर्माण किया।

**पी. – 287 : जनवरी 2008 से कानून के विकास में सर्वोच्च न्यायालय का योगदान राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी (दिसम्बर 4 – 6, 2009)**

जिला न्यायालय की जनवरी 2008 से कानून के विकास में सर्वोच्च न्यायालय के योगदान पर एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी का आयोजन दिसम्बर 4 से 6, 2009 को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी 2008 से दिए गये फैसले कार्यक्रम का केन्द्रबिन्दु थे, इन फैसलों ने कानून के विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने में योगदान दिया। न्यायिक प्रशासन प्रणाली द्वारा सामना की जाने वाली सात चुनौतियों – (1) मौलिक अधिकार हासिल करना (2) गरीबी उन्मूलन और न्याय (3) सामाजिक एकता को मजबूत बनाना (4) सुरक्षा, संरक्षा और नुकसान का निवारण (5) पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ाना (6) कानून के नियम और संवैधानिक शासन (7) निवेश और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाना, के लिए नई पहल और दृष्टिकोण का पता लगाने का विचार था।

सम्पूर्ण देश के जिला न्यायालयों से सत्ताइस न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में न्यायिक निर्णय के माध्यम से किये गये योगदान परं अपने शोधपत्र प्रस्तुत किये। प्रत्येक प्रतिभागी ने जनवरी 2008 से लिए गये महत्वपूर्ण फैसलों पर प्रकाश डालते हुए 30-40 मिनिट की प्रस्तुति दी और प्रत्येक प्रस्तुति के बाद परस्पर संवादात्मक (Interactive) चर्चाएं हुईं।

**पी. – 289 : अधिनिर्णयन प्रबन्ध पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला : महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के मामलों में अधिनिर्णयन (दिसम्बर 11–14, 2009)**

न्यायिक प्रबन्ध के कार्यक्रमों की श्रंखला में, 'अधिनिर्णयन प्रबन्ध : महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के मामलों में अधिनिर्णयन' पर एक कार्यशाला राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में दिसम्बर 11-14, 2009 के बीच हुई। कार्यशाला में सम्पूर्ण देश की जिला न्यायपालिका से छब्बीस न्यायाधीशों ने भाग लिया। कार्यक्रम का लक्ष्य विभिन्न ज्ञान और कौशल आवश्यकताओं को लेकर महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार के मामलों के न्यायिक प्रबन्ध की गुणवत्ता को मजबूत बनाना था। महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार (दहेज, महिलाओं पर क्रूरता और घरेलू हिंसा) पर फोकस रखते हुए कार्यक्रम में अन्य सम्बंधित पहलुओं जैसे – महिलाओं के विरुद्ध प्रत्येक प्रमुख प्रकार के अत्याचार में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि, प्रासंगिक न्यायालय और मामला प्रबन्धन विधि, मूल और प्रक्रियात्मक कानून, पहचानने और निर्णय लेने के कौशल और गुणवत्ता व सामयिकता के मूल्यांकन को भी लिया गया।

न्यायाधिपति के. कन्नन, न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा न्यायाधिपति रोशन दलवी, की अध्यक्षता वाले एक सत्र में सुश्री तृप्ति पंचाल, सहायक प्राध्यापक, टी. आई. एस. एस. मुम्बई, ने घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रासंगिक लैंगिक मुद्दों पर प्रस्तुति दी। सामूहिक वकीलों से पैनलिस्ट सुश्री सोनल मखीजा, और उज्जवला कडरेकर ने घरेलू हिंसा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की न्यायिक व्याख्याओं के नवीनतम रूझानों पर विशेष जोर के साथ अधिनियम का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया। न्यायाधिपति के. कन्नन, स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचारों की रोकथाम के तहत मूल कानूनी और प्रक्रियात्मक मुद्दों और घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत मामलों में तथ्यों और कानून की गुण दोष विवेचना सहित घरेलू हिंसा अधिनियम पर बोलीं। प्रोफेसर पूनम सक्सेना ने घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या को प्रगणित किया। कैम्पस लॉ सेन्टर, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बी. टी. कॉल ने स्त्रियों पर अत्याचार के लिए सजा सहित उचित उपाय और सजा पर प्रकाश डाला। लाविया अग्नेस, कार्यकर्ता और डॉ. ऋतु नन्दा, मनोवैज्ञानिक स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार, अत्याचारों के प्रकार तथा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष्य पर बोलीं।

**पी. – 290 : अधिनिर्णयन प्रबंधन: यौन अपराधों और तस्करी से सम्बंधित मामलों में अधिनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (दिसम्बर 18–21, 2009)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में दिसम्बर 18–21, 2009 को अधिनिर्णयन प्रबन्धन : यौन अपराधों और तस्करी से सम्बंधित मामलों में अधिनिर्णयन पर एक राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का फोकस स्त्रियों के विरुद्ध अपराधों (तस्करी और यौन अपराध) में अधिनिर्णयन पर था। कार्यशाला की संरचना में सामाजिक परिपेक्ष्य में विभिन्न विषयों, स्वरूप और व्यापकता, जांच, तस्करी और यौन अपराधों के फैसले, न्याय तक पहुंच, कानूनी सेवा प्राधिकरण को लेना था। कार्यशाला का लक्ष्य जजों को स्त्रियों और बच्चों की तस्करी की वैश्विक समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना था। सम्पूर्ण भारत के जिला न्यायाधिकरणों से लगभग तीस सदस्यों ने कार्यशाला में सहभागिता ली।

विभिन्न प्रकरणों पर चर्चाओं का नेतृत्व न्यायाधिपति प्रभा श्रीदेवन (मद्रास उच्च न्यायालय), न्यायाधिपति अन्जना प्रकाश (पटना उच्च न्यायालय), श्री पी. एम. नायर, सुश्री सुनीता कृष्णन, सुश्री उज्जवला कदरेकर वकील समूह जैसे प्रख्यात वक्ताओं ने किया।

**पी. – 292 : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 'पर्यावरण संरक्षण : महत्वपूर्ण मुद्दे और चुनौतियां' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (जनवरी 16–17, 2010)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में जनवरी 16–17, 2010 को 'पर्यावरण संरक्षण : महत्वपूर्ण मुद्दे और चुनौतियों' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का लक्ष्य उच्च न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्यों का ध्यान मानव समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बेकार और बेईमानी भरी गतिविधियों द्वारा लाये गये सतत पर्यावरण पतन की ओर आकर्षित करना था। द्वि-दिवसीय चर्चाओं का मार्गदर्शन प्रतिष्ठित पैनलिस्ट न्यायाधिपति मुकुन्दकाम शर्मा, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, डॉ. सुनीता नारायन, निदेशक विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र, सुश्री अनुमिता रॉयचौधरी और श्री कौशल यादव (विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र से) श्री रामास्वामी अय्यर, नीति और अनुसंधान केन्द्र, सुश्री मधु सरीन, सुश्री मधु बर्मा, और सुश्री डी नागासैला ने किया। विभिन्न उच्च न्यायालयों से भाग लेने वाले न्यायाधीशों ने पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाने में भारतीय न्यायपालिका द्वारा उठाये जा सकने वाले कदमों पर मजबूत और तीखी बहस की। उसके बाद परिचर्चा का प्रमुख बिन्दु निष्कर्ष में आया कि गरीबी, सामाजिक बहिष्कार, और पर्यावरण गहन रूप से अन्तर्सम्बंधित है। इसलिए सभी लोग इस बात पर सहमत हुए कि पर्यावरण कानून का अध्ययन मानव, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के बहिष्कार से नहीं हो सकता।

**पी. – 294 : परीक्षण प्रक्रिया प्रबन्धन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (जनवरी 8 – 10, 2010)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में जनवरी 8 –10, 2010 को परीक्षण प्रक्रिया प्रबन्धन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का लक्ष्य परीक्षणों की गुणवत्ता और समयबद्धता बढ़ाने के लिए प्रभावी रणनीतियों की पहचान करना था। कार्यक्रम में वकीलों और दूसरे हितधारकों की परीक्षण में देरी लाने की चालबाजी की काउंटर रणनीतियों, समय पर परीक्षण सुनिश्चित करने में पुनरीक्षण और अपीलीय न्यायालयों का योगदान, परीक्षण समय पर पूरा करने के लिये प्रोत्साहन पर न्यायिक निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का योगदान और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नियोजन और प्रबन्धन प्रणाली पर चर्चाएं हुई। कार्यक्रम में परीक्षण प्रक्रिया प्रबन्धन में अधिक प्रभावी रणनीतियों के विकास में 'खेल सिद्धान्त' के प्रयोग पर चर्चा हुई। न्यायाधिपति आर. बसन्त ने कार्यशाला की अध्यक्षता की और मार्गदर्शन दिया। कार्यशाला में जिला न्यायपालिका के लगभग तीस न्यायाधीश उपस्थित हए।

## पी. – 295 : वैश्वीकरण : जिला न्यायपालिका के लिए प्रमुख चुनौतियां , पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी ( जनवरी 8 – 10, 2010)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल में जनवरी 8 – 10, 2010 को 'वैश्वीकरण : जिला न्यायपालिका के लिए प्रमुख चुनौतियों' पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का कुल लक्ष्य वैश्वीकरण की चुनौतियों का प्रभावी रूप से जवाब देने के लिए जिला स्तर पर किस प्रकार की न्यायिक प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता है, पर चर्चा करना था। इस तीन दिन के कार्यक्रम में पच्चीस जिला न्यायाधीशों ने भाग लिया और आपराधिक न्याय प्रणाली और नई अर्थव्यवस्था में गरीबों के अनुभव, वैश्वीकरण के मद्देनजर वैश्यावृत्ति और तस्करी के मामलों में अधिनिर्णयन, कामकाजी वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा, श्रम कानून के घटनाक्रम, पर्यावरण सुरक्षा में अधीनस्थ न्यायालयों की भूमिका, विशेष श्रेणी में आने वाले मामलों के नियोजन और प्रबन्ध में जिला न्यायाधीशों की निरीक्षण की भूमिका और वैश्विक राजनीति में असन्तोष के लिए लोकतान्त्रिक स्थान और संगठन के प्रकरणों को लिया गया। कार्यक्रम में विश्लेषण किया गया कि वैश्वीकरण ने देश में किस प्रकार स्थानीय आबादी को और अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य को प्रभावित किया और उभरती चुनौतियों पर उचित प्रतिक्रियाओं की चर्चाएं की गईं। न्यायाधिपति टी. बी. राधाकृष्णन, न्यायाधिपति डी. हरी पारन्थनम्, श्री टी. मोहन और श्री पी. पी. पाटकर आर. वैगे, श्री पॉल दिवाकर और श्री विल्सन बैजवाडा ने स्त्रोत पुरूष (Resource Person) के रूप में प्रत्येक प्रकरण पर बहुमूल्य अन्तर्दृष्टि देकर परिचर्चाओं का मार्गदर्शन किया।

## पी. – 296 : अधिनिर्णयन प्रबन्ध : सामाजिक सुधार, संवैधानिक अधिकारों और नागरिक अधिकारों से सम्बंधित मामलों में अधिनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (जनवरी 15–18, 2010)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में जनवरी 15–18, 2010 को अधिनिर्णयन प्रबन्ध : सामाजिक सुधार, संवैधानिक अधिकारों और नागरिक अधिकारों से सम्बंधित मामलों में अधिनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का फोकस निर्धारित श्रेणी की मुकदमेबाजी से कैसे निपटा जाय। कार्यक्रम में लिए गये प्रमुख प्रकरण – गरीबी, सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक न्याय, समाज सुधार, नागरिक स्वतन्त्रताएं और संवैधानिक अधिकार थे। न्यायाधिपति के. चन्द्रू ने बताया कि भारत में प्रत्येक न्यायाधीश को संवैधानिक दर्शन का पालन और बिना संवैधानिक सिद्धान्तों के उपयोग के कोई न्यायाधीश किसी मामले में फैसला नहीं ले सकता। चर्चा का केन्द्रबिन्दु सामाजिक न्याय को समाज के नजरिये से कैसे देखें अर्थात 'मांग पक्ष' की ओर भी रहा। एन. एल. एस. से प्रोफेसर जॉफेट ने भारत में सामाजिक न्याय के संघर्ष को भी बताया। न्यायाधिपति रामास्वामी ने संविधान में प्रतिष्ठापित सामाजिक न्याय लक्ष्यों को साकार करने में न्यायालयों के योगदान पर एक प्रस्तुति दी। न्यायाधिपति रामास्वामी के अनुसार सामाजिक पुनर्गठन की संवैधानिक प्रतिबद्धता मुख्य रूप से भाग – 4 में दी गई है, जो कि 'आम लोगों के अधिकारों का चार्टर' है। अधीनस्थ न्यायालयों को यह गरीबों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में अर्थिक न्याय सुनिश्चित करने में एक अधिकार स्त्रोत के रूप में है। जयपुर राजस्थान से श्री मिमरोठ ने अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के अनेको उदाहरण प्रस्तुत किये। उनके विचार में अधिकांश विवाद भू–अधिकारों पर थे। दिल्ली से श्री पॉल दिवाकर के अनुसार दुर्भाग्य से भारत का सामाजिक ढांचा जाति आधरित था और इससे भेदभाव की भावना पनपी। दलित मानवाधिकार के राष्ट्रीय अभियान से डॉ. एस. प्रसाद एस. सी./एस. टी (पी.ओ. ए.) अधिनियम के प्रति गलत धारणाओं पर बोले। उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि तकनीकी आधारों पर अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह लागू नहीं किया जाता और न्यायाधीश 96.7 प्रतिशत मामलों में अभियुक्तों को अपराधमुक्त कर देते हैं। श्री विल्सन बेजवाडा (जो दस्ती सफाई उन्मूलन और पुनर्वास आन्दोलन में एक प्रतिष्ठित कार्यकर्ता है) ने सफाई कामगारों की भारत में मौजूदा वास्तविकताओं पर एक मार्मिक प्रस्तुति दी।

डॉ. एस. मुरलीधर ने कहा कि न्यायाधीश की ओर से इसमें एक सक्रिय रवैया अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने न्यायाधीशों को बाहर समुदाय तक पहुचने और कानूनी सेवाओं के अधिकार को अधिकतम संभावित सीमा तक उपयोग करने की सलाह दी। अधिवक्ता बी. बी. मोहन ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने मानव अधिकारों को उतनी गम्भीरता से नहीं लिया है जितना कि लेना चाहिए था। उन्होने वकालत की कि जब भी अभियुक्त, कैदी या किसी के भी संवैधानिक अधिकार दांव पर हो तो मामलों से सभी स्तरों पर कानून के सख्त उपयोग होना चाहिए। सुश्री सुधा भारद्वाज ने भी मत दिया कि संविधान को कायम रखना ही नागरिक स्वतन्त्रताओं की रक्षा है।

**पी. – 297 : गरीबी, सामाजिक बहिष्कार और सामाजिक न्याय : जिला न्यायपालिका के लिए प्रमुख चुनौतियां पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी (जनवरी 15 – 17, 2010)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल में जनवरी 15–17, 2010 को 'गरीबी, सामाजिक बहिष्कार और सामाजिक न्याय : जिला न्यायपालिका के लिए प्रमुख चुनौतियाँ ' पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का आयोजन अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को गरीबी और सामाजिक न्याय के लिए संवेदनशील बनाने के लक्ष्य से किया गया। प्रोफेसर (डॉ.) जी. मोहन गोपाल ने गरीबी की स्थिति का एक विवरण देकर अर्जुन सेनगुप्ता समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें भी प्रस्तुत कीं। न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर, न्यायमूर्ति के. रामास्वामी और न्यायमूर्ति के. चन्द्रू ने स्त्रोत पुरूष (Resource Person) के रूप में अपने विचार प्रस्तुत किये, मार्गदर्शन दिया और प्रतिभागियों में विचारविमर्श को सुविधाजनक बनाया। संगोष्ठी में सम्पूर्ण देश से आये हुए लगभग तीस जिला न्यायाधीशों ने अपनी प्रतिभागिता दी।

**पी. – 298 : अपील और संशोधन कार्यवाही प्रबन्धन राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (जनवरी 22 – 24, 2010)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने जनवरी 22 – 24, 2010 को अपील और संशोधन कार्यवाही प्रबन्धन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम का लक्ष्य दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में अपील और संशोधन की कार्यवाही में आने वाले मुख्य न्यायिक कौशलों का विश्लेषण और उनकी उत्कृष्टता को बढ़ाना था। जिला न्यायपालिका से पच्चीस न्यायाधीशों को न्यायाधिपति सुनील अम्बानी, न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय और न्यायाधिपति के. कन्नन, न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्त्रोत पुरूष के रूप में मार्गदर्शन दिया। परिचर्चा में आये विषय – दीवानी अपील : अपीलीय न्यायालय का योगदान व जिम्मेदारियां और हस्तक्षेप का दायरा, सिविल संशोधन : उपयोग ओर मुद्दे : हस्तक्षेप का दायरा, आपराधिक अपील : अपीलीय न्यायालय का योगदान व जिम्मेदारियां और हस्तक्षेप का दायरा, उपयोग एवं दुरुपयोग : हस्तक्षेप का दायरा, थे। अन्तर्निहित विषय था कि जल्दी और समय पर न्याय सुनिश्चित करने तथा लम्बित कम करने में अपील और संशोधन की कार्यवाही का प्रभावशाली उपयोग हो सकता है। न्यायाधिपति सुनील अम्बवानी ने अपील और संशोधन को त्वरित न्याय, लम्बित कम करने, अधिकार संरक्षण और फैसला लेखन के उपकरण में भी आगे बढ़ाया।

**पी. – 300 : कानून के विकास (2008 से अब तक) में उच्च न्यायालयों के योगदान पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रीय संगोष्ठी (जनवरी 23–24, 2010)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने जनवरी 2008 से कानून के विकास में उच्च न्यायालयों के योगदान पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का जनवरी 23 – 24, 2010 को आयोजन किया। इस कार्यक्रम का संक्षिप्त लक्ष्य सम्पूर्ण देश के उच्च न्यायालय के

न्यायाधीशों को एक जगह लाकर विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों के माध्यम से कानून के विकास के नये क्षेत्रों और न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों की परिचर्चा करना था। कार्यक्रम के विषय के अनुसार प्रतिभागियों ने अपने-अपने उच्च न्यायालय में जनवरी 2008 से कानून के विकास में योगदान देते हुए लिए गये फैसलों पर प्रकाश डालते हुए 30 - 40 मिनिट की प्रस्तुति दी। प्रत्येक प्रस्तुति के बाद परस्पर संवादात्मक चर्चाएं हुईं जिनमें विस्तृत क्षेत्र में भारतीय न्यायपालिका के योगदान को लिया गया। न्यायाधिपति एस. बी. सिन्हा, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय ने सगोष्ठी के दो सत्रों की अध्यक्षता की, और गहनता से प्रस्तुति के बाद की चर्चाओं में योगदान दिया। सम्पूर्ण देश से लगभग तीस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने संगोष्ठी में सहभागिता की।

**पी. - 303 : अदालतों में देरी और बकाया में कमी लाने के लिए ए. डी. आर. और प्ली (Plea) बार्गेनिंग के प्रभावी उपयोग पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (फरवरी 5 - 7, 2010)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने अदालतों में देरी और बकाया में कमी लाने के लिए ए. डी. आर. और प्ली (Plea) बार्गेनिंग के प्रभावी उपयोग पर एक राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला का फरवरी 5 - 7, 2010 को आयोजन किया। कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य ए. डी. आर और प्ली बार्गेनिंग का उपयोग करके न्यायालयों में देरी और बकाया में कमी लाने की विधि का विकास करना था। इस जिला न्यायपालिक न्यायाधीशों के तीन दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन में - (1) ए. डी. आर और न्यायिक मुद्दे (2) ए. डी. आर. : आलोचनात्मक मूल्यांकन (3) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम और इसकी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए प्रासंगिकता (4) ए. डी. आर का वैवाहिक मामलों में उपयोग कैसे हो? (5) सी. पी. सी. के सैक्शन 89 के कार्यान्वयन का कौशल (6) आपराधिक मामलों में प्ली बार्गेनिंग - (क) वर्तमान मुद्दे और चुनौतियां (ख) संवैधानिक रक्षोपाय (7) एन. ए. एल. एस. ए. का योगदान और (8) ए. डी. आर. की भावना के प्रकरणों पर चर्चा हुई। न्यायाधिपति अमित तालुकदार, न्यायाधिपति अर्जुन सिकरी, न्यायाधिपति मंजु गोयल, श्री फिरदौस अली कासम, श्री आर. आर प्रसाद, डॉ भास्कर मोहन और श्री सरथचन्द्रन ने स्त्रोत पुरूषों के रूप में प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया।

**पी. - 305 : अधिनिर्णयन प्रबन्ध पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला : नागरिक विवादों से सम्बंधित मामलों में अधिनिर्णयन (फरवरी 12-15, 2010)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी परिसर भोपाल में 'अधिनिर्णयन प्रबन्ध : नागरिक विवादों से सम्बंधित मामलों में अधिनिर्णयन' पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला का फरवरी 12 - 15, 2010 को आयोजन किया गया। कार्यशाला का लक्ष्य सिविल न्यायालयों की क्षमता और दृष्टिकोण से वर्तमान सिविल अधिनिर्णय को अधिक प्रभावपूर्ण करने में मजबूत बनाना और सिविल अधिनिर्णय के नये क्षेत्रों पर प्रकाश डालना था। कार्यक्रम का इरादा प्रतिभागियों को वर्तमान और उभरते नये सिविल मामलों में और अधिक प्रभावी अधिनिर्णयन की रणनीतियों से सुसज्जित करना था। कार्यक्रम में, अधीनस्थ न्यायपालिका का द्वासमान सिविल न्यायक्षेत्र, नागरिक मुकदमेबाजी (भूमि और सम्पत्ति) के वर्तमान क्षेत्रों में अधिनिर्णयन प्रबन्ध की प्रभावशीलता का मूल्यांकन, अनुबन्ध विवाद (सम्पत्ति दावा सहित), सामाजिक आवश्यकताओं जैसे - 1. अपकृत्य, 2. पर्यावरण संरक्षण 3. नागरिक अधिकार और वैयक्तिक विवाद, 4. कम्पनी और निगमित कानून, 5. आई. पी. आर., सैक्शन 89 सी. पी. सी., ए. डी. आर, और न्यायालयों का योगदान, नागरिक विवादों में न्यायालय

और मामला प्रबन्धन, की प्रतिक्रिया में नागरिक अधिनिर्णयन के बढ़ते हुए क्षेत्र जैसे विषय लिये गये। न्यायाधिपति पी. के. बालासुब्रमणियम, न्यायधिपति वी. वी. एस. राव, न्यायाधिपति नवीन सिन्हा, न्यायाधिपति संजीव बैनर्जी, ने परिचर्चाओं की अध्यक्षता और स्त्रोत पुरुष के रूप में कार्यशाला का मार्गदर्शन किया। जिला न्यायाधिकरणों के लगभग तीस न्यायाधीशों ने कार्यशाला में प्रतिभागिता की।

### पी. – 306 : कानून के विकास (2008 से अब तक) में सर्वोच्च न्यायालय के योगदान पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रीय संगोष्ठी (फरवरी 13–14, 2010)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने फरवरी 13 व 14, 2010 को कानून के विकास (2008 से अब तक) में सर्वोच्च न्यायालय के योगदान पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम का प्रमुख फोकस कानून के विकास को बढ़ाने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी 2008 से दिये गये विभिन्न फैसलों पर था। नई पहल और दृष्टिकोण का पता लगाना और चर्चा करना और न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाले कानूनी विकास के नये विचारों और चुनौतियों की चर्चा करना और उच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों से नये कानूने के विकास पर योगदान करने का विचार था। उच्च न्यायालय के तीस प्रतिभागी न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जनवरी 2008 से लिए गये महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयो से किये गये योगदान पर लगभग 30–40 मिनिट में अपने पेपर प्रस्तुत किए। प्रत्येक प्रस्तुति के बाद इंटरैक्टिव चर्चाए हुई। न्यायाधिपति दलवीर भंडारी और न्यायाधिपति ए. के. पटनायक ने दो दिवसीय संगोष्ठी की सह–अध्यक्षता की तथा प्रस्तुतियों के बाद होने वाली चर्चाओं में गहनता से योगदान किया।

### पी. – 309 : अधिनिर्णयन प्रबन्ध पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला : उपभोक्ता विवादों से सम्बंधित मामलों में अधिनिर्णयन (मार्च 5–8, 2010)

अधिनिर्णयन प्रबन्ध : उपभोक्ता विवादों से सम्बंधित मामलों में अधिनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में मार्च 5–8, 2010 को आयोजित की गयी। सम्पूर्ण देश से जिला उपभोक्ता मंच के उन्नीस अध्यक्षों ने कार्यशाला में भाग लिया। कार्यक्रम का लक्ष्य अधिनिर्णयन में विविध ज्ञान और कौशल की आवश्यकता वाले अधिनिर्णयन प्रबन्ध की गुणवत्ता को मजबूत करना था। कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण कानून, भारत में उपभोक्ता न्यायालयों की कार्यप्रणाली, भारत में अपकार( Tort )कानून, उपभोक्ता मन्च के सामने कार्यवाही के क्षेत्र और चरण, उचित क्षतिपूर्ति का आकलन, मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना, फैसलों का प्रवर्तन और फैसलों में निहित निर्णयन की गुणवत्ता आदि जैसे विषयों को लिया गया।

अधिनिर्णयन प्रबन्ध कार्यक्रम के सामान्य परिचय के पश्चात प्रतिभागियों ने उपभोक्ता विवाद से सम्बंधित अधिनिर्णयन के मामलों में प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों की पहचान की। उपभोक्ता संरक्षण के सामाजिक और आर्थिक आयामों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया। न्यायाधिपति भंवरसिंह ने ब्रेक–आउट समूहों के प्रस्तुति सत्रों की अध्यक्षता की, न्यायाधिपति भंवरसिंह और डॉ. पी. के. अग्रवाल भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून और मंच के महत्वपूर्ण मूल्यांकन और भारत में उपभोक्ता अदालतों के कामकाज के मूल्यांकन पर बोले। न्यायाधिपति एम. बी. शाह, सेवानिवृत न्यायाधीश भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सत्र की अध्यक्षता की और न्यायाधिपति भंवरसिंह ने अपकार (Tort) कानून और भारत में उपभोक्ता – महत्वपूर्ण मुद्दों और रणनीतियों का आकलन और महत्वपूर्ण मुद्दों पर उपभोक्ता मंचों के सम्मुख कार्यवाही को सम्बोधित किया। उपभोक्ता मंचों के सम्मुख तथ्यों और सबूतों की सराहना के महत्वपूर्ण मुद्दों

को सम्बोधित करने की रणनीतियों, उचित क्षतिपूर्ति का आकलन, मामलों के शीघ्र निपटारे और न्याय के प्रवर्तन सुनिश्चित करने पर चर्चाएं हुई। न्यायाधिपति एम. बी. शाह ने सत्र की अध्यक्षता की और स्त्रोत पुरुषों के पैनल, अर्थात् न्यायाधिपति भंवर सिंह और श्रीमती राज्यलक्ष्मी राव मुद्दों पर बोले। न्यायाधिपति भंवरसिंह फैसलों में निर्णयन की गुणवत्ता पर बोले। उपभोक्ता विवाद के मामलों में व्यवहार करने में अध्यक्षों को उनके योगदान और जिम्मेदारियों का सुग्राहीकरण ही इस कार्यक्रम के माध्यम से मूल्यवर्द्धन था। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की बहुत अधिक प्रशंसा की। उनका प्रत्युत्तर इस अर्थ में बहुत उत्साहजनक था कि कार्यशाला ने उन्हें समाजसेवा के दृष्टिकोण के साथ एक अच्छे न्यायाधीश के विकास का एक सैद्धान्तिक आधार प्रदान किया।

**पी. – 311 : अनुसंधान कार्यक्रमों की समीक्षा पर राज्य न्यायिक अकादमियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी ( अप्रैल 20 – 21, 2010)**

राज्य न्यायिक अकादमियों की द्वि-दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में अप्रैल 20-21 , 2011 को अनुसंधान को बढ़ावा देने में अकादमियों के योगदान और अनुसंधान कार्यक्रमों के अनुभवों में सहभागिता के लिए किया गया। राज्य न्यायिक अकादमियों के निदेशक और संकाय सदस्य मिलाकर कुल उन्नीस प्रतिभागी कार्यक्रम में थे।

कार्यक्रम का लक्ष्य अनुसंधान कार्यक्रमों से न्यायिक प्रणाली की उत्कृष्टता बढ़ाने के तरीकों का पता लगाना था, जो स्वतन्त्रता संग्राम की विशेषताएं आत्मसात करते हुए संवैधानिक मूल्यों पर आधारित न्याय के मजबूत सिद्धान्तों के निर्माण की ओर अग्रसर हो।

कार्यक्रम में लिए गये प्रमुख मुद्दे – (1) अनुसंधान के योगदान और औचित्य को समझना (क्यों?), (2) अनुसंधान के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान (क्या?), (3) अनुसंधान के पद्धति के मुद्दे (कैसे?) (4) अनुसंधान कार्यक्रम की मूल्यांकन रणनीतियों को समझना और 2010-11 के लिए एक अनुसंधान ऐजेण्डा बनाना, रहे। सभी प्रतिभागियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि न्याय के एक नये सिद्धान्त की आवश्यकता है और उसमें न्यायाधीशों को एक क्रान्तिकारी भूमिका निभानी है। कार्यक्रम की समाप्ति पांच से अधिक अनुसंधान परियोजनाओं, जो कारणों का पता लगाने की रणनीति के साथ भारतीय न्यायपालिका को मामलों की पांच साल से अधिक की लंबमानता (Pendency)को अंगीकार करने के व्यवहार के साथ हुई।

**पी. – 312 : फैसला लेखन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (मार्च 19 – 21, 2010)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में मार्च 19 – 21, 2010 को फैसला लेखन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला न्यायपालिकाओं से तीस न्यायाधीशों की उपस्थिति वाले इस कार्यक्रम का लक्ष्य विभिन्न प्रकार के फैसलों में विश्लेषण हेतु मूल न्यायिक कौशलों की उत्कृष्टता बढ़ाने में मदद करना था। कार्यक्रम का फोकस न्यायिक फैसले लेखन के कौशल में भी बढ़ोत्तरी करना था। परिचर्चाएं प्रमुख रूप से – (1) अच्छे फैसले के क्या रूप हैं? (2) न्याय की गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का ढांचा (3) चुने हुए फैसलों की एक महत्वपूर्ण चर्चा (4) फैसले का मूल्यांकन कैसे हो? (5) फैसले में आधारभूत निर्णयन की गुणवत्ता (6) संप्रेषणीयता और लागू करने की क्षमता की गुणवत्ता का मूल्यांकन (7) फैसला लेखन में प्रथाओं और मानकों की सर्वोत्तम अभ्यास दिशा निर्देशों का विकास, के विषयों पर ही केन्द्रित रहीं। न्यायाधिपति वी. वी. एस. राव और न्यायाधिपति आर. बसन्त ने स्त्रोत पुरुष के रूप में अपने विचारों का सहभाजन करते हुए मार्गदर्शन दिया।

**पी. – 314 : भारतीय न्यायपालिका : अगले दशक, में पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रीय संगोष्ठी (मार्च 20–21, 2010)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में भारतीय न्यायिक प्रणाली की दीर्घकालीन चुनौतियां, और इन चुनौतियों की प्रतिक्रिया में न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाने में पहल पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी संयोजित की गई। संगोष्ठी में दस साल के करीब बची सेवा वाले लगभग सत्ताइस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। विख्यात पैनलिस्ट न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा, (भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश), न्यायाधिपति रूमा पाल, प्रोफेसर एन. आर. माधव मेनन, डॉ. एल. सी. जैन, डॉ. प्रभात पटनायक, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री फली एस. नरीमन और अधिवक्ता श्री प्रशान्त भूषण ने परिचर्चाओं का मार्गदर्शन किया। परिचर्चाएं प्रमुख रूप से भारतीय संविधान में जनता से वायदे, इक्कीसवी सदी में भारतीय राजनीति के लिए चुनौतियां न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा जैसे विषयों पर आधारित थी। सभा में महत्वपूर्ण टिप्पणियां करते हुए न्यायपालिका को संविधान में परिकल्पित सामाजिक-आर्थिक क्रांति की एक भुजा के रूप में बदलने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये।

**पी. – 316 : अदालत में मामलों का भार और मामला प्रबन्धन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (अप्रैल 2 – 4, 2010)**

अदालत में मामलों का भार और मामला प्रबन्धन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला का आयोजन अप्रैल 2-4, 2010 तक किया गया। कार्यशाला में सत्रह प्रदेशों से तेईस न्यायाधीशो ने भाग लिया। इस कार्यशाला का प्रमुख लक्ष्य केस और न्यायालय के प्रभावपूर्ण प्रबन्धन से विशिष्ट न्यायिक कौशलों को मजबूत बनाने की विधियों का विकास करना था। डॉ. जी. मोहनगोपाल, निदेशक राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का सामान्य परिचय और समय पर न्याय के लिए नियोजन और प्रबन्ध पर न्यायालयों की भूमिका को बताया। प्रतिभागियों ने उनके द्वारा मामला प्रबन्ध में सामना की जाने वाली विभिन्न कठिनाइयों और अपने अनुभवों को बताया। प्रतिभागियों की चर्चाएं प्रमुख रूप में अधिवक्ताओं और दूसरे हितधारकों की वजह से आये अवरोधों पर केन्द्रित रहीं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के परिपेक्ष्य में अदालत के व्यवस्थित विकास के लिए प्रमुख रूप से छः कारकों – भूमिका, संगठन, ज्ञान, विधि, प्रबन्ध और पहुंच (ROKMMA) को लेते हुए निर्धारित निष्पादन लक्ष्य प्राप्त करने पर प्रकाश डाला गया इसमें अदालत-वार पांच वर्षीय योजनाओं (पांच वर्षीय योजनाएं 3 वर्ष/2 वर्ष/1 वर्ष की कार्ययोजना के साथ) को साधन के रूप में उपयोग करने पर बल दिया गया।

न्यायाधिपति आर. सी. चवन ने केस, केस लोड और केस प्रबन्ध के महाराष्ट्र अनुभवों पर एक प्रस्तुति दी इसके तुरंत बाद ई-कोर्ट पर जोर देते हुए न्यायालय प्रबन्धन पर सुश्री सोनिया गोकनी की विस्तृत प्रस्तुति हुई। न्यायाधिपति मोहन शान्तनागौडर ने कर्नाटक पर अपने अनुभव बताए। न्यायाधिपति पी. एस. गोपीनाथन ने केरल में प्रभावी रूप से कार्यान्वित सूची प्रणाली पर अपनी प्रस्तुति दी। प्रोफेसर रवि चन्द्रन, निदेशक आई. आई. एम. इन्दौर केस, केस लोड और केस प्रबन्ध के प्रबन्धकीय परिपेक्ष्य पर बोले।

न्यायाधिपति सिन्हा ने मॉडल अदालत विकास की योजना-प्रबन्ध और रणनीति पर अपने अनुभव व्यक्त किये। कार्यक्रम का मूल्यवर्धन न्यायालय, केस और केस लोड प्रबन्ध और सामयिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रबन्ध के लिए प्रभावी रणनीति का पता लगाना था। प्रतिभागियों को आश्वस्त किया गया कि उन्हें न्यायालय प्रबन्ध की प्रमाप प्रणाली अपनाना चाहिए और अदालत-वार पांच वर्षीय योजनाओं (पांच वर्षीय योजनाएं 3 वर्ष/2 वर्ष/1 वर्ष की कार्ययोजना के साथ) और जिला स्तरीय न्यायिक प्रणाली के विकास को

लेते हुए एक नीति फ्रेम की स्थापना करनी चाहिए।

परिचर्चाओं के बाद प्रतिभागियों को आश्वस्त किया गया कि अदालत प्रबन्धन की प्रमापी प्रणाली की परम आवश्यकता है, जिसमें निम्नलिखित का समावेश होना चाहिए :

1. प्रक्रिया प्रबन्ध, प्रक्रिया पुन:-इंजीनियरिंग, प्रक्रिया स्वचालन
2. हितधारक प्रबन्ध (प्रक्रिया सर्वरों से सामयिक आदान सुनिश्चित करना, सलाह, गवाह)
3. स्टाफ प्रबन्ध
4. दक्षता और आउटपुट / निर्णय प्रबन्ध का निष्पादन
5. नियोजन और बजटिंग के साथ बुनियादी सुविधाओं और स्त्रोत का प्रबन्ध
6. उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रबन्ध
7. सूचना और दस्तावेज प्रबन्ध
8. सांख्यिकी, डाटा प्रबन्ध और रिपोर्टिंग।

विभिन्न सत्रों की समाप्ति, इस विचार के साथ हुई कि केसलोड का गुणात्मक विश्लेषण, रैंकिंग और प्राथमिकता निर्धारण, समयबद्धन को मिलाकर समय संसाधन प्रबन्धन, जटिल/उपेक्षित/विकृत मामलों के स्थापित करने और निगरानी करने की समय सारणियां, क्लबिंग और समूहीकरण के उपयोग और जटिल मामलों के लिए मामला प्रबन्धन सेवा आज की परम आवश्यकता है।

### पी. – 317 : समयबद्ध न्याय को बढ़ावा : प्रमुख चुनौतियां, पर जिला न्यायपालिका के लिए राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी (अप्रैल 2 – 4, 2010)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी नें समयबद्ध न्याय को बढ़ावा : प्रमुख चुनौतियां पर जिला न्यायपालिका के लिए राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी अप्रैल 2-4, 2010 को आयोजित की गई। कार्यशाला में बाईस प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी का लक्ष्य देश के सामने प्रमुख सामजिक चुनौतियों पर न्यायालयों की अनुक्रियाशीलता की गुणवत्ता का विश्लेषण करके उसे और अधिक मजबूत बनाना था। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की अनुसंधान और प्रतिभागियों के परिपेक्ष्य में देरी और बकाया को कम करने और न्याय की गुणवत्ता व जवाबदेही बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया गया।

प्रोफेसर डॉ. जी. मोहनगोपाल, निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और न्यायधिपति शान्तान्गौडर, न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालयों से बाईस न्यायाधीशों के साथ समय पर न्याय को बढ़ाने के मामलों पर चर्चा की। प्रतिभागियों ने समय पर न्याय के स्वरूप को लागू करने में अपनी समस्याएं और शंकाएं प्रस्तुत कीं। प्रतिभागियों को तीन समूहों में बांटकर प्रत्येक समूह को पंचवर्षीय कोर्ट विकास योजना बनाने का अवसर दिया गया। न्यायाधिपति एस. बी. सिन्हा और न्यायाधिपति शान्तान्गौडर के सम्मुख प्रतिभागियों द्वारा निर्मित योजनाओं को प्रस्तुत करके विचारविमर्श किया गया। प्रतिभागी एक ड्राफ्ट पंचवर्षीय न्यायालय विकास योजना पर सहमत हुये और उन्हें आश्वस्त किया गया कि इसी प्रकार उनके स्वयं के न्यायालय का प्लान समय पर न्याय को बढ़ाने ने बहुत प्रभावशाली होगा।

## पी. – 319 : न्यायिक उत्कृष्टता वृद्धि कार्यक्रम (JEEP) (द्वितीय विजिट) (अप्रैल 9 – 16, 2010)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के वर्ष 2009 – 2010 के कैलेन्डर में 'राष्ट्रीय गहन न्यायिक उत्कृष्टता वृद्धि कार्यक्रम' था जो कि विशेष रूप से प्रतिभागियों और अंतत: अदालतों के काम पर प्रदर्शनीय प्रभाव डालने के लिए डिजाइन किया गया था। कार्यक्रम में पहचाने गये क्षेत्रों में प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रतिभागियों की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की दो विजिट को शामिल किया गया था। प्रथम विजिट अगस्त 7–9, 2009 को तथा दूसरी विजिट अप्रैल 9–16, 2010 को आयोजित की गई। दूसरी विजिट में प्रतिभागियों द्वारा प्रथम विजिट में निर्दिष्ट रुचि के आधार पर उनको तीन भागों में विभाजित कर दिया गया तथा प्रत्येक भाग के लिए अलग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह तीन भाग थे – (1) पहचानना और निर्णय लेना (2) अदालत के प्रबन्धन पर कार्यशाला (3) कानून की आधारभूत सैद्धान्तिक अवधारणाओं का ज्ञान। सम्पूर्ण देश के आये जिला न्यायपालिकाओं से लगभग 69 न्यायाधीशों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

डॉ. मन्जु मेहता और न्यायाधिपति मन्जु गोयल ने पहचानने और अधिनिर्णयन पर निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यशाला को पर सम्बोधित किया –

(1) न्यायाधीशों की भूमिका
(2) अधिनिर्णयन के मनोवैज्ञानिक आयाम
(3) तथ्यों और कानून की सराहना
(4) अधिनिर्णयन की आदर्शक विधि (आदान पर फोकस)
(5) सम्प्रेषण कौशल

अदालत प्रबन्ध पर कार्यशाला में प्रतिभागियों को निम्नलिखित विषयों को प्रस्तुत किया गया :

(1) लक्ष्य और निष्पादन प्रमापों की स्थापना
(2) केस लोड और केस विश्लेषण
(3) केस लोड प्रबन्ध रणनीति का विकास
(4) केस प्रबन्ध : व्यक्तिगत मामलों के लिए समयसारणी विकसित करना
(5) बाधाओं / रुकावटों पर काबू पाना
(6) कोर्ट विकास नियोजन

न्यायाधिपति संजीब बनर्जी ने उन प्रतिभागियों से बातचीत की जिन्हें भोपाल के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के लिए पांच वर्षीय योजना बनाने के लिए कहा गया था। तदनुसार उन्होंने जिला न्यायालय, भोपाल का भ्रमण करके कोर्ट के रिकार्ड से डाटा भी इकट्ठा किया। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने प्रतिभागियों द्वारा लाये गये डाटा का सारणीकरण करके उस पर कार्य भी किया। अकादमी ने सारणीकृत डाटा को अपनी टिप्पणियों के साथ प्रमुख न्यायिक दण्डाधिकारी, जिला न्यायाधीश और भोपाल के अन्य न्यायिक अधिकारियों के सामने रखा। डाटा और अकादमी द्वारा किया गया सारणीयन, प्रमुख न्यायिक दण्डाधिकारी (CJM), भोपाल को सौंप दिया गया जिससे वे सी. जे. एम. (CJM), भोपाल के न्यायालय के लिए अपनी पांच वर्षीय योजना बना सकें।

कानून की बुनियादी सैद्धान्तिक अवधारणाओं के ज्ञान की धारा में प्रतिभागियों को डॉ. एम. पी. सिंह, प्रो. वी. एस. मल्लर, प्रो. एम. पी. पी. पिल्लै, प्रो. बी. बी. पाण्डे, और प्रो. वी. जी. हेंगड़े ने विभिन्न विषयों पर सम्बोधित किया। निम्न विषयों पर चर्चा हुई :

1. सार्वजनिक कानून : संवैधानिक और प्रशासनिक कानून : बुनियादी सैद्धान्तिक अवधारणाएं
2. आर्थिक कानून : संविदा और सम्पत्ति कानून
3. आपराधिक कानून : मूल बातें और अपकृत्य कानून
4. सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून : मूल बातें
5. निजी अन्तर्राष्ट्रीय कानून।

### पी–320 : अधिनिर्णयन प्रबंधन : रिट याचिकाओं का अधिनिर्णयन पर कार्यशाला (16–19 अप्रैल, 2010)

अधिनिर्णयन प्रबंधन : रिट याचिकाओं का अधिनिर्णयन पर अप्रैल 16–19, 2010 में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, जो उच्च न्यायालय में चयन हेतु पात्र है, के द्वारा दिये गये अनुभवो के आधार पर विभिन्न विवादो का अधिनिर्णयन द्वारा निपटारे पर विचार किया गया। कार्यशाला में विवाद से संबधित विभिन्न कानूनो तथा उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान परिपेक्ष्य में राज्यो द्वारा दी गई विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की गई । उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री एस.बी. सिन्हा एवं न्यायमूर्ति श्री. सी. के. ठक्कर ने भी अधिनिर्णयन के वर्तमान पहलुओ तथा उनके सुधार पर विचार व्यक्त किये। न्यायमूर्ति के. चन्द्रू, न्यायमूर्ति एस बनर्जी, एवं न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर ने भी उपने उच्च न्यायालय के अनुभव बाटें। विभिन्न विवादो का क्षेत्राधिकार तथा सामाजिक न्याय, नागरिक स्वतंत्रता इत्यादि विषयों पर सत्र में चर्चा हुई।

### पी. – 322 : भारतीय न्यायपालिका : अगले दशक में पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रीय संगोष्ठी (अप्रैल 17–18, 2010)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में भारतीय न्यायपालिका : अगले दशक में पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रीय संगोष्ठी अप्रैल 17–18, 2010 को आयोजित की गई। संगोष्ठी में सम्पूर्ण देश से लगभग पच्चीस उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों ने भाग लिया जिनकी सेवा अभी दस वर्ष या इससे अधिक और बची हुई थी। संगोष्ठी का लक्ष्य उन विभिन्न चुनौतियों की चर्चा करना था जो कि भारतीय न्यायपालिका के सामने अगले दशक में आ सकती है।

न्यायमूर्ति ए. के गांगुली और न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा ने इस दो दिवसीय संगोष्ठी की कार्यवाही की अध्यक्षता की। न्यायमूर्ति ए. पी. शाह ने, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट और 80 के दशक के सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण मूल्यांकन प्रस्तुत किया। श्री अनिल दीवान ने न्यायपालिका के परिपेक्ष्य में 'पारदर्शिता और जवाबदारी' पर अपनी प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति को प्रतिभागियों ने भली प्रकार लिया। सुश्री इन्दिरा जयसिंह भारतीय संवैधानिक नीतियों की बदलती प्रकृति पर बोलीं। उन्होंने अपनी प्रस्तुति में तर्क दिया कि न्यायिक उपकरण और माहौल अपनी प्रकृति में बड़े पैमाने पर अब भी उपनिवेशवादी है, और किस प्रकार से उच्च अदालतों के निर्णय तेजी से जनता के हितों के साथ संघर्ष में आ रहे है।

**पी. – 324 : आतंकवाद, सुरक्षा और संरक्षा पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी (अप्रैल 30 – मई 2, 2010)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में 'आतंकवाद, सुरक्षा और संरक्षा' पर जिला न्यायालय के सीनियर न्यायाधीशों की राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी अप्रैल 30 से मई 02, 2010 को आयोजित की गई। संगोष्ठी का लक्ष्य अनूठी प्रकृति के विशेष आतंकवादी विरोधी कानून और इसके मानवाधिकार निहितार्थों पर चर्चा करना था। न्यायाधिपति अमित तालुकदार न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संगोष्ठी की कार्यवाही की अध्यक्षता की।

संगोष्ठी के दौरान श्री ज्ञान कृष्णन, विशेष अभियोजक सी. बी. आई. ने विशेष कानूनों के अभियोजक परिपेक्ष्य को बताया। उन्होंने प्रत्यर्पण कानून से सम्बंधित नवीनतम स्थिति पर एक तकनीकी सत्र भी लिया। श्री रवि नायर, वरिष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ता ने अपनी प्रस्तुति में अधिनियम की जनविरोधी और औपनिवेशिक मानसिकता पर प्रकाश डालने के लिए इन कानूनों के कुछ प्रावधानों को रोलेट अधिनियम 1919 से तुलना की। श्री युग चौधरी ने प्रतिभागी न्यायाधीशों के साथ, किस प्रकार भारतीय दंड संहिता के साजिश पर प्रावधानों का कई आतंकवाद के मामलों (जैसे – नलिनी का मामला और केहरसिंह का मामला) में दुरुपयोग किया गया है, पर एक तकनीकी सत्र किया। उनकी प्रस्तुति में नलिनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के विचार और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख शिक्षाविदों और न्यायविदों द्वारा केहरसिंह मामले में असाधारण निन्दा से बल लिया गया।

**पी. – 326 : न्यायिक शिक्षा में महत्वपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों की समीक्षा पर राज्य न्यायिक अकादमियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी (अप्रैल 30 – मई 2, 2010)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में 'न्यायिक शिक्षा में महत्वपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों की समीक्षा' पर राज्य न्यायिक अकादमियों की राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी अप्रैल 30 से मई 02, 2010 को आयोजित की गई। संगोष्ठी में राज्य न्यायिक अकादमियों के निदेशक, अतिरिक्त निदेशक और दूसरे संकाय सदस्यों को मिलाकर कुल बाईस प्रतिभागियों ने सहभागिता की।

संगोष्ठी का लक्ष्य देश में न्यायिक शिक्षा के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों को देखना और प्रेरण एवं रिफ्रेशर प्रोग्रामों में इनकी न्यायिक शिक्षा को बढ़ावा देने में राज्य न्यायिक अकादमियों के लिए रणनीति का विकास करना था। चर्चा के प्रमुख विषय – (1) न्यायिक शिक्षा में विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों की पहचान (2) न्यायिक शिक्षा के लक्ष्य और कार्यप्रणालीगत मुद्दे (3) अकादमियों का योगदान, विभिन्न राज्य न्यायिक अकादमियों के प्रेरण और रिफ्रेशर प्रोग्रामों के सन्दर्भ में राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति पर चर्चा, और (4) अनुसंधान कार्यक्रमों का अनुवर्तन (पी – 311)। प्रतिभागियों ने न्यायिक शिक्षा में चुनौतियां और मुद्दों पर प्रस्तुति दी तथा इसके बाद प्रत्येक विषय पर चर्चा हुई।

संगोष्ठी ने राज्य न्यायिक अकादमी और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को न्यायिक शिक्षा के क्षेत्र में साथ-साथ आगे और पीछे देखने हेतु सुसज्जित किया। प्रतिभागी इस बात पर सहमत थे कि फैसला लेने के नये सिद्धान्तों के साथ परिणाम/प्रभाव आधारित न्यायिक शिक्षा ही समय की आवश्यकता है। यह भी समझा गया कि वस्तुनिष्ठ गुणात्मक निष्पादन संकेतकों की आवश्यकता है। यह निष्कर्ष निकला कि न्यायिक प्रणाली में परिवर्तनों के लिए अकादमियों को उत्प्रेरक होना चाहिए।

**पी. – 327 : अधिनिर्णयन प्रबन्ध पर राष्ट्रीय कार्यशाला : श्रम और औद्योगिक विवाद से सम्बंधित मामलों में अधिनिर्णयन (मई 7–10, 2010)**

कार्यक्रम अधिनिर्णयन प्रबन्ध पर राष्ट्रीय कार्यशाला : श्रम और औद्योगिक विवाद से सम्बंधित मामलों में अधिनिर्णयन, का आयोजन राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में मई 7–10, 2011 को हुआ। कार्यक्रम में 15 राज्यों के चौबीस न्यायाधीशों ने भाग लिया। कार्यक्रम का लक्ष्य संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और श्रमिक–समर्थक न्यायशास्त्र की पुष्टि के पक्ष में श्रम विवादों के अधिनिर्णयन की गुणवत्ता को मजबूत बनाना था।

कार्यक्रम का प्रारंभ प्रोफेसर (डॉ) जी. मोहनगोपाल, निदेशक के अधिनिर्णयन प्रबन्ध के संक्षिप्त परिचय के साथ हुआ तदोपरान्त 'भारत में श्रम–न्यायशास्त्र : अतीत के अनुभव और वर्तमान रुझान' विषय पर सत्र हुआ। न्यायाधिपति के. चन्दू ने श्रमिक वर्ग पर संवैधानिक मूल्य और श्रम पर संवैधानिक मूल्यों का विधायी कार्यान्वयन विषय पर हुए सत्रों में अध्यक्षता की।

डॉ. सेबास्टियन पॉल ने ट्रेड यूनियन के विचार से श्रम मुद्दों पर एक दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने बदलते परिदृश्य में श्रमिक वर्ग की दुर्दशा की एक गम्भीर तस्वीर प्रस्तुत की। उनके अनुसार बहुराष्ट्रीय निगम राज्यविहीन अभिनेता है जो के अनुसार वह अपनी संपत्ति का हस्तांतरण एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश अथवा देश में कर सकता है। उनके अनुसार बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों पर स्थानीय कानून कुछ हद तक पाबन्दी लगा सकते है। उनके अनुसार वर्तमान परिपेक्ष्य में श्रमिक वर्ग की सौदा शक्ति की प्रवृत्ति हौवा बन गई है। उनके अनुसार वैश्वीकरण ने श्रमिक अधिकारो पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साईंस के श्री शरित भौमिक ने श्रमिको के प्रवास एवं उसके सामाजिक प्रभाव पर प्रकाश डाला। डॉ. बी.टी कौल ने वैश्वीकरण के परिपेक्ष्य में श्रमिक न्याय तथा औद्यौगिक विवाद पर प्रकाश डाला।

न्यायाधीश के. चन्द्र ने भी अपने सत्र में श्रमिकों की बर्खास्तगी एवं छंटनी के परिपेक्ष्य में "धारा 11 (अ) व 33 में उच्च न्यायालय की भूमिका एवं उद्योगों की परिभाषा" पर चर्चा की। अन्त में अकादमी द्वारा न्यायालय प्रबंधन तथा समय सीमा में न्याय पर प्रस्तुति दी।

**पी. –330 पर्यावरण संरक्षण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी ( मई 14–16, 2010)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर जिला न्यायाधीश स्तर की एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में 26 न्यायाधीशों ने भाग लिया। इस सगोष्ठी में न्यायमूर्ति के. रामासुब्रमनियम, प्रो. पी. लीलाकृष्ण, भूतपूर्व अधिष्ठता, CUSAT, श्री.टी. मोहन, अधिवक्ता, मद्रास उच्च न्यायालय, श्री शंकर गोपालकृष्णन, CSD, नई दिल्ली, स्त्रोत व्यक्तियो के तौर पर उपस्थित थे। प्रो. मोहन गोपाल ने भी उपरोक्त संगोष्ठी में अपने विचार रखे एवं यह बताया कि कानून बदलते परिपेक्ष्य में तथ्य सामाजिक बदलावो के कारण बदलते रहने चाहिये। इस संगोष्ठी में जल प्रदूषण अवैध उत्खनन, वन संरक्षण इत्यादि विषयों पर प्रतिभागियो ने प्रकाश डाला। इस प्रकार पर्यावरण कानून के स्थापित नियमों एवं नये पर्यावरण जागरूकता मुद्दो पर चर्चा की गई।

**पी. – 332 अधिनिर्णयन प्रबंधन : पर्यावरण विवादों का समाधान पर राष्ट्रीय कार्यशाल (मई 14–17, 2010)**

पर्यावरण विवादो का समाधान (मई 14–17, 2010) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में समाधान प्रबंधन पर चार दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसकी मुख्य विषयवस्तु पर्यावरण विवाद था। इस कार्यशाला में निचली अदालतों के समक्ष पर्यावरण विवादो एवं

चुनौतियो पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला में निचली अदालतों के 21 न्यायाधीशो ने भाग लिया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य न्यायाधीशो का पर्यावरण विवादों में भूमिका तथा इस परिपेक्ष्य में जागरूकता बढ़ाना तथा विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा देश भर में पर्यावरण विवादों पर अपनें अनुभव प्रकट किये।

इस कार्यशाला में विभिन्न विषयवस्तुओं पर चर्चा की गई । इसकी मुख्य विषयवस्तु, 'पर्यावरण प्रबंधन एवं निचली अदालत की भूमिका' थी। पर्यावरण कानून तथा पर्यावरण प्रक्रिया पर गहन चर्चा की गई। तथा पर्यावरण सरंक्षण पर निचली अदालतो की भूमिका पर चर्चा की गई। देश भर से आये विभिन्न विद्वानों ने पर्यावरण समस्याओं पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस कार्यशाला की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी.के.मिश्रा, न्यायमूर्ति सतीश.के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमद्वार ने की। श्री रामास्वामी आर अय्यर, श्री पी.एस. दत्त, सुश्री अनुमिता राय चौधरी, डॉ. गुरदीप सिंह, डॉ. आर श्रीधर, सुश्री मधु सरीन, श्री चन्द्र भूषण सिंह तथा डॉ.आर.बी. लाल ने उपरोक्त कार्यशाला में विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान दिये।

**प्रत्येक महिने तीन, चार एवं बारह दिनों के लिए कार्यक्रमों की एक श्रंखला आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या लगभग 25–30 से 50 तक रही। इन कार्यक्रमों का विवरण निम्न है:–**

## नवनियुक्त अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों हेतु उन्मुखीकरण कार्यक्रम

देश भर के नवनियुक्त अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों हेतु दस कार्यक्रमों की उन्मुखीकरण श्रृखंला का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमो में 25–30 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इन कार्यक्रमो का उददेश्य नवनियुक्त अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों में 21वीं सदी की चुनौतिया तथा वरिष्ठ सदस्य होने के नाते आने वाली गुणात्मक योग्यताएं, निपुणता तथा ज्ञान में वृद्धि करना था।

इन तीन दिवसीय कार्यक्रमो नवनियुक्त अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशो में प्रभावी नेतृत्व क्षमता के विकास, विभिन्न सामाजिक पहलुओं की आवश्यकता, न्याय की सुलभता तथा विशिष्ट न्यायिक सत्र पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में समाज में व्याप्त विभिन्न व्याधियो के निराकरण तथा आमजन को राहत पर विचार किया गया।

2009–2010 सत्र में विभिन्न न्यायाधीशो ने 'सन – 2030 में निचली अदालतो की अवधारणा' पर प्रकाश डाला गया। विभिन्न समूहों में उपरोक्त विषयों पर चर्चा की गई। इस समूह चर्चाओ में समय पर न्याय का प्रबंधन तथा योजना, प्रकरण प्रबंधन, न्यायिक जवाबदेही तथा

न्याय की विभिन्न विधियों पर चर्चा की गई। समूहों ने भोपाल सत्र न्यायालयो का भ्रमण भी किया, जिससे कि विभिन्न पहलुओ पर प्रत्यक्ष निरीक्षण का लाभ मिल सके।

उपरोक्त श्रृंखला का आयोजन निम्नानुसार किया गया जिसमें निम्न विद्वानों ने अपना योगदान दिया:-

| क्र. | कार्यक्रम सख्या | दिनांक | स्त्रोत व्यक्ति |
|---|---|---|---|
| 01. | P-253 | अगस्त 21-25, 2009 | 1. न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा, पटना उच्च न्यायालय<br>2. न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, केरला उच्च न्यायालय<br>3. न्यायमूर्ति मन्जु गोयल, दिल्ली विधुत नियामक बोर्ड<br>4. डॉ. मन्जु मेहता, प्राध्यापक (मनोविज्ञान) |
| 02 | P-264 | सितंबर 18-22, 2009 | 1. न्यायमूर्ति इन्द्रा बेनर्जी, कलकत्ता उच्च न्यायालय<br>2. न्यायमूर्ति आर.सी. चौहान, बॉम्बे उच्च न्यायालय<br>3. न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन, लोकायुक्त दिल्ली |
| 03 | P-273 | अक्टूबर 23-27, 2009 | 1. न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा, पटना उच्च न्यायालय<br>2. न्यायमूर्ति सुशील हरकौली, झारखंड उच्च न्यायालय |
| 04 | P-281 | नवम्बर 20-24, 2009 | 1. न्यायमूर्ति बी.एस. सिरपुरकर, उच्चतम न्यायालय<br>2. न्यायमूर्ति आई.ए. अन्सारी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय<br>3. न्यायमूर्ति प्रदीप नन्दरजोग, दिल्ली उच्च न्यायालय<br>4. न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा, छत्तीसगढ उच्च न्यायालय |
| 05 | P-291 | दिसम्बर 18-22, 2009 | 1. न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय<br>2. न्यायमूर्ति बी.आर किन्गांवकर, बाम्बे उच्च न्यायालय<br>3. न्यायमूर्ति के.टी.सन्करन, केरल उच्च न्यायालय |

| क्र. | कार्यक्रम संख्या | दिनांक | स्त्रोत व्यक्ति |
|---|---|---|---|
| 06 | P-299 | जनवरी 22-26, 2010 | 1. न्यायमूर्ति वी. रामकुमार, केरल उच्च न्यायालय<br>2. न्यायमूर्ति इन्द्रजीत मोहन्ती, उडीसा उच्च न्यायालय<br>3. न्यायमूर्ति गीता मित्तल, दिल्ली उच्च न्यायालय<br>4. न्यायमूर्ति धीरूभाई एन. पटेल, झारखंड उच्च न्यायालय |
| 07 | P-313 | मार्च 19-23, 2010 | 1. न्यायमूर्ति के.जे. सेनगुप्ता, कलकत्ता उच्च न्यायालय<br>2. न्यायमूर्ति आर. बसन्त, केरला उच्च न्यायालय |
| 08 | P-321 | अप्रेल 16-20, 2010 | 1. न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा, पटना उच्च न्यायालय<br>2. न्यायमूर्ति के.जे. सेनगुप्ता, कलकत्ता उच्च न्यायालय |
| 09. | P-325 | अप्रेल 30-मई 04, 2010 | 1. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई<br>2. न्यायमूर्ति एन राममोहन राव<br>3. न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना<br>4. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश |
| 10 | P-329 | मई 7-11, 2010 | 1. न्यायमूर्ति प्रभा श्रीदेवन, मद्रास उच्च न्यायालय<br>2. न्यायमूर्ति आर. त्रिपाठी, गुजरात उच्च न्यायालय<br>3. न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय |

## नव नियुक्त सत्र न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) हेतु राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम

देश कि नव नियुक्त सत्र न्यायाधीशों (कनिष्ठ श्रेणी) हेतु 10 कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी 12 दिवसीय कार्यक्रमों में 50-60 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस पूरी श्रृंखला में 500 न्यायाधीश लाभान्वित हुए। इस श्रृंखला के आयोजन का उद्देश्य न्याय प्रकिया को सन्तुलित बनाना तथा समाज के उद्देश्यों की पूर्ति था। इस कार्यक्रम का एक और उद्देश्य न्याय प्रकिया की गुणवत्ता में सुधार तथा युवा न्यायाधीशों में संवैधानिक न्याय संहिता के विकास को बढावा देना था। इसके अलावा न्यायाधीशो में न्याय के प्रति निपुणता, व्यवहारशीलता तथा न्यायिक जिम्मेदारियों का बढ़ावा करना था।

यह कार्यक्रम इस अवधारणा पर आधारित था कि वर्तमान न्याय प्रणाली देश के न्यायाधीशों में गुणात्मक सुधार अवधारणा जागृत करता है। वर्तमान न्याय प्रणाली कई स्थानो पर अप्रासंगिक है जैसे कि कमजोर कानूनी शिक्षा का मूल्य आधारित न्यायिकता पर निर्भरता। विभिन्न कार्यविधियों जैसे समूह चर्चा, सामूहिक गतिविधियाँ एवं मोक -प्रदर्शन के फलस्वरूप इस कार्यक्रम में न्यायाधीश न्याय की अतिरिक्त प्रणाली से अवगत हुए, जैसे कि संवैधानिक मूल्यों का विकास।

विभिन्न प्रतिभागियो में राष्ट्रीय न्यायप्रणाली के विकास तथा देश की न्यायप्रणाली की चुनौती पर विचार किया गया।

सत्र 2009 - 10 निम्न विषयों पर केन्द्रित था

1. बदलते परिपेक्ष्य में न्यायालयो की भूमिका
2. न्यायपालिका में संस्थागत तकनीकों का प्रयोग
3. कानून की जानकारी
4. न्यायिक विधियाँ
5. न्यायपालिक में प्रबंधन तथा योजना
6. न्याय तक पहुँच

यह श्रृंखला निम्नानुसार आयोजित की गई। जिसमें निम्न विद्वानो ने अपने अनुभव बाटे :-

| क्र. | कार्यक्रम सख्या | दिनांक | स्त्रोत व्यक्ति |
|---|---|---|---|
| 01 | P-244 | जुलाई 17-28, 2009 | 1. न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा, उच्चतम न्यायालय<br>2. न्यायमूर्ति एन.एल कोचर, म.प्र. उच्च न्यायालय<br>3. न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी, कलकत्ता उच्च न्यायालय<br>4. न्यायमूर्ति मन्जू गोयल, सदस्य विद्युत नियामक आयोग |
| 02 | P -252 | अगस्त 07-18, 2009 | 1. न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा, उच्चतम न्यायालय<br>2. न्यायमूर्ति पी. के. बालसुब्रमनियम,अध्यक्ष, ई- कमेटी, उच्चतम न्यायालय<br>3. न्यायमूर्ति पी.पी. नियोलेकर, लोकायुक्त, म.प्र.<br>4. न्यायमूर्ति जी.सी. भरूका, पूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय<br>5. न्यायमूर्ति एफ. सल्दाना, पूर्व न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय<br>6. प्रो. मंजू मेहता, प्रोफेसर, एम्स<br>7. डॉ. बी.डी. शर्मा, भूतपूर्व आईएएस अधिकारी<br>8. श्री मुकेश श्रीवास्तव, प्रोफेसर, एनएलआईयू<br>9. प्रो. अशरफ रिजवी, आईआईएम, इंदौर |
| 03 | P -257 | सितम्बर 4-15, 2009 | 1. न्यायमूर्ति मोहन शान्तानागौदर, कर्नाटक उच्च न्यायालय<br>2. श्री. राजीव शकधर, दिल्ली उच्च न्यायालय<br>3. श्री. अरूण मोहन, वरिष्ठ अधिवक्ता<br>4. प्रो. एम.पी. पद्नाभ पिल्लई<br>5. प्रो. शमनाद बशीर, कलकत्ता लॉ स्कूल |

| क्र. | कार्यक्रम सख्या | दिनांक | स्त्रोत व्यक्ति |
|---|---|---|---|
| 04 | P - 267 | अक्टूबर 3 - 14, 2009 | 1. न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अययर (विडियो रिकॉर्डेड टॉक)<br>2. न्यायमूर्ति सी.के. ठक्कर (विडियो रिकॉर्डेड टॉक)<br>3. प्रो. वेद प्रकाश शर्मा |
| 05 | P - 276 | नवम्बर 6 - 17, 2009 | 1. प्रो. डॉ. जी. मोहन गोपाल<br>2. सुश्री निधि गुप्ता |
| 06 | P - 285 | दिसम्बर 4-15, 2009 | 1. प्रो. डॉ. जी. मोहन गोपाल<br>2. सुश्री निधि गुप्ता |
| 07 | P - 293 | जनवरी 8-19, 2010 | 1. न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा, पूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय एवं अध्यक्ष, टीडीएसएटी |
| 08 | P -302 | फरवरी 5-16, 2010 | 1. प्रो. घयुर आलम, NLIU, भोपाल<br>2. प्रो मोइन मुस्तजर, NLIU, भोपाल |
| 09 | P - 308 | मार्च 5-16, 2010 | 1. प्रो. घयुर आलम, NLIU, भोपाल<br>2. न्यायमूर्ति मन्जू गोयल, विघुत नियामक आयोग नई दिल्ली<br>3. श्री. युग चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता<br>4. डॉ. बी.टी. कौल, दिल्ली विश्वविद्यालय |
| 10 | P - 318 | अप्रेल 2- 13, 2010 | 1. प्रो. डॉ. जी. मोहन गोपाल<br>2. सुश्री निधि गुप्ता |

## समय पर न्याय पर आंचलिक कार्यशाला – आपराधिक न्याय प्रशासन की सुदृढता :-

उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा उत्तर अंचलो के न्यायाधीशो की एक आन्तरिक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें प्रकरणो की समग्रता तथा न्याय की गुणवत्ता पर चर्चा की गई। यह कार्यक्रम पिछले कई वर्षो में सफल रूप से आयोजित किया जा रहा था। दो अंचलों में प्रत्येक कार्यक्रम में 80 - 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों के आयोजनो का मुख्य उददेश्य पुरानी कानूनी विधियों के आधुनिक तकनीको में बदलना था।

सत्र 2009-10 में यह कार्यक्रम विभिन्न उच्च न्यायालय अंचलो में आयोजित किया गया जिसे प्रादेशिक न्यायिक अकादमी ने आयोजित किया। इस कार्यशाला का मुख्य उददेश्य वर्तमान परिपेक्ष्य में न्यायाधीशो की जवाबदेही तथा स्थापित करना था -

1. अधिकारो की रक्षा
2. न्यायिक निर्णयन की उत्कृष्टता
3. न्यायालयीन प्रशासन हेतु प्रबंधन एवं योजना जिससे वर्तमान न्यायतंत्र और अधिक मजबूत हो सके। इन विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की गई।

संपन्न कार्यक्रमों की तालिका नीचे दी गई है, जिसमें उन न्यायाधीशों की सूची भी है जिन्होंने कार्यक्रमों में मार्गदर्शन दिया एवं अपने अनुभव बाँटें:-

| क्र. | कार्यक्रम स. | दिनांक | स्त्रोत व्यक्ति |
|---|---|---|---|
| 01 | P-256 | अगस्त 28-30, 2009 | न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय |
| 02 | P-266 | सितंबर 26-28, 2009 | 1. न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय<br>2. न्यायमूर्ति बी.एस चौहान, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय<br>3. प्रो. बी.बी. पाण्डे |
| 03. | P-275 | अक्टू. 30-नव. 01, 2009 | 1. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, दिल्ली उच्च न्यायालय<br>2. न्यायमूर्ति बी.वी.एस राव, आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय |
| 04 | P-284 | नवम्बर 27-29, 2009 | 1. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, दिल्ली उच्च न्यायालय<br>2. न्यायमूर्ति बी.वी.एस राव, आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय |
| 05 | P-301 | जनवरी 29-31, 2010 | 1. न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय एवं अध्यक्ष, टीडीएसएटी<br>2. न्यायमूर्ति बिलाल नज्की, पूर्व न्यायाधीश, उडीसा उच्च न्यायालय<br>3. श्री युग चौधरी, अधिवक्ता<br>4. श्री रवि नायर, अधिवक्ता |
| 06 | P-307 | फरवरी 19-21, 2010 | 1. न्यायमूर्ति आर. वी. रवीन्द्रन. उच्चतम न्यायालय<br>2. न्यायमूर्ति बिलाल नज्की, पूर्व न्यायाधीश, उडीसा उच्च न्यायालय<br>3. न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर, दिल्ली उच्च न्यायालय |
| 07 | P-315 | मार्च 26-28, 2010 | 1. न्यायमूर्ति सी. के. ठक्कर, भूतपूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय<br>2. न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय<br>3. न्यायमूर्ति एम.बी. शाह, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय<br>4. न्यायमूर्ति बी. नज्की, पूर्व न्यायाधीश, उड़ीसा उच्च न्यायालय |
| 08 | P-323 | जून 25-27, 2010 | 1. न्यायमूर्ति वी.आर कृष्णा अय्यर, भूतपूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय<br>2. न्यायमूर्ति ए.के. गांगुली, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय<br>3. न्यायमूर्ति सी. जोसेफ, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय<br>4. न्यायमूर्ति के.एस राधाकृष्णन, न्यायाधीश उच्चतम न्यायलय<br>5. श्री युग चौधरी, अधिवक्ता |

## न्याय प्रकिया को सुदृढ करने हेतु जिला न्यायाधीशो की राष्ट्रीय संगोष्ठी (पीएमटीजे):-

मुख्य जिला न्यायाधीशो की न्याय प्रणाली में भूमिका को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने एक नई श्रृंखला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का मुख्य उददेश्य त्वरित न्याय प्रकिया था, जिसमें 30-31 सत्र न्यायाधीशों ने भाग लिया।

इस श्रृंखला में देश भर से आये सत्र न्यायाधीशों ने अपने अनुभव बांटे तथा न्याय की गुणवत्ता तथा जवाबदेही पर अपने विचार प्रकट किये। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा किये गये कार्यों पर भी चर्चा की गई। तथा न्याय-प्रबंधन एवं योजना पर विचार किये गये।

इस कार्यक्रम का मुख्य उददेश्य न्यायिक संस्था की स्थापना तथा न्यायालय प्रबंधन एवं न्यायिक प्रशासन में तकनीकी सुविधाओं के विस्तार पर केन्द्रित था। इस कार्यक्रम में न्यायालय की स्वाधीनता तथा न्यायालय लेखा-जोखा तथा न्यायालयो की कार्यप्रणाली में सूचना तकनीक का उपयोग।

सत्र 2009-2010 में अकादमी ने न्याय प्रक्रिया को सुधारने के लिये एक एजेन्डा प्रस्तुत किया। उपरोक्त कार्यशाला में निम्न मुद्दो पर चर्चा की गई।

1. न्यायप्रणाली से समाज की अपेक्षा
2. समाज की न्यायाधीशो से अपेक्षा
3. वर्तमान प्रणाली में कमिया
4. मुख्य सत्र न्यायाधीशो की भूमिका
5. सत्र न्यायाधीशों का ध्येय

इस कार्यशाला में निम्न स्त्रोत व्यक्तियो ने मार्गदर्शन किया :-

| क्र. | कार्यक्रम सख्या | दिनांक | स्त्रोत व्यक्ति |
|---|---|---|---|
| 01. | P -243 | जुलाई 17-19, 2009 | 1. न्यायमूर्ति एस.बी.सिन्हा, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय<br>2. न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी, कल्कत्ता उच्च न्यायालय |
| 02 | P -248 | जुलाई 31-अगस्त 02, 2009 | 1. न्यायमूर्ति मदन लोकुर, दिल्ली उच्च न्यायालय<br>2. न्यायमूर्ति बी.वी.एस.राव, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय<br>3. न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी, कलकत्ता उच्च न्यायालय |
| 03 | P -259 | सितंबर 4-6, 2009 | न्यायमूर्ति मोहन शतनागउकर, कर्नाटक उच्च न्यायालय |
| 04 | P -271 | अक्टूबर 9-11, 2009 | न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय एवं अध्यक्ष टीडीएसएटी |

| क्र. | कार्यक्रम सख्या | दिनांक | स्त्रोत व्यक्ति |
|---|---|---|---|
| 05 | P -278 | नवम्बर 6-8, 2009 | 1. न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी, कलकत्ता उच्च न्यायालय<br>2. श्री वारविक सोदेन, सीईओ, फेडरल कोर्ट ऑफ आस्ट्रेलिया |
| 06 | P - 288 | दिसम्बर 11-13, 2009 | 1. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, म.प्र. उच्च न्यायालय<br>2. न्यायमूर्ति यतीन्द्र सिह, इलाहाबाद उच्च न्यायालय |
| 07 | P -304 | फरवरी 5-7, 2010 | 1. न्यायमूर्ति वी.वी.एस राव, आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय<br>2. श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश |
| 08 | P -310 | मार्च 5-7, 2010 | 1. न्यायमूर्ति मन्जुला चेलुर, कर्नाटक उच्च न्यायालय<br>2. प्रो. मनिकुट्टी<br>3. प्रो. अनुराग अग्रवाल, आई.आई.एम. अहमदाबाद |
| 09 | P -328 | मई 7-9, 2010 | 1. न्यायमूर्ति मन्जुला चेलुर, कर्नाटक उच्च न्यायालय<br>2. प्रो. मनिकुट्टी<br>3. प्रो. अनुराग अग्रवाल, आई.आई.एम. अहमदाबाद |
| 10 | P -331 | मई 14-16, 2010 | 1.न्यायमूर्ति मन्जुला चेलुर, कर्नाटक उच्च न्यायालय<br>2. प्रो. मनिकुट्टी<br>3. प्रो. अनुराग अग्रवाल, आई.आई.एम. अहमदाबाद |

## विशेष कार्यक्रम

वह कार्यक्रम जो कि अकादमी के वार्षिक कैलेण्डर (जो मई के मध्य में समाप्त होता है) के अलावा आयोजित किये गये।

**महिलाओ के यौन उत्पीड़न विषय पर उच्च न्यायालय द्वारा गठित समितियों के अध्यक्षों की संगोष्ठी (मई 8, 2010)**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा 8 मई 2010 को प्रथम बार "कार्यस्थल पर महिलाओ का यौन उत्पीडन" विषय पर उच्च न्यायालय द्वारा गठित समितियो के अध्यक्षो की सगोष्ठी आयोजित की गई।

विभिन्न उच्च न्यायालयो को निवेदन किया गया कि वे अपने कार्यक्षेत्र में गठित समितियो के अध्यक्षों को नामित करें, तब यह पता चला कि कई उच्च न्यायालयो में अनुभाग अधिकारी स्तर के अधिकारी ही इस कार्य को देख रहे है। जबकि कुछ उच्च न्यायालयो में तो उपरोक्त समिति का गठन ही नही हुआ है।

संगोष्ठी में यह तथ्य भी उभरा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन हेतु न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं को अभी और दक्ष होने की आवश्यकता है। मुख्य बिन्दु प्रकरण का गोपनीय होना एवं पक्षकारों के आत्म सम्मान की रक्षा अति आवश्यक है,था। समस्त प्रतिभागियो ने उपरोक्त प्रकरणों के त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर जोर दिया। उपरोक्त समिति को जाँच समिति का दर्जा दिया जाये एवं अनुशात्मक कार्यवाही करने की 90 दिन की समय सीमा तय की जाय।

### सामाजिक आर्थिक बदलाव पर कार्यशाला भारत के संविधान के परिपेक्ष्य में विभिन्न विधि महाविद्यालयों एवं न्यायिक अकादमियों का योगदान (जून 12-13, 2010)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी के आयोजन के मुख्य उद्देश्य निम्न थे।

1. भारत की शिक्षा व्यवस्था में वर्तमान संकट, कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता निगमीकरण
2. कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव, निगमीकरण केन्द्रित शिक्षा व्यवस्था से सामाजिक महत्व वाली शिक्षा व्यवस्था
3. न्यायिक व्यवस्था एवं न्यायिक शिक्षा में वैचारिक आधार पर चर्चा
4. न्यायिक व्यवस्था एवं न्यायिक शिक्षा में सामंजस्य की आवश्यकता
5. देश की न्यायिक अकादमियों तथा शिक्षा व्यवस्था के बदलते रूप पर
6. भारतीय संविधान में वर्णित "सामाजिक - आर्थिक बदलाव" अवधारणा पर विधि महाविद्यालयों तथा न्यायिक अकादमियों का योगदान

इस संगोष्ठी में विभिन्न विधि महाविद्यालयों के उपकुलपति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

### भारतीय न्याय व्यवस्था पर संगोष्ठी (जून 19-20, 2010)

इस दो दिवसीय संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य भारतीय न्याय व्यवस्था में कमजोर एवं सीमान्त समूहों के अधिकारों का आंकलन करना एवं देश के न्यायाधीशों हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था जिससे वे कमजोर एवं सीमान्त समूहों के अधिकारों के प्रति सुग्राहित करना। देश की राष्ट्रीय चुनौतियों जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के साथ भेदभाव, पर्यावरण समस्याएं, आदिवासियों के अधिकार एवं बच्चों की रक्षा, भोपाल गैस पीड़ितों के हितों की रक्षा, महिलाओं एवं बच्चों के हितों की रक्षा इत्यादि विषयों पर संगोष्ठी में आये विभिन्न प्रतिभागियों ने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये। संगोष्ठी में आये स्त्रोत पुरूषों (Resource Person) ने भारत के वास्तविक जनजीवन की व्यथाओं तथा भारतीय न्याय व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। यह संगोष्ठी उपरोक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं के निराकरण हेतु मील का पत्थर साबित हुई।

### केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के सदस्यों हेतु कार्यक्रम (जून 21-23, 2010)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के नवनियुक्त सदस्यों हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न्यायिक कौशल का विकास था। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय तथा प्राधिकरण एवं अन्य प्राधिकरणों द्वारा दिये गये निर्णयों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या, इस कार्यक्रम में नियुक्त, नियमतीकरण, बहाली, मजदूरी, निलंबन, एवं सेवा समाप्ति पर चर्चा की गई एवं अधिनिर्णयन, अर्ध-न्यायिक कार्यवाही, निर्णय लेखन कौशल इत्यादि पर बारिकी से प्रकाश डाला गया।

## राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में प्रशासन एवं सदस्य

सिर्फ आठ वर्षों की अल्प समयावधि में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी विश्वस्तरीय संस्था के तौर पर उभर कर आई है, अकादमी में न्याय प्रबंधन पर अनुसंधान तथा न्यायिक प्रशासन पर नीतिगत विकास पर आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध है अकादमी का प्रशासनिक ढाँचा इस प्रकार है।

### 1. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के सदस्य (31 मार्च 2010 को)

| क्र. | पदनाम | नाम |
|---|---|---|
| 01 | भारत के मुख्य न्यायाधीश (पदेन अध्यक्ष) | माननीय न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन |
| 02. | उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीश | 1. माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एच कपाड़िया<br>2. माननीय न्यायमूर्ति श्री अल्तमस कबीर |
| 03. | उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश | माननीय न्यायमूर्ति श्री सैयद रफत आलम मुख्य न्यायाधीश, म.प्र. उच्च न्यायालय |
| 04 | निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (पदेन सचिव) | प्रोफेसर डॉ. जी. मोहन गोपाल |
| 05 | एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश | माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. सीकरी, दिल्ली उच्च न्यायालय |
| 06 | दो विधि विशेषज्ञ | 1. निदेशक, एनएलआईयु, भोपाल (पदेन)<br>2. अधिष्ठाता, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय (पदेन) |
| 07 | पदेन सदस्यगण<br>1. कानून मंत्री, भारत सरकार<br>2. अध्यक्ष, Bar Council of India | <br>1. श्री वीरप्पा मोइली<br>2. श्री सूरज नारायण प्रसाद सिन्हा |
| 08 | सचिव, विधि मत्रांलय, भारत सरकार | सुश्री भूपीन्दर प्रसाद |
| 09 | सचिव, विधि मामले, भारत सरकार | श्री डी. आर मीना |
| 10 | सचिव, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार | श्री शान्तनु कौसुल |
| 11 | सचिव, व्यय मंत्रालय, भारत सरकार | श्रीमती सुषमा नाथ |
| 12 | महासचिव, उच्चतम न्यायालय | श्री एम.पी. भद्रन |

**2. सामान्य सभा:**

उपरोक्त वर्णित सदस्य अकादमी के सामान्य सभा के सदस्य भी होते है।

**3. शासी परिषद**

अकादमी का प्रबंधन, प्रशासन एवं नियन्त्रण शासी परिषद द्वारा प्रचलित होता है, जो निम्न प्रकार है-

**(31 मार्च 2010 को)**

| क्र. | पदनाम | नाम |
|---|---|---|
| 01 | भारत के मुख्य न्यायाधीश (पदेन अध्यक्ष) | माननीय न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालकृष्णन |
| 02 | उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीश | 1. माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.एच. कपाडिया<br>2. माननीय न्यायमूर्ति श्री अल्तमस कबीर |
| 03 | निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (पदेन सदस्य, संयोजक) | प्रो. डॉ. जी. मोहन गोपाल |
| 04 | सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार | सुश्री भूपीन्दर प्रसाद |
| 05 | सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार | श्रीमती सुषमा नाथ |
| 06 | सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार | श्री. डी. आर. मीना |
| 07 | महासचिव, उच्चतम न्यायालय | श्री एम. पी. भद्रन |

## 4. शैक्षणिक परिषद

शासी परिषद् ने अपने संकल्प दिनांक 18 नवम्बर, 2003 को, भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय (पदेन अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी), उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों को सम्मिलित कर शैक्षणिक परिषद् का गठन किया। दिनांक 07.02.2006 के संकल्प में अध्यक्ष द्वारा इस परिषद् का विस्तार किया गया। दिनांक 31 मार्च 2010 को परिषद् के सदस्य निम्नानुसार है :

| क्र. | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 01 | माननीय न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन, अध्यक्ष | मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय |
| 02 | माननीय न्यायमूर्ति श्री एस एच. कपाडिया<br>माननीय न्यायमूर्ति श्री अल्तमस कबीर<br>माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. वी. रवीन्द्रन<br>माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा | उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश |
| 03 | प्रो. डॉ. जी. मोहन गोपाल, संयोजक | निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी |
| 04 | माननीय न्यायमूर्ति श्री जगन्नाथ राव | पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय |
| 05 | माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. के. सीकरी | न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय |
| 06 | माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.एस. अग्रवाल | भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय |
| 07 | श्री गोपाल सुब्रमणियम | महान्यायाधिवक्ता, भारत |
| 08 | अ. श्री फली एस नरिमन<br>ब. श्री के. के. वेणुगोपाल<br>स. श्री पी.पी. राव | वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय |
| 09 | श्री एम. पी. भद्रन | महासचिव, उच्चतम न्यायालय |
| 10 | निदेशक, भारतीय विधि संस्थान | पदेन |
| 11 | डा.एस. के जैन | न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा |

## 5. कार्यकारिणी समिति

शासी परिसर ने अपने संकल्प दिनांक 18 नवम्बर, 2003 को भारत के मुख्य न्यायाधीश (पदेन अध्यक्ष, रा.न्या.अकादमी) और तीन वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय को मिलाकार अकादमी की कार्यकारिणी समिति का गठन किया, जो अकादमी के कार्यक्रमों तथा प्रशासन के कार्यकलापो के संचालित करेगी। इस समिति के सदस्य निम्नानुसार होगें।

| क्र. | पदनाम | नाम |
|---|---|---|
| 01. | उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश | न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन |
| 02. | उच्चतम न्यायालय के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश | 1. न्यायमूर्ति श्री एस. एच. कपाडिया<br>2. न्यायमूर्ति श्री अल्तमस कबीर<br>3. न्यायमूर्ति श्री आर. वी. रवीन्द्रन |
| 03 | निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी -संयोजक | प्रो. (डॉ.) जी. मोहन गोपाल |

## 6. अकादमी के अधिकारी

अकादमी का निदेशक, अकादमी का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है, जो भारत सरकार के अनुमोदन पर अकादमी के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कार्यकलाप अकादमी के निदेशक द्वारा दो रजिस्ट्रार के सहयोग से संचालित किया जाता है।

**प्रशासनिक अधिकारी** **(31 मार्च 2010 को)**

| क्र. | पदनाम | नाम | पदो का विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्वीकृत | वर्तमान में | रिक्त |
| 01. | निदेशक | प्रो. (डॉ.) जी. मोहन गोपाल | 1 | 1 | - |
| 02 | रजिस्ट्रार | श्री. ए. एम. सक्सेना,<br>श्री. एस. पी. श्रीवास्तव | 2 | 2 | - |
| 03 | प्रशासनिक अधिकारी | श्री कुरियाकोस मैथ्यू | 1 | 1 | - |
| 04 | मुख्य लेखा अधिकारी | श्री अविनाश चौधरी | 1 | 1 | - |
| 05 | रखरखाव अभियंता | श्री देवाशीष पाल (02.02.2010 तक) | 1 | - | 1 |
| 06 | उप ग्रन्थपाल | श्री संजीव सराफ (30.04.2009 तक) | 1 | - | 1 |

इसके अलावा श्री अखिलेश अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थकी एवं यांत्रिकी विभाग अपने के कार्य के साथ-साथ अकादमी के रखरखाव कार्य को देखते है।

## शैक्षिक

प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए भारत के विभिन्न भागों से संकाय सदस्यों की एक टीम तैयार की जाती है, जो पाठ्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के साथ कैम्पस में रहकर संवाद बनाये रखते है। अकादमी का स्टाफ निम्न प्रकार है:-

### शैक्षणिक संकाय:-

(31 मार्च 2010 को)

| क्र. | पदनाम | नाम | पदो का विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्वीकृत | वर्तमान में | रिक्त |
| 01 | निदेशक | प्रो. (डॉ.) जी. मोहन गोपाल | 1 | 1 | - |
| 02 | अतिरिक्त निदेशक | - | 1 | - | 1 |
| 03 | प्राध्यापक | 1. प्रो. वेद प्रकाश शर्मा (18.02.2010 तक)<br>2. श्री बी.जी. हरीन्द्रनाथ | 3 | 1 | 2 |
| 04 | सहायक प्राध्यापक | 1. सुश्री एस मिनी<br>2. श्री. मृणाल सतीश (21.06.2009 तक)<br>3. सुश्री निधि गुप्ता | 6 | 2 | 4 |
| 05 | अनुसंधान सहायक | 1. सुश्री अपर्णा चन्द्रा (21.06.2009 तक)<br>2. श्री सिद्धार्थ शर्मा | 6 | 1 | 5 |
| 06 | विधि सहायक | 1. सुश्री सुचिता परमगुरू<br>2. सुश्री हिना वार्ष्णेय<br>3. सुश्री निधि वैद्य (11.11.2009 तक)<br>4. सुश्री अपर्णा सिंह | 6 | 3 | 3 |

## 7. आधारभूत सुविधाएँ

अकादमी शहर के बाह्य भाग में पठार पर स्थित है। अकादमी के शहर की बडी झील का मनोरम दृश्य दिखता है। अकादमी का कुल क्षेत्रफल 62 एकड है तथा कुल निर्मित भाग 28000 वर्गफीट है। अकादमी के सुन्दर बाग-बगीचे इत्यादि न्यायिक अनुसंधान हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाता है।

विभिन्न आधारभूत सुविधाओं की जानकारी निम्नानुसार है:-

### अ. अकादमी में निम्न वातानुकूलित भवन है

1. VIP अतिथि गृह क्र. 1 (144 अतिथिगृह कक्ष समस्त सुविधाओं सहित)
2. VIP अतिथि गृह क्र. 2 (12 कमरें पाँच सितारा सुविधाओ के साथ)
3. प्रबंधन कक्ष (निदेशक, रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यालय)
4. छह समिति कक्ष ,संकाय सदस्यों के 10 कक्ष तथा एक सभागृह
5. पुस्तकालय (ज्ञान-गंगा) एवं अनुसंधान कक्ष (ज्ञान मन्थन)
6. सभागृह
7. मनोरंजन कक्ष
8. भोजन कक्ष

### ब. आवासीय सुविधाएँ :-

1. VIP अतिथि गृह क्र. 1:- इस अतिथि गृह में कुल 144 कमरे है। प्रत्येक कमरे में दो लोगो के सोने की व्यवस्था है यह भवन चार मंजिला है। इस भवन में आधुनिक सुविधाओं के साथ रसोई कक्ष है जिसमें एक बडा भोजन कक्ष, स्वागत कक्ष, चिकित्सक कक्ष तथा अन्य सुविधाँए है। इस भवन में लिफ्ट सुविधा भी है।
2. VIP अतिथि गृह क्र. 2 :- इस अतिथि गृह में 12 सर्वसुविधा युक्त कक्ष, आधुनिक सुविधा युक्त रसोई कक्ष, इत्यादि है।
3. अकादमी के अधिकारियो/कर्मचारियों हेतु
   - क. **निदेशक/अतिरिक्त निदेशक आवास :** अकादमी में सर्वसुविधा युक्त दो बडे बंगले है। उपरोक्त बंगले, निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक हेतु आरक्षित है।
   - ख. **स्वतंत्र मकान :** अकादमी में अधिकारियों हेतु 12 स्वतंत्र मकान है इन आवास के 8 मकानों में प्रत्येक तीन कमरे एवं 4 मकानों में प्रत्येक में 2 कमरे है।
   - ग. **कर्मचारी निवास :** अकादमी में कर्मचारियों हेतु 34 मकान है।

### स. अनुसंधान सुविधाएँ व आधारभूत सुविधाएँ

1. **संगोष्ठी कक्ष :** अकादमी में 30-40 व्यक्ति सुविधा वाले 6 संगोष्ठी कक्ष है। इन कक्षो में दृश्य-श्रव्य सुविधाएँ इत्यादि उपलब्ध है।
2. **सभाग्रह :** अकादमी में 281 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा वाला सभागृह जिसमें आधुनिक सुविधायुक्त ऑडियो सिस्टम भी लगा है।
3. **संकाय कक्ष :-** संकाय सदस्यों के लिए उपयुक्त कक्ष एवं सचिवालय सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिसमें सचिवालय कर्मचारियों के लिए 10 पूर्ण व्यवस्थित कक्ष है। यहाँ एक अलग सभागृह भी है।

द. पुस्तकालय (ज्ञान गंगा) :

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में एक विश्वस्तरीय पुस्तकालय है जिसमें विभिन्न विषयों की समकालीन पुस्तके, पत्रिकाएँ, शोध पत्र, पाण्डुलिपि तथा विधि शास्त्र से सबंधित पुस्तके उपलब्ध है। अकादमी में आये, विभिन्न कार्यक्रमो के प्रतिभागियों को विधि शास्त्र में शोध हेतु सत्र 2004 में, 1412 वर्ग मीटर के पुस्तकालय की स्थापना की गई। अपने प्रथम 7 वर्षो के कार्यकाल में ही पुस्तकालय में राष्ट्रीय एवं विश्वस्तरीय 20,000 पुस्तकें उपलब्ध है।

पुस्तकालय में Manupatra, Grand Jurix, EPW, web Law, Hein online एवं JSTOR को आनलाईन देखने की सुविधा उपलब्ध है। पिछलें कई वर्षो में हुए कार्यक्रमो की 5000 संसाधन सामग्री पुस्तकालय में उपलब्ध है। वर्तमान में ज्ञान गंगा में दो पुस्तकालय सहायक पदस्थ है। पुस्तकालय सुबह 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खुला रहता है। पुस्तकालय में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। पुस्तकालय में प्रलेखन केन्द्र, समाचार पत्र एवं पत्रिका अनुभाग तथा एक कॉन्फ्रेन्स हाल उपलब्ध है।

पुस्तकालय में निम्न भाग है :-

i. **पठन कक्ष** – पुस्तकालय में 66 व्यक्तियो के बैठने युक्त अत्याधुनिक पठन कक्ष है जिसमें नवीनतम जर्नल तथा पठनीय सामग्री है।
ii. **पुस्तकों हेतु कॉम्पेक्टर** – संस्थान में भूतल में 75000 विधि पुस्तकों को रखने का पर्याप्त व्यवस्था है।
iii. **प्रलेखन केन्द्र** – पुस्तकालय में नवीनतम फोटोकॉपी मशीन, स्केनर तथा कम्प्युटर के साथ प्रलेखन कक्ष के लिए अलग खण्ड है।

क. **मनोरंजन केन्द्र** :- उपरोक्त केन्द्र में निम्न सुविधाएँ है :- तरणताल, स्टीम बाथ, लान टेनिस, कोर्ड, जिम इत्यादि।

ख. **जल आपूर्ति प्रणाली** :-परिसर में फिल्टर संयंन्त्र के साथ एक सम्पूर्ण जल आपूर्ति प्रणाली है।

ग. **विद्युत आपूर्ति प्रणाली** :- अकादमी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु MPSEB से 33 KV की लाईन ली गयी प्रणाली है। आपात स्थित हेतु 500 KV का जनरेटर भी पृथक से उपलब्ध है।

घ. **सुरक्षा** :- परिसर की सुरक्षा बाज सिक्यूरिटी द्वारा की जाती है। जो 57 सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाती है जो 24 घण्टे सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाते है।

## राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का शासन

29 जुलाई 2009 को शासी परिषद् की बैठक में निम्न निर्णय लिये गये:-

- 2007-2008 के सोसाईटी के खातो की स्वीकृति
- 2008-2009 वर्ष के लिये अकादमी की वार्षिक रिर्पोट स्वीकृति
- 2008-2009 के सोसाइटी के खाते पारित
- 2009-2010 क लिये वार्षिक बजट पारित
- अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों हेतु 5-7.5% की वेतन वृद्धि, यह वेतन वृद्धि कर्मचारी के प्रदर्शन के आधार पर स्वीकृत मापदण्डों के अनुसार स्वीकृत होगा।
- अनुबंध में संशोधित शर्तें लागू होना जैसे एक वर्ष से अधिक का अनुबंध
- अनुंबध सेवा के अगले वर्ष में शेष अर्जित तथा चिकित्सा अवकाश को आगे ले जाना
- अनुंबध हेतु आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी अकादमी द्वारा वहन की जायेगी।
- चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार जिसमें किसी पात्र व्यक्ति को न्यूनतम वेतन से अधिक वेतन देने की अनुशंसा की गई है को कार्यकारी समिति द्वारा पारित करवाना

अन्य सस्थानो हेतु अतिथि गृह की दरें

1. VIP अतिथिगृह क्रमांक- 2 : ₹ 4000/-. प्रति कक्ष प्रतिदिन
2. VIP अतिथिगृह क्रमांक -1 : ₹ 1000/- प्रति कक्ष प्रतिदिन

- यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, व्यक्तिगत विवाद पदस्थ नही किया जायेगा।
- शैक्षणिक सत्र 2009-2010 (जुलाई-2009 से जून-2010) के शैक्षणिक कार्यक्रमो की मंजूरी

**29 जुलाई 2009 को सामान्य निकाय बैठक में निम्न निर्णय लिये गये :-**

- 2007-2008 के सोसाइटी के खातो की ऑडिट रिपोर्ट की स्वीकृति
- 2008-2009 की अकादमी की वार्षिक रिपोर्ट की स्वीकृति
- 2008-2009 के सोसाइटी के खातो को पारित किया गया
- 2009-2010 का वार्षिक बजट पारित किया गया

**13 मई 2009 की शैक्षणिक परिषद की बैठक**

- वर्ष 2008-2009 के शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए रिर्पोट का अनुमेदन किया गया।
- शैक्षणिक सत्र 2009-2010 के लिए प्रस्तावित शैक्षणिक कलेण्डर का अनुमोदन किया गया।

# राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति (जुलाई–2010) का विवरण

I) **ध्येय :-**

राष्ट्रीय न्यायिक आकादमी की शैक्षणिक परिषद ने सत्र 2006 में यह निर्णय लिया गया कि न्यायालय में देरी एवं न्याय के प्रति जवाबदेही बढाने हेतु न्यायिक शिक्षा अति आवश्यक है।

II) **उद्देश्य :-**

न्यायिक अकादमियो का उद्देश्य न्यायिक शिक्षा के माध्यम से अनुसंधान एवं नीति विकास द्वारा न्यायिक प्रणाली की उत्कृष्टता बढाना है।

117 वे विधि आयोग के अनुसार न्यायाधीशों को

1. अपकरणो की जानकारी होनी चाहिये,
2. अपनी सेवा अनूरूप व्यवस्था के प्रति जवाबदेही न्यायिक शिक्षा अधिनिर्णय में सवैधानिक मूल्यों को बढ़ाने में मदद करना है।

III) **रणनीति :-**

उपरोक्त ध्येयो को प्राप्त करने के लिये निम्नानुसार रणनीति होनी चाहिये

**अ. 6 प्रमुख मुद्दों पर आम राष्ट्रीय दृष्टि –**

1. **भारतीय न्यायिक प्रणाली की अपेक्षा :-** विधि आयोग की रिपार्ट के अनुसार, भारतीय न्यायिक प्रणाली की उम्मीद क्या है । भारत की आजादी के बाद जब हमने अपना संविधान अपनाया तब न्यायिक प्रणाली से यह अपेक्षा की गई कि पुरानी व्यवस्था को छोड कर नयी व्यवस्था लागू करना है।

   विधि आयोग के अनुसार भारत के संविधान के अनुसार न्यायिक प्रणाली के अपेक्षा निम्न चार स्तरो पर तय की गई–

   क. संवैधानिक भारत में सामाजिक क्रान्ति हेतु प्रभावी साधन।

   ख. भारतीय समाज को राष्ट्रीय अनुरूप परिवर्तनशील बनाना।

   ग. संविधान के अनुच्छेद 38 के अनुरूप कल्याणकारी राज्य की। स्थापना जिसमें न्याय, सामाजिक समानता स्थापित करना है विभिन्न प्रकार के व्यक्तियो तथा समूहो में असमानता कम करना।

   घ. नागरिको के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु प्रतिबद्धता

न्यायपालिका की बदलती भूमिका पर विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय जिसमें उच्चतम न्यायालय के अधिकारी, तन्जावुर एवं एस. पी. गुप्ता विरूद्ध भारत सरकार AIR 1982 SC149 उपरोक्त प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि न्यायाधीश संविधान की धारा IV के अनुसार आर्थिक सामाजिक परिवर्तन कम करने हेतु महत्वपूर्ण कारक है।

एक और प्रकरण में 1982 में उच्चतम न्यायालय ने कहा "न्यायाधीश आर्थिक सामाजिक क्रान्ति लाने तथा इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह सामान्य जन में सामाजिक न्याय के महत्व को प्रतिपादित भी करता है " वह आर्थिक सामाजिक उत्थान में रचनात्मक भूमिका निभाता है :-

**न्यायिक प्रणाली से समाज की अपेक्षाएँ :-** रिपोर्ट में यह कहा गया कि न्यायिक प्रणाली अपेक्षाओ पर खरी नही उतर रही है क्योकि न्यायपालिका में वांछित संस्थागत परिवर्तन नही किया गया है। न्यायपालिका अभी भी विदेशी शासको द्वारा स्थापित भाषा, दृष्टिकोण तथा विधि अनुरूप कार्य कर रही है।

**2. न्यायिक प्रणाली उत्कृष्टता :-**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (NJA) के अनुसार न्यायिक प्रणाली की उत्कृष्टता को 6 प्रमुख कारकों (ROKMMA) से परिभाषित किया जा सकता है-

- भूमिका :- संवैधानिक जनादेशों का प्रभावी पालन तथा न्यायप्रणाली का सामाजिक प्रभाव
- संगठनात्मक प्रभावशीलता
- कानून के शिक्षको, न्यायाधीशो तथा बार मेम्बर के गुण- कौशल
- मूल्यांकन विधि : अधिनिर्णय हेतु प्रक्रियात्मक रूपरेखा, अधिवक्ताओ तथा न्यायाधीशों की अधिनिर्णय के प्रति दृष्टिकोण एवं न्याय की स्वतंत्रता एवं निरन्तरता हेतु सुरक्षा।
- न्यायालय, मामला, प्रक्रिया, मानव सबंध एवं संगठनात्मक प्रबंधन
- उन लोगो तक न्याय पहुचाना जहाँ न्याय सुगम नही है।

**(नोट:- ROKMMA न्यायतंत्र का मूल्यांकन करने एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक नवीन रूपरेखा है। समय पर न्याय की गुणवत्ता एवं जवाबदेही के मूल्यांकन के लिए प्रत्येक घटक को विभिन्न मापदण्डों में पुन: विभाजित किया गया है।)**

**3. न्याय की आम समझ तथा संवैधानिक दृष्टिका विकास:-**

भारत एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली है इस प्रणाली को न्याय के संवैधानिक दृष्टि द्वारा आम राष्ट्रीय समझ द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए एवं न्यायिक प्रणाली उत्कृष्टता की अवधारणा।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिये न्यायपालिका की संवैधानिक दृष्टि का विकास आवश्यक है। यह दृष्टिकोण दिन प्रतिदिन के अनुभव तथा निरन्तर मूल्यांकन पर आधारित हो। न्यायाधीशों के मध्य संविधान के प्रति व्यापक चर्चा का आयोजन, उपरोक्त चर्चा संविधान के समस्त स्तरो,

स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन, संवैधानिक दर्शन पर आधारित हो । भारत के उच्चतम तथा उच्च न्यायालयो तथा निचली अदालतो की कार्यप्रणाली में संविधान की भूमिका- यह एक सतत् प्रक्रिया है तथा न्याय की संवैधानिक दृष्टि समय के साथ विकसित होगी।

संवैधानिक दृष्टिकोण के प्रति पिछलें चार वर्षो में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का विवेचन निम्नानुसार रहा-

- न्यायप्रणाली का लक्ष्य, जो कि भारतीय संवैधानिक मूल्य के अनुरूप न्याय को बढावा देने हेतु हो ।
- न्याय संवैधानिक मूल्यों के साथ संगत मानव आचरण के रूप में इस सन्दर्भ में समझा जा सकता है ।
- संवैधानिक मूल्यों को बनाये रखने के लिए अधिकारों एवं कर्तव्यों को कानून के तहत् स्थापित किया जाए।
- न्याय को बढावा देने हेतु न्यायालय मे अधिकारो एवं दायित्वो की स्थापना ताकि संवैधानिक मूल्य के अनुरूप आचरण कर सुरक्षित न्याय उपलब्ध करवाया जा सके।

**4. न्यायालय के सामाजिक प्रभाव को मापने के लिए एक फ्रेमवर्क का विकास :**

जैसा कि पहले की वर्णित है, न्यायिक प्रणाली का उद्देश्य संवैधानिक ध्येय प्राप्त करना है । अत: अकादमी कार्य सकारात्मक सामाजिक प्रयास बढ़ाने का प्रयास करना है । तथा राष्ट्रीय एवं सामाजिक विकास के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना है । भाग लेने वाले न्यायाधीशों तथा विधि विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद सात विशेष क्षेत्रों की पहचान की गई, जो न्यायिक शिक्षा के सामाजिक पहलू में वृद्धि करते है -

- अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांग एवं बुजुर्गों के संवेदनशील समूह के अधिकारो का संरक्षण
- महिलाओ और बच्चों के अधिकारो की सुरक्षा
- आपराधिक न्याय प्रणाली में शामिल व्यक्तियों के अधिकारो का संरक्षण
- पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों का सरक्षण
- आर्थिक विकास मे श्रम अधिकारो की सुरक्षा तथा संवैधानिक मूल्यों का संज्ञान
- संवैधानिक संवर्धन का संरक्षण, मानव अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षण
- न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाना

5. गुणवत्ता फ्रेमवर्क का विकास:-

अधिनिर्णय की गुणवत्ता बढाने के लिये तथा गुणवत्ता मानक एवं प्रदर्शन मानक अतिआवश्यक है व्यापक गुणवत्ता ढांचे वर्तमान में उपलब्ध नही है।

NJA ने 71 सूत्रीय गुणवत्ता फ्रेमवर्क को परिभाषित किया ताकि न्यायिक प्रणाली में गुणवत्ता, समयबद्धता विकसित की जा सके। NJA के गुणवत्ता ढांचे के 71 बिन्दु इस प्रकार है।

| सम्पूर्ण फ्रेमवर्क | 6 सूत्रीय "ROKMMA" फ्रेमवर्क |
|---|---|
| भूमिका | 4 सूत्रीय RDAL फ्रेमवर्क<br>न्यायालयों की भूमिका:<br>1. अधिकारों की रक्षा<br>2. कर्तव्य लागू करना,<br>3. जवाबदेही सुनिश्चित करना,<br>4. वैधता सुरक्षा |
| संगठनात्मक प्रभावशीलता | 8 सूत्रीय फ्रेमवर्क<br>1. न्यायाधीश की गुणवत्ता<br>2. आधारभूत सुविधाएँ<br>3. अधिवक्ता शक्ति/गुणवत्ता<br>4. प्रौद्योगिकी<br>5. वित्तीय संसाधन<br>6. सरकारी ऐजेंसीज<br>7. वादी सहयोग<br>8. प्रशासनिक सहयोग |
| ज्ञान, कौशल, नजरिया एवं गुण | 28 सूत्रीय रूपरेखा<br>1. कानूनी एवं सामाजिक ज्ञान की गुणवत्ता-<br>अ. न्यायाधीश<br>ब. बार<br>स. सरकार के अधिकारी<br>द. कानूनी साक्षरता<br>ई. कानूनी शिक्षा मानक विभिन्न 9 विषयो में मानक ज्ञान<br>न्याय की गुणवत्ता पर 7 सूत्रीय रूपरेखा 20 सूत्रीय QASK रूपरेखा। |
| विधि | 6 सूत्रीय रूपरेखा<br>1. तर्क<br>2. उद्देश्य एवं तर्कसंगत<br>3. सवैधानिक एवं कानूनी मापदण्ड का आधार |

| सम्पूर्ण फ्रेमवर्क | 6 सूत्रीय "ROKMMA" फ्रेमवर्क |
|---|---|
| | 4. वैज्ञानिक<br>5. संगत<br>6. पूर्वानुमान |
| प्रबंधन | 10 सूत्रीय रूपरेखा<br>1. औसत दर्ज का मानक प्रदर्शन<br>2. कोर्ट योजनाएँ<br>3. न्यायालय तथा प्रबंधन प्रणाली विश्लेषण के आधार पर प्राथमिकता<br>4. समय सारणी एवं सूचीकरण<br>5. समयबद्धता<br>6. मॉनिटरिंग सिस्टम<br>7. सूचना प्रबंधन प्रणाली<br>8. सूचना तकनीकि का प्रयोग<br>9. प्रक्रिया सरलीकरण<br>10. मानव संसाधन रूपरेखा |
| न्याय तक पहुँच | 10 सूत्रीय रूपरेखा<br>1. जागरूकता<br>2. पहुँच/ लागत<br>3. कानूनी सहायता<br>4. अन्य सुविधाए<br>5. उपयोगकर्ता सुविधा<br>6. भाषा<br>7. दस्तावेजों तक पहुँच<br>8. अपील/उपचार तक पहुँच<br>9. अदालतो से दूरी<br>10. डॉकेट शामिल किये जाने का अनुमान |

**6. निगरानी संकेतों का विकास:-**

न्यायिक प्रणाली की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि गुणात्मक संकेतकों का विकास किया जाए। इस प्रयोजन हेतु 4 संकेतक प्रस्तावित किये जाते है:-

| | |
|---|---|
| अधिकार संरक्षण सूचकांक | विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों में से 1% का चयन किया जाए एवं विश्लेषण किया जाए कि अधिकारों का संरक्षण किस स्तर पर हो रहा है। |

| | |
|---|---|
| स्थिरता सूचकांक<br>जवाबदेही सूचकांक | यह सूचकांक विधि के विभिन्न स्थापित सिद्धांतो की निर्णयो में भूमिका का अध्ययन करता है।<br>चयनित निर्णयो का विश्लेषण एवं यह निष्कर्ष निकालना कि कानूनी धाराओ का उपयोग किस स्तर तक किया गया। |
| न्याय गुणवत्ता सूचकांक | न्याय गुणवत्ता सूचकांक 8 बिन्दु फ्रेमवर्क पर आधारित है (संवैधानिक, तर्क एवं तर्क संगत, कार्यान्वयन, समयोचित, अभिनव, प्रेषणशील, कानूनी तौर पर समर्थ) |
| समयबद्धता सूचकांक | निर्धारित समय मानको का अनुपातन |

उपरोक्त मानक जिला स्तर एवं उच्च न्यायालयो दोनों स्तर पर लागू होते है।

ब. शैक्षणिक कार्यक्रमो को उद्देश्यों के आधार पर तीन प्रकार से व्यवस्थित किया गया –

1. न्यायाधीशों के व्यक्तिगण गुण, व्यवहार, कौशल एवं ज्ञान में वृद्धि
2. न्याय प्रणाली को सुदृढ करना
3. न्याय प्रणाली के सामाजिक पहलू की सुदृढ़ता

उपरोक्त तीनों उद्देश्यों के लिए अकादमी द्वारा चार प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जो निम्न प्रकार है –

1. न्यायाधीशों के व्यक्ति गुण व्यवहार, कौशल एवं ज्ञान में वृद्धि (QASK) (चार प्रकार के कार्यक्रम):–
   इस हेतु निम्न कार्यक्रम आयोजित किये गये
   - निचली अदालतो के न्यायाधीशों हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला
   - नवनियुक्त अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशो हेतु कार्यशाला
   - नवनियुक्त सिविल न्यायाधीशों हेतु अभिन्यास कार्यक्रम
   - राष्ट्रीय न्यायिक उत्कृष्टता कार्यक्रम (JEEP)
2. देरियों को कम करने तथा लम्बित प्रकरणों को कम करने हेतु न्यायिक प्रणाली की सुदृढ़ता पर कार्यक्रम (चार प्रकार के कार्यक्रम):–
   - उच्च न्यायालय में नवनियुक्त न्यायाधीशों हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला जो न्याय प्रणाली की सुदृढ़ता पर आधारित हो
   - मुख्य जिला न्यायाधीशों हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला
   - निचली अदालतो कें न्यायाधीशो हेतु क्षेत्रीय कार्यक्रम
   - राज्य न्यायिक अकादमियों हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
3. न्यायिक प्रणाली का सामाजिक प्रभाव (चार प्रकार के कार्यक्रम):–
   - न्यायिक प्रणाली के सामाजिक पहलू पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
   - अधिनिर्णय प्रबंधन कार्यक्रम
   - विधि विकास हेतु निचली अदालतों में राष्ट्रीय कार्यक्रम
   - देश में सामाजिक प्रभाव एवं विधि की स्थापना हेतु निचली अदालतो की भागीदारी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

## IV). प्रभाव मूल्यांकन

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कार्यक्रमो का प्रभाव का मूल्यांकन तीन प्रकार से किया जा सकता है:-

1. न्याय समयबद्धता
2. अधिनिर्णय गुणवत्ता
3. न्याय प्रणाली में संस्थागत परिवर्तन

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी न्यायाधीशों द्वारा दिये गये अनुभवों के आधार पर कार्यक्रम एक प्रभावों सतत् मूल्यांकन करती है।

**1.न्याय समयबद्धता :** न्यायिक प्रणाली में न्याय समयबद्धता एक चुनौती है।
राष्ट्रीय न्यायिक मे आये हुए प्रतिभागी इन कार्यक्रमो के फलस्वरूप न्याय समयबद्धता पर कितने प्रतिबद्ध हुए।
यह उच्च न्यायालयो के निवेदन किया गया कि इसका विश्लेषण करे। कार्यक्रम के प्रतिभागियो ने न्याय प्रक्रिया में किन विभिन्न तकनीको का प्रयोग किया।
यह आवश्यक नही कि राष्ट्रीय न्यायिक कार्यक्रमो को न्याय समयबद्धता पर सदैव प्रत्यक्ष प्रभाव हो पर अकादमी के फलस्वरूप राष्ट्रीय सम्पदा के प्रति जवाबदेही में आमूल-चूल परिवर्तन आये है।

**2.अधिनिर्णय गुणवत्ता :** यह मापना कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कार्यक्रमो फलस्वरूप अधिनिर्णय प्रक्रिया में गुणवत्ता आई है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने अधिनिर्णय की गुणवत्ता नापने के 6 सूत्री कार्यक्रम बनाये है:-

- भूमिका
- संगठनात्मक प्रभावशीलता
- ज्ञान
- कार्यप्रणाली
- प्रबंधन
- न्याय तक पहुँच

उरोक्त 6 सूत्रीय कार्यक्रम द्वारा एक सूचकांक का गठन किया गया एवं उच्च न्यायालयो से निवेदन किया गया कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभावो को 12 महिनो में अध्ययन किया जाए।

**3.न्यायिक प्रणाली के सुदृढबनाने हेतु संस्थागत परिर्वतन:-**

बदलते सामाजिक परिवेश में न्याय प्रणाली का योगदान:- राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी सदैव उन कार्यक्रमो को प्राथमिकता देती है जो राष्ट्रीय महत्व की है। क्षेत्रीय स्तर पर किये गये कार्यक्रम प्रादेशिक न्यायिक अकादमियो द्वारा आयोजित किये जाते है।

V) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एवं प्रादेशिक न्यायिक अकादमियों की भूमिका

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एवं प्रांतीय न्यायिक अकादमियों के कार्य को निम्नानुसार समझा जा सकता है।

| मुख्य भूमिका | राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रादेशिक सांमजस्य | प्रादेशिक न्यायिक अकादमी |
|---|---|---|
| न्याय प्रणाली में सुधार हेतु राष्ट्रीय अवधारणा का विकास एवं ROKMMA ढ़ाचे के आधार पर न्याय प्रणाली का सदृढ़ीकरण | ✓ | |
| संवैधानिक मूल्यों के विकास हेतु देश भर अधिनिर्णय प्रक्रिया के सुधार हेतु कार्यक्रम संवैधानिक मूल्यों एवं राष्ट्रीय कानून की सामान्य समझ का विकास | ✓ | |
| समय पर न्याय हेतु राष्ट्रीय मानकों की स्थापना एवं प्रबंधन योजना | ✓ | |
| अधिनिर्णयन प्रबंधन विकास (कोर्ट प्रबंधन, केस प्रबंधन) | | ✓ |
| न्यायिक अधिकारियों की गुणवत्ता, व्यवहार, तथा ज्ञान वर्धन हेतु प्रशिक्षण | | ✓ |
| प्रादेशिक न्यायिक व्यवस्था का सदृढ़ीकरण | ✓ | ✓ |
| अनुसंधान एवं ज्ञान प्रबंधन | | ✓ |

अधिनिर्णय में संवैधानिक मूल्यो की रक्षा हेतु प्रादेशिक न्यायिक अकादमी को निम्न मुद्दो पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

- न्यायाधीशो के ज्ञान में बढ़ोत्तरी
- न्याय प्रणाली के सुधार हेतु सुझाव

VI) संस्थागत ढ़ाँचा – न्यायिक अकादमियाँ

राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक न्यायिक अकादमिक सिर्फ प्रशिक्षण संस्थान न होकर, न्यायिक प्रणाली में संस्थागत परिवर्तन लाने वाली संस्थाएँ है। देश में कानूनी शिक्षा का दृष्टिपरक रखतें हुए प्रादेशिक न्यायिक अकादमियो में विधि महाविद्यालय की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें न्यायाधीशों की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके। प्रादेशिक न्यायिक अकादमियो को सवैधानिक कानून, दीवानी कानून, सम्पत्ति कानून, संविदा कानून, पारिवारिक कानून, पर्यावरण कानून एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानूनो पर ध्यान केन्द्रित करना चाहियें।

अकादमियों परम्परागत न्यायाधीशों एवं विधि शिक्षकों की गुणवत्ता का प्रयास करती है इस हेतु यह आवश्यक है कि अकादमियों में स्थायी संकाय सदस्य हो।

न्यायिक प्रणाली में आई चुनौतियो पर अकादमियाँ सुझाव प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का स्वायत्त संस्था होना इस प्रकिया में कारगर है इस हेतु उच्च न्यायालय विभिन्न कार्यक्रमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अकादमियों से आर्थिक तकनीकी एवं आधारभूत सुविधाओं से परिपूर्ण होना चाहिये। इसके अलावा अकादमियों को विभिन्न विधि महाविद्यालय/ विश्वविद्यालयो से भी सामंजस्य स्थापित करना चाहिये।

VII) **न्यायाधीशों की सहभागिता :–**

न्यायिक अकादमी में कार्यक्रमों का चयन न्यायधीशों की आवश्यकताओ एवं रूचियों के आधार पर होना चाहिये। उच्च न्यायालयों को भी यह देखना चाहिये कि प्रत्येक न्यायाधीश को प्रशिक्षण कार्यक्रम मिल रहा है या नही।

VIII) **अनुसंधान एवं प्रकाशन:–**

न्यायिक प्रणाली में आई चुनौतियों पर न्यायिक अकादमिक अनुसंधान करती है तत्पश्चात अनुसंधान पर प्रकाशन जारी करती है यह प्रकाशन विभिन्न स्तरों पर सलाहकार समिति को विभिन्न प्रयोजनों में मदद करता है।

# राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति के कार्यान्वयन की प्रगति

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति की शुरूआत जनवरी- 2007 में की एवं इसके कार्यान्वयन के दो अकदमिक वर्ष (2007-08, 2008-09) पूर्ण हो चुके है।

उस ध्येय की उन्नति निम्नानुसार प्रतिलक्षित है -

| क्र. | राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति उददेश्य | प्रगति |
|---|---|---|
| 01 | क. समय पर न्याय हेतू राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति में निम्न बिन्दुओ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया<br>1. सूचना प्रौद्यौगिकी का उपयोग<br>2. नवीन प्रबंधन तंत्र<br>3. न्यायिक गुणवत्ता<br>4. ADR प्रणाली का विकास | संतोषजनक प्रगति<br>राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने समय पर न्याय तथा लम्बित प्रकरणों की संख्या कम करने तथा न्याय गुणवत्ता पर मुख्य ध्यान केन्द्रित किया |
| | ख. मुख्य क्षेत्रो में न्यायपालिका की भूमिका<br>1. अधिक मांग वाले क्षेत्रो में न्यायाधीशों की उपलब्धता<br>2. न्यायप्रणाली में नई विधियों का उपयोग | राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने लम्बित प्रकरणों की संख्या कम करने तथा न्याय गुणवत्ता बढाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। |
| | ग. 117 वे विधि आयोग के अनुरूप के न्यायिक अधिकारियो को प्रशिक्षण आवश्यक है । यह प्रशिक्षण उनके कियाकलापो में उत्कृष्टता तो लाता ही है उनकी न्यायिक ज्ञान में भी वृद्धि करता है। | न्याय की गुणवत्ता एवं कुशलता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा सैद्धांतिक ढांचा तैयार किया गया है। |

| क्र. | राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति उददेश्य | प्रगति |
|---|---|---|
| 02. | **राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कार्यक्रमों का मापन**<br>देश भर के 1300 न्यायाधीशो को प्रशिक्षण दिया जाना जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 2 % न्यायाधीशो के प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है यह भी केन्द्रित किया गया कि लगभग 500–600 न्यायाधीश इन प्रशिक्षणो से लाभान्वित हो।<br>उच्च न्यायालयो ने यह सूचित किया कि किन्ही संस्थागत कारणों की वजह से 2500 न्यायाधीश ही कार्यक्रमो में भेजे जा सकते है, सन 2006 में यह पाया गया कि एक न्यायाधीश का रा.न्या.अ. (NJA)में प्रशिक्षण की बारी प्रत्येक 15 वर्ष में एक बार आयेगी। क्योकि अकादमी को सभी स्तर के न्यायाधीशो को प्रशिक्षित करना है। | संतोषजनक प्रगति<br>अकादमी ने प्रशिक्षण कार्यक्रमो की संख्या को चार गुना तक बढा दिया जिसमें 300 न्यायाधीश भाग ले सकें।<br>प्रशिक्षण कार्यक्रमो की संख्या भी 100 कर दी गई जिसके कारण एक न्यायाधीश की बारी अगली बार 4 वर्ष में आ सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो की संगोष्ठी भी मासिक तौर पर आयोजित की गई जिसमे 250 न्यायाधीशो ने भाग लिया।<br>निचली अदालतो के न्यायाधीशो के लिये भी अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। |
| 03 | **प्रादेशिक न्यायिक अकादमियो से सांमजस्य:–**<br>राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी राष्ट्रीय विचारधारा वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है तथा प्रादेशिक कार्यक्रमो को सहयोग करती है | संतोषजनक<br>1. अकादमी के कार्यक्रम में राष्ट्रीय मुद्दो को प्राथमिकता दी जाती है।<br>2. अकादमी के वार्षिक कार्यक्रमो को उच्च न्यायालयो के सहयोग से जारी किया जाता है।<br>3. प्रादेशिक अकादमी से मासिक तौर पर मीटिंग कर सामंजस्य स्थापित किया जाता है इस हेतु प्रादेशिक अकादमियों के सहयोग से, प्रशिक्षण कार्यक्रमो की रचना की गई। |
| 04 | **एसजेए को सहयोग एवं प्रोत्साहन :–** | 1. राज्य स्तरीय न्यायिक शिक्षा में विकास की सहायता के लिए इस वर्ष एसजेए के साथ 5 (मासिक) कार्यक्रम आयोजित किए गए।<br>2. एसजेए के सहयोग के साथ मासिक क्षेत्रीय कार्यक्रम देश के विभिन्न क्षेत्रों में अयोजि किए गए। |
| 05 | **शिक्षा शास्त्र / पाठ्यक्रम प्रणाली** अकादमी शीघ्र ही शिक्षा शास्त्र एवं पाठयक्रम प्रणाली हेतु एक यूनिट स्थापित करेंगी जो राज्य न्यायिक अकादमियों से ज्ञान साझा करेगी | इकाई शीघ्र ही स्थापित हो जायेगी |

| क्र. | राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति उददेश्य | प्रगति |
|---|---|---|
| 06 | **कार्यक्रमों के प्रकार के आधार पर अकादमी में चार प्रकार के कार्यक्रम परिलक्षित किये गये**<br>1. समय पर न्याय तथा लम्बित प्रकरणो की सख्या कम करने हेतु कार्यक्रम<br>2. न्यायिक गुणवत्ता तथा न्यायिक विकास प्रणाली<br>3. न्याय की मांग अनुरूप कार्यक्रमों का गठन<br>4. नई और उभरते क्षेत्र | संतोषजनक प्रगति<br>उपरोक्तानुसार पाठ्यक्रम की रचना की जा चुकी है |
| 07. | **न्यायिक सुधार/ नीति निर्धारण एवं न्यायालय सांख्यिकी** न्यायिक प्रशासन एवं सुधार हेतु अकादमी ही एक यूनिट की स्थापना करेगी जो न्यायिक सुधारो के उद्देश्यों को पूर्ण करेंगी। इसी तारतम्य में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी न्यायालय सांख्यिकी प्रोजेक्ट की स्थापना भी करेगी। | संतोषजनक प्रगति<br>प्रस्तावनानुसार कार्य प्रारम्भ हो चुका है<br><br>न्यायिक सुधारो के उददश्यो हेतु प्रस्तावित इकाई का कार्य प्रारम्भ हो चुका है |
| 08. | **कानूनी शिक्षा से भिन्न न्यायिक शिक्षा की अवधारणा** | संतोषजनक प्रगति (निम्नानुसार) |
| 09. | **न्यायिक शिक्षा की नीति शास्त्र से भिन्नता न्यायिक शिक्षा के पाँच लक्ष्य –**<br>1. आधारभूत ज्ञान उपलब्ध करवाना<br>2. नई विधाओ में विशिष्ट ज्ञान उपलब्ध करवाना<br>3. न्याय हेतु कार्यप्रणाली में सुधार<br>4. न्यायिक सुधार एवं उनकें सामाजिक प्रभाव<br>5 न्यायिक मूल्य तथा उनका राष्ट्रीय प्रभाव | संतोषजनक प्रगति<br><br>इस दिशा में पाठ्यक्रम बनाने का कार्य प्रारम्भ |
| 10. | न्यायिक शिक्षा के लक्ष्य स्थापित करना (**क्यों ?**) | संतोषजनक प्रगति (निम्नानुसार) |
| 11. | हितग्राहियो को परिलक्षित करना (**कौन ?**) (**कब ?**) | संतोषजनक प्रगति<br>उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायाधीशो हेतु कार्यक्रम निर्धारित<br>अन्य हेतु अभी प्रारम्भ नही। |

| क्र. | राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति उददेश्य | प्रगति |
|---|---|---|
| 12. | नये पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रमों का चयन (**क्या ?**) | संतोषजनक प्रगति, नया पाठ्यक्रम और नए कार्यक्रम विकसित किए |
| 13. | **अकादमी के कार्यक्रम का विडियो –** कान्फ्रेंसिग द्वारा प्रशासन तथा वेब साईट पर upload करना | संतोषजनक प्रगति नहीं, पर्याप्त स्टॉफ की कमी |
| 14. | प्रभाव मूल्यांकन | पूर्व कार्यक्रमों का मूल्यांकन एवं नये कार्यक्रमों के कार्यक्षेत्र का निर्धारण |
| 15. | शिक्षा शास्त्र सुधार एवं विधि निर्धारण (**कैसे ?**) | संतोषजनक प्रगति, चर्चा, अनुभव के आधार पर प्रारम्भ |
| 16. | दूरस्थ शिक्षा माध्यम से विधि विज्ञान में स्नातकोत्तर कार्यक्रम जो कि National Law University के सहयोग से संचालित होगा। | कार्य अभी प्रारम्भ नहीं |
| 17 | **गुणवत्ता नियन्त्रण** राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एक ऐसी अवधारणा का प्रतिपादन करेगी जो कार्यक्रमों की गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य करेगी | कार्य प्रारम्भ नहीं |
| 18 | **ई – समिति से समन्वय** समय पर न्याय तथा लम्बित प्रकरणो की समस्या कम करने के लिए न्यायालयो मे आधुनिकतम तकनीक के उपयोग हेतु यह आवश्यक है कि ई – समिति से समन्वय स्थापित किया जाये, ई – समिति न्यायिक शिक्षा एवं तकनीकी सुधारो हेतु मार्गदर्शन प्रदान करती है। | संतोषजनक प्रगति |
| 19 | **न्यायिक शिक्षा के लिए लक्ष्य–** राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी उच्चतम न्यायालय , उच्च न्यायालयो के सुझावों के अनुरूप न्यायिक शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित करती है जो कि न्यायाधीशो की आवश्यकता को परिलक्षित कर अभिकल्पित किया जाता है। | कार्य प्रारम्भ नहीं |

| क्र. | राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति उददेश्य | प्रगति |
|---|---|---|
| 20. | पाठ्य सामग्री | पाठ्य सामग्री की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। |
| 21. | संकाय सदस्य | नये पदो का सृजन किया गया है इसके अलावा शासी परिषद के द्वारा सगंठनात्मक परिवर्तन का प्रस्ताव पारित किया गया है जिसे भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा गया है। रिक्त पदों को भरने के अथक् प्रयास किये गये है तथापि कई पद अभी तक रिक्त है। |

राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति के लक्ष्य अब भी प्रासंगिक है। पिछले तीन वर्षो से अकादमी ने इसके विकास हेतु अथक प्रयास किये है। निम्न क्षेत्रो में अभी भी कार्य किया जाना शेष है :-

1. प्रकाशन
   अ) (New Indian Journal of justice studies established) जर्नल के प्रथम अंक के प्रकाशन का कार्य चल रहा है।
   ब) कार्यक्रमों के अनुमान के आधार पर सुधार पर पत्रिका का प्रकाशन होता है।
   स) अनुसंधान
2. न्यायिक शिक्षा का आदर्श रूप एवं गुणविधि जिसमें पुरानी एवं नई विधियों का प्रतिपादन हो तथा जो न्यायिक शिक्षा के दर्शन को प्रतिपादित करती हो।
3. न्यायिक शिक्षा पर नीति निर्धारण।
4. उच्चतम न्यायालय के न्याय शास्त्र को केन्द्रबिन्दु रखते हुए चयनित क्षेत्रों मे ज्ञान का प्रचार/प्रसार।
5. न्यायिक प्रणाली में अनुसंधान एवं न्यायिक सांख्यिकी का विकास।
6. आन्तरिक नीतियां एवं प्रक्रिया को मजबूत करना तथा शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सदस्यों में वृद्धि।
7. बुनियादी ढांचे में आवश्यकतानुसार परिवर्तन।
8. अन्य हितधारको के साथ न्यायिक प्रणाली में बातचीत बढाना।
9. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।

## 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

(1) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत हमने 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के संलग्न तुलन-पत्र और उसी वर्ष के आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का अंकेक्षण किया। वर्ष 2012-13 तक की अवधि का लेखा परीक्षण सौंपा गया है। ये वित्तीय-पत्रक अकादमी की जवाबदेही है, हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय-पत्रकों पर अभिमत प्रकट करना, हमारी जवाबदेही है।

(2) इस पृथक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में वर्गीकरण; उचित लेखांकन कार्य प्रणालियों के साथ अनुरूपता; लेखाकंन प्रमापों एवं प्रकटीकरण मानदंड आदि पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ समाहित है। कानून, नियमों और विनिमय (औचित्य एवं नियमितता) एवं दक्षता -सह प्रदर्शन आदि के अनुपालन के संबंध के साथ, वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षण अवलोकन, निरीक्षण लेखा परीक्षण सी.ए.जी. रिपार्ट के माध्यम से अलग-अलग प्रतिवेदित है।

(3) हमने अपना लेखा परीक्षण भारत में सामान्यत: स्वीकृत प्रमापों के अनुसार निष्पादित किया है। ये प्रमाप हमें लेखा-परीक्षण योजना एवं संपादन हेतु यथोचित आश्वासन प्रदान करते है, कि वित्तीय- पत्रक अशुद्ध वर्णन से मुक्त है। लेखा परीक्षा में, जाँच, राशियों के पुष्टीकरण साक्ष्य एवं वित्तीय विवरण पत्रकों में प्रकटीकरण सम्मिलित है। इस लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा लेखांकन सिद्धांतों का प्रयोग सार्थक प्राक्कलन तथा वित्तीय पत्रकों के संपूर्ण प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के निर्धारण का भी लेखा परीक्षण सम्मिलित है। हम विश्वास करते है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत को उचित आधार प्रदान करता है।

(4) हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर हम प्रतिवेदित करते है :

(I) हमने उन समस्त सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थे।

(II) इस प्रतिवेदन के अधीन तुलन-पत्र, आय-व्यय लेखा/ प्राप्ति एवं भुगतान लेखा; वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित प्रपत्रों पर तैयार किए गए है।

(III) मेरे मतानुसार अकादमी ने उचित लेखा पुस्तकें एवं अन्य संबंधित अभिलेख संधारित किए है ऐसा इन पुस्तकों के परीक्षण से प्रकट होता है।

(IV) हम विस्तार से प्रतिवेदित करते है:-

अ. तुलन–पत्र

1. परिसंपत्ति

1.1 **31 मार्च , 2010 की स्थिति में परिशिष्ट–4 के आँकड़ों का स्थायी आस्ति पंजी से मिलान न होना:–**

31 मार्च 2010 की स्थिति में तुलन–पत्र के भाग के रूप में सम्मिलित स्थायी आस्तियों के परिशिष्ठ–4 के आंकड़ों और स्थायी आस्तियों की पंजी के आंकडों का परीक्षण करने पर नीचे दर्शाये अनुसार अंतर दर्शाता है :–

(राशि ₹ में)

| क्र. | संपत्ति का नाम | अनुसूचि–4 के अनुसार स्थायी संपत्ति में दर्शाई राशि | स्थायी संपत्ति लेखा अनुसार राशि | अंतर (-) कटौती (+) अतिरिक्त |
|---|---|---|---|---|
| 1. | फर्नीचर एवं फिक्चर अन्य | 93,95,022 | 95,02,5 16 | (-) 1,07 ,494.00 |
| 2. | दृश्य–श्रव्य प्रणाली | 60,51,137 | 59,02, 189 | (+) 1,48 ,948.00 |
| 3. | ऑडिटेरियम का आंतरिक कार्य | 71, 18 ,473 | 71,66 ,673 | (-) 48,200.00 |
| 4. | जल पूर्ति प्रणाली | 92,22,907 | | (+) 92,22,907.00 |
| 5. | भवन | 54,23,63 ,815 | 49,226 | (+) 54,23, 14,589.00 |
| | योग | **574151354** | **22620604** | **(-)155694.00**<br>**(+)551686444.00**<br>**(+)551530750.00** |

राशियों के अंतर के मिलान की आवश्यकता है।

ब. अनुदान सहायता

अकादमी के पास गत वर्षो की अव्ययित अनुदान (गैर योजना अंतर्गत) के रूप में राशि रू. 2.40 करोड़ थी। वर्ष के दौरान अनुदान (गैर योजना अंतर्गत) राशि रू. 6.70 करोड़ प्राप्त हुई। इस प्रकार अकादमी के पास अनुदान की कुल राशि रू. 9.10 करोड़ उपलब्ध थी, जिसमें से रू. 7.20 करोड़ का उपयोग किया गया एवं शेष राशि रू. 1.90 करोड़ अव्ययित अनुदान के रूप में 31 मार्च 2010 को शेष थी।

स. प्रबंधकीय पत्र

वे कमियां जिन्हें लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मलित नहीं किया गया है, उन्हें अकादमी को प्रबंधकीय पत्र के माध्यम से सुधार के लिये अलग से ध्यान में लाया गया है।

(V) पूर्वगामी परिच्छेद में हमारी टिप्पणी के अधीन हम प्रतिवेदित करते है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अधीन तुलन–पत्र एवं आय और व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा पुस्तकों से समानता रखते है।

(VI) हमारे मतानुसार एवं मुझे प्राप्त समस्त सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार इन वित्तीय पत्रकों को लेखांकन नीतियों, लेखों पर टिप्पणी एवं उपर्युक्त वर्णित महत्वपूर्ण तथ्यों एवं अनुलग्नक मे वर्णित अन्य तथ्यों को साथ पढ़ने पर,यह लेखांकन रिपोर्ट, भारत में सामान्यत: स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं स्पष्ट है।

(अ) जहाँ तक कि यह 31 मार्च, 2010 को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के कार्यों के तुलन-पत्र से संबंधित है एवं
(ब) जहाँ तक यह उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते के आधिशेष से संबंधित है।

स्थान : ग्वालियर
दिनांक : 14-02-2011

वास्ते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए

हस्ता/-

प्रधान महालेखाकार
(सिविल एवं कमर्शियल ऑडिट)
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

---

## परिशिष्ट

1. **आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की उपयुक्तता**

   अकादमी ने मेमोरैन्डम ऑफ एसोशिएशन के चाहे अनुसार प्रबंध एवं प्रशासन के लिए नियम एवं विनियम (सेवा नियम, वित्तीय नियम एवं क्रय नियम) अभी तैयार नहीं किये गये हैं। जिससे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है।

2. **आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली की उपयुक्तता**

   अकादमी की आन्तरिक लेखा परीक्षण, मुख्य लेखा नियंत्रक; कानून विधि एवं कम्पनी कार्य विभाग मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा संचालित की जाती है। फिर भी, यहाँ प्रतिदिन होने वाले कार्य की त्रुटियों का पता लगाने हेतु लेन-देन के समवर्ती लेखा परीक्षण की प्रक्रिया नहीं है।

3. **सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**
   वर्ष 2009-10 के लिए सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया एवं प्रतिवेदन संबंधित पंजी में अंकित है।

4. **माल सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**
   माल सूची का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान किया गया।

5. **वैधानिक देयता (Dues) का भुगतान**
   वैधानिक देयताओं के भुगतान के सम्बन्ध में अनियमितता नहीं थी।

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी

# राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी,

भदभदा रोड़, पो. आ. सूरज नगर, भोपाल – 462044

लेखा परीक्षण टिप्पणियों के उत्तर

| सं. | लेखा परीक्षण – टिप्पणियाँ | लेखा परीक्षण टिप्पणियों के उत्तर |
|---|---|---|
| अ. | तुलन –पत्र | |
| 1. | परिसंपत्ति | |
| 1.1 | 31 मार्च , 2010 की स्थिति में परिशिष्ट–4 के आँकड़ों का स्थायी आस्ति पंजी से मिलान न होना:–<br>31 मार्च 2010 की स्थिति में तुलन–पत्र के भाग के रूप में सम्मलित स्थायी आस्तियों के परिशिष्ट–4 के आंकड़ों और स्थायी आस्तियों की पंजी के आंकडों का परीक्षण करने पर नीचे दर्शाये अनुसार अंतर दर्शाता है :– | 1) फर्नीचर एवं फिक्चर (अन्य)<br>फर्नीचर एवं फिक्चर मद के अन्तर्गत 1,07,494/– रूपये का अंतर दर्शाया गया है। स्थिति को निम्नानुसार वर्णित किया गया है :–<br>अ) वर्ष 2007–08 के दौरान जल शोधक हेतु रूपये 20,500/– का भुगतान किया गया था और इसे, प्रगति कार्य पूंजी मद के अन्तर्गत पूंजीकृत किया गया था। वर्ष 2008–09 के दौरान प्रगति कार्य में से रूपये 20,500/– की कटौती कर इसे, फर्नीचर एवं फिक्चर के परिशिष्ट–4 के अन्तर्गत संकलित किया गया है। तद्नुसार, स्थाई आस्ति पंजी में भी वृद्धि की गई है।<br>ब) राशि रूपये 1,44,000/– (मेजों की लागत रूपये 1,28,000+ वेट 16,000) की 16 नग कान्फ्रेन्स टेबल का क्रय मेसर्स रिकसन फर्नीचर वर्ल्ड, भोपाल से बिल क्रमांक 69 दिनांक 15.03.2007 के अनुसार किया गया था और इसे स्थाई आस्ति पंजी (योजना) में प्रविष्ट किया गया। असावधानीवश राशि रूपये 128000/– उपर्युक्तानुसार वर्णित अनुरूप बिल क्रमांक 69 दिनांक 15.03.2007 अनुसार 16 नग कान्फ्रेन्स टेबल की प्रविष्टि स्थाई आस्ति पंजी (गैर योजना) में भी दर्शाई गई थी। स्थाई आस्ति पंजी में आवश्यक सुधार कर लिये गये है।<br>अ एवं ब का शुद्ध मूल्य रूपये 1,28,000–20,500= 1,07,500/– है। अर्थात परिशिष्ट–4 के अन्तर्गत फर्नीचर एवं फिक्चर मद में दर्शाई गई राशि सही है। |

(राशि ₹ में)

| क्र. सं. | संपत्ति का नाम | अनुसूची–4 के अनुसार स्थायी संपत्ति पर दर्शाई राशि | स्थायी संपत्ति रजिस्टर अनुसार राशि | अंतर (–) कटौती (+) अतिरिक्त |
|---|---|---|---|---|
| 1. | फर्नीचर एवं फिक्चर अन्य | 93,66,822 | 95,02,516 | (–) 1,07,494.00 |
| 2. | पुस्तक–भाग प्रणाली | 60,51,137 | 59,02,189 | (+) 1,48,948.00 |
| 3. | ऑडियोविजन एवं ऑपरेशन थियेटर | 71,18,473 | 71,66,673 | (–) 48,200.00 |
| 4. | जल पूर्ति प्रणालियाँ | 92,22,807 | | (+) 92,22,807.00 |
| 5. | भवन | 54,23,83,815 | 49,226 | (+) 54,23,14,589.00 |
| | योग | 574151354 | 22020904 | (–)155694.00<br>(+)55186444.00<br>(+)551530750.00 |

राशियों के अंतर के मिलान की आवश्यकता है।

| सं. | लेखा परीक्षण – टिप्पणियाँ | लेखा परीक्षण टिप्पणियों के उत्तर |
|---|---|---|
| | | **2) श्रव्य–दृश्य प्रणाली**<br>श्रव्य–दृश्य प्रणाली मद के अन्तर्गत राशि रूपये 1,48,948/– का अन्तर दर्शाया गया है। वर्ष 2007–08 के दौरान राशि रूपये 1,48,948/– का भुगतान मेसर्स लाल इऑन एक्चेन्ज केमिकल्स प्रा. लि. भोपाल को जल शोधन संयत्र को मजबूत करने के संबंध में भुगतान किया गया था। इसलिए स्थाई आस्ति के परिशिष्ट–4 में आवश्यक समायोजन वर्ष 2011–12 के दौरान किया जाएगा।<br>**3) ऑडिटोरियम का आंतरिक कार्य**<br>ऑडिटोरियम के आंतिरिक कार्य मद के अन्तर्गत राशि रूपये 48,200/– का अंतर दर्शाया गया है। इस राशि की कटौती स्कॉच गार्ड का कार्य न करने के फलस्वरूप ठेकेदार के देयक में से की गई है। इसलिये स्थाई आस्ति के परिशिष्ट–4 में ऑडिटोरियम के आंतरिक कार्य के मद के अन्तर्गत शुद्व राशि 71,18,873/– दर्शाई गई है किन्तु स्थाई आस्ति पंजी में प्रविष्टि राशि रूपये 71,67,073/– से की गई थी। इसलिए अकादमी के स्थाई आस्ति पंजी में आवश्यक सुधार कर लिये गये है।<br>**4) जल आपूर्ति प्रणाली**<br>स्थाई आस्ति पंजी में आवश्यक प्रविष्टियां कर ली गई है।<br>**5) भवन**<br>स्थाई आस्ति पंजी में आवश्यक प्रविष्टियां कर ली गई है। |
| ब. | **अनुदान सहायता** | |
| अकादमी के पास गत वर्षो की अव्ययित अनुदान (गैर योजना अंतर्गत) के रूप में राशि रू. 2.40 करोड़ थी। वर्ष के दौरान अनुदान (गैर योजना अंतर्गत) राशि रू. 6.70 करोड़ प्राप्त हुई। इस प्रकार अकादमी के पास कुल अनुदान की कुल राशि रू. 9.10 करोड़ उपलब्ध थी, जिसमें से रू. 7.20 करोड़ का उपयोग किया गया एवं शेष राशि रू. 1.90 करोड़ अव्ययित अनुदान के रूप में 31 मार्च 2010 शेष थी। | | वास्तविक स्थिति |

| सं. | लेखा परीक्षण – टिप्पणियाँ | लेखा परीक्षण टिप्पणियों के उत्तर |
|---|---|---|
| स. | अनुसूची | |
| 1 | **आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की उपयुक्तता**<br>अकादमी ने मेमोरैन्डम ऑफ एसोशिएशन के चाहे अनुसार प्रबंध एवं प्रशासन के लिए नियम एवं विनियम (सेवा नियम, वित्तीय नियम एवं क्रय नियम) अभी तैयार नहीं किये गये है। जिससे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है। | अकादमी द्वारा सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर)-2005 को ध्यान में रखते हुये निष्ठापूर्वक दिन प्रतिदिन के कामकाज निष्पादित किये जाते है। संविदा कर्मचारियों की सेवा शर्ते कर्मचारियों के साथ निष्पादित संविदा (शासी परिषद के द्वारा अनुमोदित अनुरूप) के अनुसार नियंत्रित की जाती है। भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों के लिए प्रभावी फन्डामेण्टल रूल्स एवं सप्लीमेन्टरी रूल्स (FRSR) के अनुसार विदेश सेवा की प्रचलित शर्तों एवं नियमों के अनुरूप प्रतिनियुक्त पर पदस्थ कर्मचारियों की शर्तों एवं नियमों को नियंत्रित किया जाता है।<br>भर्ती के विभिन्न प्रयासों के पश्चात् भी वित्तीय सलाहकार का पद रिक्त है। कुल सचिव (प्रशासन का पद) पेशेवर प्रशासक के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। जब तक यह पद भरा जाता है अकादमी उचित समय तक अपने स्वयं के नियम स्वीकृत करने तक केन्द्र सरकार के नियमों का अनुसरण करेगी। इसकी भविष्य में सामान्जस्य की आवश्यकता पर समीक्षा की जायेगी। |
| 2 | **आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली की उपयुक्तता**<br>अकादमी की आन्तरिक लेखा परीक्षा, मुख्य लेखा नियंत्रक, कानून विधि एवं कम्पनी कार्य विभाग मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा संचालित की जाती है, फिर भी दिन प्रतिदिन संपादित होने वाले कामकाज हेतु त्रुटियों एवं भूल का पता लगाने हेतु लेने देने के संगामी अंकेक्षण की प्रक्रिया नहीं है। | **आंतरिक और नियंत्रण प्रणाली**<br>अकादमी के द्वारा बिलों की आंतरिक जांच पड़ताल प्रणाली विकसित की गई है। प्राधिकारी अधिकारी के समक्ष भुगतान की स्वीकृति लेने से पूर्व बिलों को प्रस्तुत करने के संबंध में अकादमी में निम्नानुसार प्रणाली प्रभावी है।<br>**स्तर–1 –**<br>अकादमी द्वारा जारी किये गये कार्यादेश/क्रयादेश और ठेकेदार के साथ निष्पादित अनुबंध के अनुरूप संबंधित अनुभाग देयकों का परीक्षण एवं राशि सत्यापित करने के उपरान्त संबंधित बिलों को लेखा शाखा में प्रस्तुत करते है। |

| सं. | लेखा परीक्षण – टिप्पणियाँ | लेखा परीक्षण टिप्पणियों के उत्तर |
|---|---|---|
| | | स्तर–2 –<br>अकादमी द्वारा जारी किये गये कार्यादेश/क्रयादेश और ठेकेदार के साथ निष्पादित अनुबंध के अनुरूप लेखा शाखा पुनः देयकों का परीक्षण करता है, तत्पश्चात प्राधिकारी अधिकारी की वित्तीय स्वीकृति हेतु लेखा शाखा एक टीप प्रस्तुत करता है। |
| 3 | **सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**<br>वर्ष 2009–10 के लिए सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया एवं प्रतिवेदन संबंधित पंजी में अंकित है। | वास्तविक स्थिति |
| 4 | **माल सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**<br>माल सूची का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान किया गया। | वास्तविक स्थिति |
| 5 | **वैधानिक देयताओं का भुगतान**<br>वैधानिक देयताओं के भुगतान के सम्बन्ध में अनियमितता नहीं थी। | वास्तविक स्थिति |

# राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

## तुलन पत्र
## (31 मार्च 2010 की स्थिति में)

(राशि ₹ में)

| विवरण | अनुसूची | चालू वर्ष : 2009–2010 | गत वर्ष : 2008–2009 |
|---|---|---|---|
| पूँजीगत निधि एवं दायित्व | | | |
| पूँजीगत निधि | 1 | 7 49 91 973.29 | 6 82 83 174.36 |
| प्रयोजन विशिष्ट निधि | 2 | 7 33 78 042.00 | 7 80 86 890.00 |
| चालू दायित्व एवं प्रावधान | 3 | 1 20 26 562.00 | 75 86 176.00 |
| **योग** | | **16 03 96 577.29** | **15 39 56 240.36** |
| परिसंपत्तियाँ | | | |
| स्थिर अस्तियाँ | 4 | | |
| अ) शासकीय अनुदान से निर्मित (नाम मात्र लागत पर) | | 1 800.00 | 1 700.00 |
| ब) अन्य स्थिर आस्तियाँ (अपलिखित मूल्य पर) | | 9 61 604.00 | 10 96 253.00 |
| चालू अस्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि | 5 | 15 94 33 173.29 | 15 28 58 287.36 |
| **योग** | | **16 03 96 577.29** | **15 39 56 240.36** |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ | 9 | | |

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. जी. मोहन गोपाल)
निदेशक

# राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

## आय एवं व्यय लेखा

## (31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए)

(राशि ₹ में)

| विवरण | अनुसूची | चालू वर्ष 2009–2010 | गत वर्ष 2008–2009 |
|---|---|---|---|
| आय | | | |
| गैर योजना आवगत अनुदान राशि | | 6 70 00 000.00 | 8 91 00 000.00 |
| अर्जित ब्याज (बैंक जमा एवं सावधि जमा) | 6 | 32 55 492.32 | 39 47 834.05 |
| ठहरने एवं भोजन से प्राप्ति | | 59 55 820.00 | 44 49 120.00 |
| पंजीयन शुल्क | | 12 57 000.00 | 17 79 000.00 |
| एनजेए पब्लिकेशन व टाई विक्रय | | 38 421.00 | 32 385.00 |
| विद्युत, जल एवं केबल प्रभार प्राप्त | | 1 70 812.00 | 55 942.80 |
| विविदा शुल्क | | 1 53 750.00 | 69 000.00 |
| विविध आय | | 1 33 844.40 | 1 38 834.00 |
| के.प्र.अ. – अकादमिक प्रोग्राम | | 2 94 242.00 | NIL |
| **योग –अ** | | **7 82 59 381.72** | **9 95 72 115.85** |
| व्यय | | | |
| स्थापना व्यय | 7 | 2 51 38 200.00 | 1 66 88 199.00 |
| अन्य प्रशासनिक व्यय | 8 | 4 56 43 704.94 | 4 77 19 997.15 |
| ह्रास | 4 | 1 34 649.00 | 1 55 579.23 |
| **योग –ब** | | **7 09 16 553.94** | **6 45 63 775.38** |
| व्यय पर आय का आधिक्य (अंतर) शेष (अ–ब) | | 73 42 827.78 | 3 50 08 340.47 |
| घटाएं–पूर्व समय के व्यय | | 6 28 809.85 | 3 29 202.00 |
| जोड़ें–पूर्व समय के समयोजन | | 5 219.00 | 17 45 177.75 |
| शेष–व्यय पर आय के आधिक्य अनुसार (आय से अधिक व्यय) पूंजीगत निधि को हस्तान्तरित | | **67 08 798.93** | **3 64 24 316.22** |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ | 9 | | |

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. जी. मोहन गोपाल)
निदेशक

# राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

## प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

## (31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए)

(राशि ₹ में)

| प्राप्ति | | | भुगतान | | |
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | चालू वर्ष 2009-10 | गत वर्ष 2008-2009 | विवरण | चालू वर्ष 2009-10 | गत वर्ष 2008-2009 |
| प्रारंभिक शेष | | | व्यय | | |
| अ. रोकड़ हाथों | 565.00 | निरंक | अ. प्रशासन व्यय | 24541314.00 | 15091305.00 |
| ब. रोकड़ बैंक में | 3544402.59 | | ब. प्रशासनिक व्यय | 42152652.49 | 48729082.00 |
| 1. चालू खाते में | 1122965.00 | 5712782.79 | | | |
| 2. अवधि जमा में | 112500000.00 | 95000000.00 | निम्न परियोजनाओं पर व्यय | | |
| 3. एन.जे.ए. नवीन पेंशन योजना | 58010.00 | | | | |
| 4. हाथों में शेष | 27800000.00 | | | | |
| | | | अ. निम्न परियोजनाओं की खरीदी | 1781695.00 | 583016.00 |
| भारत सरकार से गैर योजना अंतर्गत इस आशय अनुदान | 67000000.00 | 89100000.00 | ब. पुस्तकालय हेतु पुस्तकें | 3472893.00 | 76366.00 |
| जमा पर ब्याज आय | | | | | |
| चालू खाते पर | 617875.00 | 432452.00 | लेखापरा फीस | 12500.00 | निरंक |
| सावधि जमा खाते पर | 3591281.00 | 12651699.00 | अवधान (TDA) जमा | 2472361.00 | 1303995.00 |
| एम्प्लोइज़ की सहकारिणी ऋण पर | 104444.49 | 24781.00 | वार्षिकीकरण कार/डेट जमा | 804325.00 | 192030.00 |
| एन.जे.ए. नवीन पेंशन योजना पर आय | 2690.00 | | लुटियंस | 125116.00 | 54912.00 |
| फर्नीचर शुल्क | 1238000.00 | 1439000.00 | कटौती जमा की भुगतान | 867228.00 | 401856.00 |
| किराया/लिज़ ब्याज की वसूली | 49118.20 | 55942.80 | बैंक ब्याज | निरंक | 31394.00 |
| बैंक ब्याज की बैंक द्वारा छलकी | 16267.00 | | कर्मचारी कल्याण | 45198.00 | 25715.00 |
| विविध आय | 7946.20 | 138834.00 | अवेक्षण शुल्क | 29891.00 | निरंक |
| छात्रों एवं भोजन से आय | 5883520.00 | 4042920.00 | सावधि जमा खाता | 112131000.00 | निरंक |
| एन.जे.ए. परिसेवा एवं टाई का विक्रय | 38421.00 | 32385.00 | पूर्व अवधि से व्यय | 13260.00 | 43534.00 |
| विविध शुल्क | 153750.00 | 69000.00 | अवधान व्यय | 494378.00 | 484350.00 |
| सी.एल.ई.– अकादमिक योजना | 294242.00 | | पुस्तिका व्यय | 597764.00 | 709259.00 |
| विविध प्राप्त [उपस्कर पावतियां] | 101100.00 | | रोकी गई राशि की छलकी | 46282.00 | 117544.00 |
| विविध प्राप्तियां | 92940.00 | | उपस्कर मरम्मत पर सेवा की कटौती | 9322.00 | 261426.00 |
| लेखापरी कॉटोग्राफ एवं टाक्सिक सेंटर | 1292571.56 | | पटाक्ष की अग्रिम | 47000.00 | 217774.00 |
| जमा की गई अमानत राशि | 23514.00 | | | | |
| सावधि जमा खाता | 115940666.00 | | | | |
| स्कूटी/स्कार्टर/कटौतियां | | | अंतिम शेष | | |
| वेतन पर अग्रिम कटौती | 1451830.00 | 1436948.00 | अ. रोकड़ हाथों | निरंक | 565.00 |
| टेलेक्सों के भुगतान पर अग्रिम कटौती | 465968.00 | 518205.00 | ब. रोकड़ बैंक में | | |
| अग्रिमिक कर/डेट कटौती | 762853.00 | 341887.00 | 1) बचत जमा खाते में | 50516356.55 | 3544402.59 |
| अग्रिमिकृत कर्मचारियों के वेतन से कटौती | 809880.00 | 562177.00 | 2) चालू खाते में | 393625.00 | 1122965.00 |
| कर्मचारियों को अग्रिम | 582.00 | 51073.00 | 3) सियादी जमा खाते में | 105761000.00 | 112500000.00 |
| रोकी गई राशि | 585500.00 | 43332.00 | 4) एन.जे.ए. नवीन पेंशन योजना | 96658.00 | |
| मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय कार्यक्रम एवं कर्नाटका ज्युडिशियल अकादमी | 54094.00 | 197611.00 | स. सावधि में निधि | निरंक | 27800000.00 |
| मोटर एडवांस | 70681.00 | 106596.00 | | | |
| रिटेनशन राशि | 578195.00 | 873579.00 | | | |
| क्रेडिट कार्डधन | 0.00 | 401075.00 | | | |
| वेतन से कटौती (एन.जे.ए. नवीन पेंशन योजना) | 35958.00 | 0.00 | | | |
| लुटियंस | 121989.00 | 55212.00 | | | |
| पूर्व भुगतान | | | | | |
| योग | 346411819.84 | 213287490.59 | | 346411819.84 | 213287490.59 |

हस्ता/-
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/-
(प्रो. जी. मोहन गोपाल)
निदेशक

# राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

## अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2010 की स्थिति में तुलनपत्र का हिस्सा है

### अनुसूची–1

### पूँजीगत निधि

(राशि ₹ में)

| विवरण | चालू वर्ष 2009–2010 | गत वर्ष 2008–2009 |
|---|---|---|
| वर्ष के प्रारंभ में | 68283174.36 | 31858858.14 |
| जोड़े/घटाएं/(कमी) अधिक्य वर्ष के दौरान आय एवं व्यय खाते के अनुसार | 6708798.93 | 36424316.22 |
| **वर्षान्त शेष** | **74991973.29** | **68283174.36** |

### अनुसूची–2

### विशिष्ट प्रयोजन निधि

(राशि ₹ में)

| विवरण | चालू वर्ष 2009–2010 | गत वर्ष 2008–2009 |
|---|---|---|
| अ. निर्माण एवं अन्य क्रियाकलापों हेतु पूँजीगत अनुदान प्रारंभिक शेष | 7 80 86 890.00 | 7 18 51 576.00 |
| जोड़ेगे – सावधि जमा पर ब्याज | 28 97 177.00 | 76 74 567.00 |
| **योग –अ** | **8 09 84 067.00** | **7 95 26 143.00** |
| घटाएं 1. भवन | 49 226.00 | NIL |
| 2. लायब्रेरी की किताबें | 53 93 322.00 | 76 266.00 |
| 3. अन्य संपत्तियों | 21 63 477.00 | 13 62 987.00 |
| **योग –ब** | **76 06 025.00** | **14 39 253.00** |
| **शेष अनुदान अगामी वर्ष के आगे ले गये (अ–ब)** | **7 33 78 042.00** | **7 80 86 890.00** |

हस्ता/-
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/-
(प्रो. जी. मोहन गोपाल)
निदेशक

# राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

## अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2010 की स्थिति में तुलनपत्र का हिस्सा है

### अनुसूची–3

### चालू दायित्व एवं प्रावधान

(राशि ₹ में)

| विवरण | चालू वर्ष 2009–10 | गत वर्ष 2008–09 |
|---|---|---|
| अ. चालू दायित्व : | | |
| विविध लेनदार | 29 18 863.00 | 30 51 081.00 |
| 1. वेतन कटौतियाँ | | |
| जी.पी.एफ./सी.पी.एफ./एन.पी.एस. | 76 593.00 | 1 20 618.00 |
| जी.पी.एफ./एम.बी. अग्रिम | 1 000.00 | 5 185.00 |
| लायसेंस फीस | 0.00 | 22 145.00 |
| वूलिकर | 0.00 | 3 127.00 |
| एस.एल.आई | 600.00 | |
| एस.जी.ई./जी.आई.एस | 2 860.00 | 3 400.00 |
| कर्मचारी कल्याण कोष | 30.00 | 75.00 |
| वेतन पर टी.डी.एस. | 0.00 | 5 19 010.00 |
| टियर–1 कर्मचारी का अंशदान | 886.00 | 771.00 |
| सी.एम.टी.डी. रेलवे | 1 000.00 | 5 000.00 |
| 2. अन्य दायित्व | | |
| देय आडिट फीस | 29 891.00 | |
| एन.जे.ए. नवीन पेंशन योजना | 96 658.00 | 58 010.00 |
| कार्यनिष्पादन सुरक्षानिधि | 12 600.00 | |
| मेसर्स एस.एल.छाजेड़ एण्ड कम्पनी | 7 575.00 | |
| देय मानदेय | 23 922.00 | |
| स्टाफ को देय | 9 671.00 | 656.00 |
| पुराने धनादेश खाता | 1 77 276.00 | |
| जमा सुरक्षानिधि | 7 50 456.00 | 7 50 456.00 |
| रोकी गई राशि | 500.00 | 43 332.00 |
| मे. ईईएल फूल | 0.00 | 4 66 184.00 |
| 3. वैधानिक दायित्व | | |
| देय भविष्य निधि | 1 23 143.00 | 5 47 337.00 |
| मूल्य वर्धित कर | 1 09 456.00 | 1 49 857.00 |
| देय टी.डी.एस. | 97 445.00 | 1 32 148.00 |
| योग– (अ) | **44 40 425.00** | **58 78 392.00** |
| ब. प्रावधान : | | |
| देय वेतन | 15 81 384.00 | 11 94 855.00 |
| देय व्यय | 60 04 753.00 | 5 12 929.00 |
| योग– ब | **75 86 137.00** | **17 07 784.00** |
| योग (अ + ब) | **1 20 26 562.00** | **75 86 176.00** |

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. जी. मोहन गोपाल)
निदेशक

# राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी
## अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2010 की स्थिति में तुलनपत्र का हिस्सा है
## अनुसूची–4
## स्थिर अस्तियाँ

पूँजीगत अनुदान से निर्मित/प्राप्त अस्तियाँ

| क्र.सं. | विवरण | सकल संपत्तियाँ | | | | | | | अनुदान में से कटौतियां | | | शुद्ध संपत्तियाँ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आरंभ की दर प्रतिशत | वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन | वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (30.09.2009 के पूर्व) | वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (30.09.2009 के बाद) | वर्ष के दौरान बढ़ोतरी/ समायोजन | | वर्ष के अंत में लागत | वर्ष के प्रारंभ में | वर्ष के दौरान | वर्ष के अंत में | चालू वर्ष के अंत में नाममात्र की लागत | गत वर्ष के अंत में नाममात्र की लागत |
| | | | | | | बढ़ोतरी | कटौती | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+5+6+7-8 | 10 | 11 | 12 | 13=9-12 | 14 |
| (A) | स्थायी संपत्तियां | | | | | | | | | | | | |
| 1 | भवन | | 5423146589.00 | 49226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5423363815.00 | 5423144689.00 | 49226.00 | 5423363715.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | फर्नीचर एवं फिक्सचर | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| (a) | रु/ए फैजाईई रोस्ट हाउस | | 5837450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5837450.00 | 5837350.00 | 0.00 | 5837350.00 | 100.00 | 100.00 |
| (b) | आडिटोरियम का आंतरिक सज्जा | | 7118473.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7118473.00 | 7118373.00 | 0.00 | 7118373.00 | 100.00 | 100.00 |
| (c) | होस्टल फर्नीचर | | 20851031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20851031.00 | 20850931.00 | 0.00 | 20850931.00 | 100.00 | 100.00 |
| (d) | अन्य फर्नीचर एवं फिक्सचर | | 9214693.00 | 82760.00 | 97369.00 | 0.00 | 0.00 | 9394822.00 | 9214793.00 | 180129.00 | 9394922.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | विद्युत संस्थापन | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| (a) | मेन्स अनुकूलन संयंत्र | | 40004017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40004017.00 | 40003917.00 | 0.00 | 40003917.00 | 100.00 | 100.00 |
| (b) | फेन–पुश्च प्रणाली | | 6051137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6051137.00 | 6051037.00 | 0.00 | 6051037.00 | 100.00 | 100.00 |
| (c) | अन्य विद्युत संस्थापन | | 44632208.00 | 0.00 | 431108.00 | 0.00 | 0.00 | 45063216.00 | 44632008.00 | 431108.00 | 45063116.00 | 100.00 | 100.00 |
| (d) | सौर्य जल वार्मीकरण प्रणाली | | 1575135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1575135.00 | 1575035.00 | 0.00 | 1575035.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | जलपूर्ति प्रणाली | | 9192407.00 | 30500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9222907.00 | 9192307.00 | 30500.00 | 9222807.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | कार्यालय उपकरण | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| (a) | ई.पी.ए.बी.एक्स | | 2060000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060000.00 | 2059900.00 | 0.00 | 2059900.00 | 100.00 | 100.00 |
| (b) | अन्य कार्यालय उपकरण | | 78927.00 | 78771.00 | 88554.00 | 0.00 | 0.00 | 246252.00 | 78827.00 | 167325.00 | 246152.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | कम्प्यूटर | | 15974479.00 | 905515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16879994.00 | 15974379.00 | 905515.00 | 16879894.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | टी.वी. | | 0.00 | 449000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449000.00 | 0.00 | 449000.00 | 449000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8 | लाईब्रेरी उपकरण | | 6336613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6336613.00 | 6336513.00 | 0.00 | 6336513.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | न्यायमण्डल उपकरण | | 880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880000.00 | 879900.00 | 0.00 | 879900.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | गाडिया | | 34,462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34462.00 | 34362.00 | 0.00 | 34362.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | लाईब्रेरी पुस्तक | | 7,000,656.00 | 186883.00 | 5206439.00 | 0.00 | 0.00 | 12393978.00 | 7000556.00 | 5393322.00 | 12393878.00 | 100.00 | 100.00 |
| कुल | | | 7191563777.00 | 1782655.00 | 5823470.00 | 0.00 | 0.00 | 7267662562.00 | 7191564677.00 | 7606625.00 | 7267667762.00 | 1999.00 | 1799.00 |

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. जी. मोहन गोपाल)
निदेशक

स्वयं की तिथि से निर्मित आस्तियाँ

| क्र.सं. | विवरण | सकल संपत्तियाँ | | | | | | | ह्रास | | | | शुद्ध संपत्तियाँ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ह्रास की दर प्रतिशत | वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन | वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (30.09.2009 को पूर्व) | वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (30.09.2009 को बाद) | वर्ष के दौरान कटौतियाँ/ समायोजन: बढ़ोतरी | वर्ष के दौरान कटौतियाँ/ समायोजन: कटौती | वर्ष के अंत में लागत | वर्ष के प्रारंभ में | वर्ष के प्रारंभ में शुध्दअवरी शेष | वर्ष के दौरान बढ़ोतरी | वर्ष के अंत में योग | चालू वर्ष के अंत में तालमान की लागत | गत वर्ष के अंत में तालमान की लागत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+5+6+7-8 | 10 | 11 | 12 | 13=10+11+12 | 14=9-13 | 15 |
| 1 | वाहन | 15% | 1211796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1211796.00 | 807695.00 | 60615.00 | 0.00 | 868310.00 | 343486.00 | 404101.00 |
| 2 | जीवाणुरोध प्रीलेकटर | 15% | 21893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21893.00 | 12179.00 | 1457.00 | 0.00 | 13636.00 | 8257.00 | 9714.00 |
| 3 | कोटेक्सरीवर | 15% | 267588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267588.00 | 214269.00 | 10998.00 | 0.00 | 225267.00 | 42321.00 | 53319.00 |
| 4 | विद्युत संस्थापन | 10% | 135840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135840.00 | 69083.00 | 6676.00 | 0.00 | 75759.00 | 60081.00 | 66757.00 |
| 5 | कम्प्यूटर | 60% | 362636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362636.00 | 361243.00 | 836.00 | 0.00 | 362079.00 | 557.00 | 1393.00 |
| 6 | फर्नीचर व फिक्सचर | 10% | 758041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758041.00 | 217072.00 | 54067.00 | 0.00 | 271139.00 | 486902.00 | 540969.00 |
| कुल | | | 2777794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2777794.00 | 1681541.00 | 134649.00 | 0.00 | 1816190.00 | 961604.00 | 1096253.00 |
| पहायोग | | | 721934171.00 | 1782655.00 | 5823470.00 | 0.00 | 0.00 | 729540296.00 | 726836218.00 | 155579.00 | 0.00 | 726576892.00 | 963404.00 | 1097953.00 |

हस्ता/-
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/-
(प्रो. जी. मोहन गोपाल)
निदेशक

# राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2010 की स्थिति में तुलनपत्र का हिस्सा है

## अनुसूची–5

## चालू सम्पत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम

(राशि ₹ में)

| विवरण | | चालू वर्ष 2009–10 | गत वर्ष 2008–09 |
|---|---|---|---|
| अ. चालू परिसम्पत्तियाँ : | | | |
| 1. विविध प्राप्ति योग्य | 760871.19 | 760871.19 | 2844251.60 |
| 2. रोकड़ एवं बैंक शेष | | | |
| अ. हस्तगत रोकड़ | NIL | | 565.00 |
| ब. अनुसूचित बैंकों में शेष | | | |
| चालू खाते में | 393625.00 | | 1122965.00 |
| बचत खाते में | 50516356.55 | | 3544402.59 |
| बचत खाते में (एन.जे.ए. नवीन पेंशन योजना) | 96658.00 | | 58010.00 |
| सावधि जमा खातों में | 105761000.00 | | 112500000.00 |
| स. रास्ते में कोष | NIL | 156767639.55 | 27800000.00 |
| **योग (अ)** | | **157528510.74** | **147870194.19** |
| ब. अग्रिम एवं जमा | | | |
| 1. अग्रिम एवं जमा | | | |
| कर्मचारियों को अग्रिम | 47000.00 | | 2499.00 |
| राज्य न्यायायिक अकादमियों को अग्रिम | 1527.00 | | 637779.00 |
| एम.पी.एस.ई.बी के साथ प्रतिभूति जमा | 46998.55 | | 47300.00 |
| एम.पी.एस.ई.बी के साथ कार्य हेतु जमा | NIL | | 431108.00 |
| पूर्वदत्त व्यय | 597764.00 | | 709259.00 |
| बैंक एवं एमपीएसईबी द्वारा टीडीएस | 270748.00 | | 261426.00 |
| अन्य के साथ जमा | 50300.00 | 1014337.55 | 37800.00 |
| 2. उपार्जित आय | | | |
| सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज | 890325.00 | 890325.00 | 2860922.17 |
| **योग (ब)** | | **1904662.55** | **4988093.17** |
| **योग (अ + ब)** | | **159433173.29** | **152858287.36** |

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. जी. मोहन गोपाल)
निदेशक

## राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी
(अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे का हिस्सा है)

### अनुसूची–6
### अर्जित ब्याज

(राशि ₹ में)

| विवरण | चालू वर्ष 2009–10 | गत वर्ष 2008–09 |
|---|---|---|
| अनुसूचित बैंक में सावधि जमा पर | 54 30 349.83 | 1 10 77 456.05 |
| घटाईयें – विशिष्ट प्रयोजन निधि में प्रभारित ब्याज | (28 97 177.00) | (76 74 567.00) |
| एमपीएसईबी के साथ प्रतिभूति जमा पर | 1 04 444.49 | 1 12 493.00 |
| अनुसूचित बैंक में बचत खातों पर | 6 17 875.00 | 4 32 452.00 |
| **योग** | **32 55 492.32** | **39 47 834.05** |

### अनुसूची–7
### स्थापना ब्याज

(राशि ₹ में)

| विवरण | चालू वर्ष 2009–10 | गत वर्ष 2008–09 |
|---|---|---|
| छठवें वेतनमान का एरियर | 17 69 336.00 | 22 03 870.00 |
| मानदेय | 8 15 500.00 | 8 83 878.00 |
| अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान | 35 361.00 | 2 56 306.00 |
| अवकाश यात्रा रियायत व्यय | 29 942.00 | 14 362.00 |
| नवीन पेंशन योजना में एनजेए का अंशदान | 16 843.00 | 8 919.00 |
| एनजेए के कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान | 26 87 874.00 | 8 37 736.00 |
| तदर्थ बोनस | 1 46 220.00 | |
| वेतन एवं मजदूरी | 1 95 38 676.00 | 1 24 20 054.00 |
| कर्मचारी कल्याण (एनजेए) | 45 198.00 | 29 299.00 |
| शिक्षण शुल्क | 53 250.00 | 33 775.00 |
| **योग** | **2 51 38 200.00** | **1 66 88 199.00** |

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. जी. मोहन गोपाल)
निदेशक

# राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

(अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे का हिस्सा है)

## अनुसूची–8

## अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि ₹ में)

| विवरण | चालू वर्ष 2009–10 | गत वर्ष 2008–09 |
|---|---|---|
| विज्ञापन व्यय | 550558.00 | 790764.00 |
| कम्प्यूटर का वार्षिक रखरखाव | 127536.00 | 72755.00 |
| लेखा परिक्षा शुल्क | 29891.00 | 29675.00 |
| बैंक प्रभार | 5334.00 | 31394.00 |
| फेलशिप प्रभार | 180000.00 | 131953.00 |
| खानपान व्यय | 4267716.00 | 3774993.00 |
| रखरखाव एवं मरम्मत (कम्प्यू. एवं कार्या. उपकरण) | 324962.00 | 110376.00 |
| प्रोफेशनल व्यय | 75050.00 | 47400.00 |
| विद्युतीय रखरखाव एवं मरम्मत | 127509.00 | 210784.00 |
| बिजली व्यय | 7892814.94 | 7133933.00 |
| बागबानी एवं भूनिर्माण | 2534360.00 | 2610322.00 |
| विभ उपदेशक फीस | 46800.00 | 24000.00 |
| अतिथि सत्कार व्यय | 0.00 | 485944.00 |
| छापाखाना व्यय | 257595.00 | 229953.00 |
| हाउस कीपिंग सेवायें | 846125.00 | 811615.00 |
| लांड्री व्यय | 301244.00 | 165640.00 |
| लाईब्रेरी व्यय | 1173077.00 | 484350.00 |
| मेडिकल व्यय एवं सेवी | 1059555.00 | 224774.00 |
| मोमेन्टो | 65000.00 | 0.00 |
| न्यूजपेपर एवं मैगजीन | 63064.00 | 43434.00 |
| कार्पोरेट व्यय | 58380.00 | 0.00 |
| अन्य प्रशासनिक व्यय | 18184.00 | 31827.00 |
| अन्य प्रतिष्ठान व्यय | 24170.00 | 741599.00 |
| प्रतिभागी भेत्र | 320300.00 | 343400.00 |
| फोटोकापी एवं बाईंडिंग व्यय | 3041206.00 | 1862088.15 |
| पी.ए. एवं साउंड सिस्टम | 583306.00 | 762040.00 |
| पेंटिंग एवं क्रियेटिव कार्य | 0.00 | 5046083.00 |
| डाक व्यय | 285530.00 | 596327.00 |
| छपाई एवं लेखन सामग्री व्यय | 644896.00 | 844905.00 |
| सेवीय कार्यक्रम व्यय | 1539525.00 | 326044.00 |
| प्रोफेशनल व्यय | 52575.00 | 35147.00 |
| रखरखाव एवं मरम्मत | 1257855.00 | 556766.00 |
| पुरस्कार | 0.00 | (1.00) |
| सुरक्षानिधि व्यय | 3751788.00 | 3922654.00 |
| परिवहन व्यय | 2857264.00 | 1855075.00 |
| दूरभाष एवं इंटरनेट व्यय | 850790.00 | 561569.00 |
| पाठ्य व्यय | 8395275.00 | 10264812.00 |
| फोटोग्राफी व्यय | 132453.00 | 278151.00 |
| वाहन चालन एवं रखरखाव व्यय | 216704.00 | 260779.00 |
| जल व्यवस्था | 382966.00 | 575025.00 |
| योग उपदेशक फीस | 115500.00 | 91900.00 |
| परिचालन एवं रखरखाव | 1197515.00 | 1349748.00 |
| योग | **45643704.94** | **47719997.15** |

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. जी. मोहन गोपाल)
निदेशक

# राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

## अनुसूची–9

## तुलन पत्र और आय और व्यय लेखा के भाग के रूप महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ

**अ. लेखांकन नीतियाँ–**

1. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अंतिम खाते भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप जो सभी केन्द्रीय स्वायत्त संस्थाओं के लिए है, में तैयार किए गये है।
2. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के वित्तीय विवरण लेखों को उपार्जित पद्धति एवं ऐतिहासिक लागत चलन के आधार पर तैयार किया गया है, जब तक अन्यथा विवर्णित न हो।

**3. स्थायी आस्तियाँ**

3.1 स्वयं की निधि से निर्मित/प्राप्त संपतियों को प्राप्त करने की लागत जिसमें प्राप्त करने से संबंधित भाड़ा, शुल्क एवं कर तथा प्रत्यक्ष एवं अन्य व्ययों को सम्मलित किया गया है।

3.2 अनुदान से निर्मित/प्राप्त स्थायी आस्तियों की लागत को प्राप्त अनुदान से समायोजित किया गया है और तुलन पत्र में इन्हें नाम मात्र की लागत पर दर्शाया गया है।

**4 ह्रास**

4.1 स्वयं की निधि से निर्मित संपतियों पर मूल्यह्रास, अपलिखित मूल्य पद्धति पर आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार प्रावधित किया गया है।

4.2 पूँजीगत अनुदान की राशि से निर्मित की गई स्थायी सम्पतियों पर ह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है और इन्हें तुलन पत्र में नाम मात्र पर ले जाया गया है।

4.3 रूपये 5000 अथवा उससे कम की संपत्ति लागत को पूर्णत: प्रावधित किया गया है।

**5 शासकीय अनुदान**

5.1 पूँजीगत अनुदान जो संपत्तियों को निर्मित/प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुआ है उसे संपत्तियों को निर्मित/प्राप्त करने की लागत से घटाया गया है एवं अर्जित की गई संपत्तियाँ नाम मात्र की लागत पर दर्शाई गई है।

**6 ब्याज**

पूँजीगत अनुदान पर प्राप्त ब्याज पूँजीगत प्राप्ति की तरह दर्शाया गया है और पूँजीगत अनुदान खाते में जमा किया गया है। अन्य समस्त अनुदान पर अर्जित ब्याज एवं आयगत अनुदान अर्जित होने पर समिति की आय की तरह दर्शाया गया है।

**ब. लेखों पर टिप्पणियाँ–**

1. पूँजीगत अनुदान की राशि से निर्मित की गई स्थायी सम्पत्तियों की लागत, पूँजीगत अनुदान की राशि में से घटाई गई है। शेष अनुदान राशि को आगे बढ़ाया गया है। सुसंगत लेखांकन नीतियों के अनुसार, उपयोग किये गये पूंजीगत अनुदान की राशि से पृथक से पूँजी संचय का निर्माण नहीं किया गया है, और इन सम्पत्तियों पर ह्रास प्रभारित नहीं किया गया है। 31 मार्च, 2010 तक निर्मित/प्राप्त संम्पत्तियों की कुल लागत निम्नानुसार है:

| | विवरण | 31.03.2010 को | 31.03.2009 को |
|---|---|---|---|
| (1) | भवन | 542363815.00 | 542314589.00 |
| (2) | लाईब्रेरी की पुस्तकें | 12393978.00 | 7000656.00 |
| (3) | फर्नीचर एवं फिक्चर्स | 43201976.00 | 43021847.00 |
| (4) | कम्प्युटर | 6879994.00 | 15974479.00 |
| (5) | विद्युत संस्थापनाएँ | 92693505.00 | 92262397.00 |
| (6) | जल प्रदाय प्रणाली | 9222907.00 | 9192407.00 |
| (7) | कार्यालयीन उपकरण | 2306252.00 | 2138927.00 |
| (8) | रसोईघर उपकरण | 6336613.00 | 6336613.00 |
| (9) | जिम्नेजियम उपकरण | 880000.00 | 880000.00 |
| (10) | टी.वी | 449000.00 | |
| (11) | वाहन | 34462.00 | 34462.00 |
| | योग | 726762502.00 | 719156377.00 |

**2. सावधि जमा पर अर्जित ब्याज**

सावधि जमा पर अर्जित ब्याज रू. 5430349.83 का विभाजन पूजीनिधि एवं विशिष्ट नियोजन निधि के मध्य प्रारंभिक शेष के आधार पर किया गया है।

| | विवरण | राशि रूपये में |
|---|---|---|
| (1) | विशिष्ट प्रयोजन निधि को प्रभारित ब्याज | 2897177.00 |
| (2) | आय व्यय खाते में प्रभारित ब्याज | 2533172.83 |
| | योग | 5430349.83 |

3. पूर्व अवधि व्यय के अन्तर्गत राशि रूपये 296431.00 क्षेत्रीय कार्यशाला, बैंगलोर के व्यय सम्मलित है, जो कि वर्ष 2006-07 से संबंधित है और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया गया है।
4. क्षेत्रीय कार्यशाल व्यय के अन्तर्गत राशि रूपये 285727.00 वर्ष 2006-07 से सम्मलित है और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया गया है।
5. विविध प्राप्य के अन्तर्गत मेसर्स कोठारी फोटोस्टेट एण्ड टायपिंग सेन्टर भोपाल से प्राप्य रूपये 26198.19 सम्मलित है।
6. 31.03.2010 की स्थिति में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में कुल 67 संविदा कर्मचारी एवं 1 अस्थाई कर्मचारी कार्यरत थे। जिसमें से 7 कर्मचारियों ने 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है और वे उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के दायरे में आते है। वर्ष के दौरान उपादान खाते में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आगामी वर्षों से अकादमी आवश्यक प्रावधान करेगी।
7. पूर्व वर्ष के आँकड़े आवश्यकतानुसार पुर्नसंगठित/पुर्नसंरचित किए गए है।

हस्ता/-
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/-
(प्रो. जी. मोहन गोपाल)
निदेशक


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Judicial Workshop on Adjudication Management:
Adjudication of Cases Concerning Safety, Security and Public Order
September 11th - September 14th 2009


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Conference of High Court Justices on Poverty Eradication,
Combating Social Exclusion and Advancing Social Justice : Role of Courts
October 24th - October 25th 2009


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Judicial Workshop on
Techniques & Tools for Stress Management by Judges
Dec. 4th - Dec. 6th 2009


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Judicial Workshop on Adjudication Management:
Adjudication of Trafficking & Sexual Offences Cases
Dec. 18th - Dec. 21st 2009


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Judicial Workshop on Effective Use of ADR and Plea Bargaining for Reduction of Delay and Arrears in Courts
Feb. 5th - Feb. 7th 2010


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Intensive Judicial Excellence Enhancement Programme (JEEP) (Second Visit)
Apr. 9th - Apr. 16th 2010


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Judicial Seminar on Environmental Protection
May. 14th - May. 16th 2010


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
'Socio-Economic Revolution' Agenda of the Constitution of India: The Role of Law College and Judicial Academies
June. 12th - 13th 2010

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY
धर्मेण धार्यते लोकः













**National Judicial Academy, Bhopal, India**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल, भारत



# National Judicial Academy
# Bhopal, India
# राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल, भारत



## Annual Report 2009-2010
## वार्षिक प्रतिवेदन 2009-2010